षष्ठम् माला, खंड 16, अंक 1, सोमवार, 17 जुलाई, 1978/26 आषाढ़, 1900 (शक)
Sixth Series, Vol. XVI, No. 1, Monday, July 17, 1978/Asadha 26, 1900 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

6th
LOK SABHA DEBATES

Fifth Session

[पांचवा सत्र]

सत्यमेव जयते

[खंड 16 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XVI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

: चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 1, सोमवार, 17 जुलाई, 1978/26 आषाढ, 1900 (शक)

No. 1, *Monday*, *July* 17, 1978/*Asadha* 26, 1900 (*Saka*)

विषय	Subject	
लोक सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	Alphabetical List of Members	(iii) to (viii)
सभा के अधिकारी	Officers of the House	(ix)
मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा राज्य मंत्रियों की सूची	List of Members of the Cabinet and Ministers of State	(ix) to (x)
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	Oral Answers to Question:	2–15
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 5	Starred Questions Nos. 1 to 5	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Question:	15–136
तारांकित प्रश्न संख्या 6 से 20	Starred Question Nos. 6 to 20	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 23, 25 से 57, 59 से 156 और 158 से 200	Unstarred Question Nos. 1 to 23, 25 to 57, 59 to 156, and 158 to 200	
नियम 199 के अन्तर्गत प्रश्न के बारे में	Re. Query under rule 199	137–141
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	142–146
प्रेस परिषद विधेयक—	Press Council Bill—	146–147
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन— प्रस्तुत किया गया	Report of Joint Committee — presented	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance—	
देश में कोयले की कमी का समाचार—	Reported shortage of Coal in the country—	
डा० वसंत कुमार पण्डित	Dr. Vasant Kumar Pandit	147–148
श्री पी० रामचन्द्रन	Shri P. Ramachandran	147–150
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	149
श्री शम्भु नाथ चतुर्वेदी	Shri Shambhu Nath Chaturvedi	150
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र—	Resignation by Members—	150
(श्री डी० बी० चन्द्र गौडा, श्री एम० एम० हाशिम और श्री जी० वेंकट-स्वामी)	(Shri D. B. Chandra Gowda, Shri M. M. Hashim and Shri G. Venkataswamy)	
मानसिक स्वास्थ्य विधेयक—	Mental Health Bill—	151
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee	

किसी नाम पर अंकित यह †इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—198 LSS/78

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for Adjournment	151
नियम 377 के अधीन मामला—	Matter under Rule 377—	
मुक्तापुर जूट मिल्स, समस्तीपुर, बिहार के बंद होने का समाचार	Reported closure of Muktapur Jute Mills, Samastipur, Bihar—	
श्री राम सेवक हजारी	Shri Ram Sewak Hazari	151
खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक—	Khadi and Village Industries Commission (Amendment) Bill--	
संयुक्त समिति को भेजा गया	Referred to Joint Committee—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider—	
श्री नरेन्द्र पी० नथवानी	Shri Narendra P. Nathwani	151–162
श्री के० ए० राजन	Shri K. A. Rajan	152
श्री जार्ज फर्नान्डीज	Shri George Fernandes	152–153
तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक--	Tobacco Board (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	154–155
श्री अजीतसिंह दाभी	Shri Ajitsinh Dabhi	155
श्री हुकुमदेव नारायण यादव	Shri Hukmadeo Narain Yadav	155
श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद राव	Shri P. Ankineedu Prasada Rao	156
		156
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	

लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

षष्ठम् लोक-सभा

अ

अंकनीडु, श्री मगन्ती (मछलीपटनम).

अंकिनीडु प्रसादराव, श्री पी० (बापतला).

अंसारी, श्री फकीर अली (मिर्जापुर).

अकबर जहान बेगम, श्रीमती (श्रीनगर).

अग्रवाल, श्री सतीश (जयपुर).

अर्गल, श्री छबीराम (मुरैना).

अनबालगमन, श्री पी० (रामनाथपुरम).

अनन्तन, श्री कुमारी (नागरकोइल).

अप्पालानायडु, श्री एस० आर० ए० एस० (अनकापल्ली).

अब्दुल लतीफ, श्री (नालांगोड़ा).

अमात, श्री डी० (सुन्दरगढ़).

अमीन, प्रो० आर०के० (सुरेन्द्र नगर).

अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी).

अरुणाचलम, श्री वी० (तिरुनलवेली).

अलगेशन, श्री ओ० वी० (अर्कोनम)

अलहाज, श्री एम० ए० हनान (बसीरहाट).

अल्लूरी, श्री सुभाषचन्द्र बोस (नरसापुर).

अवारी, श्री गेव० मनचारशा (नागपुर).

अशोकराज श्री ए० (परेम्बलूर)

असाइथाम्बी, श्री ए० वी० पी० (मद्रास उत्तर).

अहमद, श्री हलीमउद्दीन (किशनगंज).

अहमदहुसेन, श्री (धुबरी).

अहसान जाफरी, श्री (अहमदाबाद).

आ

आरिफ़ बेग, श्री (भोपाल).

आस्टिन, डा० हेनरी (एरनाकुलम).

आहूजा, श्री सुभाष (बेतुल).

इ

इन्द्र सिंह, श्री (हिसार).

उ

उग्रसेन, श्री (देवरिया).

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बड़ागारा).

ए

एंगती, श्री बीरेन सिंह (स्वायत्त शासी जिले).

एलनचेजियन, श्री वी० एस० (पुडुक्कोट्टाई).

ओ

ओंकार, सिंह श्री (बदायूं).

ओरांव, श्री लालू (लोहरडगा).

क

कछवाय, श्री हुकम चन्द (उज्जैन).

कदम, श्री बी० पी० (कनारा).

कानन, श्री पी० (सलेम).

कपूर, श्री लखन लाल (पूर्णिया).

कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर).

कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली).

कृष्ण कान्त, श्री (चण्डीगढ़).

कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार).

कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर).

कृष्णप्पा, श्री एम० बी० (चिकबल्लापुर).

काकडे श्री सम्भाजीराव (बारामती).

कडन्नापल्ली, श्री राम चन्द्रन (कासरगोड).

कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर).

कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद).

काम्बले, श्री बी० सी० (बम्बई दक्षिण केन्द्रीय).

कार, श्री सरत (कटक).

कालदाते, डा० बापू (औरंगाबाद).

कासर, श्री अमृत (पणजी).

किदवई, श्रीमती मोहसिना (आजमगढ़).

किशोर लाल, श्री (पूर्व दिल्ली).

किस्कू, श्री जदुनाथ (झाड़ग्राम).

कुन्हम्लू, श्री के० (ओटापालम).

कुन्दू, श्री समरेन्द्र (बालासोर).

कुरील, श्री आर० एल० (मोहनलालगंज).

कुरील, श्री ज्वाला प्रसाद (घाटमपुर).

कुरेशी, श्री मोहम्मद शफी (अनंतनाग).

कुशवाहा, श्री रामनरेश (सलेमपुर).

केशरवाणी, श्री एन० पी० (बिलासपुर).

कैलाश प्रकाश, श्री (मेरठ).

कैहो, श्री (बाह्य मनीपुर).

कोन्नाशेट्टी, श्री ए० के० (बेलगाम).

कोडियान, श्री पी० के० (अडूर)

कोलनथाइवेलू, श्री आर० (तिरुचेंगोडे).

कोलूर, श्री राजशेखर (रायचूर).

कोसलराम, श्री के० टी० (तिरुचेंडूर).

कौशिक, श्री पुरुषोत्तम (रायपुर).

ख

ख्रिमे रिनचिंग खाण्डू (अरुणाचल-पश्चिम)

खां, श्री इस्माइल हुसैन (बारपेटा).

खां, कुंवर महमूद अली (हापुड़).

खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद).

खां, श्री महमूद हसन (बुलन्दशहर).

खां, श्री मोहम्मद शमशुल हसन (पीलीभीत).

खालसा, श्री बसन्तसिंह (रोपड़).

ग

गंगा भक्त सिंह, श्री (शाहबाद).

गंगा सिंह, श्री (मंडी).

गवई, श्री डी० जी० (बलढाना).
गट्टानी, श्री आर० डी० (जोधपुर).
गामित, श्री छीतुभाई (माण्डवी).
गायकवाड़, श्री एफ० पी० (बड़ौदा).
गिरजानन्द सिंह, श्री (शिवहर).
गुप्त, श्री कंवर लाल (दिल्ली सदर).
गुप्त, श्री श्याम सुन्दर (बाढ़).
गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा).
गुह, श्री समर (कन्टाई).
गोगाई, श्री तरुण (जोरहाट).
गोडे, श्री सन्तोषराव (वर्धा).
गोपाल, श्री के० (करूर).
गोदारा, चौ० हरी राम मक्कासर (बीकानेर).
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट).
गोरे, श्रीमती मृणाल (बम्बई-उत्तर).
गोटखिंडे, श्री अण्णासाहिब (सांगली).
गोयल, श्री कृष्ण कुमार (कोटा).
गोविन्दजी वाला, श्री परमानन्द (खंडवा).
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप).
गौडा, श्री एस० ननजेश (हसन).
गौंडर, श्री वेणुगोपाल (वान्डी-वारा).

घ

घोषाल, श्री सुधीर (मिदनापुर)

च

चक्रवर्ती, प्रो० दिलीप (कलकत्ता—दक्षिण).
चटर्जी, श्री सोमनाथ (जादवपुर).
चतुर्भुज, श्री (झालावाड़).
चतुर्वेदी, श्री शम्भूनाथ (आगरा)
चन्दन सिंह, श्री (कैराना).
चन्दर, डा० प्रताप चन्द्र (कलकत्ता—उत्तर पूर्व).
चन्द्रपाल सिंह, श्री (अमरोहा).
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (कन्नोनोर).
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया).
चन्द्रशेखर सिंह, श्री (वाराणसी).
चन्द्रावती, श्रीमती (भिवानी).
चरण नरजरी, श्री (काकरा-झार).
चरण सिंह, श्री (बागपात).
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सातारा).
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड).
चांदराम, श्री (सिरसा).
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन).
चिक्कलिंगया, श्री के० (माण्डया).
चेतरी, श्री के० बी० (दार्जिलिंग).
चौधरी, श्री ईश्वर (गया).
चौधरी, श्री के० बी० (बीजापुर).
चौधरी, श्री त्रिदिब (बरहामपुर).
चौधरी, श्री मोतीभाई आर० (बनासकांठा)
चौधरी, श्रीमती रशीदाहक (सिलचर).
चौधरी, श्री रुद्रसेन (कसरगंज).
चौहान, श्री बेगाराम (गंगानगर).
चौहान, श्री नबाब सिंह (अलीगढ़).
चौहान, श्री भारत सिंह (धार).

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम).
जगन्नाथन, श्री एस० (श्रीपेराम्बुदुर).
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकासी).
जसरोटिया, ठाकुर बलदेव सिंह (जम्मू).
जार्ज, श्री एस० सी० (मुकुन्दपुरम).
जाफ़र शरीफ़, श्री सी० के० (बंगलौर-उत्तर).
जावदे, श्री श्रीधर राव नाथोबाजी (यवतमाल)
जुल्फीकार उल्ला, श्री (सुल्तानपुर).
जैठमलानी, श्री राम (बम्बई उत्तर-पश्चिम).
जैन, श्री कचरुलाल हेमराज (बालाघाट).
जैन, श्री कल्याण (इन्दौर).
जैन, श्री निर्मल चन्द (सिवनी).
जायस्वाल, श्री अनन्तराम (फैजाबाद).
जोरदर, श्री दिनेश (माल्डा).
जोशी, डा० मुरली मनोहर (अल्मोड़ा).

ट

टिर्की, श्री पायस (अलीपुर द्वार).
टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मणिपुर).

ठ

ठाकुर, श्री अघन सिंह (कांके).
ठाकुर श्री कृष्णराव (चिमूर).

ड

डान, श्री राज कृष्ण (वर्दवान).
डोले, श्री एल० के० (लखिमपुर).
डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद).
डिगल, श्री श्रीबाटचा (फूलवनी).

ढ

ढिल्लों, श्री इकबाल सिंह (जालन्धर).

त

तन सिंह, श्री (बाड़मेर).
तलवंडी, श्री जगदेव सिंह (लुधियाना)
तिवारी, श्री द्वारकिनाथ (गोपालगंज).
तिवारी, श्रीबृज भूषण (खलीलाबाद).
तिवारी, श्री मदन (राजनंदगांव).
तिवारी, श्री रामानन्द (बक्सर)
तुर, श्री मोहन सिंह (तरन तारन).
तुलसीराम, श्री वी० (पेड्डापल्ली).
तोहरा, श्री जी० एस० (पटियाला).
तेज प्रताप सिंह, श्री (हमीरपुर).
त्यागी, श्री ओम प्रकाश (बहराइच).
त्यागराजन, श्री पी० (शिवगंगा).

त्रिपाठी, श्री माधव प्रसाद (डुमरिया गंज).
त्रिपाठी, श्री राम प्रकाश (कन्नौज).

थ

थामस, श्री स्कारिया (कोट्टायन).
थोरट, श्री भाउ साहिब (पंढरपुर).

द

दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर).
दण्डयुतपाणि, श्री वी० (बेल्लोर).
दत्त, श्री अशोक कृष्ण (दमदम).
दवे, श्री अनन्त (कच्छ).
दानवे, श्री पुण्डलीक हरि (जालना).
दाभी, श्री अजीत सिंह (आनन्द).
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर).
दास, श्री रेणुपद (कृशनगर).
दास, श्री श्याम सुन्दर (सीतामढ़ी).
दास गुप्ता, श्री के० एन० (जलपाइगुड़ी).
दासप्पा, श्री तुलसीराम (मैसूर).
दिग्विजय नारायण सिंह, श्री (वैशाली).
दुर्गाचन्द कंवर, (कांगड़ा).
देशमुख, श्री नानाजी (बलरामपुर).
देशमुख, श्री राम प्रसाद (हाथरस).
देशमुख, श्री शेषराव (परभनी).
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा).
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत).
देसाई, श्री दाजीबा (कोलहापुर).
देसाई, श्री हितेन्द्र (गोधरा).
देवराजन, श्री वी० (रसिपुरम).
देव, श्री वी० किशोर चन्द्र (पार्वतीपुरम).
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी).

ध

धारा, श्री सुशील कुमार (तामलुक).
धारिया, श्री मोहन (पुणे)
धुर्वे, श्री श्यामलाल (मंडला).
धोंडगे, श्री केशवराव (नांदेड़).

न

नाथू सिंह, श्री (दौसा).
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (जुनागढ़).
नथूनी राम, श्री (नवादा).
नरेन्द्र सिंह, श्री (दमोह).
नाहाटा, श्री अमृत (पाली).
नायक, श्री लक्ष्मीनारायण (खजुराहो).
नायक, श्री एस० एच० (नन्दुरबार).
नायक, श्री वी० पी० (वाशिप).
नायक, श्री बी० के० (मवेलीकारा).
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन).
नायर, डा० सुशीला (झांसी).
नारायण, श्री के० एस० (हैदराबाद).
नाहर, श्री विजय सिंह (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम).
नायर, श्री एन० एन० गोविन्दन (त्रिवेन्द्रम).
नायडू, श्री पी० राजगोपाल (चित्तूर).
नेगी, श्री टी० एस० (टिहरी गढ़वाल).

प

पंडित, डा० वसन्तकुमार (राजगढ़).
पटनायक, श्री बीजू (केन्द्रपाड़ा).
पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर).
पटवारी, श्री एच० एल० (मंगलदाई).
पटेल, श्री अहमद एम० (भड़ोच).
पटेल, श्री आर० आर० (दादरा और नगर हवेली).
पटेल, श्री एच० एम० (साबरकंठा).
पटेल, कुमारी मणिबेन वल्लभभाई (मेहसाना).
पटेल, श्री द्वारिकादास (अमरेली).
पटेल, श्री धर्मसिंह भाई (पोरबन्दर).
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार).
पटेल, श्री मीठालाल (सवाई माधोपुर).
परमार, श्री नटवरलाल (ढुढुका)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परस्ते, श्री दलपतसिंह (शहडोल)
परुलेकर, श्री बापूसाहिब (रत्नागिरि)
पई, श्री टी० ए० (उदीपी)
पांडे, श्री अम्बिका प्रसाद (बांदा).
पांडेय, डा० लक्ष्मी नारायण (मन्दसौर).
पजनौर, श्री ए० बाला (पांडिचेरी).
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट).
पाटिल, श्री चन्द्रकान्त (हिंगोली).
पाटिल, श्री डी० बी० (कोलाबा).
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव).
पाटिल, श्री यू० एस० (लाटुर).
पाटिल, श्री विजय कुमार एन० (धुलिया).
पाटिल, श्री एस० डी० (इरन्दोल).
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खरगोन).
पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर).
पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपेट).
पार्वती देवी, श्रीमती (लद्दाख).
पिपिल, श्री मोहन लाल (खुर्जा).
पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर).
पुल्लय्या, श्री दारूर (अनन्तपुर).
परटिन, श्री बकिन (अरुणाचल पूर्व).
पेरियासामी, डा० पी० वी० (कृष्णगिरी).
प्रधान, श्री अमर राय (कूचबिहार).
प्रधान, श्री गणनाथ (सम्बलपुर).
प्रधान, श्री पवित्र मोहन (देवगढ़).
प्रधानी, श्री क० (नौरंगपुर).

फ

फजलुर रहमान, श्री (बेतिया).
फैलीरी एडआर्जी, श्री (मारमोगोआ).

फर्नान्डीस, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर).
फिरंगी प्रसाद, श्री (बासगांव).

ब

बटेश्वर हेमराम, श्री (दुमका).
बद्रीनारायण, श्री ए० आर० (शिमोगा).
बनतवाला, श्री जी० एस० (पोन्नानी).
बड़कटकी, श्रीमती रेणुकादेवी (गोहाटी).
बरनाला, श्री सुरजित सिंह (संगरूर).
बरवे, श्री जे० सी० (रामटेक).
बर्मन, श्री किरित विक्रमदेव (त्रिपुरा).
बर्मन, श्री पलाश (बालूरघाट).
बरूआ, श्री देवकान्त (नवगांव).
बरूआ, श्री वेदव्रत (कलियाबोर).
बलदेव, प्रकाश डा० (अमृतसर).
बलवीर सिंह, चौधरी (होशियारपुर).
बहुगुणा, श्री हेमवती नन्दन (लखनऊ).
बहुगुणा, श्रीमती कमला (फुलपुर).
बासप्पा, श्री कोंडाजी (दावंगेरे).
बसु, श्री चित्त (बारासत).
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर).
बसु, श्री धीरेन्द्र नाथ (कटवा).
बागड़ी, श्री मनीराम (मथुरा).
बागुन, सुम्बरूई, श्री (सिंहभूम).
बल श्री प्रद्युमन किशोर (जगतसिंहपुर).
बालकराम, श्री (शिमला).
बालकृष्णाय्या, श्री टी० (तिरूपति).
बीरेन्द्र प्रसाद, श्री (नालन्दा).
बुरांडे, श्री गंगाधर अप्पा (भिर).
बेरागी, श्री जेना (भद्रक).
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निदशित आँग्ल भारतीय).
बेरवा, श्री रामकंवर (टोंक).
बोंडे, श्री नानासाहिब (अमरावती).
बोड्डूपल्ली, श्री राजगोपालराव (श्रीकाकुलम).
बोरोले, श्री यशवन्त (जलगांव).
बृजराज सिंह, श्री (आंवला).
ब्रह्म प्रकाश चौधरी, (बाह्य दिल्ली).

भ

भंवर, श्री भागीरथ (झबुआ).
भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह).
भगतराम, श्री (फिल्लोर).
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर).
भट्टाचार्य, श्री श्याम प्रसन्न (उलूबेरिया).
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा).
भारत भूषण, श्री (नैनीताल).
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल).
भुवाराहन, श्री जी० (कुड्डलोर).

म

मंगलदेव, श्री (अकबरपुर).
मंडल, श्री धनिक लाल (झंझारपुर).
मंडल, श्री मुकुन्द (मथुरापुर).
मंडल, डा० विजय (बंकुरा).
मंडल श्री बी० पी० (माधेपुर).
मछण्ड, श्री रघुवीर सिंह (भिण्ड).
मनोहरलाल, श्री (कानपुर).
मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (सोनीपत).
मल्लिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर).
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक).
मल्होत्रा, श्री विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली).
महाटा, श्री सी० आर० (पुरूलिया).
महाला, श्री के० एल० (झुन्झुन).
महाले, श्री हरि शंकर (मालेगांव).
महिषि, डा० सफोजिनी (धारवाड़ उत्तर).
महीलाल, श्री (बिजनौर).
मगर, श्री अण्णा साहिब (खेड).
माथुर, श्री जगदीश प्रसाद (सीकर).
मानकर, श्री लक्ष्मण राव (भंडारा).
माने, श्री राजाराम शंकर राव (इचलकरंजी).
मायातेवर, श्री के० (डिंडीगल).
मालन्ना, श्री के० (चित्रदुर्गा).
मावलंकर, प्रो० पी० जी० (गांधीनगर).
मिर्जा, श्री सैयद काजिम अली (मुर्शिदाबाद).
मिर्धा, श्री नाथुराम (नागौर).
मिरी, श्री गोबिन्द राम (सारगढ़).
मृत्युंजय प्रसाद (सीवान).
मिश्र, श्री जनेश्वर, (इलाहाबाद).
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा).
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय).
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा).
मुण्डा, श्री गोविन्द (क्योंझर).
मुण्डा, श्री कड़ियां (खुटी).
मुरमू, फादर एन्थनी (राजमहल).
मुराहरी, श्री गोडे (विजयवाड़ा).
मूरुगाइयन, श्री एस० जी० (नागापट्टिनम).
मूरुगेसन, श्री ए० (चिदम्बरम).
मुल्तान सिंह, चौधरी (जालेसर).
मूर्ति, श्री कुसुमा कृष्ण (आमलापुरम).
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुर).
महालगी, श्री आर० के० (थाना).
मेदुरी, श्री नागेश्वरराव (तेनाली).
मेहता, श्री प्रसन्न भाई (भावनगर).
मैथ्यु, श्री जॉर्ज (मुवुतुपुन्जा).
मोहनरंगम, श्री आर० (चिंगलपट्ट).
मोहन भैया, श्री (दुर्ग).
मोदक, श्री विजय (हुगली).

मोहम्मद हयात अली, श्री (रायगंज).

मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण).

मोहिन्द्र सिंह, श्री (करनाल).

माइति, आभा श्रीमती (पंसकुरा)

य

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा).

यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (खगरिया).

यादव, श्री नरसिंह (चन्दौली).

यादव, श्री रामजी लाल (अलवर).

यादव, श्री रूपनाथ सिंह (प्रतापगढ़).

यादव, श्री विनायक प्रसाद (सहराना).

यादव, श्री शरद (जबलपुर).

यादव, श्री हुकम देव नारायण (मधुबनी).

यदवेन्द्रदत्त, श्री (जौनपुर).

युवराज, श्री (कटिहर).

र

रघुबीर सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र).

रघुरामया, श्री के० (गुंटूर).

रथ, श्री रामचन्द्र (आस्का).

रणजीत सिंह, श्री (हमीरपुर).

रवि, श्री वयालार (चिरायिनकिल).

रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री (अमेठी).

रशीद मसूद, श्री काजी (सहारनपुर).

रांगनेकर, श्रीमती अहिल्या पी० (बम्बई उत्तर-मध्य).

राकेश आर० एन० (तायल).

राघव जी, श्री (विदिशा).

राघवेंद्र सिंह, श्री (उन्नाव).

राचैया, श्री बी० (धामराजनगर).

राज केशर सिंह, श्री (मछली शहर).

राजदा, श्री रतन सिंह (बम्बई दक्षिण).

राजन, श्री के० ए० (त्रिचूर).

राजनारायण, श्री (राय बरेली).

राजू, श्री के० ए० (पोलाची).

राजू, श्री पी० वी० जी० (बोब्बिली).

राठवाँ, श्री अमर सिंह भाई (छोटा उदयपुर).

राठौर, डा० भगवान दास (हरिद्वार).

राम अवधेश, सिंह, श्री (विक्रमगंज).

राम, श्री रामदेनी (पालामू).

राम किंकर, श्री (बाराबंकी).

रामकिशन, श्री (भरतपुर).

राम गोपाल सिंह, चौधरी (बिल्लौर).

रामचन्द्रन, श्री पी० (मद्रास मध्य).

रामचरण, श्री (जालौन).

रामजी सिंह, डा० (भागलपुर).

रामधन, श्री (लालगंज).

रामजीवन सिंह, श्री (बलिया).

रामदास सिंह, श्री (गिरीडीह).

रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज).

रमापति सिंह, श्री (मोतिहारी).

राम मूर्ति, श्री (बरेली).

राममूर्ति, श्री के० (धर्मपुरी).

रामलिंगम, श्री एन० कुदनतई (मयूरम).

रामलिंगम, श्री पी० एस० (नीलगिरी).

राम सागर, श्री (सदैवपुर).

रामास्वामी, श्री के० एस० (गोबिचेंट्टिपालयम).

रामास्वामी, श्री एस० (पेरियाकुलम).

रामूवालिया, श्री बलवन्त सिंह (फरीदकोट).

राय, श्री ए० के० (धनबाद).

राय, श्री गौरी शंकर, (गाजीपुर).

राय, श्री नर्मदा प्रसाद (सागर).

राय, श्री शिवराम (धोसी).

राय, डा० सरदीश (बोलपुर).

राय, श्री सौगत (बैराकपुर).

राव, श्री एस० एम० संजीवी (काकीनाडा).

राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर).

राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर).

राव, श्री जलगाम कोंडाला (खम्मम).

राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर).

राव, श्री जी० मल्लिकार्जन (वारंगल).

राव, श्री पट्टाभी राम (राजामुन्द्री).

राव, श्री पी० वी० नरसिंह (हनमकोण्डा).

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनंद (भद्राचलम).

राव, श्रीराजे विश्वेश्वर (चन्द्रपुर).

राही, श्री राम लाल (मिसरिख).

रेड्डी श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद).

रेड्डी, श्री एस० आर० (गुलबर्गा).

रेड्डी, श्री के० ओबुल (कुड्डापाह).

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द (नरसारावपेट).

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर (कुरनूल).

रेड्डी, श्री जी० एस० (नियालगुडा).

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा (आदिलाबाद).

रेड्डी, श्री पी० बायप्पा (हिन्दुपुर).

राड्रिक्स, श्री रुडोल्फ (नाम निर्देशित ऑग्ल-भारतीय).

रोथुआम, डा० आर० (मिजोरम).

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर).

लक्ष्मीनारायण, श्री एम० आर० (डिंडिवनम).

लहानु सिडवा कोम, श्री (डहानु).

लालू प्रसाद, श्री (छपरा).

लाल, श्री श्याम सुन्दर (बयाना).

लालजी भाई, श्री (सलूम्बर).

लास्कर, श्री निहार (करीमगंज).

लिमये, श्री मधु (बांका).

लिंगडोह, श्री होपिंगस्टोन (शिलांग).

व

वंधेला, श्री शंकर सिंह जी (कापडगंज).
वकील, श्री अब्दुल अहाद (बारामुला).
वर्मा, श्री आर० एल० पी० (कोडरमा).
वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (चतरा).
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (आरा).
वर्मा, श्री फूल चन्द (शाजापुर).
वर्मा, श्री बृजलाल (माहासमुन्द).
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह (मैनपुरी).
वर्मा, श्री रवीन्द्र (रांची).
वर्मा, श्री हरगोविन्द (सीतापुर).
वशिष्ट, श्री धर्मवीर (फरीदाबाद).
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (नई दिल्ली).
विश्वनाथन, श्री सी० एन० (तिरुपत्तूर).
वीरभद्रप्पा, श्री के० एस० (बैल्लरी).
वेंकटरामन, श्री आर० (मद्रास दक्षिण).
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दीपेट).
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (वनदयाल).
वेंकटारेड्डी, श्री पी० (ओंगोले).

श

शंकर देव, श्री (बीदर).
शंकरानंद, श्री बी० (चिक्कोडी).
शर्मा, श्री जगन्नाथ (गढ़वाल).
शर्मा, श्री यज्ञदत्त (गुरदासपुर).
शर्मा, श्री रान्द्र कुमार (रामपुर).
शांति देवी, श्रीमती (सम्भल).
शाक्य, श्री दया राम (फरुखाबाद).
शाक्य, डा० महादीपक सिंह (एटा).
शारदा, श्री एस० के० (अजमेर).
शास्त्री, श्री भानु कुमार (उदयपुर).
शास्त्री, श्री रामधारी (पदरौना).
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद (रीवा).
शाह, श्री डी० पी० (बस्तर).
शाह, श्री सुरथ बहादुर (खीरी).
शिन्दे, श्री पी० अण्णासाहिब (अहमदनगर).
शिव नारायण, श्री (बस्ती).
शिव सम्मति राम, श्री (राबर्टगंज).
शुक्ल, श्री चिमन भाई एच० (राजकोट).
शुक्ल, श्री मदन लाल (जांजगीर).
शेजवलकर, श्री एन० के० (ग्वालियर).
शेठ, श्री विनोदभाई बी० (जामनगर).
शेर सिंह, प्रो० (रोहतक).
शायजा, श्रीमती रानों एम० (नागालैंड).
श्रृंगारे, श्री टी० एस० (उस्मानाबाद).
श्रीकृष्ण सिंह, श्री (मुंगरे).
षाडंगी, श्री रुद्र प्रताप (जमशेदपुर).

स

संगमा, श्री पी० ए० (तुरा).
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप).
सैयद मोहम्मद, डा० वी० ए० (कालीकट).
सईद मुर्तजा, श्री (मुजफ्फरनगर).
सक्सेना, प्रो० शिब्बनलाल (महाराजगंज).
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेनकानल).
सत्यदेव सिंह, श्री (गोंडा).
सत्यनारायण, श्री दरोनमराजू (विशाखापत्तनम).
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर).
सरदार, श्री महेन्द्रनारायण (अररिया).
सारण, श्री दौलतराम (चुरु).
सरसूनिया, श्री शिव नारायण (करोलबाग).
साठे, श्री बसंत (अकोला).
सान्याल, श्री शशांकसेखर (जंगीपुर).
साय, श्री लारंग, (सरगुजा).
साय, श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव (रायगढ़).
सैयावाला श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर).
सामन्त सिंहेरा, श्री पदमचरण (पुरी).
साहू, श्री एन्थू (बोलनगीर).
साहा, श्री ए० के० (विष्णुपुर).
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम).
सिंह, डा० बी० एन० (हजारीबाग).
सिकन्दर बख्त, श्री (चांदनी चौक).
सिन्हा, श्री एच० एल० पी० (जहानाबाद).
सिन्हा, श्री महामाया प्रसाद (पटना).
सिंधा, श्री सचिन्द्र लाल (त्रिपुरा-पश्चिम).
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना).
सिन्हा, श्री पूर्ण नारायण (तेजपुर).
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद).
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरगंज).
सुखेन्द्र सिंह, श्री (सतना).
सुधीरन, श्री वी० एम० (अलप्पी).
सुन्ना साहिब, श्री ए० (पालघाट).
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (पलानी).
सुमन, श्री रामजी लाल (फिरोजाबाद).
सुमन, श्री सुरेन्द्र झा (दरभंगा).
सुरेन्द्र विक्रम, श्री (शाहजहांपुर).
सूरजभान, श्री (अम्बाला).
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू).
सूर्य नारायण सिंह, श्री (सीधी).
सेन, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (आरामबाग).
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल).
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी).
सैनी, श्री मनोहर लाल (महेन्द्रगढ़).
सोमानी, श्री रूप लाल (भीलबाड़ा).
सोमसुन्दरम्, श्री एस० डी० (तंजावर).
सोमानी, श्री एस० एस० (चित्तोड़गढ़).
स्टीफन, श्री सी० एम० (इदुक्की).
स्वतन्त्र, श्री जगन्नाथ प्रसाद (बगहा).
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल).
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम (बम्बई-उत्तर पूर्व).
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरै).

ह

हंजारी, श्री राम सेवक (रोसेड़ा).
हरिकेश बहादुर, श्री (गोरखपुर).
हरेन भूमिज, श्री (डिब्रूगढ़).
हान्डे, श्री बी० जी० (नासिक).
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र (दुर्गापुर).
हीराभाई, श्री (बांसबाड़ा).
हुकम राम, श्री (जालोर).
हेगड़े, श्री के० एस० (बंगलौर-दक्षिण).

क्ष

क्षेत्री, श्री छत्र बहादुर (सिक्किम).

लोक सभा

अध्यक्ष

सभापति तालिका

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु

श्रीमती पार्वती कृष्णन

डा० सुशीला नायर

श्री रामसूर्ति

श्री एम० सत्यनारायण राव

श्री एन० के० शेजवलकर

सचिव

श्री अवतार सिंह रिखी

भारत सरकार

मंत्री मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री	श्री मोरारजी देसाई
रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री लाल कृष्ण आडवाणी
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री सुरजीत सिंह बरनाला
पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा
निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री सिकन्दर बख्त
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री शांति भूषण
शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री	डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र
रेल मंत्री	प्रो० मधु दण्डवते
वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री	श्री मोहन धारिया
उद्योग मंत्री	श्री जार्ज फर्नान्डीस
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री पुरुषोत्तम कौशिक
वित्त और बैंकिंग मंत्री	श्री एच० एम० पटेल
इस्पात और खान मंत्री	श्री बीजू पटनायक
ऊर्जा मंत्री	श्री पी० रामचन्द्रन्
विदेश मंत्री	श्री अटल बिहारी वाजपेयी
संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री	श्री रवीन्द्र वर्मा
संचार मंत्री	श्री बृजलाल वर्मा

राज्य मंत्री

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सतीश अग्रवाल
वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आरिफ बेग
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री	श्री चान्द राम
वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री कृष्ण कुमार गोयल
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री धन्ना सिंह गुलशन
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री समरेन्द्र कुन्डू
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती आभा माइती
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री धनिक लाल मण्डल

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री कड़िया मुण्डा
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस० डी० पाटिल
ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री फजलुर रहमान
श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री लारंग साय
संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शिव नारायण
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	प्रो० शेर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री भानु प्रताप सिंह
श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० राम कृपाल सिंह
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री जगदम्बी प्रसाद यादव
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री जुल्फिकार उल्लाह
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी

लोक सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 17 जुलाई, 1978/26 आषाढ, 1900 शक

Monday, July 17, 1978/*Asadha* 26, 1900 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को राईट रेवरेंड जाहन रिचर्डसन, श्रीमती अम्मु स्वामीनाथन, श्री शिवाजीराव एस० देशमुख तथा श्री राम हरक यादव के निधन की सूचना देते हुए खेद है ।

राईट रेवरेंड जाहन रिचर्डसन पहली लोक सभा के सदस्य थे । उन्होंने अपना सारा जीवन अंडमान तथा निकोबार द्वीप-समूह के लोगों की सेवा में समर्पित किया और वह उस द्वीप समूह के ग्राम्य क्षेत्रों के उत्थान के लिए निरन्तर परिश्रम करते रहे ।

श्रीमती अम्मु स्वामीनाथन केन्द्रीय विधान सभा, भारतीय संविधान सभा, अस्थायी संसद् तथा पहली लोक सभा की सदस्या थी । अनेक सामाजिक संस्थाओं से सम्बन्धित रह कर उन्होंने पूरी तरह से देश की महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु अपनी सेवाएं अर्पित कीं । वे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की संस्थापक सदस्य थीं । वे 1948 में भारत सरकार द्वारा इथोपिया को भेजे गये सद्भावना मंडल की सदस्या थी और 1949 तथा 1950 मे जेनेवा मे हुये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के अधिवेशन में भी वे भारत के प्रतिनिधि मंडल की सदस्यों के रूप मे गयी थी ।

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख तीसरी, चौथी तथा पांचवी लोक सभा के सदस्य थे । बच्चों की शिक्षा तथा कल्याण में रुचि रखने वाले श्री देशमुख महाराष्ट्र की अनेक शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबन्ध से सम्बद्ध थे । उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिये होस्टल स्थापित करने तथा उनके लिये सहकारी समितियां गठित करके आवास तथा ऋण सुविधाओं उपलब्ध करने के लिये भी सहायता प्रदान की । एक संसदविद् के नाते वे एक अच्छे वक्ता तथा सक्रिय सदस्य थे । वे सभा तथा समितियों दोनों में अपना लाभदायक योगदान देत थे । यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी मृत्यु 28 जून, 1978 को एक सड़क दुर्घटना में हुई ।

श्री राम हरख यादव तीसरी लोक सभा के सदस्य थे । वे किसान परिवार से सम्बन्धित थे और वकील भी थे । उन्होंने हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के उत्थानके लिये सक्रिय रुचि ली । वे मृदु भाषी थे और सभा की कार्यवाही में काफी रुचि लेते थे ।

हम इन सबके निधन पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते है ।

इसके पश्चात् सदस्य दिवंगतआत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये कुछ क्षण मौन खड़े रहे ।

The hon. Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Ban Sagar Dam

†*1. **Shri Vinayak Prasad Yadav :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the foundation stone of Ban Sagar Dam was laid by the Prime Minister on the 14th May, last ;

(b) whether it is also a fact that this Dam will be the biggest in the country and Madhya Pradesh Uttar, Pradesh and Bihar States will be benefited therefrom ;

(c) whether it is also a fact that construction work of the Dam has been stopped as a result of protest by Government of Madhya Pradesh after its foundation stone was laid ; and

(d) if reply to parts (a), (b) and (c) above be in the affirmative, whether he will tell this House about the future of this Dam ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) It would be one of the larger dams in the country and will provide benefits to the three States of U.P., Bihar and Madhya Pradesh.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Shri Vinayak Prasad Yadav : Mr. Speaker, In part (b) of the answer it has been stated that it would provide benefits to three states i.e. U.P., Bihar and Madhya Pradesh. The Madhya Pradesh Government announced about the construction of this dam in 1969 as it's construction was going to cause great damage to the some canal system and as such the Bihar Government lodged a protest with the Central Government and in view of the demand the Central Government formed a Committee of the Governments of Madhya Pradesh. U.P. and Bihar and it was left to the committee to give a decision. That committee had three sittings and the latest was held on 16 September, 1977 in which M/s. Abdul Ghafoor, the then Chief Minister, Bihar, P. C. Sethi, the then Chief Minister of Madhya Pradesh and Akbar Ali, the then Minister, Uttar Pradesh participated...

Mr. Speaker : Please ask the question.

Shri Vinayak Prasad Yadav : An agreement was reached in this regard, clause 6 of which may please be seen. It reads :

"क्योंकि सोन नदी तथा उसकी सहायक नदियों का जल-विज्ञान भली प्रकार सुनिश्चित नहीं है तथा गंगा का पानी उठाऊ साधनों द्वारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तीनों राज्य, इस बात पर सहमत हुए कि भारत सरकार सोन नदी का अध्ययन करने के लिए एक विशेष नदी आयोग का गठन करे और इन राज्यों द्वारा आवश्यक पानी के उपयोग के लिए नये समझौतों पर विचार करते हुए विस्तृत योजना तैयार करे।"

अध्यक्ष महोदय : आप वक्तव्य दे रहे हैं ।

Shri Vinayak Prasad Yadav : Mr. Speaker, I am asking the question. May I know whether on the basis of final agreement among the three Governments under which the Central Government has been asked to constitute a commission what action the Central Government has taken ?

Shri Bhanu Pratap Singh : Sir, that agreement would be implemented, a commission is being formed.

Shri Raj Narain : Why has it not been appointed so far ?

Shri Vinayak Prasad Yadav : The Government has stated in repiy to the question that Bihar would be benefited by it, but I want to say that there was a canal system on Sone river 100 years ago under which some dam was to be constructed in Bihar but the Palam district which it is the most backward district was not irrigated. Now the Government has stated that the present dam would benefit Palamu district. Palamu is on the highest level in Bihar and the water of Sone river does not reach there. This district can only be irrigated if the dam the Govrnment is constructing new provides are streight canal to Bihar, which may be named as Bihar canal and which may lead to Palamu district like the Rajasthan canal from Bhakra-Nangal and which has been built specially for the benefit of Rajasthan. The contention of the Government is that the construction of this dam would not harm Bihar but it would provide water for the draught affected areas of the state. This question relates to the most backward and dry area of Bihar. So I want to know whether the Central Government would dig out some canal like the Rajasthan canal from Ban Sagar so that the demands of Palamu district could be met.

Shri Bhanu Pratap Singh : The work is in progress. The work is being done according to the present agreement and a commission is being appointed to chalk out programme for the future and the recommendations that the commission might make will be acted upon in the future.

Shri Vinayak Prasad Yadav : You have not constituted the commission as yet.

Shri Raj Narain : Will the Government inform the House as to when this work was started and upto what extent it has progressed so far and by when it is likely to be completed ? Is the Government aware of the distance at which Palamu district is situated from the canal. In the summer season people die due to scarcity of drinking water

Shri Bhanu Pratap Singh : Sir, this agreement was reached among the three states in 1973.

Shri Raj Narain : When it was started.

Shri Bhanu Pratap Singh: It has started only recently when the Prime Minister went there to inaugurate it.

Shri Raj Narain : I have asked as to when it started. The accord was reached in 1973 and now it is 1978. May I know why it took five years to start this work.

Shri Bhanu Pratap Singh : It can be replied to by the then Government. I can only say that there might be some reasons that the work could not be commenced. We want to do this job urgently. So it has been decided to complete the plan within 6 years which was originally planned to be completed in 10 years.

Shri Raj Narain : The hon. Minister has not stated the distance of Palamu ? The people of that area are dying due to shortage of water. What is the Government doing for that ?

Shri Bhanu Pratap Singh : The question does not relate to drinking water but it concerns irrigation.

Shri Raj Narain : The people of the area are thristy. The women bring water from far off places for drinking. **(Interruption).**

श्री के० मालन्ना : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि तकनीकी राय बांध के विरुद्ध थी क्योंकि इसकी प्रति एकड़ लागत अधिक है । इसके होते हुए भी केन्द्रीय सरकार ने बांध बनाने का निर्णय किया है । सरकार की इसपर क्या प्रतिक्रिया है ? क्या यह एक राजनीतिक निर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने बताया है कि तकनीकी राय बांध बनाने के विरुद्ध थी तो भी सरकार ने इसे पास कर दिया ।

श्री भानु प्रताप सिंह : मुझे ऐसी किसी आपत्ति का पता नहीं है । वास्तव में बांध के बारे में कुछ मत-भेद हैं । परन्तु यह इतना गौण मामला है कि इसका समाधान शीघ्र हो जाएगा । बांध के बारे में विभिन्न मतों का बांध के निर्माण पर कुछ प्रभाव नही पड़ेगा ।

Shri Ugrasen : Mr. Speaker, the hon. Minister has just now stated that it was decided in 1973 to set up a commission. May I know whether action was initiated to set up a commission during the period of 5 years ? If it was done, then when it was done ?

Shri Bhanu Pratap Singh : The question of setting up of a commission would have arisen after some progress had been made. So far the dispute has been continuing.

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित है । अतएव मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये ।

I want to congratulate the hon. Minister on his statement that this work would be completed within 6 years. When the Government propose to complete the project within 6 years, may I know the amount that would be spent during 78-79 out of the total amount of 323 crores of rupees so that it may be known that it would be completed within 6 years or not. There has already been much delay in starting this project. It was surveyed in 1972 and an accord was reached in 1973 but the work did not start. I am glad that its foundation stone was laid on 14th May. May I know what is the phased programme for it and what amount would be spent on it during the years including this year ?

Shri Bhanu Pratap Singh : Mr. Speaker, Before undertaking such a gigantic task roads are required to be built, staff quarters have to be built. So far as the allocation for this year is concerned preveously it was Rs. 2.78 crores but now this amount for 78-79 has been raised to Rs. 6 crores. **(Interruption)**. .

Shri Y. P. Shastri : Mr. Speaker, I ...

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुमति नहीं दी गई । इसे रिकार्ड न किया जाये । **(व्यवधान)**

वर्ष 1977-78 में गेहूं और चावल की खरीद के लिए राजसहायता

*2. **श्री सौगत राय :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए राजसहायता के रूप में कुल कितनी राशि दी है ;

(ख) वर्ष 1977-78 में चावल की खरीद के लिए राजसहायता के रूप में कुल कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) गेहूं के लिए इतनी अधिक राजसहायता देने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) : सरकार भारतीय खाद्य निगम को (i) निगम की इकानामिक लागत और सरकार द्वारा निर्धारित किए गए खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य के अन्तर, और (ii) बफर स्टाक को रखने की लागत की प्रतिपूर्ति कर रही है । खाद्यान्नों की खरीदारी करने के लिए कोई राजसहायता नही दी जाती है । 1977-78 के लिए संशोधित अनुमानों के अनुसार, इकानामिक लागत और निर्गम मूल्य के अन्तर की प्रतिपूर्ति के प्रति भारतीय खाद्य निगम को सरकार द्वारा देय राशि 163.65 करोड़ रुपये बैठती है । देशी चावल का निर्गम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को किसी भी राशि की प्रतिपूर्ति नही की जाती है लेकिन पिछले वर्षों में किये गये आयातों से बचे चावल के स्टाक का निर्गम करने के बारे में 1977-78 मे प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि 91 लाख पये बैठती है ।

अनुमान है कि संशोधित अनुमान 1977–78 में बफर स्टाक रखने की लागत के लिए निगम को लगभग 309 करोड़ रुपये की राशि देय थी। इसमें से लगभग 232 करोड़ रुपये की राशि गेहूं से संबंधित होगी और लगभग 77 करोड़ रुपये की राशि चावल से सम्बन्धित होगी क्योंकि गेहूं और चावल के बफर स्टाक अनुपात लगभग 3 : 1 का है।

(ग) गेहूं पर राजसहायता अधिक होने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे गए गेहूं और बफर स्टाक में रखे गए गेहूं की मात्रा चावल की मात्रा की तुलना में काफी अधिक है। तदनुसार, गेहूं पर कुल राजसहायता, चावलकी तुलना में अनिवार्य रुप से अधिक होगी।

(2) गेहूं और चावल दोनों के बारे में प्रति क्विंटल राजसहायता निगम के अनाजों की इक्नामिक लागत और उसके निर्गम मूल्य के अन्तर से पैदा होती है। इक्नामिक लागत में वसूली मूल्य और वसूली संबंधी अन्य प्रासंगिक खर्चे तथा भारतीय खाद्य निगम के वितरण संबंधी खर्चे शामिल होते हैं। गेहूं और चावल दोनों के वसूली मूल्य एक ही सिद्धान्त पर आधारित होते हैं। गेहूं और चावल दोनों के लिए वितरण संबंधी खर्च समान होते हैं। सरकार उपभोक्ताओं की खरीदने की क्षमता, कुल मिलाकर मूल्य स्तर पर प्रभाव तथा खुले बाजार में चल रहे मूल्यों को ध्यान में रख निर्गम मूल्यों का हिसाब लगाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अधिकांश मात्रा गेहूं की दी जाती है और अधिकांश गेहूं गैर गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में वितरित किया जाता है। अतः गेहूं पर राजसहायता का लाभ मुख्यतः गैर गेहुं उत्पादक क्षेत्रों को ही पहुंचता है।

तथापि, यहां यह उल्लेखनीय है कि हालांकि गेहूं की तुलना में देशी चावल के वर्तमान वितरण के बारे में प्रति क्विंटल राजसहायता निस्संदेह काफी कम है, लेकिन गेहूं की तुलना में आयातित चावल पर राजसहायता की दर काफी अधिक है। इसके अलावा, गेहूं और चावल दोनों के बारे में बफर स्टाक बनाए रखने के लिए राजसहायता की दर लगभग समान है।

श्री सौगत राय : मैंने सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य को ध्यान से देखा है। मैं कह सकता हूं कि यह अत्यन्त भ्रामक वक्तव्य है। इसमें मंत्री महोदय ने कहा है कि खाद्य निगम को "अनाज की खरीद के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जाता" अर्थात गेहूं के लिए। बाद में उन्होंने बताया "कि गेहूं और चावल दोनों के बारे में प्रति क्विंटल राजसहायता निगम द्वारा अनाजों को इकानामिक लागत और उसके क्रय मूल्य के अन्तर से पैदा होती है। इकानामिक लागत में वसूलीमूल्य और वसूली संबंधी अन्य प्रासंगिक खर्चे तथा भारतीय खाद्य निगम के वितरण संम्बंधी खर्चे शामिल होते हैं। बाद में उन्होंने एक विपरीत वक्तव्य दिया है। अतः गेहूं पर राजसहायता का लाभ मुख्यतः गैर गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को ही मिलता है। मेरा साधारण प्रश्न यह है। एक राजसहायता सम्बन्धी आंकड़ों से मैं सहमत नही हूं। सभी राष्ट्रीय समाचारपत्रों में छपा है कि 1977-78 में गेहूं के उत्पादन पर कुल 550 करोड़ रूपए राज-सहायता दी गई। परन्तु मेरा आंकडों से कोई झगड़ा नही। मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पर राजसहायता स्वभावतः गेहूं की खरीद के लिए व्यय हुई। इस वसूली राजसहायता का लाभ किन राज्यों को मिला। दूसरे, सरकारने पहले ही श्री बजीलाल डागिली के नेतृत्व में नियंत्रणों और राजसहायता पर एक समिति गठित की हुई है। क्या राजसहायता नियंत्रणों और राजसहायता पर समिति से परामर्श के बाद दी गई थी ?

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं वसूली मूल्यों का निर्धारण कृषि मूल्यों सम्बन्धी आयोग की सिफारिशों पर किया जाता है और भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर अदायगी करता है। जहां तक वसूली का प्रश्न है इस में कोई राजसहायता नहीं दी जाती। वितरण के स्तर पर सरकार बिक्री मूल्य का फैसला करती है। गेहूं के मामले में, इसके इकानामिक मूल्य के अधिक होते हुए भी यह निर्णय किया गया है कि बिक्री मूल्य 125 रु० से अधिक न रखा जाये। इस प्रकार यदि कोई राजसहायता दी जाती है तो वह वितरण के स्तर पर दी जाती है, यह उपभोक्ताओं की सहायता के लिए है न कि उत्पादकों की। दूसरे डागिली समिति की राय पर विचार करने का इस समय प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि समिति ने अभी अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश करना है। जब यह प्रस्तुत होता है तभी हम निश्चय ही उसपर विचार करेंगे।

श्री सौगत राय : मुझे मंत्री महोदय के इस कथन पर आश्चर्य है कि समिति को मामला सौंपे जाने का प्रश्न नही उठता क्योंकि जब भी कार्मिक वर्ग बोनस का प्रश्न उठाता है सरकार उसे भूतलिंगम समिति को सौंप

देती है परन्तु यहां बताया गया है कि जबतक समिति अपना प्रतिवेदन नहीं देती मामला उसे सौंपे जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या मंत्री जी को पता है कि पश्चिम बंगाल इस वर्ष गर्मी मे 10 लाख टन धान की पैदावार हुई और यह खरीद मूल्य से भी कम पर बिक रही है और क्या सरकार यह धान खरीदने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कोई सहायता या राजसहायता देने पर विचार कर रही है ? अन्य राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति है (व्यवधान)

श्री भानु प्रताप सिंह : सरकार को जानकारी नहीं कि पश्चिम बंगाल में धान खरीद मूल्य से भी कम मूल्य पर बिक रहा है। राज्य सरकार ने हमें लिखा भी नहीं है। यदि यह सच है और राज्य सरकार हमारे ध्यान में यह बात लाती है तो हम किसानों को कम से कम खरीद मूल्य दिलवाने के लिए उपाय करेगी।

डा० हेनरी आस्टिन : क्या मंत्री जी को उस वक्तव्य की जानकारी है जो मंत्री जी द्वारा स्पष्ट की गई नीति के बारे में दक्षिण के मुख्य मंत्रियों के हाल ही के समामेलन के बाद जारी किया गया है। उन्होंने बताया है कि वितरण के स्तर पर ऐसा होता है। अतः यह पक्षपात होता है। इससे चावल खाने वाले राज्यों विशेष कर दक्षिणी राज्यों मे कठिन स्थिति पैदा कर दी है। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह बात उठी है इससे स्थिति की गंभीरता का पता चलता है। उनके वक्तव्य को देखते हुए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : प्रत्येक फसल का खरीद मूल्य निर्धारित करते समय भारत सरकार राज्य सरकारों से सलाह करती है। इसमें सन्देह नहीं कि अगले मौसम के लिए मूल्य नीति सम्बन्धी निर्णय लेते हुए हम राज्य सरकारों से सलाह करेंगे। उस समय राज्य सरकारों के विचारों का पता चल जायेगा।

प्रो० आर० के० अमीन : क्या मंत्री जी को पता है कि चावल, गेहूं या अन्य अनाजों को मिली राजसहायता का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अन्य राज्यों को मिलता है। सरकार इस अन्याय को दूर करने के लिए क्या कर रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : जहां तक मझे पता है अधिकांश गेहूं दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी राज्यों को भेजा जाता है। यदि कोई पक्षपात है भी तो वह उपभोक्ताओं के पक्ष में होता है।

प्रो० आर० के० अमीन : महोदय उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० अमीन का प्रश्न यह है कि लाभ मुख्यतया शहरी लोगों को मिलता है। क्या इस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार विचार कर रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : हम राज्य सरकारों को अनाज दे देते हे। वितरण किसको करना है यह काम उन्हीं का है। हम चाहते हैं कि वह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उसका वितरण करें।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मंत्री जी ने उत्तर मे कहा है कि "निस्संदेह प्रति क्विंटल की दर से देसी चावल के वितरण को मामले मे राजसहायता गेहूं से काफी कम है"। मैं उन से जानना चाहता हूं कि क्या वह देसी धान के लिए राजसहायता को बढ़ायेंगे और क्या सरकार धान के लिए 100 रु० प्रति क्विंटल खरीद मूल्य नियत करेंगी ताकि उत्पादकों को उचित मूल्य मिल सके।

श्री भानु प्रताप सिंह : मूल्य अगली धान की फसल से पहले नियत कर लिया जायेगा। मुझे विश्वास है उस समय माननीय सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखा जायेगा। अभी तो मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री० पी० वेंकटसुब्बया : सभा पटल पर रखा गया वक्तव्य अत्यन्त भ्रांतिपूर्ण है। मंत्री जी उत्तर से टालना चाहते हैं। उन्होंने सभा में यह प्रभाव डालने का प्रयत्न किया है कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों को तोड़ने का प्रयास किया गया है। मैं कहता हूं कि चावल उत्पादक और गेहूं उत्पादक राज्यों मे भेद-भाव किया जा रहा है। चावल उत्पादक किसानों को और उत्पादकों को काफी कठिनाई हो रही है। उन्होंने कहा है कि आयातित चावल पर राजसहायता दी जाती है। दक्षिण के मुख्यमंत्रियों द्वारा दिये गये सुझावों को देखते हुए सरकार असंतुलन दूर करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं इस आरोप का खंडन करता हूं कि किसी क्षेत्र के किसानों के विरुद्ध पक्षपात किया जा रहा है। पक्षपात तो उनके विरुद्ध हो रहा है जो राज्य अधिकाधिक चावल सार्वजनिक वितरण के

लिए दे रहे हैं जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो वसूल किये गये चावल का दो तिहाई भाग देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न राज्य वार नहीं बल्कि गेहूं उत्पादक तथा चावल उत्पादक राज्यों के बीच है।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हम काफी राशि राजसहायता के रूप में दे रहे हैं। यदि चावल उत्पादकों या चावल उपभोक्ताओं को राज सहायता देने की बात है तो गेहूं पर राज सहायता कम करनी होगी। उसमें गेहूं की कीमत दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत में बढ़ जायेगी। कुल राज सहायता बढ़ानी नहीं बल्कि कम करनी है और उसी में हमें विभिन्न अनाजों के लिए राज सहायता देनी है।

चोरियों के कारण भारतीय खाद्य निगम को हानि

*3 **श्री के० ए० राजन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम को चोरियोंके कारण प्रति वर्ष करोड़ो रुपए की हानि हो रही है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों संघ द्वारा नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में हाल ही में लगाये गये इस चोरी के बारे में आरोपों की ओर दिलाया गया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय खाद्य निगम को ऐसी निरन्तर हो रही हानि से बचाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भाण्डारित खाद्यान्नों की कुछ चोरी हुई है लेकिन इसके इतने बड़े पमाने के कारोबार को ध्यान में रखते हुए चोरी गई मात्रा अपेक्षाकृत कम है। वर्षवार डिपो में हुई चोरियों की संख्या और पिछले तीन वर्षों के दौरान चोरी गये खाद्यान्नों के मूल्य, जिनके लेखे को अन्तिम रूप दे दिया गया है, इस प्रकार है :—

वर्ष	चोरियों की संख्या	मूल्य (रुपयों में राशि)
1974–75	109	4,00,623.30
1975–76	127	2,95,199.04
1976–77	91	2,23,488.21

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि उनके डिपों में चोरी तथा उठाईगिरी से खाद्यान्नों को बचाने के लिए उनका नियमित पहरा निगरानी स्टाफ तैनात किया जाता है। पूर्वी जोन में मोकामा, गया, फुलवाड़ीशरीफ, दीघाघाट तथा नई जलपाईगुड़ी और पश्चिमी जोन में उज्जैन (मध्य प्रदेश) में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल भी नियुक्त किया गया है। अन्य अरक्षित स्थानों, जहां पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल तैनात नहीं किया गया है, सशस्त्र पुलिस गार्ड तैनात किए जाते हैं लेकिन ये विशेषकर "कैप स्टोरेज" तथा खाली पड़े "एयर फील्ड" में तनात किए जाते हैं।

श्री के० ए० राजन : यह कहते हुए मुझे खेद होता है कि वक्तव्य पूरी तरह गुमराह करने वाला है। भारतीय खाद्य निगम एशिया में सबसे बड़ा उपक्रम है। इसकी वार्षिक आय लगभग 5,000 करोड़ रुपये की है और सरकार इसे 500 करोड़ रुपये की राज सहायता देती है। गेहूं की प्रति क्विंटल लागत अनुमानतः 134 रुपये आती है। भारतीय खाद्य निगम के चयरमैन द्वारा अनौपचारिक रूप से दिए गए वक्तव्य के अनुसार लोगों द्वारा तीन या चार प्रतिशत की उठाईगिरी की जाती है। मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखें गए वक्तव्य का भारतीय खाद्य निगम

2—198 LSS/78

के अध्यक्ष द्वारा दिए गए वक्तव्य से कोई मेल नही खाता । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भण्डारण करने में कोई मिलावट की जाती है या अनाज को लाने ले जाने में कोई गड़बड़ की जाती है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं इस बात से इन्कार करता हूं कि किसी प्रकार की उठाईगिरी की जाती है अथवा चोरी की जाती है । वास्तव में केवल आंकड़ों दिए गए है और इन आंकड़ों में वह हानि सम्मिलित नही है जो कि अनाज को लाने ले जाने में होती है । यह केवल उठाईगिरी है जो गोदामों से होती हैं ।

श्री के० ए० राजन : मैं विशेष रूप से माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जनवरी–फरवरी, 1978 मे कलकत्ता में भारतीय खाद्य निगम के जिरजरापुर गोदाम से 3 करोड़ रुपये के गेहूं तथा चीनी की चोरी हुई थी । समाचार पत्र में यही समाचार छपा है । अतः मैं विशिष्ठ रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या उठाईगिरी लाने ले जाने के समय होती है अथवा अनाज को पहुंचाने के समय होती है । उन्होंने कहा कि निगरानी रखने के लिए उन्होंने वाच एंड वार्ड के काफी लोग लगा रखे हैं किन्तु अनाज चढ़ाने तथा उतारने का काम 300 ठेकेदार के अधीन लगभग 10,000 व्यक्ति कर रहे हैं । मेरे पास विशेष जानकारी है कि ये ठेकेदार उन लोगों के साथ सांठगांठ करके उठाईगिरी अथवा चोरी करते हैं । श्रमिकों की मांग है कि यह संविद् प्रथा समाप्त की जानी चाहिए और यह काम सहकारी समितियों को सौंपा जाना चाहिए ।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैंने श्रमिकों को कहा है कि वे आपस में मिलकर अपनी सहकारी समितियां बनाएं । किन्तु उन्होंने मेरी सलाह नही मानी है । मैं यह काम श्रमिकों की सहकारी समितियों को सौंपने का इच्छुक हूं ।

Shrimati Chandrawati : I want to know whether the Hon. Minister is aware of the fact that some warehouses are not in good condition and during rainy season there is water leakage and their floors are also not in good condition as a result thousands of mounds of foodgrain spoil there. Large stock of foodgrains is lying outside the warehouses. If it is so, what arrangements are being made to protect the foodgrains and whether there has been any sudden check up in this regard ?

Shri Bhanu Pratap Singh : Our difficulty regarding storage capacity should also be kept in view. We have not adequate number of godowns even then the storage loss is from one per cent to one and half per cent. Since several million tonnes of foodgrains is stored in godowns so if some thousand tonnes of foodgrain goes waste, it is taken as heavy loss.

Shri Hukam Chand Kachwai : According to the statement given by the Hon. Minister the total number of pilferage and thefts is 329 and the loss caused due to these thefts is to the tune of Rs. 9,19,000. I want to know how many persons have been tried and what is the number of employees involved in these thefts and pilferages. How many thefts have taken place with the help of contractors and how many outsiders involve in these thefts. I want to know the total loss of foodgrains caused in transit and the loss caused by rain and other reasons in godowns during the last three years.

Shri Bhanu Pratap Singh : Sir, the total transit loss during the last three years is to the tune of Rs. 16 crores. There are some disputes between Railway Ministry and Food Corporation of India which are to be settled. After the settlement of these disputes this loss will come down by more than 50 per cent. Sometimes it so happens that F.C.I. despatches a certain quantity of foodgrains but at the time of delivery it falls short due to pilferages and other reasons during transit period. Then F.C.I. claims for compensation at economic cost and the Railways say that since you sell at the rate of Rs. 125 so you will get the same from us. So such technical difficulties come in the way and the settlement of disputes is delayed. But we hope that these disputes will be settled as early as possible and the amount of loss i.e. Rs. 16 crores will be reduced to almost 50 per cent. So far as storage loss is concerned, it from 1 per cent to 1½ per cent.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, my question has not been replied to. I asked the number of employees involved in thefts...

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नही है । श्री लालजी भाई

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, get my question replied to. In this statement it has been stated that in 1974-75 the number of thefts was 109, in 1975-76 it was 127 and in 1976-77 it was 91. In this way the total number of thefts is 327. On the basis of these figures I want to know the number of employees involved in these thefts and the number of thefts took place with the connivance of contractors.

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखने में मदद दीजिए । इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नही है । श्री लालजी भाई ।

(व्यवधान)

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, get my question replied to.

श्री राज नारायण : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होगा ।

श्री राज नारायण : आप कहते हैं कि इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नही है । मेरे विचार से है ।

अध्यक्ष महोदय : अन्ततोगत्वा इसका निर्णय मैंने करना है--**(व्यवधान)** श्री लालजी भाई ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, you will have to ask the Minister to reply my question. I asked this question on the basis of figures given by him. How many persons have been tried for these thefts? How many persons were caught while stealing ? etc.

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नही है । आप इसके लिए सूचना दीजिए । क्या मंत्रीजी के पास आंकड़े है नही । उन्हे सूचना की आवश्यकता है । उनके पास आंकड़े उपलब्ध नही है ।

Shri Lalji Bhai : Mr. Speaker, through you I want to know from the Hon. Minister that -**(Interruption)**

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, I have asked the question on the basis of figures furnished by the Government. I want reply.

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सूचना की जरूरत है । मैं कुछ नहीं कर सकता ।

Shri Hukam Chand Kachawai : Sir, I want your protection. **(interruption).** This question arises from the answer being given by the Minister **(interruption).**

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नही दी है । मंत्री इसके लिए सूचना चाहते हैं । मैं उन्हें उत्तर देने को बाध्य नही कर सकता ।

Shri Bhanu Pratap Singh : This does not arise from the main question **(interruption).** For this I require notice. **(interruption)**

Shri Lalji Bhai : I want to know the number of thefts in F.C.I. during last three years **(Interruption)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के पास इसकी जानकारी उपलब्ध नही है ।

Shri Bhanu Pratap Singh : I have given the all available and necessary information regarding the names published in the papers concerning the Press Conference. There is no question of concealing anything. We will give you every information. But at present I can only say that every theft had been properly investigated.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि चोरियां वर्ष पर वर्ष होती जा रही है । उन्हें रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं ?

Shri Bhanu Pratap Singh : A number of steps are being taken. Watch and ward arrangements are being tightened and armed guards are being posted. All possible steps are being taken to minimise the thefts.

गन्ने के मूल्य में गिरावट

***4. श्री वयालार रवि :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने के मूल्य में गिरावट आई है जबकि चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गन्ना उत्पादकों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख) और (ग) स्थिति को बतलाने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

गन्ने के मूल्य

1977-78 मौसम में चीनी फैक्टरियों द्वारा देय गन्ने के न्यूनतम मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है। यह मूल्य 8.5 प्रतिशत की वसूली पर 8.50 रुपये प्रति क्विंटल बना रहा। सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह भी कहा है कि वे 1977-78 के दौरान गन्ने के मूल्यों का वास्तविक स्तर 1976-77 के स्तर पर बनाए रखें । 1976-77 और 1977-78 में देश में विभिन्न राज्यों में गन्ने के न्यूनतम मूल्य और चीनी फैक्ट्रियों द्वारा वास्तव में दिए गए मूल्यों का ब्यौरा संलग्न अनुबन्धों में दिया गया है (अनुबन्ध 1 और 2) ।

जहां जहां खंडसारी फैक्ट्रियों का सम्बन्ध है, चालू मौसम 1977-78 के दौरान, खंडसारी यूनिटों द्वारा दिए जाने वाले गन्ने के न्यूनतम मूल्य आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए गए थे । ऐसी घटनाएं सामने आयी हैं खासकर उत्तर प्रदेश राज्य में, जहां खंडसारी यूनिटों ने राज्य सरकार द्वारा गन्ने के निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य का कथित भुगतान नहीं किया और राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चूककर्ता यूनिटों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी शुरू की गई है ।

गुड़ उत्पादक यूनिटों द्वारा गन्ना उत्पादकों को दिए जाने वाले गन्ने के मूल्य पर न तो केन्द्रीय सरकार और न ही राज्य सरकारों का कोई नियन्त्रण है क्योंकि गुड़ उद्योग असंगठित क्षेत्र मे है। तथापि, सरकार को शिकायतों की जानकारी है कि गुड़ के लिए सप्लाई किए गए गन्ने का अपेक्षाकृत कम मूल्य मिला था। इस स्थिति को पैदा होने का यह कारण है कि गन्ने की अभूतपूर्व अधिक पैदावार हुई और यह तथ्य भी है कि यह असंगति कुटीर उद्योग क्षेत्र में है जहां मूल्य पूर्णतया सप्लाई और मांग के कारणों से शासित होता है ।

चीनी मूल्य

जहां तक चीनी मूल्यों का सम्बन्ध है, लेवी चीनी के मूल्यों में 1-3-78 से लगभग 18 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर भारित औसत 187.50 रुपये कर दिया गया था लेकिन खुली बिक्री की चीनी के निकासी मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है । यह मूल्य नवम्बर में 281.68 रुपये से गिरकर, मई, 1978 में 247.51 रुपये पर आ गया था ।

जहां तक संगठित क्षेत्र में चीनी फैक्ट्रियों का सम्बन्ध है, इसे सामान्य रूप देना ठीक नहीं है कि गन्ने के दाम गिर गए थे जबकि चीनी के दामों में बढ़ोतरी हुई थी ।

किए गए राहत उपाय

इस मौसम में गन्ने के अभूतपूर्व रिकार्ड उत्पादन की दृष्टि में (अनुमानित उत्पादन 1720 लाख मीटरी टन जबकि 1976-77 में 1540 लाख मीटरी टन था) चीनी, गुड़ और खंडसारी जैसे सभी स्वीटनिंग एजेंटों के मूल्यों में पर्याप्त गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई थी । चीनी उद्योग और गुड़ उत्पादक और खंडसारी यूनिटों को अपना गन्ना सप्लाई करने वाले गन्ना उत्पादकों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा बहुत से उपाय किए गए थे (अनुबन्ध-3) ।

अनुबन्ध 1

फैक्ट्रियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1976-77 मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों की फैक्ट्रियों के लिए अधिसूचित गन्ने के मूल्यों का रेंज और फैक्ट्रियों द्वारा अपने दरवाजे पर वास्तव में दिए गये/दिए जा रहे मूल्यों को बताने वाला विवरण ।

(रुपये/क्विंटल)

राज्य	1976-77 मौसम के लिए	
	न्यूनतम अधिसूचित मूल्य	फैक्ट्रियों द्वारा दिया गया मूल्य
उत्तर प्रदेश	8.50 से 10.80	12.25 से 13.25
बिहार	8.50 से 10.50	12.25@
पंजाब	8.50 से 9.00	13.25 से 15.25
हरियाणा	9.10 से 10.30	13.00
असम	8.50 से 8.70	11.00 जमा परिवहन राज सहायता
पश्चिमी बंगाल . .	8.50 से 9.20	12.50 से 14.50
उड़ीसा	8.50 से 8.90	8.50 से 10.50
मध्य प्रदेश	8.80 से 10.30	12.00@@
राजस्थान	8.50 से 10.10	12.25 से 14.25
महाराष्ट्र . . .	8.50 से 12.70	9.50* से 16.60*
गुजरात . . .	8.50 से 11.40	9.00* से 13.60*
आन्ध्र प्रदेश . .	8.50 से 11.50	10.00* से 12.50*
तमिलनाडु . .	8.50 से 10.20	8.50 से 11.90
कर्नाटक . . .	8.50 से 11.40	10.00* से 15.00*
केरल	8.50 से 9.00	13.00
पांडिचेरी .	9.40	9.50
नागालैंड . .	8.50	11.00
गोआ	8.80	12.00

नोट.—@बिहार (हरिनगर) की एक फैक्ट्री ने 12.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया ।

@@मुरैना सहकारी फैक्ट्री 13.50 रुपये प्रति क्वि० की दर से भुगतान कर रही है ।

*सहकारी फैक्ट्रियों द्वारा अधिकांशतः खेत पर अग्रिम रूप में दिए गए ये मूल्य अस्थायी मूल्य हैं ।

अनुबन्ध 2

फैक्ट्रियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1977-78 मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों की फैक्ट्रियों के लिए अधिसूचित गन्ने के मूल्य का रेंज और फैक्ट्रियों द्वारा अपने दरवाजे पर वास्तव में दिए गये/दिए जा रहे मूल्यों को बताने वाला विवरण ।

(रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य	न्यूनतम अधिसूचित मूल्य	फैक्ट्रियों द्वारा दिया गया मूल्य
उत्तर प्रदेश . .	8.50 से 11.00	12.50 से 13.50
बिहार . .	8.50 से 10.80	12.25 से 12.50
पंजाब . .	8.60 से 10.20	13.50
हरियाणा . . .	8.50 से 9.80	13.50
असम . . .	8.50 से 9.10	11.00 +परिवहन राजसहायता
पश्चिमी बंगाल	9.30 से 9.40	12.50 से 14.50
उड़ीसा	8.50 से 8.80	11.00 से 14.20
मध्य प्रदेश .	8.50 से 10.20	12.50
राजस्थान	8.50 से 10.20	12.25 से 14.25
महाराष्ट्र . .	8.50 से 12.40	9.30* से 16.20*
गुजरात . . .	8.50 से 11.80	9.00* से 14.13*
आन्ध्र प्रदेश	8.50 से 10.80	9.50* से 12.00*
तमिलनाडु	8.50 से 10.00	9.30* से 12.70*
कर्नाटक	8.50 से 11.30	10.60* से 14.60*
केरल	8.50 से 8.60	13.00
पांडिचेरी	8.70	9.30*
नागालैंड	8.60	11.25
गोआ	8.60	16.50

नोट :—*सहकारी फैक्ट्रियों द्वारा खेत पर अधिकांशतः अग्रिम रूप में दिए गये ये अस्थायी मूल्य हैं ।

अनुबन्ध 3

(1) खुली बिक्री की चीनी पर उत्पादन शुल्क 16-11-77 से मूल्यानुसार 45 प्रतिशत से घटाकर 27-1/2 प्रतिशत कर दिया गया था और लेवी चीनी के बारे में 15 प्रतिशत से घटाकर 12-1/2 प्रतिशत किया गया था । लेवी चीनी पर उत्पादन शुल्क को 15-3-78 से और कम करके 11 प्रतिशत कर दिया गया है ।

(2) अखिल भारतीय भारित औसत लेवी मूल्य 1-3-78 से बढ़ाकर 187.50 रुपय प्रति क्विंटल कर दिया गया था ।

(3) अधिक उत्पादन से उत्पन्न स्टाक के भारी बोझ से उद्योग को राहत पहुंचाने के लिए चालू वर्ष के दौरान 6.5 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात करने का निर्णय किया गया है । यह मात्रा वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अधीन भारत का कोटा भी है ।

(4) ऋण संबंधी सुविधाओं को उदार बना दिया गया है ताकि अतिरिक्त उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

(5) फैक्ट्रियों को 30-4-78 से आगे पेराई कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहित करने तथा समर्थ बनाने के लिए एक उत्पादन शुल्क रिबेट योजना घोषित की गई है ताकि उद्योग द्वारा गन्ने का अधिक से अधिक उठान किया जा सके ।

(6) गुड़ के निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए गये है।

(7) गुड़ तथा खंडसारी दोनों के निर्माताओं/व्यापारियों के लिए बैंक ऋणों पर मार्जिन को कम कर दिया गया है।

(8) भारतीय खाद्य निगम और 'नाफेड' जसी सरकारी एजेंसियों ने काफी मात्रा में बाजार मूल्य से अधिक प्रीमियम पर गुड़ खरीदा था।

(9) कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के कहने पर गन्ने पर क्रय कर में कमी कर दी है।

(10) खंडसारी के व्यापारियों को स्टाक सीमा बढ़ाकर 5,000 क्विंटल तक कर दी गई है।

(11) राज्य व्यापार निगम और निजी व्यापार दोनों के माध्यम से 5,000 मीटरी टन खंडसारी के निर्यात की अनुमति दी गई है।

(12) गन्ने की बकाया राशि पर निगरानी रखने के लिए लगातार देख-रेख की जाती है और राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए रखा जाता है।

(13) गन्ना (नियंत्रण) आदेश में गन्ने के मूल्य की देर से अदायगी करने पर 15 प्रतिशत ब्याज देने की व्यवस्था करने हेतु 2-2-1978 से संशोधन किया गया है जोकि ब्याज की वाणिज्यिक दरों के समतुल्य है।

उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और हरियाणा जैसे कुछ राज्य सरकारों द्वारा खंडसारी यूनिटों के लिए निर्धारित गन्ने के न्यूनतम मूल्य से इन यूनिटों द्वारा दी जाने वाली छूट के बारे में कानूनी व्यवस्था करते हुए 28-3-78 को जारी की गई अधिसूचना द्वारा गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 में एक दूसरा संशोधन किया गया है। यह इसलिए आवश्यक समझा गया था कि क्योंकि परिवहन आदि के प्रति खंडसारी यूनिटों के लिए निर्धारित गन्ने के न्यूनतम मूल्य से खंडसारी यूनिटों द्वारा मनमानी कटौती करने के बारे में गन्ना उत्पादकों से शिकायतें प्राप्त हुई थी।

(14) चीनी वर्ष के अन्त में गन्ने के मूल्य की बिना भुगतान की बकाया राशि को जिले के कलक्टर को आन्तरित करने के लिए भी गन्ना (नियंत्रण) आदेश में व्यवस्था की गई है जिसमें शर्त यह है कि वास्तविक दावेदार को ही भुगतान किया जाएगा और संगत चीनी वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष क अंत में अभी भी जो धनराशि बच जाएगी वह राज्य की समेकित निधि का अंश बन जाएगी और उसका राज्य सरकार यथा सम्भव गन्ने के विकास में उपयोग करेगी।

श्री वयालार रवि : सरकार कवल यह कह देने मात्र से संतुष्ट है कि गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिया जा रहा है और मिल मालिकों को बड़ा लाभ हो रहा है।

गन्ने का उत्पादन 33 प्रतिशत बढ़ा है और निर्यात बन्द कर दिया गया है। अत: उपभोक्ताओं को चीनी सस्त भाव पर मिलने की आशा थी। परन्तु चीनी बाजार में अब भी 4.80 रुपये है और इतने पर भी महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनावों से पहले सरकारने मिल मालिकों को रियायत देने की घोषणा की। उन्हें उत्पादन शुल्क में 45 प्रतिशत की छूट दी गई है। परन्तु गन्ने का मूल्य क्या है? इसके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई। दक्षिणी राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने कम से कम 12.50 रु० की मांग की है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि मिल मालिकों को लाभ पहुंचाने के अपने इच्छा के बावजूद गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या किया गया है?

श्री भानु प्रताप सिंह : जहाँ तक संगठित क्षेत्र में गन्ना देने वाले, गन्ना उत्पादकों का सम्बन्ध है, उन्हें इस वर्ष भी गत वर्ष के बराबर मूल्य दिया गया। उसमें कोई कमी नहीं की गई। वास्तव में किसानों को मिलने वाले मूल्य में वृद्धि हुई है। खाण्डसारी और गड़ उद्योग के गन्ना उत्पादकों को गत वर्ष में कम मूल्य मिला। परन्तु यह गन्ने की अधिक पदावार के कारण हुआ। पिछल वर्ष गन्ने के उत्पादन में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई....

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप हमेशा मिल मालिकों का पक्ष लते हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं इस आरोप का पूर्णत: खण्डन करता हूं। किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम सब कुछ कर रहे है।

जहां तक चीनी के मूल्य का सम्बन्ध है, जून, 77 में दिल्ली में डी० 30 का भाव 420 रु० प्रति क्विन्टल था जबकि जून 1978 में यह 336 रु० था।

श्री वयालार रवि : यह दूसरे दर्जे की चीनी का भाव है। पहले दर्जे की चीनी का नहीं। आप सदन को क्यो गुमराह कर रहे हैं? दो मूल्य है: 480 रु० और 380 रुपये।

श्री भानु प्रताप सिंह : मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें।

बम्बई में सी० 30 का भाव 402 रु० था जबकि अब वह 352 रु० है। मद्रास में ई० 30 का 402 रु० था और इस वर्ष यह 320 रु० है **(व्यवधान)** अत: मूल्य गिरे हैं। और फिर भी गन्ने का मूल्य पूर्ववत बनाए रखा गया है **(व्यवधान)** ।

श्री वयालार रवि : गन्ने का उत्पादन 25 प्रतिशत बढ़ा है और चीनी का उत्पादन 33 प्रतिशत। परन्तु पहले दर्जे की चीनी का मूल्य अभी भी 4.80 रु० प्रति किलो है। अत: क्या मंत्री महोदय दक्षिण के मुख्य मंत्रियों की बात मान कर गन्ने का कम से कम मूल्य 12.50 रुपये करने पर विचार करेंगे क्योंकि तमिलनाडु में यह अभी भी बकाया पड़ा है? गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य देने और समूचा गन्ना खरीदने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? इसके साथ ही चीनी का मूल्य कम करने के लिए क्या किया जा रहा है? गन्ने को इकट्ठा और बेकार न जाने दिया जाए।

श्री भानु प्रताप सिंह : मेरा चीनी से अर्थ है, जन साधारण के उपयोग की चीनी। प्लास्टिक के थैलों में पैक फैन्सी चीनी से मेरा यहा सम्बन्ध नही है। खुले बाजार में चीनी का मूल्य 70 से 80 रुपये तक गिरा हैं।

जहाँ तक गन्ने के मूल्यों का सम्बन्ध है, केन्द्र केवल सांविधिक मूल्य तय करता है, इसके बाद मूल्य तय करना राज्य सरकारों का काम है। उत्तरी राज्यों में सरकारो ने उद्योगों को एक मूल्य भाव लेने पर राजी कर लिया है जबकि दक्षिणी राज्यों में दूसरा तरीका अपनाया गया है। वे अतिरिक्त मूल्य गन्ने का मौसम समाप्त होने पर लाभ का हिसाब लगाने पर बाटेंगे दक्षिण में भुगतान दो किस्तों में किया जाता है जबकि उत्तरी राज्यों में एक बार . . . **(व्यवधान)**

Shri Ramanand Tiwari : Hundreds of acre sugarcane have been burnt in India as the mill are not accepting it. Whether the production of sugar has increased in the proportion of the increase in sugarcane production? Whether it has even increased by two per cent?

Shri Bhanu Pratap Singh : I have no such information ... **(Interruption).**

अध्यक्ष महोदय : उत्तर देने दीजिए।

श्री ए० सी० जार्ज : इस प्रश्न को पूरी चर्चा के लिए किसी अन्य दिन के लिए रखा जाए।

श्री वसन्त साठे : हम इस पर आधे घण्टे की चर्चा रखें।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सूचना देता है तो मैं इस पर विचार करूंगा **(व्यवधान)** अब मैं किसी और प्रश्न की अनुमति नही दूंगा, मैं आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दे रहा हूं।

राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के इंस्ट्रक्टर

*5. **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के इंस्ट्रक्टरों के बारे में 8 मई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9459 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के इंस्ट्रक्टर छुट्टी, पेन्शन, उपदान आदि के बारे में केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों के अधीन सभी लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है और इस प्रकार के कोई अनुदेश प्रधानाचार्यों को जारी नही किए गए हैं जबकि उसके विपरीत शिक्षा निदेशालय, दिल्ली की दिनांक 29-9-75 के पत्र संख्या एफ० 1-4/(27) आर० एण्ड एस०/75 में प्रधानाचार्यों को विशिष्ट अनुदेश दिए गए हैं कि उनको केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी नियम 1972) के अधीन छुट्टी जोड़ने के लाभ के अतिरिक्त उनकी पिछली सेवा का कोई लाभ नहीं दिया जाना है;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने केन्द्र से इन इंस्ट्रक्टरों को उनकी सेवा में किसी व्यवधान के बिना अपने नियंत्रण में लिया था ; और

(ग) क्या जारी किए गए अनुदेशों की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ग): दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार खपाए गए अनुदेशकों को, छुट्टी, पेंशन, उपदान आदि से संबंधित लाभ सामान्य केन्द्रीय सिविल सवा नियमों के अन्तर्गत अनुमत्य हैं। इस प्रकार प्रत्येक नियम के अन्तर्गत स्कूलों के प्रिंसिपलों को अलग से निर्देश जारी करने का कोई प्रश्न नहीं है। शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन के पत्र दिनांक 29-9-75 में छुट्टी आगे ले जाने

बारे में निर्देश दिये गये हैं तथा उनकी वरिष्ठता की स्थिति को जिससे स्कूलों के प्रिंसिपलों का संबंध है स्पष्ट किया गया है। इस पत्र में इस आशय का वाक्य कि वे केन्द्रीय सरकार के अधीन अपनी पहली सेवा के लाभों के हकदार नहीं है एक गलती है और इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन को लिखा जा रहा है।

(ख) जी हां।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मरुस्थल विकास कार्यक्रम

*6. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें मरुस्थल विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया था ;

(ख) वहां आरम्भ किए गए कार्यो का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि नियत की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) मरुस्थल विकास कार्यक्रम गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में शुरू किया गया है।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वनरोपण, डेरी तथा पशुधन विकास, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि विकास, मत्स्यपालन, बागबानी विकास और लघु किसान विकास एजेंसी किस्म की उपदान सुविधाएं शुरू की गई हैं।

(ग) इस कार्यक्रम के लिए पंचवर्षीय योजना हेतु आबंटन का योजना आयोग द्वारा योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही पता चलेगा।

औरोविल्लै परियोजना की निधि का कथित दुर्विनियोग

*7. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औरोविल्ले परियोजना, पांडिचेरी के लेखों की सरकारी लेखापरीक्षा से जाली लेन देन और सरकारी निधियों के दुर्विनियोग का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : औरोविल्ले परियोजना के लेखों की परीक्षा भारत के महालेखा-परीक्षक के अधिकारियों द्वारा भारत सरकार के दिनांक 21 दिसम्बर, 1976 के संकल्प द्वारा स्थापित औरोविल्ले समिति के विशिष्ट अनुरोध पर की गई थी। रिपोर्ट की प्रारम्भिक जांच से कुछ अनियमितताओं का पता चला है। विस्तृत जांच चल रही है। विस्तृत जांच के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

पुनर्वास विकास का बन्द किया जाना

*8. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्री यज्ञदत शर्मा :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास विभाग को तीन वर्ष के भीतर बन्द कर देने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पुनर्वास विभाग के बन्द हो जाने की अवस्था में दण्डकारण्य परियोजना के फालतू स्टाफ/कर्मचारियों (नियमित और कार्यप्रभारित दोनों) को पुनः रोजगार पर लगाने/खपाने के लिए सरकार ने कोई स्पष्ट नीति और कार्यक्रम निर्धारित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। पुनर्वास विभाग को तुरंत बन्द करने संबंधी मामला विचाराधीन है।

(ख) सरकार की यह इच्छा है कि विस्थापित व्यक्तियों के लिए तैयार की गई योजनाओं के अधीन उनका शीघ्र तथा प्रभावी पुनर्वास कर दिया जाए ताकि वे राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में घुल मिल जाएं।

(ग) और (घ) : वर्तमान स्थिति के अनुसार, छठी पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति से पूर्व दण्डकारण्य परियोजना के बन्द किए जाने की कोई संभावना नहीं है। जो स्टाफ फालतू घोषित किया जाएगा उसे फिर से खपाने संबंधी स्वीकार्य सुविधाओं के लिए विचार किया जाएगा।

दिल्ली में पट्टा पद्धति का समाप्त किया जाना

***9. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री जनार्दन पुजारी :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भूमि की बिक्री के लिए पट्टा पद्धति समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : अगस्त, 1977 में दिल्ली में अन्य बातों के साथ साथ लीजहोल्ड पद्धति की फ्री होल्ड में बदलने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

Exodus from Dandakaranya

*10. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of persons from Dandakaranya who had gone to West Bengal or other places during the recent exodus;

(b) whether efforts were made to bring them back and the number of persons returned so far; and

(c) the reasons therefor and the action being taken to remove the causes thereof ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) 14,302 families as on 3rd July, 1978.

(b) Yes, Sir. The number of families returned so far is 5,074.

(c) One of the main reasons of the exodus is the false propaganda by interested elements, like the Udabastu Unnayansil Samity for securing resettlement for the deserters in Sunderbans area in West Bengal.

The following steps have been taken to prevent desertions and to reassure the deserters to return to Dandakaranya :

(i) Wide publicity has been given to non-availability of land in Sunderbans and the inability of West Bengal Government to settle any of these displaced persons in Sunderbans or in any other area in West Bengal.

(ii) A delegation of Ministers and all-party MLAs of West Bengal visited Dandakaranya during 21-25th March, 1978 and explained to the settlers that there was no scope for their rehabilitation in Sunderbans or any in any other area in West Bengal and that they should stay on in Dandakaranya. They reassured them that their legitimate grievances, if any, would be looked into.

(iii) They were also met by a senior officer of the Rehabilitation Department and Secretary, Rehabilitation, West Bengal, and attempts to dissuade them from deserting were made.

(iv) The Department of Rehabilitation have agreed to permit these families to return to their respective rehabilitation sites and karmi-shibirs/work-site camps, notwithstanding the general policy of debarring displaced persons from fresh relief and rehabilitation assistance in case of desertion. On return to Dandakaranya, deserter families are being provided food and transportation facilities by the Project authorities during the period of transit to their respective rehabilitation sites/karmi-shibirs, in addition to the grant of renewed assistance as indicated below :—

(a) A loan of Rs. 500 per family for purchase of seeds, agricultural implements etc. (in kind);

(b) A loan of Rs. 750 per family for purchase of a pair of bullocks or supply of bullocks from the cattle held by the Project Administration;

(c) 2 Quintals of rice per family costing not more than Rs. 350 as a grant.

(d) 15 days' dole costing not more than Rs. 60 per family as a grant;

(e) A grant not exceeding Rs. 25 per family for construction of a kitchen hut in cases where the settlers have not yet been provided houses.

आनन्दमार्गियों द्वारा विश्वविद्यालय तथा स्कूल आरम्भ किया जाना

*11. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री श्यामसुन्दर गुप्त :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जून, 1978 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि आनन्दमार्गीयों ने देश भर में अपने निजी विश्वविद्यालय तथा स्कूल आरंभ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे इसके लिए भारत सरकार से कोई अनुमति प्राप्त कर चुके हैं ; और

(ग) यदि नही, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) ऐसा कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) एक विश्वविद्यालय किसी केन्द्रीय अथवा राज्य विधान के द्वारा अथवा अन्तर्गत स्थापित किया जाता है न कि किसी प्राईवेट एजेन्सी द्वारा । तथापि, स्कूलों, कालेजों आदि जैसी अन्य संस्थाएं प्राईवेट एजेन्सियों द्वारा स्थापित की जा सकती हैं और यदि इन संस्थाओं को देश की स्थापित शिक्षा पद्धति के अंग के रूप में स्वीकार करवाना हो तो इन एजेन्सियों को उपयुक्त प्राधिकारियों से मान्यता/अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा।

Opening of Central School in Trans Yamuna Area Delhi

†*12. **Shri Ramanand Tiwary:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the total number of Central Schools in Delhi at present and the locations thereof;

(b) whether there is no Central School in trans Yamuna area in Delhi at present and if so, whether Government propose to open a Central School in this area during the current year and if so, at which place; and

(c) if not, the reasons for neglecting about 10 lakh population of trans Yamuna area in Delhi?

The Minister of State in the Ministery of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki): (a) to (c): The total number of schools in the Union

Territory of Delhi at present is thirteen. They are located at the following places :—

1. K. V. Delhi Cantt.
2. K. V. Jharoda Kalan.
3. K. V. R. K. Puram, Sector-IV, New Delhi.
4. K. V R. K. Puram, Sector-VIII, New Delhi.
5. K. V. Andrews Ganj, New Delhi.
6. K. V. Tagore Garden, New Delhi.
7. K. V. Lawrence Road, New Delhi.
8. K. V. Gole Market, New Delhi.
9. K. V. IIT, Hauz Khas, New Delhi.
10. K. V. INA Colony, New Delhi.
11. Vishesh K. V. Janak Puri, New Delhi
12. K. V. Janakpuri, New Delhi.
13. K. V. Masjid Moth, New Delhi.

2. There is no Central School in the Trans-Yamuna area and there is no proposal to open a Central School in the current year in that area.

3. The Central Schools are opened on the basis of proposals received from the Central Government Departments who agree to give 15 acres of land and temporary class-room accommodation for running the school till the Kendriya Vidyalaya Sangathan building comes up. No such specific proposal has been received so far from any of the Central Government Departments. Since only four Kendriya Vidyalayas are opened each year at civil stations throughout the country, priority is given to places having larger number of transferable Central Government employees.

Confirmation of Employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan

†*13. **Shri Raghavji**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the total number of schools being run in India by the Kendriya Vidyalaya Sangathan with strength of employees thereof as on 31st March, 1978;

(b) the number of employees among them not confirmed even after completion of two years service and five years of service, separately; and

(c) the causes of delay in confirming these employees together with the steps being taken to remove those causes and remedy the position?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki): (a) The total number of Kendriya Vidayalayas including those opened during this year so far in India is 258. Besides, there are two Vidyalayas outside India one at Kathmandu (Nepal) and the other at Chukha (Bhutan). The total strength of employees in these Vidyalayas as on 1-8 1977 was 11,358. Information regarding the number of employees as on 31st March, 1978 is being collected.

(b) The information is being collected.

(c) All employees are appointed against temporary posts on probation for a period of 2 years which can be extended by one year by the competent authority. After satisfactory completion of probationary period all employees become eligible for confirmation subject to availability of permanent posts. It is not always possible to confirm every employee after 2 years as according to the rules followed by the Sangathan, 80% of the

temporary posts (50% in the cases of Group IV) which have been in existence for atleast 3 years and are likely to continue indefinitely can be converted into permanent ones.

पब्लिक स्कूल

***14. श्री ईश्वर चौधरी :**
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता की यह मांग है कि पब्लिक स्कूल जैसे स्वतंत्र स्कूल विशेषरूप से अब समाप्त कर दिए जाने चाहिएं ; और

(ख) यदि सरकार ऐसी संस्थाओं को शीघ्र ही समाप्त करने की स्थिति में नहीं है तो क्या ऐसे स्कूलों पर यह जिम्मेदारी डालना सम्भव होगा कि वे अपने विद्यार्थियों में 50 प्रतिशत विद्यार्थी सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से लें ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र) : : (क) पब्लिक स्कूलों से अभिप्राय सामान्य तया उन स्कूलों से है, जो भारतीय पब्लिक स्कूल सम्मेलन के सदस्य हैं। सारे देश में इस समय ऐसे 54 स्कूल हैं, जो इस सम्मेलन के सदस्य हैं।

सरकार द्वारा पब्लिक स्कूलों जैसे स्वतंत्र स्कूलों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार को दी गई कानूनी राय के अनुसार अल्प संख्यकों द्वारा संचालित पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने के सम्बन्ध में किसी भी कार्रवाई से भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन होगा और गैर-अल्पसंख्यक स्कूल के मामले में ऐसा किसी कदम से साधारणतया भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(छ) का उल्लंघन होगा।

(ख) चौथी लोक सभा की याचिकाओं संबंधी समिति ने यह सुझाव दिया था कि विद्यमान पब्लिक स्कूलों में 25 प्रतिशत स्थान उन बच्चों के लिए आरक्षित कर दिए जाने चाहिएं जिनके माता-पिता की आय प्रति मास 500 रुपये अथवा इससे कम है। इस संबंध में भी कानूनी राय ली गई थी कि क्या सरकार याचिकाओं संबंधी समिति की सिफारिश कार्यान्वित करने के लिए पब्लिक स्कूलों को 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने हेतु कहने के लिए सक्षम है। सरकार को यह सलाह दी गई थी कि स्थान केवल तभी आरक्षित किए जा सकते हैं, यदि संबंधित स्कूलों के प्रबन्धक इसके लिए अपनी सहमति दें।

चीनी उद्योग में संकट

15. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि चीनी मिलों के पास चीनी के भारी स्टाक जमा हो जाने और वर्ष 1977-78 के दौरान लगभग 64 लाख टन चीनी का रिकार्ड उत्पादन होने के कारण चीनी उद्योग की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ती जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि चीनी कारखानों को अपने भारी स्टाक के वित्तपोषण के लिए उंची ब्याज दर पर भारी ऋण लेने पड़ते हैं ; और

(ग) चीनी उद्योग को इस संकट से बचाने तथा चीनी मिलों को राहत देने के उद्देश्य से, अतिरिक्त उत्पादन से उत्पन्न हुई इस जटिल समस्या को ठोस आधार पर हल करने के लिए क्या तात्कालिक नीति/उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) इस वर्ष गन्ने की भरपूर पैदावार होने के कारण, चीनी का उत्पादन 65 लाख मीटरी टन होने की सम्भावना है। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक अधिशेष स्टाक इकट्ठा हो गया है।

(ख) और (ग) : अधिक उत्पादन से उत्पन्न स्टाक के भारी बोझ से उद्योग को राहत पहुंचाने के लिए ऋण सम्बन्धी सुविधाओं को उदार बना दिया गया है ताकि इस वर्ष के अधिक उत्पादन से उत्पन्न अतिरिक्त ऋण की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1978 के दौरान 6.5 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी जाए जिससे फैक्ट्रियां अपने स्टाक को कम कर सकें। जो फैक्ट्रियां 30 अप्रैल, 1978 के बाद भी देर तक

पेराई करती रहेंगी, उन्हें उत्पादन शुल्क में भी रिबेट दी जा रही है। लेवी चीनी की घरेलू खपत में भी 32 प्रतिशत तथा समूची खपत में 23 प्रतिशत की बढोतरी की गई है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार अन्य नीति विषयक उपायों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

मालवीय नगर एक्सटेंशन नई दिल्ली में हटमेन्टो का गिराया जाना

***16. श्रीमती मोहसिना किदवई :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 26 मई, 1978 या उसके आस-पास मालवीय नगर एक्सटेंशन के समीप होजरानी स्थित उन व्यक्तियों के हटमेन्टों को गिराया था जिनके पास दिल्ली विकास प्राधिकरण से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकट) थे ;

(ख) क्या उनके निवासियों को भूमि को खाली करने के लिये नोटिस दिया गया था तथा उन्हें उसके लिये उचित समय दिया गया था ;

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उन्हें दिल्ली मे वैकल्पिक आवास/प्लाट दिये गये हैं ;

(ङ) यदि नहीं तो क्यों ; और

(च) यदि हां, तो क्या वहां आवश्यक नागरिक सुविधाएं दी गई हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन हेटमेन्टों को नही गिराया गया था जिनके सम्बन्ध में उन्होंने अनापत्ति पत्र जारी किये थे।

(ख) तथा (ग) : क्योंकि जो मकान अभी अधूरे ही बने थे और अनधिकृत थे, तथा सरकार की इस नीति के अनुसार कि मार्च, 1977 से किसी नये अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जायेगी, इस मामले में कोई नोटिस जारी नही किए गये। समय देने का प्रश्न ही नही उठता, यद्यपि वहां के रहने वालों को अपना सामान हटाने के लिए काफी समय दिया गया था।

(घ) से (च) : अनधिकृत अतिक्रमणों के लिए वैकल्पिक वास/प्लाट देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिवेदन

***17. श्री जी० एम० बनतवाला :**

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग ने अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय और लोक सभा में पुरःस्थापित उक्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सरकारी संशोधन विधेयक से सम्बन्धित कोई प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो आयोगकी मुख्य टिप्पणियां और सिफारिशें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) अल्पसंख्यक आयोग की मुख्य टिप्पणियां तथा सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 जिसमें संविधियां बनाने के अधिकार दिए गए हैं विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को पुनः कायम करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। तथापि इस प्रारूप विधेयक के उपबन्धों द्वारा लोक तान्त्रिक कार्यकरण नहीं मिले। यह विधेयक 'कोर्ट' को इतनी अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है और उसे शक्तिशाली बनाता है। जिसकी देश के किसी विश्वविद्यालय में भी व्यवस्था नहीं है। यह विधेयक 'कोर्ट' को लोकतांत्रिक नहीं बनाता है।

(ख) आयोग ने कुछ ऐसे उपबन्धों का उल्लेख किया है जो उसके मतानुसार लोकतांत्रिक नहीं हैं और उनका विचार है कि इन उपबन्धों का सावधानीपूर्वक पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है।

(ग) शब्द 'विश्वविद्यालय' की परिभाषा निम्न प्रकार से संशोधित की जानी चाहिए :—

'विश्वविद्यालय' का अर्थ है भारतीय मुसलमानों द्वारा स्थापित अपनी पसन्द की शैक्षिक संस्था है और जिस इस अधिनियम द्वारा 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में निगणित और पदनामित किया गया था ।'

आयोग की सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के लिये एजन्सियां

***18. श्री एस० आर० दमाणी :**

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चलाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस कार्यक्रम को ग्राम स्तर तक चलाने के लिये किन एजेंसियों का चयन किया गया है ; और

(घ) चालू वर्ष में इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है और इस धन राशि को यह कार्यक्रम चलाने वाली एजेंसियों को किस प्रकार दिया जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (घ) : राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय किया गया है जिसका उद्देश्य है लगभग पांच वर्षों के अन्दर लगभग दस करोड़ निरक्षर प्रौढों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार । राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा संलग्न है । इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होगा और वे इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार की एजेंसियों का निर्धारण करेंगी । गैर-सरकारी एजन्सियों में स्वैच्छिक संगठन, विश्वविद्यालय आदि शामिल होंगे । (**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2380/78**)

1978-79 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य-वार योजनागत प्रावधान निम्न प्रकार से हैं :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1978-79 के लिए योजनागत प्रावधान (लाख रुपये)
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	8.05
2. असम	27.60
3. बिहार	70.00
4. गुजरात	59.00
5. हरियाणा	20.00
6. हिमाचल प्रदेश	6.34
7. जम्मू और काश्मीर	15.00
8. कर्नाटक	23.20
9. केरल	30.00
10. मध्य प्रदेश	12.09
11. महाराष्ट्र	5.85
12. मणिपुर	3.57

विवरण—जारी

1	2
13. मेघालय	(प्रतीक्षित)
14. नागालैंड	6.45
15. उड़ीसा	22.00
16. पंजाब	11.56
17. राजस्थान	31.00
18. सिक्किम	3.00
19. तमिलनाडु	38.00
20. त्रिपुरा	15.00
21. उत्तर प्रदेश	123.75
22. पश्चिम बंगाल	33.36
23. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.70
24. अरुणाचल प्रदेश	2.00
25. चण्डीगढ	2.10
26. दादरा और नागर हवेली	0.20
27. दिल्ली	15.00
28. गोआ, दमन और दीव	3.00
29. लक्षद्वीप	0.77
30. मिजोरम	4.00
31. पाण्डीचेरी	1.03

इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक योजना में निम्नलिखित योजनाओं के लिए 5.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है :—

योजना का नाम	1978-79 के लिए योजनागत प्रावधान (लाख रुपये)
1. कृषक कार्यात्मक साक्षरता परियोजना	300.00
2. 15—35 आयु-वर्ग के लिए अनौपचारिक शिक्षा	75.00
3. स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता	75.00
4. श्रमिक विद्यापीठ	20.00
5. नव-साक्षरों के लिए साहित्य निर्माण	15.00
6. विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा	15.00
7. राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम के लिए अग्रिम कार्रवाई	50.00

Sale of bogus plots by the DDA

***19. Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether cases of sale of bogus plots by the DDA officials have been brought to the notice of Government; and

(b) if so, the legal action taken against the officers found guilty?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) No case of sale of bogus plots has come to light. However, the DDA has reported that there have been cases of issue of fake slips in respect of allotments in re-settlement colonies in Delhi.

(b) Some officials against whom a prima-facie case was made out have been placed under suspension and departmental enquiry has been instituted. Anti-corruption Branch of Delhi Administration has also been requested to register a case under the Prevention of Corruption Act against these officials.

डॉ० एम० एस० नायक को पुरस्कार

20. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की वार्षिक आम बैठक में उठाई गई गम्भीर आपत्तियों के बावजुद, जिसके परिणामस्वरूप दिये जाने वाले पुरस्कार को स्थगित कर दिया गया था, निर्णयक समिति की सिफारिशों के आधार पर ही और कृषि तथा सिंचाई मंत्री की स्वीकृति से आर० ए० किदवई पुरस्कार डा० एम० एस० नायक को दिया गया है ; और

(ख) क्या डा० नायक को उपरोक्त पुरस्कार देने को न्याय संगत ठहराते हुए डा० एम० एस० नायक के विरुध्द गजेन्द्रगडकर समिति द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को "असंगत" मामला बताया गया था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : यह सही है कि डा० एम० एस० नायक अध्यक्ष, जीव रसायन प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का रफी अहमद किदवई पुरस्कार के लिए चयन निर्णायक समिति की सिफारिश पर तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय और कृषि एवं सिंचाई मंत्री के अनुमोदन से किया गया था।

यह पुरस्कार जो डा० एम० एस० नायक को, उनकी अनुपस्थिति में (वे उस समय आस्ट्रेलिया दौरे पर थे दिये जाना था, दिनांक 8 दिसम्बर, 1977 को सम्पन्न शासी निकाय की सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक में उसकी घोषणा नही की गयी । बाद में माननीय सदस्य के दिनांक 8 दिसम्बर, 1977 के पत्र में उठायी गयी आपतियों के सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात यह पुरस्कार डा० नायक को दिनांक 27-3-78 को दिया गया।

डा० एम० एस० नायक के विरुद्ध गजेन्द्रगडकर समिति द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में पुनर्वास विभाग का समापन

1. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में पुनर्वास विभाग का तेजी से समापन करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो अनेक वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों के सम्बन्ध में सरकार का क्या प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार को कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन मिला है और यदि हां, तो उसपर क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्रवाई नही की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) मुख्य विकास-व-पुनर्वास आयुक्त अण्डमान तथा निकोबार द्वीप संगठन को उसके कार्य सहित, जो अब तक पुनर्वास विभाग के अधीन होता रहा है, उचित विचार-विमर्श करने के पश्चात गृह मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 1 जुलाई, 1978 से अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन को हस्तांतरित कर दिया गया है।

(क) और (ग) : जी, हां । मुख्य विकास व पुनर्वास आयुक्त के संगठन के कर्मचारियों ने अपने अभ्यावेदन में निम्न विषय उठाए थे :—

(i) अस्थायी पदों के कुछ प्रतिशत को स्थाई बनाया जाना चाहिए और स्टाफ के पात्र सदस्यों को स्थायी करने के लिए विचार किया जाना चाहिए ; और

(ii) उनकी वरिष्ठता तथा भूतपूर्व सेवा सुरक्षित रखी जानी चाहिए।

प्रथम विषय गृह मंत्रालय के विचारार्थ छोड़ दिया गया है। जहां तक दूसरे विषय का सम्बन्ध है, यह व्यवस्था की गई है कि मुख्य विकास व पुनर्वास आयुक्त का कार्यालय एक पृथक संगठन के रूप में कार्य करता रहेगा और यह कि स्टाफ के सदस्य सेवा की वर्तमान शर्तों के अधीन शासित होते रहेंगे और उनकी वरिष्ठता अलग से रखी जाएगी, जैसे कि अब रखी जा रही है, और यदि बाद में उनका किसी अन्य स्थापना में समावेश कर दिया जाता है, तो उनकी वरिष्ठता कार्मिक विभाग की सुसंगत हिदायतों के अधीन शासित होगी जो कि ऐसे मामलों में लागू हैं।

विदेशों में भारतीय युवा प्रतिनिधियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आयु सीमा

2. **श्री नाथू सिंह** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन युवा प्रतिनिधियों के लिए जो विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय युवकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अधिकतम आयु-सीमा निर्धारित की है ; और

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि जुलाई-अगस्त, 1978 में क्यूबा में युवक समारोह में शामिल होते समय युवक प्रतिनिधि सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करें ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने कोई मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित नही की हैं और इस समारोह के लिए चयन करने में केन्द्रीय सरकार से सलाह नहीं ली गई थी।

कारखाना मालिकों द्वारा सहयोग न दिये जाने के कारण नष्ट हुए गन्ने का मूल्य

3. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कारखाना मालिकों का सहयोग न मिलने के कारण, विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा भारत के पूर्वोत्तर भागों में नष्ट हुए गन्ने के मूल्य की जानकारी देने वाली रिपोर्ट मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस हानि का ब्यौरा क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार को एक रिपोर्ट मिली थी कि कुछ उत्तरी राज्यों में गन्ने की कुछ फसल अभी भी खड़ी है। क्योंकि इस वर्ष गन्ने की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक हुई है, यद्यपि फैक्ट्रियों ने सामान्य मात्रा से भी अधिक गन्ना पेर दिया है, इसलिए यह सम्भव है कि गन्ने की कुछ फसल बिना पेरे रह सकती है। तथापि, संबंधित राज्य सरकारों ने आश्वासन दिया है कि वे अधिक से अधिक गन्ना पिरवाने के लिए आवश्यक पग उठा रहे है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता

4. **श्री एफ० पी० गायकवाड़** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान खाद्यान्न का कुल कितना वार्षिक उत्पादन हुआ और खाद्यान्न तथा दालों के पृथक-पृथक आंकड़े क्या है ;

(ख) इन वर्ष के दौरान देश की कुल कितनी मांग थी और अगर कोई कमी थी, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसे किस प्रकार पूरा किया गया और अगर उक्त कमी आयात द्वारा पूरी की गई तो कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के खाद्यान्न का आयात किया गया ;

(ग) क्या निकट भविष्य में खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की कोई सम्भावनायें हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान धान्यों तथा दालों के उत्पादन का एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध 1)। वर्ष 1977-78 के लिए उत्पादन के पक्के अनुमानों के अगस्त, 1978 के बाद किसी समय उपलब्ध होने की सम्भावना है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार 1977-78 के दौरान धान्यों का कुल उत्पादन लगभग 1,130 लाख मीटरी टन तथा दालों का लगभग 120 लाख मीटरी टन होने की आशा है।

(ख) मानव उपभोग के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकतायें काफी हद तक घटती-बढ़ती रहती हैं। आवश्यकतायें, स्वाभाविक रूप से खाद्यान्नों की समग्र उपलब्धि तथा उनके मूल्यों, बदले में प्रयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों जैसे फलों और सब्जियों, कन्द फसलों, दूध तथा दुग्ध उत्पादों, मांस, मछली, अन्डों आदि की उपलब्धि तथा उनके तुलनात्मक मूल्यों, आम लोगों की क्रय शक्ति, जन संख्या में होने वाली वृद्धि, शहरीकरण की मात्रा आदि पर निर्भर करती है। अतः देश में खाद्यान्नों की आवश्यकताओं का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है। तथापि, उपलब्धि के आंकड़ों से समग्र उपभोग के बारे में मोटा अनुमान लगाया जा सकता है। निम्नलिखित सारिणी में वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के लिए मानव उपभोग हेतु धान्यों तथा दालों के निवल उत्पादन (बीज, दाना-चारा तथा व्यर्थ पदार्थों की व्यवस्था करने के बाद) व वास्तविक उपलब्धि के आंकड़े पृथक रूप से दिखाए गए हैं :—

(हजार मीटरी टन)

जिन्स		निवल उत्पादन	मानव उपभोग हेतु निवल उपलब्धि	उत्पादन तथा उपलब्धि में बेशी (+)/कमी (—)
धान्य	1975-76	94,496	90,309	+4,187
	1976-77	87,817	89,682	—1,865
दालें . . .	1975-76	11,409	11,404	+ 5
	1976-77	9,807	9,806	+ 1
कुल खाद्यान्न . . .	1975-76	105,905	101,713	+ 4,192
	1976-77	97,624	99,488	— 1,864

वर्ष 1975-76 के दौरान देशी उत्पादन, उपभोग के लिए निवल उपलब्धि से अधिक हुआ था, जबकि वर्ष 1976-77 के दौरान 1,864 हजार मीटरी टन की कमी हुई थी। यह कमी अधिकांशतः सरकार के पास जमा स्टाक से पूरी की गई थी। यह स्मरण करा दिया जाए कि सरकार ने जून, 1976 में खाद्यान्नों का वाणिज्यिक आयात बन्द करने का निर्णय लिया था।

(ग) तथा (घ) : अगली पंच वर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात् 1978-79 से 1982-83 तक खाद्यान्नों की मांग और पूर्ति में संतुलन होने की आशा है। वर्तमान स्थिति में देश अच्छे फसल के वर्षों में खाद्यान्नों के मामले में पहले ही आत्मनिर्भर है। खाद्यान्नों का देशी उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपाय अनुबन्ध 2 में दिए गए हैं।

विवरण 1

खाद्यान्नों का उत्पादन

(दस लाख मीटरी टन)

	1975-76	1976-77
कुल धान्य	107.99	100.36
कुल दालें	13.04	11.21
कुल खाद्यान्न	121.03	111.57

विवरण 2

उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. 170 लाख हैक्टार क्षेत्र की क्षमता बढ़ाकर चालू योजना के दौरान सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करना, जिसमें से लगभग 150 लाख हैक्टार क्षेत्र का कारगर उपयोग होगा। 150 लाख हैक्टार क्षेत्र में से 110 लाख हैक्टार क्षेत्र खाद्य फसलों के अन्तर्गत होगा।

2. नई विस्तार तकनीक अर्थात् दूरदर्शन प्रणाली की सहायता से अनुकूली परीक्षणों के व्यापक कार्यक्रमों के जरिए वर्षा, सिंचाई तथा मृदा की किस्मों की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत विभिन्न फसलों के लिए उपयुक्त टैक्नालोजी का चयन करना।

3. बेहतर प्रबन्ध की पद्धतियों द्वारा आदान उपयोग की क्षमता का सुधार करना।

4. परिवर्धित मिनीकिट कार्यक्रम के जरिए फसलों की निर्मुक्ति-पूर्व किस्मों को लोकप्रिय बनाना।

5. सामुदायिक नर्सरी का क्रमों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए धान तथा गेहूं की ठीक समय पर बुवाई करना।

6. साधारण उपकरणों की सहायता से पंक्तियों में बुवाई करके तथा शीघ्र खरपतवार निकालकर और उसके बाद नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को बखेर कर प्रत्यक्ष बिजाई वाले क्षेत्रों में चावल की उत्पादकता बढ़ाना।

7. धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी तथा जौ की अधिक उत्पादनशील किस्मों की अधिक क्षेत्र में बुवाई करना।

8. किसानों द्वारा विशेषरूप से कपास, तिलहन तथा दालों के मामलों में अधिक पूंजी लगाने की दिशा में उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन मूल्य तथा विपणन की आकर्षक नीतियों की व्यवस्था करना।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों का नियमित किया जाना

5. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त की गई तकनीकी समिति ने पांच अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके नियमित किये जाने के बारे में क्या कदम उठाये जा रहे है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित 5 अनधिकृत कालोनियां दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त की गई तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित की गई और दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के विचाराधीन है :--

(i) सरस्वती गार्डन एक्स्टेन्शन भाग-I

(ii) सरस्वती गार्डन एक्स्टेन्शन भाग-II

(iii) रामेश्वर नगर एक्स्टेन्शन,

(iv) सूरज नगर,

(v) के० ब्लाक, मोहन पार्क, माडल टाऊन।

Buildings for Primary Schools in Adivasi Areas of Gujarat

†6. **Shri Chhitubhai Gamit:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the number of villages in Adivasi areas in Gujarat where primary schools are not housed in pucca buildings and the reasons therefor;

(b) the number and names of villages in Surat, Balsar and Dang Districts where primary schools do not have pucca buildings; and

(c) the time by which the facilities for pucca buildings for the primary schools there will be provided and the steps taken by the Central Government for the purpose and the details thereof?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) and (b): Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

(c) The general policy of the Government is to plan for primary school buildings in such a way that the dis-advantaged and depressed areas like the tribal villages get top-priority. Actual implementation, however, rests with the State Government, since education is generally a State responsibility.

दिल्ली में पट्टा प्रणाली समाप्त किया जाना

7. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री दिल्ली में पट्टा प्रणाली समाप्त किये जाने के बारे में 27 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 930 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या अप्रैल, 1978 तक प्रस्तुत किया जाने वाला समिति का प्रतिवेदन इस बीच प्रस्तुत किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है और इसे कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने पट्टा प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश नहीं की है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रि-भाषा सूत्र

8. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिल नाडु के मुख्य मन्त्री ने त्रि-भाषा सूत्र स्वीकार करने के बारे में अपनी असमर्थता व्यक्त की है ; और

(ख) क्या भाषा सूत्र के बारे में केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव का किसी अन्य राज्य ने भी विरोध किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : त्रि-भाषा सूत्र तमिल नाडु को छोड़कर, जहां राज्य विधान मण्डल द्वारा 1968 में पारित संकल्प को ध्यान में रखते हुए राज्य में द्विभाषा सूत्र का पालन किया जा रहा है, सभी राज्यों द्वारा सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तथापि, सभी राज्यों में इस सूत्र का कार्यान्वियन समान रूप से नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री से हाल ही में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

नारियल बोर्ड

9. **श्री वी० एम० सुधीरन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से नारियल बोर्ड के गठन के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) नारियल बोर्ड के गठन में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : नारियल विकास बोर्ड का गठन करने के लिये एक विधेयक लोक सभा के चालू सत्र में पेश किया जा रहा है।

दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को अधिकार में लेना

10. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू शिक्षा-वर्ष के दौरान दिल्ली में अनेक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को अपने अधिकार में लेने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्कूलों के नाम क्या हैं जिन्हें अधिकार में लिये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) । अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी।

बारा-टूटी दिल्ली में इमारत का गिराया जाना

11. **श्री नटवरलाल परमार :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान बारा-टूटी, दिल्ली में एक बड़ी इमारत को गिराये जाने के कारण कितने दुकानदार विस्थापित हो गये थे और उनके पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) उनमें से कितने दुकानदारों ने वैकल्पिक स्थान देने के लिए दिल्ली प्रशासन को आवेदनपत्र भेजे थे और उनके अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है; और

(ग) उपरोक्त इमारत का निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Grants to J.L.N. Agriculture University

†12. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 672 on the 10th April, 1978 regarding grants to Universities in M.P. and state :—

(a) the amount of grant asked for by J.L.N. Agriculture University during 1975-76 to 1977-78, year-wise; and

(b) whether the amount given by Government in each of these years is less and if so, whether Government propose to increase the amount of grant in future and the heads under which the amount given by Government is spent ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) and (b) : The University Grants Commission does not sanction development grants to the Agricultural Universities; the Indian Council for Agricultural Research provides assistance to such Universities. The question of the University Grants Commission increasing its assistance to Agricultural Universities does not, therefore, arise. However, some assistance is provided by the Commission for minor amenities like Students' Aid Fund, etc., to all Universities in accordance with the norms prescribed by it.

Extension of Narmada Valley Irrigation Schemes

†13. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether in a meeting held in New Delhi in April, 1978 an agreement was reached between the Irrigation Minister of Gujarat and the Chief Minister of Madhya Pradesh in regard to the extension of eight Narmada Valley Irrigation Schemes and whether requests have been received by the Central Government for according approval on these eight irrigation schemes ;

(b) if so, the names of such irrigation schemes and when the requests were received as also details thereof ;

(c) the names of the irrigation schemes which have been approved by the Central Government and when and the names of the schemes on which approval has not yet been accorded and the reasons therefor and when approval thereon will be accorded ; and

(d) the names of the Schemes of Gujarat and Madhya Pradesh among these 8 irrigation Schemes and the area of land to be irrigated thereby as also the cost thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) to (d) : An agreement was reached on 5th April, 1978 between Governments of Madhya Pradesh and Gujarat which, inter-alia, provided that, without prejudice to the decision of the Narmada Water Disputes Tribunal and also without prejudice to the claims of the two States, Gujarat and Madhya Pradesh may go ahead with the construction of

8 irrigation projects (5 of Madhya Pradesh and 3 of Gujarat) subject to the usual scrutiny and approval by the Government of India. The names of these 8 projects are as under :—

Madhya Pradesh :

1. Sakalda ;
2. Mehgaon Tola :
3. Matiyari ;
4. Choral ; and
5. Paras.

Gujarat :

1. Sankara ;
2. Dholi ; and
3. Men.

A request was made on 11th April, 1978 by the Government of Madhya Pradesh for clearance of their 5 aforesaid projects, reports of which had been received in Central Water Commission. The project reports of the three Schemes of Gujarat have not so far been received in the Central Water Commission from the State Government. Details of the 5 Schemes of Madhya Pradesh are given in the following table :

Sl. No.	Name of the Scheme	Estimated cost (Rs. lakhs)	Benefits (in thou sand hectares)
1	Sakalda . .	163.85	1.708
2	Mehgaon Tola Tank	138.09	1.780
3	Matiyari . . .	466.74	9.55
4	Choral	350.00	4.24
5	Paras Tank Project	86.94	1.39

Of the 5 projects of Madhya Pradesh, Mehgaon Tola Tank Project has been examined in the Central Water Commission and the same has been sent to the Planning Commission for consideration by the Technical Advisory Committee of the Commission. The Paras Tank Project is a minor irrigation Scheme, and has, therefore, been returned to the State Government for necessary action. The remaining 3 projects of Madhya Pradesh are presently under examination in the Central Water Commission.

चीनी कारखानों तथा खांडसरी एककों द्वारा दिये गये चीनी के मूल्य

14. **श्री समर मुखर्जी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977–78 में चीनी कारखानों तथा खांडसरी एककों में गन्ना उत्पादकों को क्या मूल्य दिए ;

(ख) गत वर्ष तथा उससे पूर्व क्या मूल्य दिए गए थे ; और

(ग) न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित न करा पाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : तीन विवरण (अनुबंध 1, 2 और 3) संलग्न हैं जिनमें चीनी मौसम 1975–76, 1976–77 और 1977–78 के दौरान चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने का वास्तव में दिया गया मूल्य और निर्धारित न्यूनतम मूल्य का ब्यौरा दिया गया है । इसी तरह, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की राज्य सरकारों द्वारा इन्ही मौसमों के दौरान खंडसारी यूनिटों को गन्ना सप्लाई करने के लिए गन्ने का निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य बताने वाले विवरण भी संलग्न है (अनुबन्ध 4 से 7 तक) **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 2381/78]**

(ग) चीनी फैक्ट्रियों के सभी मामलों में गन्ना उत्पादक को दिया गया मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य के बराबर या उससे अधिक है। खंडसारी यूनिट राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन हैं और जहां मूल्य भुगतान का करने की जो शिकायतें थी उन पर संबंधित राज्य सरकारों को चूककर्ता यूनिटों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करनी थी।

दरभंगा (बिहार) में केन्द्रीय विद्यालय खोलने सम्बन्धी मांग

15. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय बिहार में 19 केन्द्रीय विद्यालय हैं और क्या बरौनी में स्थित केन्द्रीय विद्यालय को छोड़कर बाकी सभी दक्षिण बिहार में स्थित हैं ;

(ख) क्या बिहार के लगभग 45 प्रतिशत जनसंख्या वाले उत्तर बिहार में काम करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी इस सुविधा से वंचित है और;

(ग) क्या दरभंगा, में जहां भूमि, भवन आदि उपलब्ध हैं, एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने सम्बन्धी कोई मांग प्राप्त हुई है और क्या सरकार वहां आगामी वर्ष एक केन्द्रीय विद्यालय खोलेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) : इस समय बिहार में 20 केन्द्रीय विद्यालय हैं जो अम्भोरे, बरोनी (2), भुरकुण्डा, बोकारो (2) धनबाद, दीनापुर, गया, घाटशिला, रांची (3), जमालपुर, जवहार नगर, मेघातुबुरू, पटना, रामगढ़, सिंघारशी और भंडारीडाह में हैं। इनमें से ग्यारह विद्यालय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के परिसरों में स्थित हैं जिनका सम्पूर्ण आवर्ती और अनावर्ती व्यय संबंधित परियोजना प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) जी, हां। किन्तु नए विद्यालय खोलने के लिए प्रति वर्ष प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की संख्या बहुत अधिक होती है और सिविल स्थानों पर खोले जाने वाले नए विद्यालयों की संख्या केवल चार तक सीमित है। इसको ध्यान में रखते हुए 1979-80 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय खोलने से संबंधित सभी दृष्टियों से पूर्ण और पूर्व-शर्तें पूरी करने वाले सभी प्रस्तावों तर 1979 के आरम्भ में किसी समय इकट्ठा विचार किया जाएगा और उनकी तुलनात्मक प्राथमिकताएं अखिल भारतीय आधार पर निर्धारित की जाएंगी तथा केवल उन चार प्रस्तावों को स्वीकार किया जाएगा जिनको सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त होगी।

पक्षियों का समाप्त होना

16. **श्री शशांक शेखर सान्याल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत अनेक वर्षों के दौरान पक्षी धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं और सुन्दर पक्षियों के कुछ वंशज समाप्ति पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी समाप्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर राज्यों में गहन एवं समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

17. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा :**

डॉ० विजय मण्डल :

श्री सुधीर घोषाल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ण रोजगार के लिए गहन एवं समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए राज्य-वार विशेषरूप से पश्चिम बंगाल एवं अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में (जिला-वार) अब तक किये गये कार्य का ब्यौरा क्या हैं ;

(ख) राज्य-वार तथा विशेष रूप से पश्चिम बंगाल एवं अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में, खण्डवार, जिला-वार इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने वालों की संख्या कितनी है ;

(ग) इस कार्यक्रम पर राज्य सरकारों के साथ राज्य-वार, तिथिवार, विषय-वार अब तक हुई बातचीत का ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम को अधिक समन्वित ढंग से पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जानी है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) लघु किसान विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमान्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे तीन विशेष कार्यक्रमों में से एक अथवा अधिक के अन्तर्गत इस समय लाए गए लगभग 3000 खण्डों में से 2000 खण्डों को वर्तमान पंचवर्षीय योजना अवधि अर्थात् 1978-83 के दौरान गहन तथा समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए चुना गया है। लघु किसान विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के विद्यमान कार्य-क्षेत्र को ध्यान में रखते हुये ये खण्ड राज्य सरकारों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों को यथानुपात आधार पर आवंटित किए गए हैं। खण्डों का राज्यवार आवंटन अनुबन्ध में दिया गया है। निम्नलिखित राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों ने कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गए खण्डों के ब्यौरे सूचित किए हैं :—

1. आन्ध्र प्रदेश	2. बिहार
3. असम	4. हरियाणा
5. हिमाचल प्रदेश	6. जम्मू तथा काश्मीर
7. कर्नाटक	8. केरल
9. नागालैंड	10. पंजाब
11. सिक्किम	12. मध्य प्रदेश
13. त्रिपुरा	14. उत्तर प्रदेश
15. पश्चिम बंगाल	16. दिल्ली
	17. गोआ, दमन और दीव

अन्य राज्य खण्डों का चयन करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा, 300 नए खण्डों को प्रति वर्ष गहन विकास हेतु बढ़ाया जाएगा।

पश्चिम बंगाल तथा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गए खण्डों की संख्या के बारे में जिलावार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

राज्य	जिला	इनके अन्तर्गत चुने खण्डों की संख्या			योग
		लघु कि वि० ए०	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम	
1	2	3	4	5	6
1. नागालैंड	1. कोहिमा	2	--	--	2
	2. फेक	2	--	--	2
	3. मोकोकचुंग	1	--	--	1
	4. जुनहेबोटो	1	--	--	1
	5. वोखा	1	--	--	1
	6. मोन	2	--	--	2
	7. तुएनसंग	4	--	--	4
		13	—	—	13

1	2	3	4	5	6
2. असम .	1. कामरूप	10	--	--	10
	2. गोलपारा	12	--	—	12
	3. नवगांग	13	--	--	13
		35	--	--	35
	(कमांड क्षेत्र विकास खंडों के बारे में सूचना की प्रतीक्षा है)				
3. त्रिपुरा	1. त्रिपुरा उत्तरी	2	--	--	2
	2. त्रिपुरा पश्चिमी	4	--	--	4
	3. त्रिपुरा दक्षिणी	1	--	--	1
		7	--	--	7
4. पश्चिम बंगाल .	1. बांकुरा	--	6	12	18
	2. मिदनापुर	--	--	19	19
	3. पुरूलिया	--	15	—	15
	4. हुगली	9	--	—	9
	5. बीरभूम	—	--	12	12
	6. बर्दवान	—	--	17	17
	7. मुर्शीदाबाद	13	—	5	18
	8. हावड़ा	—	--	1	1
	9. नादिया	8	--	--	8
	10. 24-परगना	7	--	--	7
	11. कूच-बिहार	7	--	--	7
	12. जलपैगुरी	9	—	--	9
	13. माल्दा	6	--	—	6
	14. पश्चिमी दीनाजपुर	16	—	—	16
	15. दार्जिलिंग	1	--	—	1
		76	21	66	163

5. मणिपुर . राज्य सरकारें खण्डों का चयन कर रही हैं।

6. मेघालय . राज्य सरकारें खण्डों का चयन कर रही हैं।

उन योजनाओं, जो कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वियन हेतु शुरू की जा सकती हैं, को दर्शाते हुए खण्डों के गहन विकास के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा नीचे के स्तर पर आयोजना और कार्यान्वियन हेतु विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त दर्शाते हुए आयोजना और कार्यान्वियन की पद्धति सभी सम्बन्धित राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को भेज दी गई है।

लघु किसान विकास एजेंसी और कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत गहन विकास हेतु चुने गए खण्डों के लिए प्रति खण्ड 5 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम खण्डों के लिए प्रतिखण्ड 4 लाख रूपए की दर से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है। ये आवंटन इन खण्डों में वित्त सुलभ करने के वर्तमान स्तर के अलावा है। निर्धारित की गई राशि में से 50 प्रतिशत कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए तत्काल बंटित की जा रही है।

पश्चिम बंगाल को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम खण्डों में कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु 42 लाख रुपए की धनराशि बंटित की गई है जो निम्न प्रकार है :--

जिला	बंटित धनराशि (लाख रुपयों में)
पुरूलिया	30.00
बांकुरा	12.00
	42.00

कमाण्ड क्षेत्र विकास खण्डों के लिए भी निधियां शीघ्र सुलभ की जाएंगी । लघु किसान विकास एजेंसी खण्डों के लिए पश्चिम बंगाल और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों को बंटित धनराशि के बारे में ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :--

असम . निधियां शीघ्र ही बंटित की जा रही है ।

	जिले	(लाख रू०)
पश्चिम बंगाल	1. 24-परगाना	17.50
	2. हुगली	22.50
	3. जलपैगुड़ी	22.50
	4. कूच बिहार	17.50
	5. दार्जिलिंग	2.50
	6. नादिया	20.00
	7. मुर्शीदाबाद	30.00
	8. पश्चिमी दीनाजपुर	40.00
	9. माल्दा	15.00
		187.50
नागालैंड	1. कोहिमा	5.00
	2. फेक	5.00
	3. मोकोकचुंग	2.50
	4. जुनहेबोटो	2.50
	5. वोखा	2.50
	6. मोन	5.00
	7. तुनसंग	10.00
		32.50
त्रिपुरा	1. त्रिपुरा उत्तरी	5.00
	2. त्रिपुरा पश्चिमी	10.00
	3. त्रिपुरा दक्षिणी	2.50
		17.50

(ख) चूंकि कार्यक्रम हाल ही में प्रारम्भ किया गया है, अतः लाभभोगियों की संख्या के बारे में कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) कृषि और ग्राम विकास के क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में विचार-विमर्श करने हेतु राज्य सरकारों के साथ क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गई थी। राज्यवार, तिथिवार और विषयवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

1. श्रीनगर में 9—10 जून 1978 को हुई उत्तर-क्षेत्रीय बैठक।

निम्नलिखित राज्य सरकारों ने बैठक में भाग लिया :—

1. जम्मू तथा काश्मीर
2. हरियाणा
3. हिमाचल प्रदेश
4. पंजाब
5. राजस्थान
6. उत्तर प्रदेश

2. पटना में 6-7 जुलाई 1978 को हुई पूर्व-क्षेत्रीय बैठक

निम्नलिखित राज्य सरकारों ने बैठक में भाग लिया :—

1. असम
2. बिहार
3. उड़ीसा
4. पश्चिम बंगाल

3. भोपाल में 10-11 जुलाई 1978 को हुई पश्चिम-क्षत्रीय बैठक।

निम्नलिखित राज्य सरकारों न बठक में भाग लिया :—

1. गुजराथ
2. मध्य प्रदेश
3. महाराष्ट्र

4. हैदराबाद में 17-18 जुलाई 1978 को दक्षिण-क्षत्रीय बैठक आयोजित होनेवाली है।

इस बैठक में निम्नलिखित सरकारें भाग लेंगी :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. केरल
3. कर्नाटक
4. तमिलनाडु

इन बैठकों के लिये ये कार्य सूची मदें शामिल की गई :—

1. विकेन्द्रीकृत सूक्ष्म-स्तरीय खंड आयोजना के माध्यम से समन्वित ग्राम विकास।
2. ग्राम विकास में स्वैच्छिक एजेंसियों की भूमिका।
3. पंचायतीराज।
4. खण्ड संगठन को मजबूत बनाना।
5. कार्य के लिए भोजन कार्यक्रम, जिसमें इस प्रश्न को शामिल किया है कि इस योजना के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली योजनाओं को समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिकल्पित योजनाओं के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।

(घ) राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्यस्तरीय समन्वय समितियां गठित करें जिन्हें खण्ड योजनाओं के लिए अनुमोदन प्रदान करने की शक्तियां तथा कार्यक्रम के पर्यवेक्षण और प्रबोधन के कार्य सौंपे जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों में व्यापक समन्वय लाने के लिए ग्राम विकास विभाग का एक प्रतिनिधि इन समन्वय समितियों का सदस्य होगा। जिला स्तर पर आयोजना के समन्वय के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों तथा संसाधनों वाली एक आयोजना यूनिट की परिकल्पना की जा रही है।

विवरण

राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	खंडों की कुल संख्या	इनके अन्तर्जत लाये गये खंडों की संख्या			इनके अन्तर्गत लाये गये खंडों की वर्तमान संख्या के अनुपात में 2000 खंडों का वितरण			योग (5+6+7)
		कमांड क्षेत्र विकास	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	लघु किसान विकास एजेंसी	कमांड क्षेत्र विकास	सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	लघु किसान विकास एजेंसी	
	1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश . .	324	74	72	134	45	43	80	168
असम . . .	134	7	..	58	4	..	35	39
बिहार . . .	587	213	57	236	128	34	142	304
गुजरात . . .	218	32	41	86	19	25	52	96
हरियाणा . . .	87	22	12	32	13	7	19	39
हिमाचल प्रदेश . .	69	..	..	18	..	..	11	11
जम्मू तथा काश्मीर . .	75	4	12	46	3	7	28	38
कर्नाटक . . .	175	34	42	66	20	25	40	85
केरल . . .	144	17	..	58	10	..	35	45
मध्य प्रदेश . . .	458	36	42	131	22	25	79	126
महाराष्ट्र . . .	296	42	33	118	25	20	71	116
मणिपुर . . .	26	1	..	7	1	..	4	5
मेघालय . . .	24	..	..	12	..	..	7	7
नागालैण्ड . . .	21	..	..	21	..	..	13	13
उड़ीसा . . .	314	50	25	115	30	15	69	114
पंजाब . . .	117	..	..	76	..	..	46	46
राजस्थान . . .	232	17	78	76	10	47	46	103
सिक्कीम . . .	..	..	..	4	..	..	2	2
तमिलनाडु . . .	374	..	48	167	..	30	100	130
त्रिपुरा . . .	17	..	..	12	..	..	7	7
उत्तर प्रदेश . .	876	320	39	191	193	23	115	331
पश्चिम बंगाल . .	335	193	34	133	62	21	80	163
केन्द्रशासित क्षेत्र								
अंड़मान तथा निकोबार द्वीप समूह	5		..	..	..	..	..	..
अरुणाचल प्रदेश .	48		..	..	..	..	..	..
चण्डीगढ़ . . .	1	.	..	..	..	.	..	..
दादरा तथा नगर हवेली .	1	..	..	..	..	..	..	..
दिल्ली . . .	5	..	..	5	..	..	3	3
गोआ, दमन तथा दीव . .	12	..	..	12	..	..	7	7
लक्षद्वीप . . .	5	..	..	..	..	..	..	..
मिजोरम . . .	20	..	..	..	..	..	..	..
पांडेचरी . . .	4	..	..	3	..	..	2	2
	5004	972	535	1818	585	322	1093	2000

पश्चिम बंगाल में मंजूर की गई सिंचाई योजनायें

18. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, पश्चिम बंगाल के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मंजूर की गई सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन सिंचाई योजनाओं पर, योजनावार, अब तक किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिचाई योजनाओं के पूरा होन के बाद योजनावार, जिलावार, कौन-कौन से गाव लाभान्वित होंगे?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क)

वर्ष	स्कीम का नाम
1975–76	1. तीस्ता बराज- चरणएक
	2. हनुमाता
	3. साली जलाशय
	4. रामा चन्द्रपुर
	5. बोको
	6. टाटको
	7. पटलाई
	8. साली व्यपवर्तन
1976–77	9. लापानीआजोर
	10. गोलामारजोर
	11. तुर्गा
1977–78	12. दीमू

(ख) और (ग) : पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना मांगी गयी है और प्राप्त होनें पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पश्चिम बंगाल की अनुमोदनाधीन सिंचाई परियोजनायें

19. **डा० विजय मण्डल :**
श्री सुधीर घोषाल :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल द्वारा प्रस्तुत अनेक सिंचाई परियोजनाएं एक लम्बे समय से केन्द्रीय जल आयोग के पास अनुमोदनाधीत पड़ी हैं ;

(ख) यदि हाँ तो, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का तारीख वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा पेश किये गये इन प्रस्तावों पर शीघ्र ही अनुमति देनें के प्रयोजन के क्या कदम उठाये गये है अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं । इस समय केन्द्रीय जल आयोग के पास केवल एक मध्यम सिंचाई परियोजना संवीक्षा के लिए पड़ी है । यह जनवरी, 1978 में प्राप्त हुई थी । छः अन्य परियोजनाएं—जिनमें दो बृहद् परियोजना हैं—जो केन्द्रीय जल आयोग को 1973 से 1976 तक प्राप्त हुई थी, इस समय पश्चिम बंगाल सरकार के पास, केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के जबाब देने के लिये पड़ी हैं ।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग को टिप्पणियों के उत्तर/स्पष्टीकरण भेजने के लिए राज्य सरकारों के साथ किये जाने वाले सामान्य पत्र-व्यवहार के अलावा, इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकें की जाती है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बायो-गैस संयंत्रों का अध्ययन

20. **श्री सुधीर घोषाल :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने साफ, सस्ते और कार्यक्षम बायो गैस संयंत्र के मामलों के बारे में कोई अध्ययन किया है,

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान का ब्यौरा क्या है और इस कार्य में भाग लेने वाले वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं और अनुसंधान के क्या परिणाम निकले,

(ग) क्या उक्त वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त अनुसंधान के परिणामों को लोक-प्रिय बनाने के लिये मंत्रालय ने अब तक कोई कार्यवाही की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 'बायो-गैस' प्रौद्योगिकी पर एक समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम की शुरुआत सात केन्द्रों पर की है जो इस प्रकार हैं (1) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली (2) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, (3) गोविन्द वल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर (4) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, (5) कृषि विज्ञान महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, धारवाड़, (6) पराशक्ति महिला महाविद्यालय, कोरटाल्लम, (7) तामिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर जिनके समन्वय केन्द्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हैं । इस योजना में, अधिक सक्षम और कम खर्चीले बायो-गैस प्लेंट के विकास के लिये अध्ययन जारी है ।

(ख) इस संबंध में, जो अनुसंधान हो रहा है वह प्रमुख रूप से जीवाणु उनकी कार्यकुशलता, विभिन्न जैविक उपोत्पादों पर उनकी प्रतिक्रिया गैस के उत्पादन में मौसमी उतार चढ़ाव, गैस संदूषकों का अपचयन, अवशिष्ट सामग्री का खाद गुण और गोबर गैस प्लांटों की लागत और लाभ के अनुपात के बारे में है । विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों पर मुख्य अन्वेषकों के नाम निम्न प्रकार हैं:--

1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली—डा० टी० डी० विश्वास, अध्यक्ष, मृदा और कृषि रसायन ।

2. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना—डा० एम० एस० ग्रेवाल एसोसियेट प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग प्राध्यापक तथा अध्यक्ष, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग ।

3. गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर —श्री एम० पी० कुलश्रेष्ठ ।

4. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार–डा० पी० टीरो प्राध्यापक तथा अध्यक्ष, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग ।

5. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, धारवाड़–डा० टी० के० रामचन्द्र रेड्डी, प्राध्यापक कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान ।

6. श्री परा शक्ति महिला विद्यालय, कोर्टल्लम–सेलवी एस० जानकी–प्राध्यापक जीव रसायन ।

7. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर.—श्री आर० के० स्वामीनाथन, प्राध्यापक तथा अध्यक्ष फार्म मशीनरी विभाग ।

(ग) इस प्लांट के डिजाइन और उसका कुशलता से काम करने तथा उत्पादन लागत घटाने के संबंध में सुधार किये जा रहे हैं । गैस उत्पादन के लिये सामग्री की उपयुक्तता, जाड़ों के महीनों में गैस उत्पादन मे कमी आ जाने को रोकने के उपाय और फसल उत्पादन के लिए अवशिष्ट सामग्री के कुशलतापूर्वक तैयार

करने और उसके भण्डारण के संबंध में कार्य हो चुका है । 5% प्रतिशत बुरादा मिलान से गैस उत्पादन मे 40% प्रतिशत वृद्धी हुयी । इंधन और खाद की क्षमता के आकलन के लिये कार्य प्रगति पर है । उपरोक्त के अलावा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने बायो गैस प्लांटों के डिजाइन और उनके लगाने के क्षेत्र मे अग्रगामी कार्य किया है । 'जनता' बायो-गैस प्लांट का एक सादा और सस्ता नमूना गोबर गैस अनुसंधान केन्द्र, अजितमल, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश द्वारा भी तैयार किया गया है ।

(घ) इस प्लांट को लोकप्रिय बनाने का कार्य, फार्म इन्फर्मेशन यूनिट, विस्तार निदेशालय, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय ने किया । उन्होंने इस संबंध मे 'इन्सटाल एकाऊ गैस प्लांट' नामक एक सचित्र पुस्तिका प्रकाशित की ।

गोबर गैस प्लांटों को लगाने की एक केन्द्रीय सेक्टर योजना के अन्तर्गत, वर्ष 1974 से 78 तक 59,000 से अधिक गैस प्लांट लगाये गये ।

बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना

21. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अब तक केवल 60,000 बायो-गैस संयंत्र स्थापित किये गये हैं, जबकि पांचवी योजनावधि के दौरान 1000,000 बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) बायो-गैस संयंत्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) पांचवी योजना के लिए बायो-गैस संयंत्रों को स्थापित करने का लक्ष्य 1,00,000 संयंत्रों का था । इनमें से 1977-78 तक लगभग 60,000 संयंत्र लगाए गए हैं ।

(ख) कुछ राज्यों में इस कार्यक्रम की अच्छी प्रगति हुई थी, तथापि दूसरे राज्यों में मुख्य रूप से प्रतिकूल जलवायु की परिस्थिति, संयंत्र की अधिक लागत विशेषकर जिन किसानों के पास कम पशु हैं, उनको इसकी आवश्यकता को महसूस न करने के कारण प्रगति धीमी रही ।

(ग) बायो-गैस संयंत्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए जो उपाय अपनाए गए हैं उनमें केन्द्रीय राज सहायता, राष्ट्रीकृत बैंकों से ऋण सुविधाएं, किसानों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और विस्तार कामगरों के माध्यम से प्रचार स्थानीय भाषाओं में तथा जन प्रचार के माध्यम से प्रकाशित सामग्री की व्यवस्था भी शामिल है । इस समय पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में संयंत्रों को लगाने के लिए पुंजीगत लागत का 50 प्रतिशत और दूसरे क्षेत्रों में छोटे तथा सीमान्त कृषकों के लिए 2 तथा 3 घन मीटर के संयंत्र हेतु 25 प्रतिशत और शेष किसानों के लिए सभी आकार के संयंत्रों के लिए केन्द्रीय राजसहायता की दर 20 प्रतिशत है । इसके अतिरिक्त सामुदायिक संयंत्रों की पूंजीगत लागत का 33 प्रतिशत और मार्गदर्शी आधार पर स्थापित की जाने वाली मत पर आधारित संयंत्रों के लिए शत-प्रतिशत सहायता दी जा रही है ।

आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों का खोला जाना

22. **श्री डी० अमात :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 के अंत तक सभी आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उड़ीसा राज्य में कितने स्कूल खोलने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण से संबंधित कार्य नल की अन्तरिम रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए अपेक्षित सभी नई संस्थाएं, स्थापित करने हेतु यथाशीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए, किन्तु 1980-81 से पहले-पहले इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के लिए अपेक्षित नए स्कूल खोले जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह अन्तरिम रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) उड़ीसा और अन्य राज्य सरकारें अगली मीदियम अवधि योजना 1978-83 के लिए प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रीकरण अपने कार्यक्रम के अंतर्गत नए स्कूल खोलने के प्रस्ताव तैयार कर रही है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नो का उतारना/ले जाना

23. **श्री अहमद हुसैन : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा रेलवे ने बुक किये गये विभिन्न टर्मिनलों से खाद्यान्नों के उतारने/ले जाने को सुनिश्चित करने के लिये क्या विशेष प्रबंध किये गये है और अथवा करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के विलम्ब से उतारने के क्या कारण हैं और इसे रेलवे के परामर्श से किस प्रकार सुधारने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) (1) प्रत्येक टर्मिनल की हैंडलिंग क्षमता के अनुरूप उसके संचलन संबंधी कार्यक्रम बनाने मे सावधानी बरती जाती है। संचलन-कार्यक्रम रेलवे द्वारा अनुमोदित होता है।

(2) रेलवे के साथ ताल-मेल रखते हुए, गतव्य स्थान पर आमद होने पर कोई जमाव हुए बिना अधिकतम निकासी सुनिश्चित करने के लिए जहां कही आवश्यक होता है वहां टर्मिनल पर समतुल्य हैंडलिंग क्षमता बनाने और मौजुदा सुविधाओं में सुधार करने के लिए प्रयत्न किये जाते रहते हैं।

(3) नीति के रूप में प्रत्येक भण्डारण कम्पलेक्स जिसकी क्षमता 10,000 मीटरी टन और उससे अधिक हो, में रेलवे साइडिंग की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है ।

(4) यदि किसी टर्मिनल पर जमाव हो जाता है तो उस स्टेशन के लिए बुकिंग रेलवे से ताल-मेल रखते हुए विनियमित की जाती है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न उतारने में निम्नलिखित प्रमुख कारणों से देरी होती है:—

(i) आकस्मिक श्रमिक समस्याएं ।

(ii) स्टेशनों पर वैगनों का इकट्ठा हो जाना तथा भारी तादाद में पहुंचना और मार्ग में देरी होना। जब कभी और जहां कही भी आवश्यकता होती है वहां राज्य सरकारों की सहायता लेकर सभी सम्भव सावधानी तथा दक्षता बरतकर श्रमिक समस्याएं हल की जाती हैं। जमाव हो जाने के मामले में रेलवे के परामर्श से वैगनों को अन्य टर्मिनलों, जहां पर कार्य तुलना में कम होते को भेज दिया जाता है ।

केंद्रीय मत्स्य पालन निगम के कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन

25. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम कर्मचारी एसोसिएशन, 62 रोजमार्ग, लेन, हावड़ा द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन कृषि मन्त्रालय को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या मत्स्य पालन केन्द्र और मत्स्य बीज केन्द्र की स्थापना जैसे कुछ उपायों द्वारा निगम को लाभप्रद बनाने के बारे में सरकार ने निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ये सुझाव व्यवहार्य नही पाए गए हैं।

(ग) जब से निगम की स्थापना हुई है तब से उसको प्रायः प्रत्येक वर्ष हानि हो रही है । जहां तक कि इसे मछली के क्रय/विक्रय संबंधी अपने प्रारंभिक कार्यों को करने मे भी हानि हो रही है। सरकार द्वारा निगम को वित्तीय सहायता तथा अन्य सहायता देने के लिए कदम उठाए गए थे, परन्तु इसे सक्षम नही बनाया जा सका। कुछ अवस्था पर निगम ने हों०रियन रोफ्रिजरटेड वाहनों के अतिरिक्त पुर्जों की एजेंसी भी शुरू की थी, परन्तु यह भी अलभकारी सिद्ध हुआ और इसे समाप्त करना पड़ा था। इस कार्य निष्पादन को दृष्टिगत रखते हुए, मस्य फार्मो की स्थापना करना, आदि निगम के कार्यकलापों और व्यापक बनाना उचित नही समझा गया था ।

त्रिपुरा में बाढ़ों में क्षति

26. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में मौनसून से पूर्व की बाढ़ों के कारण लाखों व्यक्ति बेघर हो गये थे तथा अनेक व्यक्ति मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो बाढ़ों से नवजीवन, सम्पत्ति और फसलों को कितनी क्षति हुई; और

(ग) बाढ़पीड़ितों को राहत देने तथा उन्हे पुन: बसाने के लिए क्या कार्यवाही की गई और उक्त प्रयोजन के लिए यदि केन्द्रीय सहायता मांगी गई तो कितनी तथा कितनी सहायता दी गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 21 से 25 मई 1978 तक निरन्तर भारी वर्षा और बादल फट जाने के परिणामस्वरूप त्रिपुरा में बाढ़ आई और जल निकास आवरुद्ध हो गया । राज्य सरकार के 22-6-78 के प्रारम्भिक और अपूर्ण अनुमानों के अनुसार 27006 व्यक्ति प्रभावित हुए । चार व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पड़ा ।

(ख) प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार 0.05 हैक्टेयर क्षेत्र की फसलें प्रभावित हुई जिससे 19.07 लाख रुपये की हानि हुई । 1829 मकानों को क्षति पहुंची जिससे 3.41 लाख रुपये की हानि हुई । अनुमान है कि जन सुविधाओं को 14.23 लाख रुपये की क्षति पहुंची है । राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार कुल 36.72 लाख रुपये की हानि हुई है ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा समुचित बचाव और राहत कार्य हाथ में लिए गए हैं ।

क्षति की मात्रा और केन्द्रीय सहायता का अनुमान लगाने के लिए एक केन्द्रीय दल को जुलाई, 1978 के तीसरे सप्ताह में राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए भेजा जा रहा है ।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार को 15 लाख रुपये का अग्रिम दिया गया है ।

तुरा स्थित केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षक

27. **श्री पी० ए० संगमा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय में तुरा स्थित केन्द्रीय विद्यालय (सेंट्रल स्कूल) में शिक्षकों की संख्या कुल कितनी है;

(ख) इस स्कूल द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष श्रेणी बार कुल कितने छात्रों की भरती किया गया ;

(ग) इनमें से अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का, वर्ष वार तथा श्रेणी वार प्रतिशत कितना रहा; और

(घ) क्या यह सच है कि स्थानीय तथा जन-जातियों के छात्रों को इस स्कूल में प्रवेश नहीं मिल रहा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मं ी (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) 22 (1-8-1977 को) ।

(ख) और (ग) :

कक्षा	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	छात्रों की कुल संख्या	आनु.जा./अ.ज.जा. के छात्रों की संख्या**
1975 *	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	247	9
1976 .	38	37	38	43	63	32	20	18	9	8	306	108
1977 .	37	37	36	42	43	60	32	13	18	4	322	97

*कक्षावार अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

**अनुसूचित जन जाति के छात्रों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नही है ।

(घ) केन्द्रीय विद्यालय मुख्यतया रक्षा कार्मिकों सहित स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए होते हैं । दूसरी प्राथमिकता अखिल भारतीय सेवाओं, स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जिनकी पूर्ण वित्त व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाती है, के कर्मचारियों के बच्चों को दी जाती है । प्रत्येक श्रेणी में दाखिलों के लिए परस्पर प्राथमिकताएं, बच्चों के माता पिताओं के पिछले सात वर्षों में हुए स्थानान्तरणों की संख्या के आधार पर, निर्धारित की जाती है । इसके बाद की प्राथमिकता केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के बच्चों को दी जाती है जिनका स्थानान्तरण नहीं होता है । अन्य स्थानीय बच्चों को केवल स्थानों की उपलब्धता की शर्त पर तभी दाखिल किया जाता है जब ऊपर बताई गई उच्चतर प्राथमिकताओं से संबधित कोई उम्मीदवार नही होता है । सभी कक्षाओं में दाखिले के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के बच्चों के लिए क्रमश· 15 तथा 7 1/2% तक स्थान आरक्षित होते हैं ।

Workers Engaged by Food Corporation of India

28. **Shri Madan Tiwary :**

Shri V. M. Sudheeran :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of workers (Sardar Mandal and Loader and Male and Female ancillary workers) engaged by the Department in different States, Centre-wise, under the Food Corporation of India and the number of such workers working under contract labour system, Centre-wise ;

(b) the minimum daily wage paid to the above categories of workers by the Department as well as the wage paid to those working under contract labour system ; and

(c) the work load fixed by the Food Corporation of India for a departmental daily wage loader ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha on its recepit.

Participation of Indian Players at International Level

†29. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) games in which Indian players were sent abroad for participation at international level during the last three financial years upto 30-6-78 ;

(b) number of players sent for participation in each game and the teams of players with which the leader of the team or/and team manager and trainer, coach and other persons also went and on whom expenditure was borne fully or partly by the Government of India and per capita amount or grant in pound, doller or in other foreign currency, given to players of various games for hotel, diet and miscellaneous expenses every day ;

(c) whether different amount was sanctioned for different games as a grant for daily expenses from player to player for the same period, at the same place or area and if so, reasons therefor and the basis thereof ; and

(d) the achievements of Indian players, year-wise and games-wise and details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Shri Dhanna Singh Gulshan) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कपास की खेती पर अनुसंधान

30. **श्री अमरसिंह वी० राठवा :**
श्री अहमद एम० पटेल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपास की खेती में सुधार करने के लिये कोई अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किये गये अनुसंधान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कपास का उत्पादन बढ़ाने तथा इसकी किस्म में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान । केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की स्थापना अप्रैल 1976 में नागपुर में की गई थी । कोयम्बटूर में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र को जोकि मुख्य रुप से कपास की अनुसंधान समस्याओं पर काम कर रहा था, इस संस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में सिंचित कपास के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र के रुप में स्थानान्तरित कर दिया गया ।

(ख) नागपुर में मुख्य संस्थान ने 1977 से न्यूक्लियस स्टाफ के साथ काम करना आरम्भ किया और नीचे लिखे कार्यक्रम अपने हाथ में लिए :—

(1) एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया गया जिसका उद्देश्य अधिक उपज देने की क्षमता वाले अग्रिम प्रजनन वंशक्रम पैदा करना था जिसमें मुख्य कीट व्याधियों के प्रति आनुवंशिक और जीव रासायनिक सहनशीलता हो । सूखा रोधिता के लिए दैहिकी आधार का अध्ययन और वर्षा पर आधारित स्थितियों में उपज की स्थिरता को कायम रखने के लिए प्रबन्ध कार्यक्रम के विकास करने के लिए अध्ययन भी आरम्भ किये गये है ।

कपास अनुसंधान के क्षेत्र में कोयम्बटूर में क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र में महत्वपूर्ण योगदान किये है । केन्द्र में निम्नलिखित नई किस्में विकसित की गई है ।

(i) **पी आर एस** 72—बहुफसलीय खेती के लिए उपयुक्त छोटी शाखाओं वाली ।

(ii) **सुजाता**—ज्यादा कताई वाली इजीपशियन कपास—जिसकी 80 से 100 अच्छी काऊंट की कताई की क्षमता हो ।

(iii) **सुविन**—बहुत अधिक लम्बी सूत वाली किस्म जिसे भारत के वस्त्र उद्योग ने इजीपशियन कपास गिजा 45 जैसी ही गुणवत्ता वाला बताया है ।

(iv) **पी एस एज**—किस्म जो कि सुविन से पहले तैयार हो जाती है और जिसमें वर्टीसिलयम मुरझाने के प्रति अधिक रोधता है और जिसमें रेशे के बेहतर गुण है ।

(v) **सुमन**—मध्यम रेशे वाली जोकि वर्षा पर आधारित क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर अपनाने के योग्य है ।

(vi) **1412-ए**—कताई में अच्छे परिणाम देने वाली (39.%) और ठोस और जल्दी तैयार होने वाली किस्म ।

इस केन्द्र ने इन नई किस्मों की अधिकतम उपज क्षमता प्राप्त करने के लिए सस्य विज्ञान संबंधी और पौध संरक्षण संबंधी कार्यक्रम तैयार किये है ।

(ग) कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाये जाने वाली नीति में यह बात है:—

(i) जिले में सघन कपास उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा कपास की सिंचित और बारानी खेती की प्रति हेक्टर उत्पादकता बढाना और अधिक उपज देने वाली संकर कपासों के प्रसार को बढावा देना ।

(ii) नई सिंचित प्रायोजनाओं के कमान के अन्तर्गत क्षमता का पूरा-2 लाभ उठाकर सिंचित कपास के क्षेत्रफल को बढ़ाना ।

गैर परम्परागत क्षेत्रों में भी कपास की खेती चालू करने का सुझाव है । सभी कपास पैदा करने वाले प्रमुख राज्यों में एक केन्द्र द्वारा आयोजित विस्तृत सघन कपास जिला कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें की उपरोक्त नीति को अपनाया गया है ।

कार्यक्रम को छोटी-छोटी योजनाओं में बांटा गया है जोकि मुख्य रुप से ये हैं :—

(क) वर्तमान 17 आई सी डी पी (सधन कपास जिला कार्यक्रम) और 6 बारानी वाले कपास राज्यों में फैले हुए 8 अतिरिक्त जिलों में कार्यक्रम चालू रखना ।

(ख) आई सी डी पी (सधन कपास जिला कार्यक्रम) को नई सिंचित प्रयोजनाओं और गैर परम्परागत क्षेत्रों में लागू करना ।

(ग) सकर कपास बीच का उत्पादन, और

(घ) अखिल भारतीय कपास सुधार प्रायोजना के अर्न्तगत विकसित सुधरी किस्मों के नामिक और मूल बीज का उत्पादन ।

(ङ) कपास के श्रेणीकरण के लिए केन्द्रो की स्थापना

(च) जहां कही उपयुक्त समझा जाये कपास में कीड़ों के विरूद्ध हवाई जहाज से छिड़काव ।

(छ) महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब जोकि 3 मुख्य कपास उत्पादक राज्य है उनमें विश्व बैंक की सहायता से उत्पादन बढाने के लिए एक समाकालिक कपास प्रायोजना तैयार की गई है ।

सुजाता, सुविन और भारत में विकसित की गई वरलक्ष्मी जैसी संकर किस्में जोकि अधिक कताई वाली है उनके कारण भारत में विदेश से अच्छी गुणवत्ता वाली कपास का आयात काफी हद तक कम हो गया है ।

भटिण्डा में नष्ट हो रहा आयातित यूरिया

31. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भटिण्डा रेलवे साइडिंग पर लगभग 37 लाख रुपये के मूल्य का आयातित यूरिया खुले में पड़ा नष्ट हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी हानि को रोकने के लिये क्या निदेश जारी किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) ढके हुए वैगन उपलब्ध न होने के कारण, तिरपाल से ढके हुए पूरे तौर पर रस्सियों से बंधे हुए 35 खुले वैगनों का 8 मई, 1978 को विशाखापतनम से भटिण्डा के लिए लदान किया गया था। अन्ततः जब उर्वरक भटिण्डा पहुंचा तो मौसम की गड़बड़ी के कारण वह जमकर कठोर हो गया । माल के जमकर कठोर होने के कारण और माल उतारने के लिए सामान्य रेलवे साइडिंग के उपलब्ध न होने के कारण माल को उतारने में और परेशानियां भी हुई। 9495 थैलों को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त स्थिति में भण्डागारों में भेज दिया गया और 6252 थैलों को संयुक्त जांच के लिए साइडिंग पर छोड़ दिया गया ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम को सम्पूर्ण स्तर पर जांच करने और दोषी अधिकारी पर उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए कहा गया है ।

(ग) खुले वैगनों में उर्वरक के लाने ले जाने से यथा सम्भव बचने के लिए इस मामले पर रेलवे मंत्रालय से विचार विमर्श किया जा रहा है ।

सेन्ट्रल ट्यूबर क्राप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, त्रिवेन्द्रम में स्थानान्तरण

32. **श्री के० कुन्हम्बू :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान निदेशक द्वारा कार्यभार संभालने के बाद सेन्ट्रल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीटयूट, त्रिवेन्द्रम के अधिकांश वरिष्ठ वैज्ञानिकों को स्थानान्तरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनमें से कितने वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में न्याय के लिए अपील की है; और

(ग) वैज्ञानिकों को परेशानी से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय कंदवर्गीय फसल अनुसंधान संस्थान त्रिवेन्द्रम में कार्यरत 40 विज्ञानियों में से 7 विज्ञानी संस्थान से वर्तमान निदेशक द्वारा कार्यभार संभालने के बाद स्थानान्तरित कर दिये गये थे ।

(ख) पांच विज्ञानियों को प्रतिनियुक्ति की अवधि के समाप्त होने के कारण या तरक्की होने के कारण या संबंधित विज्ञानियों की प्रार्थना पर स्थानान्तरित कर दिया गया था । बाकी 2 विज्ञानियों में से, एक मामले में प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित किया गया था और दूसरे मामले में कथित अनुशासनहीन व्यवहार और अवांछनीय गतिविधियों के कारण उनका तबादला किया गया । विज्ञानियों में से सिर्फ एक ने इस तबादले के विरूद्ध अपील की थी ।

(ग) यदि किसी विज्ञानी को परेशान किया जाता है तो संबंधित विज्ञानी इस बात को उस शिकायत के उपयुक्त निवारण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के सामने पेश कर सकता है । जब कभी कोई प्रतिवेदन आते हैं तो सावधानीपूर्वक उनकी जांच की जाती है और उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

नर्मदा पंचाट

33. **श्री हितेंद्र देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी न्यायाधिकरण द्वारा अपना पंचाट कब तक दिये जाने की संभावना है ; और

(ख) न्यायाधिकरण द्वारा पंचाट घोषित किए जाने के बाद इस परियोजना पर कब कार्य शुरू हो जायेगा?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1978 तक प्रस्तुत करने की आशा रखता है ।

(ख) न्यायाधिकरण की फाइनल रिपोर्ट के ढांचे के अंतर्गत इस परियोजना को राज्य की विकासत्मक योजनाओं में संम्मिलित करने के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा यह परियोजना आरंभ की जा सकती है ।

केन्द्रीय मंत्रियों के निवास स्थानों पर एयर कंडीशनर्स और एयर कूलर लगाना

34. **श्री के० लकप्पा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि है कि मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों/राज्य मंत्रियों को उनके निवास स्थानों पर स्वीकृत संख्या से अधिक एयर कंडीशनसे तथा एयर कूलर हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री एवं राज्य मंत्री के निवास के लिये एयर कंडीशनरों एवं एयर कूलरों की स्वीकृत संख्या क्या है और इस समय प्रत्येक के निवास स्थान पर कितन एयर कंडीशनर एवं एयर कूलर लगे हुए हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मंत्रिमण्डल स्तर के एक मंत्री ने अपने निवास में स्टोर एवं गुसलखाने में भी एयर कंडीशनर लगवा रखा है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मंत्री का नाम क्या है और स्वीकृत संख्या से अधिक एयर कंडीशनर एवं एयर कूलर, लगवाने वाले मंत्रियों से उनका किराया लेने एवं बिजली के पैसे लेने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के निवास स्थानों पर वातानुकूलकों/वायुशीतकों की सप्लाई के लिये कोई निश्चित संख्या निर्धारित नही की गई है । मंत्री निवास नियमावली 1962 में 38500 रुपये की राशि की सीमा निर्धारित है जिसके अन्तर्गत मंत्री/राज्य मंत्री के निवास स्थान पर बिना किसी किराया प्रभार के फर्निचर और बिजली के उपकरण सप्लाई किये जाते हैं । उपर्युक्त मूल्य से अधिक फर्निचर और बिजली के उपकरणों के लिये संबधित मंत्री से किराया प्रभार वसूल किये जाते हैं । सभी मंत्रियों/राज्य मंत्रियों को दिये गये वातानुकूलकों/वायुशीतकों की संख्या का एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मंत्री के किसी भी निवास स्थान के स्टोर या स्नान गृह में कोई वातानुकूलक या वायु शीतक नहीं लगाया गया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता । पानी तथा बिजली के बिलों के भुगतान के लिये प्रत्येक मंत्री के निवास स्थान के लिये 2400 रुपये प्रतिवर्ष की स्वैच्छिक अधिकतम सीमा है । यदि बिल इस सीमा से बढ जाता है तो सम्बन्धित मंत्री को अधिक राशि का भुगतान करना अपेक्षित होता है ।

विवरण

प्रत्येक मंत्री/राज्य मंत्री के निवास स्थान पर लगाये गये वातानुकूलकों और वायुशीतकों की संख्या का विवरण

क्र०सं०	नाम	लगाये गए वातानुकूलों की संख्या	लगाये गये डैजर्ट कूलरों की संख्या	लगाये गये वायुशीतकों की संख्या
1.	श्री जगजीवन राम		..	
2.	श्री एल० के० अडवानी	..	1	
3.	श्री एच० एन० बहुगुणा	2	..	
4.	श्री सिकन्दर बख्त	1	1	
5.	श्री एस० एस० बरनाला	1	..	
6.	श्री शान्ति भूषण		..	
7.	श्री प्रताप चन्द्र चन्दर	..	1	
8.	प्रो० मधु दण्डवते	..		
9.	श्री मोहन धारिया	1	..	
10.	श्री जार्ज फर्नांडिस		..	
11.	श्री पुरुषोत्तम कौशिक	..	1	
12.	श्री एच० एम० पटेल	..	..	..
13.	श्री बीजू पटनायक	..	..	..
14.	श्री रामचन्द्रन पी०	..		..
15.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	2	..	..
16.	श्री रवींद्र वर्मा		1	..
17.	श्री बृज लाल वर्मा			..
	राज्य मंत्री			
1.	श्री सतीश अग्रवाल	1		1
2.	श्रीमती रेणुका देवी बरकतिकी	..	..	
3.	श्री आरिफ बेग		2	
4.	श्री चान्द राम			
5.	श्री कृष्ण कुमार गोयल	..		
6.	श्री धन्ना सिंह गुलशन	1		..
7.	श्री समरेन्द्र कुण्डू	1		..
8.	कुमारी आभा मैती	1		..
9.	श्री धनिक लाल मण्डल	1		..
10.	श्री कारिया मुण्डा	1		..
11.	श्री एस० डी० पाटिल	..	..	1
12.	श्री फजलुर रहमान	1	..	
13.	श्री लारंग साई	1	..	
14.	श्री नर हरि प्रसाद सुखदेव साई	1	..	..
15.	श्री शिव नारायण	..	1	..
16.	प्रो० शेर सिंह	..	..	..
17.	श्री भानु प्रताप सिंह	..	..	..
18.	श्री राम कृपाल सिन्हा	1	..	..
19.	श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	1	..	..
20.	श्री जुल्फकारुल्लाह	1	..	..

भारतीय खाद्य निगम

35. **श्री चौधरी बलबीर सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी;

(ख) निगम की भारत में कितनी शाखाएं हैं;

(ग) खाद्यान्न की वसूली किस प्रकार की जाती है और मूल्य निर्धारित करने के क्या आधार है ;

(घ) सरकार ने उक्त परियोजना में कितनी पूंजी लगाई है ;

(ङ) क्या यह सच है कि निगम वाणिज्यिक आधार पर चल रहा है ;

(च) गत तीन वर्षों में निगम को कितना लाभ हुआ ; और

(छ) जनता सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए निगम के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जनवरी, 1965 ।

(ख) चार जोनल कार्यालय, 19 क्षेत्रीय कार्यालय, चार पत्तन परिचालन कार्यालय, 131 जिला कार्यालय और 2181 भंडारण केन्द्र ।

(ग) सरकार की नीति पर निर्भर करते हुए, भारतीय खाद्य निगम किसानों से तथा मिल मालिकों (चावल के मामले में) से सीधे ही अथवा राज्य सरकारों की एजेंसियों और सहकारी समितियों के माध्यम से खादयान्नों की वसूली करता है । सरकार कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर और राज्य सरकारों के परामर्शसे वसूली/समर्थन मूल्य निर्धारित करती है ।

(घ) भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को 216.28 करोड़ रुपये का एक्विटि और 230.53 करोड़ रुपये का ऋण दिया है ।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर व्यापार संबंधी सिद्धांतों के आधार पर कारोबार करता है और वह उन नीति विषयक अनुदेशों का अनुपालन करता है जोकि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाते हैं ।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान, जिस अवधि के लेखों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, कर-पूर्व भारतीय खाद्य निगम का निवल लाभ इस प्रकार है :—

वर्ष	(करोड़ रुपये)
1974–75	2.61
1975–76	2.73
1976–77	2.09

(छ) भारतीय खाद्य निगम एक स्वायत्त निगम है और इसके सामान्य संचालन, इसके कार्यों और कारोबार के परिचालन तथा प्रबन्ध संबंधी शक्तियां निदेशक बोर्ड में निहित है । सरकार भी व्यापक नीति विषयक दृष्टिकोण से इसकी गतिविधियों की बराबर समीक्षा करती रहती है । यह सुनिश्चित करने के विशेष प्रयत्न किए जाते है कि भारतीय खाद्य निगम किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने में कोई ढ़ील न बरते और मितव्ययिता लागू कर इसकी हैंडलिंग और परिचालन लागत को यथा सम्भव कम से कम रखा जाता है ।

डी० डी० ए० की कालोनियों में अस्वास्थ्यकर स्थितियां

36. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुद्ध और दुर्गंधपूर्ण सीवरेज सिस्टम, खुली हुई नालियां, गड्ढे वाली सड़कें और सर्विस लेन, गंदे और अपर्याप्त जल की सप्लाई तथा सामान्य अस्वास्थ्यकर स्थितियों के कारण डी० डी० ए० की अधिकांश कालोनियां गन्दी बन गई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि डी० डी० ए० की कलोनियों में नागरिक सुविधायें संतोषजनक नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाय हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। यह सत्य नहीं है।

(ख) जी, नहीं। ये सुविधाएं संतोषजनक रूप से चल रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में परिवहन नगर का विकास

37. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में परिवहन नगर के विकास के लिये माल परिवहन कम्पनियों को भूमि बेची है;

(ख) यदि हां, तो कितनी भूमि बेची गई थी और उससे कितनी आय हुई थी;

(ग) क्या प्रस्तावित परिवहन नगर का विकास हो गया है और परिवहन कम्पनियों ने वहां से कार्य करना आरम्भ कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रस्तावित परिवहन नगर के विकास कितना समय लगेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : तक प्रश्न ही नहीं उठता।]

तुर्कमान गेट क्षेत्र, दिल्ली में निवासियों का पुनर्वासन

38. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में तुर्कमान गेट क्षेत्र से निकाले गये लोगों को उसी क्षेत्र में पुनः बसा दिया गया है जैसा कि सरकार ने वचन दिया था ;

(ख) क्या रिहायशी इमारत का निर्माण हो गया है;

(ग) अब तक कितने व्यक्तियों को पुनः बसाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो लोगों को पूर्ण रूप से पुनः बसाने में कितना समय लगेगा?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) : उनके लिए 468 रिहायशी मकान पहले ही निर्माणाधीन हैं और उनके अगले वर्ष के मध्य तक तैयार हो जाने की आशा है। शेष मात्र परिवारों को, यदि कोई हो, तो उन्हें भी समीप के क्षेत्र में बसाया जायेगा।

कृष्णा-गोदावरी जल विवाद]

39. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी जल विवाद का अन्तिम रूप से समाधान कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके किस भाग को अन्तिम रूप दिया गया है और किस भाग को अन्तिम रूप अभी दिया जाना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख): कृष्णा और गोदावरी नदियों के जल से संबंधित विवादों के न्यायानिर्णय के लिए अप्रैल, 1969 में क्रमशः कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण और गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण नामक दो अलग-अलग न्यायाधिकरण स्थापित किए गए थे। क्योंकि दोनों जल विवाद परस्पर सम्बन्ध के कुछ पक्ष दोनों विवादों में शामिल थे इस लिए एक न्यायाधिकरण के सदस्य दूसरे न्यायाधिकरण के भी सदस्य रखे गए।

कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपनी अंतिम रिपोर्ट मई, 1974 में दे दी थी जो 31 मई, 1976 को प्रकाशित की गई थी और लागू हो गई है।

जहां तक गोदावरी जल विवाद का संबंध है, पक्षराज्यों के अनुरोध पर इस मामले की सुनवाई को समय-समय पर स्थगित करना पड़ा। इस बीच पांच अलग-अलग समझौतों के अन्तर्गत इन राज्यों द्वारा इस विवाद द्विपक्षीय रूप से

अंशतः तय कर लिया गया । जो मामले इन पांच विपक्षीय समझौतों के अन्तर्गत नहीं आए वे अब न्यायाधिकरण के विचाराधीन है । न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया अन्तिम स्थगन 18 जुलाई 1978 तक है । पक्ष राज्यों ने इस स्थगन के लिए अनुरोध करते समय यह बताया था कि विवाद के कुछ मूद्दों पर मोटे रूप से समझौता हो गया है लेकिन समूचे करार को अन्तिम रूप देने के लिए अभी कुछ अन्य संबंधित बातों पर कुछ मतभेदों को सुलझाया जाना बाकी है और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इस बात की बहुत सम्भावना है कि उस तारीख से पहले समझौता हो जायेगा न्यायाधिकरण ने निदेश दिया है कि इस मालले को 18 जुलाई, 1978 को बहस के लिए सूचीबद्ध किया जाए ।

Conversion of Desert into Green Land

40. **Shri S. S. Somani:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a scheme to convert country's desert into green land;

(b) whether Government are also considering the question of training the experts of desert countries on the basis of technical know-how available here to contain the advance of dry deserts and semi-dry deserts of the world; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) A new scheme, called Desert Development Programme has been launched during 1977-78 for development of desert areas.

(b) & (c): The Government of India have approved a proposal for participation in Trans-National Project on monitoring of Desertification Process and related 'Natural Resources' in arid and semi-arid areas of South-West Asia at the instance of UNEP/UNDP. The other countries participating in the project areas of Afghanistan, Iran and Pakistan. The Department of Science and Technology, the nodal department for the project has approached the Department of Agricultural Research and Education for the studies under the project being undertaken at the Central Arid Zone Research Institute (CAZRI), Jodhpur. Accordingly, the studies have been taken up at CAZRI, Jodhpur. The technical know-how available now at this institute in India can meet the needs of training programme for the experts from other desert countries and it is proposed to take up this training programme.

Irrigation capacity in Maharashtra

†41. **Shri Hari Shankar Mahale:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether an assessment of the irrigation capacity in Maharashtra has been made by Government;

(b) if so, the details thereof;

(c) the percentage of the irrigated area of land in the State; and

(d) the action being taken to meet additional irrigation requirement?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) to (c): The Government of Maharashtra have assessed the ultimate irrigation potential of the State to be about 70.61 lakh hectares; 52.61 lakh hectares from surface water resources and 18.0 lakh hectares from wells. The Government of Maharashtra have indicated that the irrigated area in the State from all sources during 1975-76 was 21.71 lakh hectares. This is about 11 percent of the cropped area.

(d) Priority is given to the early completion of all the on-going projects. Substantial outlays are also provided in the State Plan for irrigation.

Estimate of surplus land and its distribution

42. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission has observed that the area of surplus land estimated on the basis of the land records is much less;

(b) whether as per the official data 21 lakh acres of land, out of 53,20,000 acres of surplus land was acquired and 12,90,000 acres of land, out of it, was distributed;

(c) whether the Janata Government distributed 6341 acres of land during the first three months of their tenure and only 5315 acres of land was distributed during the period from September to December, 1977, though the target was fixed to distribute 83 thousands acres of land; and

(d) if so, when the surplus land will be distributed among the landless persons and if not, reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) The draft Five Year Plan (1978-83) published by the Planning Commission contrast the officially estimated surplus (5.32 million acres) with the surplus estimated by the National Sample Survey (26th Round, 1971-72) which is very much larger. The Planning Commission have already been informed that the present estimate is based on data furnished by State Governments and that the estimates is tentative. They have further been informed that it might not be appropriate to rely very much on N.S.S. estimate, since, among other things, ceiling laws refer to 'standard' acres/hectares whereas the N.S.S. data relate to ordinary hectares. A standard acre/hectare is more than an ordinary acre/hectare where the land quality is inferior. Moreover, the ceiling laws permit an excess (subject to an upper limit over the ceiling for larger families and also permit in some cases a separate unit to a major son. This will reduce the surplus since some of the surplus will come to be held by the family and major sons.

(b) According to the latest information available with the Government of India, 44,69,834 acres have been declared surplus of which 23,38,174 acres have been taken possession of and 14,84,946 acres have been distributed.

(c) An area of 83,816 acres was distributed between April, 1977 to June, 1977. The area distributed between September, 1977 to December 1977 was 49,211 acres.

(d) Distribution of land can be taken up only after ceiling cases are finally disposed of. The land does not vest in Government as long as a case is pending. The Government of India have requested State Governments to expedite disposal of cases and also to accelerate the pace of distribution of land that has vested in Government.

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् क सदस्यों तथा अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे

43. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री 8 मई, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9423 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सदस्यों तथा अधिकारियों के विदेशों के दौरों के लिये इस परिषद के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों द्वारा कितनी राशि मं ूर तथा खर्च की गई;

(ख) उन शोध छात्रों/सामाजिक वज्ञानिकों के नाम तथा उनकी शोध परियोजनाओं के नाम तथा स्वरूप क्या हैं जिनके लिय भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद् द्वारा (एक) एशिया के भीतर ही अध्यावधि अनुसंधान के लिये कार्यस्थलों के दौरों तथा (दो) एशिया से बाहर अध्यावधि के लिये कार्यस्थलों के दौरों के लिये निधियां मंजूर की गई थी; और

(ग) उन व्यक्तियों के नामों तथा पदनामों का विवरण क्या है जो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रमों के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित हुए तथा उक्त सहायता किन प्रयोजनों के लिये दी गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग): अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

History Books

†44. **Shri Aghan Singh Thakur**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether there is any dispute in regard to the History books prescribed in the syllabus in the schools in Delhi and other places;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether the Committee appointed by the Ministry to look into these books have approved the books and if so, the decision taken by Government for continuance of these books in the syllabus ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) There has been some controversy on some of the History books prescribed.

(b) and (c): Controversy is regarding the following history books and their suitability as text/general reading books :

1. Modern India by Dr. Bipin Chandra.

   (A text-book of History for Secondary Schools).

2. Medievel India by Dr. Romilla Thapar.

   (A text-book of History for Middle Schools).

3. Ancient India by Prof. R. S. Sharma

   (A text-book for Secondary Schools).

4. Freedom Struggle by Prof. Bipin Chandra, Dr. Amales Tripathi and Dr. Barun De.

   (A book of general reading for teachers and students).

These books were referred to some eminent historians for their expert opinion. The book "Ancient India" has since been withdrawn by the Central Board of Secondary Education from its prescribed list. As regards the other three books, they are under review by the Central Board of Secondary Education especially in the context of the recommendations of the Ishwarbhai Patel Committee.

Sugarcane in fields

45. **Shri Ramdhari Shastri :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of sugar mills operating in Uttar Pradesh and in the other parts of the country upto 30th June and the names thereof which were closed ;

(b) whether about 20 lakh tonnes of sugarcane becoming dry as it is still standing in the field; and

(c) if so, whether Government propose to pay compensation to the farmers for it; and if so, how much ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Two lists (Annexures I & II) showing the names of sugar factories operating/ closed as on 30-6-78 are enclosed.

(b) No survey of this kind has been made by the Central Govt. and as such no precise estimate is available regarding the total quantum of sugarcane crop still remaining un-harvested. However, the State Govts. of U.P. and Haryana, where the problem is reported to be relatively acute, are being requested to indicate the final position when all factories stop crushing.

(c) There is no scheme either with Central Government or the State Governments to pay compensation to those sugarcane growers whose sugarcane crop remains undisposed of. **[Placed in Library. See No. L.T. 2382/78].**

शिक्षा और संस्कृति के बारे में भारत-अमरीकी उप-आयोग

46. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा और संस्कृति संबंधी भारत-अमरीका उप-आयोग की वार्षिक बैठक न्यूयार्क म मई, 1978 में हुई ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में भाग लेने वाले सब भारतीय प्रतिनिधियों के नाम, पदनाम और योग्यताएं क्या थीं ;

(ग) एक अथवा अधिक ऐसे भारतीयों के नाम, पदनाम, योग्यताएं क्या थीं जिनका बैठक में भाग लेने के लिये सरकार ने चयन किया था अथवा जिनके बैठक में भाग लेने के लिये सरकार ने अनुरोध किया था लेकिन वे न्यूयार्क नहीं जा सके और उनके बैठक में भाग न लेने के क्या कारण है ;

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिये न्यूयार्क जाने के लिये आमन्त्रित सब व्यक्ति और जिन व्यक्तियों ने वास्तव म बैठक में भाग लिया वे उक्त उप-आयोग के पूर्ण सदस्य थे ;

(ङ) भारतीय प्रतिनिधि मण्डलों का चयन किसने किया और किन आधारों पर किया ; और

(च) उक्त बैठक की अवधि क्या थी और उस पर कितना व्यय हुआ और उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या ठोस निर्णय लिये गये और इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) बैठक में जिस प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया उस के सदस्यों के नाम, पदनाम और अर्हताएं निम्न प्रकार हैं :

1. डा० एम एस० गोरे सह-अध्यक्ष
निदेशक,
टाटा, सामाजिक विज्ञान संस्थान
बम्बई।

2. श्री आर० एन० मिर्धा
अध्यक्ष, ललित कला अकादमी
नई दिल्ली।

3. डा० सी० एन० हक्सर,
रसायन विज्ञान के सेवानिवृत प्रोफेसर
मोती महल रोड़,
ग्वालियर।

4. श्री ए० एस० गिल,
अपर सचिव,
संस्कृति विभाग।

5. श्री एम० वी० देसाई,
निदेशक
भारतीय जन संचार संस्थान,
नई दिल्ली।

6. श्रीमती एस० कोछड़,
सचिव,
भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्,

(ग) 1. डा० एम० एन० श्रीनिवास,
सीनियर फैलो,
सामाजिक और आर्थिक प्रभार संस्थान,
बंगलौर
बैठक में भाग नही ले सके क्योंकि वह विदेश में थे।

2. डा० अजीत कुमार घोष,
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, बंगाली विभाग,
रवीन्द्र भारतीय विश्वविद्यालय,
कलकत्ता।

अल्पावधि की सूचना के कारण भाग नहीं ले सके ।

(घ) भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के गठन के लिए सदस्यों का निर्णय बैठक से पहले ही कर लिया जाता है।

(ङ) भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के गठन का निर्णय शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री द्वारा विदेश मंत्री और भारत-अमेरिका शिक्षा एवं संस्कृति उपयोग के सह-अध्यक्ष डा० एम०एस० गोरे के परामर्श से किया गया था ।

(च) बैठक दो दिन हुई थी । उपयोग की बैठक में भाग लेने के लिए इस प्रतिनिधि मण्डल के भेजने पर 1,50000 रुपये का खर्च आया । इस खर्च को संस्कृति विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा वहन किया गया । इस बैठक में लिए गए निर्णयों का सारांश सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास

47. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने झुग्गी में रहने वाल व्यक्ति हैं जिनका सरकार दवारा पुनर्वास किया जाना है ;

(ख) एसे कौन-कौन से स्थान हैं जहां ये झुग्गी निवासी इस समय रह रहे हैं ;

(ग) उनका शीघ्र ही पुनर्वास करने के लिए सरकार का विचार क्या विशेष कार्यवाही करने का है ; और

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने अब उनको ठीक प्रकार से बसाने के लिये उन्हें 25 वर्ग गज की बजाए 40 वर्ग गज के प्लाट देने के लिये निर्णय किया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के झुग्गी अनधिवासियों का कोई विस्तृत सर्वेक्षण नही किया गया है ।

(ग) नई पुनर्वास कालोनियां का आयोजन किया जा रहा है ।

(घ) जी, नही ।

आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पी०एच०डी० की डिग्री दिया जाना

48. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री आगरा विश्वविदयालय द्वारा पी० एच० डी० की डिग्री दिये जाने के बारे में 6 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1807 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस में क्या लिखा है और क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यह मामला अपने गणित के पैनल को सौंपा गया था, यदि हां, तो कब और गणित के प्रश्नों के मूलत: गलत हल होने के आरोप के सही होने अथवा न होने के बारे में क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस मामले में क्या कायवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभी तक विश्वविद्यालय से पूर्ण ब्यौरों की प्रतीक्षा कर रहा है । इसी बीच, आयोग के गणित सम्बन्धी पेनल दवारा अप्रैल, 1978 में इस मामले पर विचार किया गया । पेनल का यह मत था कि इसकी ऐसी अलग-अलग शिकायतों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही करनी चाहिए और यह जिम्मेदारी सम्बन्धित विश्वविद्यालय की होनी चाहिए । तथापि, जब पेनल की अगली बैठक होगी तो इस मामले को नीति सम्बन्धी मामले के रूप में पैनल को पुन: भेजा जायेगा ।

जल प्रदाय योजना के लिये विश्व बैंक की सहायता

49. **श्री चित्त बसु** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री विश्व बैंक की सहायता से पंजाब में पेय जल सप्लाई सीवर योजना के बारे में दिनांक 20 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3532 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में जल प्रदाय एवं मल निस्सारण योजनाओं के लिये विश्व बैंक द्वारा वित्त देने के प्रस्ताव के बारे में विश्व बैंक के साथ बातचित इस बीच पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरे तथ्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां । बात-चीत पूरी हो गई है ।

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत 66.70 करोड़ रुपये (785 लाख डालर) है और 380 लाख डालर की आई०डी०ए० ऋण के लिए समझौता हुआ था । इस परियोजना में 13 करोड़ रुपये की सीमा तक जीवन बीमा निगम की वित्त व्यवस्था भी शामिल है । इस परियोजना के अन्तर्गत जालन्धर, अमृतसर, लुधियाना, मोगा, पटियाला, राजपुरा, भटिण्डा और पठानकोट के शहरी क्षेत्रों को लाना है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस परियोजना को प्रारम्भ करने की आशा है और इसके 4 वर्षों में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है । इसका निष्पादन राज्य सरकार के पंजाब जलपूर्ति तथा मल व्यवस्था बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

ताड़ की खेती

50. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में ताड़ का तेल निकालने के लिये ताड के पेड़ लागने को बढ़ावा देने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे मलयेशिया से नर्सरी के ताड़ के पौधे प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ताड के पेड़ लगानें के लिये चुने गये क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारत सरकार पाम आयल निकालने के लिए उन क्षेत्रों में रेड आयल पाम की खेती को पहले ही प्रोत्साहन दे रही है, जोकि देश में इस फसल के लिए उपयुक्त हैं ।

(ख) मलेशिया सरकार ने आयल पाम के 50,000 पौद सप्लाई करने की पेशकश की है । इसे आयात करने के उपाय किए जा रहे हैं ।

(ग) केरल राज्य के क्वीलन जिले के अंचल क्षेत्र में आयल पाम के बागान लगाने के लिए 2000 हैक्टार क्षेत्र चुना गया है और पौधरोपण पहले ही किया जा रहा है। अंदमान तथा नीकोबार द्वीपसमूह के लिटल अन्दमान में आयल पाम का रोपण करने के लिए 2400 हैक्टार का एक और क्षेत्र भी चुना गया है ।

Basis of fixation of price by agricultural prices commission

51. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Agricultural Prices Commission has not been able to protect the interests of medium, small and marginal farmers in prescribing the prices of agricultural products and whether a demand is being made to make changes in its set up :

(b) whether it is also a fact that the Commission prescribes prices on the basis of big farms or mechanised farming ;

(c) whether it is also a fact that as a result of this big farmers are benefited but small farmers do not get reasonable prices for their produce; and

(d) if so, government's proposals or reaction in regard to making changes in the set up of the Commission ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) The Agricultural Prices Commission works within its terms of reference and makes its recommendations on price policy of different agricultural commodities with a view to evolving a balanced and integrated price structure in the perspective of the overall needs of the economy and with due regard to the interest of the producer and the consumer. While recommending the price policy and the relative price structure, the Commission is required to keep in view (i) the need to provide incentive to the producer for adopting improved technology and for maximising production; (ii) the need to ensure

rational utilisation of land and other production resources; (iii) the likely effect of the price policy on the rest of the economy, particularly on the cost of living, level of wages, industrial cost struction, etc.

(b) and (c) : No. While deciding upon the appropriate level of the administered prices for different agricultural commodities, the Commission takes into account, *inter alia*, the available estimates of the average cost of production of the particular crop.

(d) There is no such proposal at present; however, the terms of reference of the Commission are being examined.

हिमाचल प्रदेश में पेय जल योजना

52. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जल सप्लाई योजना के बारे में 24 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7883 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश में समस्याग्रस्त गांवों के लिए द्रुत ग्रामीण जल सप्लाई हेतु केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत परियोजना की क्रियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उस राज्य की सरकार से कहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, उक्त योजना के अन्तर्गत उस राज्य को कितनी राशि अनुदान के रूप में आबंटित की गई है ;

(घ) राज्य सरकार ने योजना के अन्तर्गत, वर्षवार, कितनी राशि व्यय की ;

(ङ) राज्य में प्रत्येक जिले में कितने गांव को उक्त योजना के अन्तर्गत लाया गया है ; और

(च) चालू वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश की उक्त योजना के अन्तर्गत कितनी राशि की मंजूरी देने का प्रस्ताव है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : केन्द्र द्वारा बनाई गई त्वरीत ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले वर्ष अनुमोदित ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें हिमाचल प्रदेश सरकार सहित राज्य सरकारों द्वारा भेजना अपेक्षित है ।

(ग) तथा (घ) : केन्द्र द्वारा बनाया गया त्वरीत ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम पिछले वर्ष आरम्भ किया गया था । पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार को 220.00 लाख रुपये का आर्थिक सहायता अनुदान दिया गया था जिसे पूर्ण रूप से उपयोग किया गया ।

(ङ) 1977-78 के दौरान त्वरीत ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए गांवों की संख्या इस प्रकार हैं :—

जिला	शामिल किए गए गांव
1. चम्बा	25
2. कुल्लू	32
3. मण्डी	34
4. शिमला	34
5. सिरमोर	18
6. सोलन	15
7. बिलासपुर	9
8. हमीरपुर	15
9. ऊना	12
10. कांगड़ा	113
कुल	307

(च) 1978-79 के लिए केन्द्र द्वारा बनाई नई त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय अनुदान के राज्यवार नियतन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

एशियाई 1982 का आयोजन

53. **डा० वसंत कुमार पण्डित** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ओलम्पिक एसोसियेशन ने एशियाड 1982 के आयोजन के लिए सरकार को पुनरीक्षित अनुमान प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) इससे पूर्व भारत में खेलों का आयोजन करने से इन्कार किए जाने के क्या कारण थे ; और

(ग) इस प्रश्न पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक किया जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) जी हां।

(ख) वित्तीय कारणों से।

(ग) मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है और निर्णय शीघ्र ही हो जाने की सम्भावना है।

Production and consumption of sugar

54. **Shri Y. P. Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the total production of sugar in the country during the current year upto 10th June, 1978 and annual consumption of sugar in lakhs of tons in the country and the names of the countries to which surplus quantity of sugar is proposed to be exported and whether we will be able to compete in international market in view of the lower price of sugar exported by other countries and if not what arrangements will be made for the sale of the surplus sugar ; and

(b) whether keeping in view the increased production of sugar in the country Government propose to abolish dual sugar price and distribution system ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) During the current year 1977-78 the estimated total sugar production in the country upto 15th June and 30th June, 1978 is 62.25 lakh tonnes and 63.15 lakh tonnes respectively. (Production figures are compiled on weekly basis). The consumption of sugar in the country during the sugar year 1977-78 is estimated at 45.5 lakh tonnes. As regards exports, it has been decided to export the full quota in effect of 6.5 lakh tonnes of sugar under the International Sugar Agreement during the calendar year 1978. Of this, the State Trading Corporation has already finalised the sales for about 5 lakh tonnes for export to U.K., China, Sudan, Sri Lanka, Yemen etc. and for the balance 1.5 lakh tonnes, the sales would be finalised in due course. As regards the utilisation of surplus available sugar, some of it will be required as carry-over stocks and also for the creation of special stocks under the International sugar Agreement. Moreover, annual internal consumption of sugar is also expected to further go up in future.

(b) No decision has so far been taken to effect any change in the existing dual pricing policy and the distribution system. The policy for the next sugar year 1978-79 will be decided having regard to all the relevant considerations, including the increased sugar production during 1978-79.

Civic amenities in Gautampuri, Shahdara, Delhi

55. **Shri Govinda Munda** : Will the Minister of **Works, Housing, Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether due to rains, large volume of drains and rain water stagnates around Gautampuri, a trans-Yamuna colony in Shahdara, Delhi ;

(b) whether Government have given a thought to the question of construction of a new drain for the discharge of sewage water and whether in the absence of drains, lanes, roads, the inhabitants of the colony are facing great difficulty ;

5—198 LSS/78

(c) whether certain funds had been sanctioned by the former Works and Housing Minister for providing civic amenities to this colony and if so, the amount spent and that remained unutilized; and

(d) the details of action being taken to provide road, drains, lanes etc. to this unauthorised colony and when these facilities will be provided and in case no such action is being taken, the reasons therefor?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) to (d): The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha shortly.

शिक्षा में 'श्रमदान' को शामिल किया जाना

56. **डा० रामजी सिंह:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र में यह घोषित किया था कि शिक्षा का स्वरूप क्रियात्मक होना चाहिए तथा लोगों के जीवन और परिवेश से संबंधित होना चाहिए और यदि हां तो गत 15 महीनों के दौरान इस दिशा में क्या परिवर्तन किए गए हैं ;

(ख) यदि नहीं, जो इस दिशा में प्रयास क्यों नही किए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार शिक्षा में 'श्रमदान' को शामिल करके श्रम के प्रति गरिमा को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग समझती है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) : शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति का पुनरीक्षण किया जा रहा है । तथापि, स्कूल पाठ्यचर्या का पुनरीक्षण करने के लिए कदम उठाए गए हैं और स्कूली शिक्षा के 10 वर्षों के लिए पाठ्यचर्या का पुनरीक्षण करने के लिए श्री ईश्वर भाई पटेश की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त को गई थी । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है तथा सरकार इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है । इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक यह है कि शिक्षा कार्यात्मिक तथा लोगों के जीवन और वातावरण से संबंधित होनी चाहिए । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् पाठ्यचर्या तथा स्कूल स्तर की पाठ्यपुस्तकों को और अधिक कार्यात्मिक और वातवरण से संबंधित बनाने के लिए संशोधित करती आ रही है । प्रोथमिक स्तर पर बच्चों को एक समिकित विषय के रूप में वातावरण का अध्ययन कराया जाता है ; माध्यमिक स्तर पर यह अध्ययन जारी रहता है और दो भागों के अन्तर्गत गहन होता जाता है--समाज विज्ञान से संबंधित वातावरण तथा सामान्य विज्ञान से संबंधित वातावरण संशोधित पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उसके अधीन सभी स्कूलों में शुरू कर दिया गया है । तथापि राज्य सरकारें ईश्वर भाई पटेश समिति की सिफारिशों का ध्यान रखते हुए अपनी पाठ्यचर्याओं को संशोधित कर रही हैं । श्री ईश्वर भाई पटेश की अध्यक्षता वाली पुनरीक्षण समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि सामाजिक रुप से उपयोगी उत्पादन कार्य स्कूल पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग होगें । इसे समय का 20 प्रतिशत के लगभग महत्व दिया जाएगा और इस संबंध में स्कूलों में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को आयोजित करने की सिफारिश की गई है । ये कार्यकलाप स्कूल पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग होगें । सरकार ईश्वर भाई पटेल समिति की इस सिफारिश को सभी स्कूलों में कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है । यह आशा की जाती है कि इससे छात्र श्रम की शान को समझ सकेंगे ।

सिंचाई के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन

57. **श्री डी० बी० पाटिल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सिंचाई के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों का पता लगा लिया है जो सिंचाई में पिछड़े हैं ;

(ग) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं ; और

(घ) उक्त असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) प्रत्यक क्षेत्र में एक जैसा सिंचाई विकास करना संभव नही होगा क्योंकि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में और यहां तक कि एक ही राज्य के भिन्न क्षेत्रों में उपयोग में आ सकन

वाले जल संसाधनों की मात्रा भिन्न-भिन्न है। लेकिन, सरकार का उद्देश्य यह है कि सिंचाई विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलनों को यथासंभव अधिकतम सीमा तक न्यूनतम किया जाए। देश के उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी उच्च वर्षापात वाले क्षेत्रों में असम और केरल जैसे और केन्द्रीय-पश्चिमी भागों के अल्प वर्षापात वाले क्षेत्रों में राजस्थान और गुजरात आदि जैसे कई इलाके ऐसे हैं जो सिंचाई में पिछड़े हुए है।

सिंचाई आयोग (1972) ने देश के सूखा-प्रवण क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन किया था और ऐसे जिलों का पता लगाया था और यह कहा था कि इन इलाकों के सिंचाई कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन जिलों की सूची संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय सरकार उन इलाकों में सिंचाई के मामले में पिछड़े हुए हैं सिंचाई के विकास की गति को बढ़ाने के महत्व पर जोर देती रही है। यह भी जरुरी समझा जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों, बेसिनों और उप-बेसिनों में फालतु जल और जल की कमियों का पता लगाया जाये और क्षेत्रीय असंतुलननों को दूर करने के लिए अंतबेसिनों और अन्तर्क्षेत्रीय ट्रांस्फर की प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएं। इस संबध में गहन अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में एक संगठन की स्थापना की गई है।

विवरण

I आंध्र प्रदेश

1. अनन्तपुर
2. चितौर
3. कुडपा
4. हैदराबाद
5. करनूल
6. महबूबनगर
7. नालगोंडा
8. प्रकासाम

II बिहार

9. मोंगूर
10. नवादा
11. पालामो
12. रोहतास

III गुजरात

13. अहमदाबाद
14. अंग्रेली
15. बनासकंठा
16. भावनगर
17. बरोच
18. जामनगर
19. केरा
20. कच्छ
21. मेहसाना
22. पंचमहल
23. सुरेन्द्रनगर
24. राजकोट

हरियाणा

25. भिवानी
26. गुड़गावा
27. मोहिंद्र ग-
28. रोहतक

जम्मू और कश्मीर

29. दोढ़ा
30. ऊधमपुर

कर्नाटक

31. बंगलौर
32. वेलगांव
33. बेलारी
34. बीजापुर
35. चिकमागेलुर
36. चित्रादुर्ग
37. धरवार
38. गुलबर्ग
39. हसान
40. कोलर
41. माण्डया
42. मैसूर
43. रायचूर
44. टमकूर

मध्य प्रदेश

45. बेथुअल
46. देतिया
47. रेवास
48. धार
49. झाबुआ
50. खण्डवा
51. खरगांव
52. शाहडोल
53. शाजापुर
54. सिधी
55. उज्जैन

विवरण—जारी

महाराष्ट्र
56. अहमद नगर
57. औरंगाबाद
58. बीड
59. नासिक
60. ओसमानाबाद
61. पुणे
62. सांगली
63. सतारा
64. शोलापुर

उड़ीसा
65. फुलवानी
66. कालंदी

राजस्थान
67. अजमेर
68. बांसबाड़ा
69. बार ेड़
70. बीकानेर
71. ्रु
72. डुंगरपुर
73. जैसलमेर
74. जालौर
75. झुनझनु
76. जोधपुर
77. नागौर
78. पाली
79. उदयपुर

तमिलनाडु
80. कोयम्बेतूर
81. ध र्मपुरी
82. मदुरै
83. रमनाथापुरम
84. सेलम
85. तिरुचिरापल्ली
86. तिरुनवेली

उत्तर प्रदेश
87. इलाहाबाद
88. बंदा
89. हमीरपुर
90. जैलौन
91. मिर्ज़ापुर
92. वाराणसी

पश्चिमी बंगाल
93. बाणकुरा
94. मैनापुर
95. पुरुलिया

Work on Kalisarar, Bewartola dam projects in Bhandara Distt.

†59. **Shri Laxman Rao Mankar:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the reasons for which work on the Kalisarar, Bewartola east dam projects in Bhandara district in Maharashtra is not being started though these projects are in Adivasi areas;

(b) whether assistance has been provided by the Central Government for these projects in Adivasi areas; and

(c) if so, the amount of assistance provided for the purpose?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) The Government of Maharashtra have reported that, for the Kalisarar Project, a budget provision of Rs. 10 lakhs has been proposed for the current year (1978-79) and that investigations are still in progress on the Bewartola Dam Project.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

नार्थ और साउथ ब्लाक में प्रतिमाओं की स्थापना

60 **श्री दयाराम शाक्य:** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन महान योधाओं, सम्राटों, नेताओं और क्रान्तिकारियों के गौरव-वर्णन के बारे में मंत्रालय द्वारा कोई नीति निर्धारित की गई है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि और लोकतन्त्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया; और

(ख) यदि हां, तो सचिवालय के साउथ ब्लाक और नार्थ ब्लाक के बड़े हालों में गुम्बदों के अन्दर खाली पड़े स्थानों पर महापुरुषों और महान महिलाओं के सम्मान करने के लिए उनकी प्रतिमाओं की स्थापना करके समुचित रूप से सुसज्जित क्यों नहीं किया जाता जिससे देश भर में से आने वाले आगन्तुकों के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार किया जा सके ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का 'मानिटरिंग'

61. **श्री के० मालन्ना :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का "मानिटरिंग" केन्द्र द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा वित्त पोषित बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं के लिए चालू वर्ष के लिए नियत राज्यवार लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) केन्द्र द्वारा केवल चुनी हुई बृहत सिंचाई परियोजनाओं का मानिटरिंग हाथ में लिया गया है ।

(ख) सिंचाई राज्य विषय है और बृहत तथा मध्यम सिंचाई कार्यों के लिए धन राशि की व्यवस्था अधिकांशतः राज्य योजनाओं के अन्तर्गत की जाती है ।

केन्द्र द्वारा सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत चुनी हुई मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिए धनराशि की व्यवस्था की जा रही है । इन स्कीमों की राज्य-वार सूची, जिसमें आबंटित धनराशि तथा सिंचाई-शक्यता दी गई है, उपाबंध में दी गयी है ।

विवरण

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत चुनी हुई मध्यम सिंचाई स्कीमें

राज्य का नाम		स्कीमें	अनुमानित/आबंटन लागत (लाख रुपये में)		सिंचाई शक्यता (हेक्टेयर)
1		2	3	4	5
1. बिहार .	2	1. पंडारुआ जलाशय 2. चिरखा जलाशय .	103.76	103.76	3604
2. जम्मू और कश्मीर .	2	1. दोदाकस्तीगढ़ नहर . 2. शिव खुल नरह अन्तिम रुप से स्वीकृत	100.00	100.00	1400
3. तमिलनाडु .	1	1. पम्बर-धर्मपुरी . .	160.00	140.00	1618
4. पश्चिम बंगाल .	2	1. हनुमत्था सिंचाई 2. राम चन्द्रपुर परियोजना .	145.72	145.72	4450
5. आंध्र प्रदेश .	2	1. कोठापली लिफ्ट सिंचाई 2. कृष्णापुरम जलाशय .	328.00	225.00	6569
6 गुजरात . .	2	1. गोडनाबड सिंचाई परियोजना 2. स्कीम सैनी .	230.17	230.17	4018
7. हरियाणा .	1	1. मोहिन्द्रगढ़ लिफ्ट सिंचाई स्कीम-केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दी जानी है ।	195.00	150.00	9989
8. राजस्थान .	2	1. सई व्यपवर्तन 2. सोम कगदार	895.00	252.00	7800

विवरण—जारी

1		2	3	4	5
9. मध्य प्रदेश	3	1. गुलबपुरा (झबुआ) 2. सोनकेदी बेतुल 3. मड़ी सिधी	262.79	212.79	3517
10. महाराष्ट्र	2	1. मन्दोहल परियोजना	186.70	150.00	3740
		2. बास्सापवडी	97.48	50.00	904
11. कर्नाटक	2	1. तीथा जलाशय परियोजना तुमकुर जिला	329.00	220.00	2550
		2. यादगीर तालुक, जिला गुलबर्गा में सौदागर टैंक परियोजना			
12. उत्तर प्रदेश	3	1. बाखर मरिहान फोडर स्कीम (मिर्जापुर जिला)	94.72		2068
		2. भोबा पम्प नहर (मिर्जापुर जिला)	75.00	200.00	4050
		3. बरोदैाहा पम्प नहर (बांदा जिला)	126.50		1546
13. उड़ीसा	1	1. बोन्डा पीप्पली फुलबानी जिला	148.85	148.85	2250

Establishment of office of Rajghat Dam

62. **Shri Laxminarain Nayak:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the office for the construction of Rajghat Dam will be at Jhansi and if so, the reasons why the office is not being near Rajghat and if there are any difficulties in establishing this office near Rajghat, why it is not being established in Lalitpur, which is a nearer place and quarters are also available there;

(b) whether there is a great discontentment among the people of District Tikamgarh because of Government's decision to supply irrigation water only for 6000 acres of land in Tikamgarh District to which reference was also made in Lok Sabha on 25th April, 1978; and

(c) if so, the decision taken by Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) The two construction circles which are incharge of construction works of the Rajghat Dam Project are being established at Rajghat Dam Site only. As per dicision of the Betwa River Board the office of the Board has been established at Jhansi and the Chief Engineer Rajghat Dam Project Financial Advisor and Secretary to the Betwa River Board would function from there. These officers have to be constantly in touch with the Governments of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh and the Government of India. It will be easier and more convenient for them to do so from Jhansi.

(b) and (c): It has been reported by the Government of Madhya Pradesh that they are constantly striving to ensure as much irrigation as possible to Takamgarh District. With that end in view, Orchha Project on Betwa River has been surveyed and formulated which will irrigate 29150 ha. in Niwari Tehsil of Tikamgarh.

केन्द्रीय विद्यालय पाठ्यक्रम से "प्राचीन भारत" (एंसियेंट इंडिया) पुस्तक का हटाया जाना

63. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी शिक्षा सत्र से केन्द्रीय विद्यालय पाठ्यक्रम से डा० आर० एस० शर्मा द्वारा लिखित विवादस्पद पुस्तक "प्राचीन भारत" (एंसियेंट इंडिया) को हटा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां।

(ख) पुस्तक में कुछ विवादास्पद आवतरण हैं।

"राष्ट्रपति भवन काम्पलक्स" में मंत्रियों के आवास (हाउसिंग काम्पलेक्स)

64. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रपति भवन काम्पलेक्स में मन्त्रियों के आवासों के निर्माण के बारे में कोई निर्णय ले लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में समाचार-पत्रों में व्यक्त किये गये विभिन्न विचारों को नोट कर लिया है ; और

(ग) इन प्रस्तावित आवासों का निर्माण कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) राजपथ के उत्तर और दक्षिण के बंगलों के क्षेत्र के समग्र पुनर्विकास प्लानों के साथ साथ ही मंत्रियों के लिये मकानों के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) जी, हां।

(ग) क्योंकि अभी तक कोई योजना मंजूर नहीं की है अतः यह प्रश्न नही उठता।

Indo-Nepal survey of Karnali, Bhaluwang and Pancheshwar Projects

65. **Shri Ugrasen** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether a scheme has been formulated to get a joint survey of the proposed Karnali, Bhaluwang and Pancheshwar projects on the Ghoghra, Rapti and Sharda rivers in Uttar Pradesh conducted by Indo-Nepal engineers ;

(b) when the work of this joint survey will be started ; and

(c) the number of meetings of Indo-Nepal representatives held in this connection so far and the decisions taken therein ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) to (c) : In regard to the Karnali Project an Indo-Nepal Joint Committee has been set up to examine the preliminary issues with regard to the execution of the project. The Committee met in April, 1978 and decided to form two joint groups and two separate groups in each country to study different aspects of the project and submit their reports to the Committee within three months.

For investigation of Pancheshwar Hydro-Electric Project, a Joint Expert Group has been set up. The first meeting of the group was held in April, 1978. The Expert group recommended that a Joint Techincal Team should be established for preparing terms of reference for the investigations to be carried out and the estimated cost thereof. Names of Indian representatives to the team have been forwarded to His Majesty's Government of Nepal. Their nominations to the team are awaited.

As regards Rapti (Bhaluwang) Project a meeting was held in January, 1978 between the officials of His Majesty's Government of Nepal and the Government of India to finalise arrangements for investigation of the Project and to prepare detailed project estimates. It was decided in the meeting that a team of Indian Officers should visit Kathmandu to assist His Majesty's Government of Nepal for preparing the cost estimate for field investigation and preparation of the detailed project report. The team visited Kathmandu in March, 1978 and have estimated the cost of investigation to be Rs. 5.34 crores. Negotiations are going on with His Majesty's Government of Nepal in regard to the agency to be entrusted with the work of investigation and preparation of the project report, sharing of the cost of field investigation and preparation of the detailed project

report and setting up of a Joint Technical Committee for guiding the investigations of the project.

Removal of Employees from services of Delhi University during the emergency

66. **Shri Sharad Yadav:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether a large number of employees of Delhi University were removed from service as a result of excesses committed during Emergency;

(b) the college-wise number thereof;

(c) the number of cases still going on and the number of cases which have been decided;

(d) the expenditure incurred by Government on these cases; and

(e) the action taken against the officers who took action against the employees who have not been proved guilty?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) to (e): The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

महाराष्ट्र में बहु-क्षेत्रीय परियोजना

67. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री बम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के बारे में दिनांक 24 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न सख्या 7858 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई महानगर क्षेत्र में कल्याण, थाना तथा भिवंडी उप क्षेत्रों के लिये बहु-क्षेत्रीय परियोजनाओं के प्रस्ताव पर बम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के साथ कब बातचीत की गई थी और महाराष्ट्र राज्य सरकार को संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कब कहा गया था ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने अपना संशोधित प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो कब और क्या भारत सरकार ने उस पर निर्णय ले लिया है और यदि हां, तो क्या ; और

(घ) यदि राज्य सरकार से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो क्या कोई अनुस्मारक भेजा गया है; यदि राज्य सरकार से प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और भारत सरकार ने कोई निर्णय नहीं दिया है तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) कल्याण, थाना तथा भिवन्डी उप क्षेत्रों के लिए बहु-क्षेत्रीय परियोजना पर मार्च 1978 में बम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण तथा राज्य सरकार से विचार विमर्श किया गया था और उन्हें आई०यू०डी०पी० सहायता के प्रयोजन के लिये योजनाओं का पुनरीक्षण करने के बारे में सलाह दी गयी थी ।

(ख) जी, अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) राज्य सरकार को हाल ही में एक विस्तृत पत्र जारी किया गया है जिसमें परियोजना रिपोर्ट के पुनरीक्षण के लिए सुझाव दिए गए हैं । राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है ।

Provision of drinking water in the rural areas

68. **Shri Keshav Rao Dhondge:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the responsibility for supply of drinking water in the rural areas of the country is of the Central Government or the State Governments; and

(b) in case the responsibility is of the Central Government, the steps taken by them in the direction during the last one year and the number of villages benefited as a result thereof?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) The supply of drinking water in the rural areas of the country is the responsibility of the State Government.

(b) Provision of funds for rural water supply schemes, including those of problem villages taken up under the Minimum Needs Programme, is made in the State Sector of the Plan. In addition to this, the Government of India have also launched a "Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme" from 1977-78 to accelerate the pace of provision of drinking water to problem villages in the country. Under this programme grant assistance amounting to Rs. 38.20 crores was given to various States/Union Territories during 1977-78. According to information received from State Governments/Union Territories, 12,310 problem villages taken up under the States own Minimum Needs Programme and another 6,509 problem villages taken up under the Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme with 100% Central assistance, had been covered with safe drinking water during 1977-78.

डेयरी कम्पलैक्स में योरुपीय आर्थिक समुदाय द्वारा भाग लिया जाना

69. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का डेयरी औद्योगिक कम्पलैक्स बनाने के लिए 54.00 लाख डालर की परियोजना में योरुपीय आर्थिक समुदाय ने भाग लेना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसको पूरा करने की लक्षित तिथि क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) आपरेशन फ्लड–2 समूचे देश के लिए एक समेकित डेरी विकास परियोजना है, जिस में 8 वर्ष की अवधि के लिए 485.67 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय शामिल है। यह परियोजना 155 जिलों के 25 दुग्ध शेड क्षेत्रों में 100 लाख ग्रामीण दुग्ध उत्पादक परिवारों की आय बढ़ाने व उनके हित के लिए बनाई गई है। साथ ही साथ एक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड ग्रामीण दुग्ध शैडों को उन 148 शहरों के साथ जोड़ेगा, जिनकी जन संख्या 1971 की गणना के अनुसार 1 लाख से अधिक होगी ।

(ग) परियोजना को पूरा करने की निर्धारित तारीख 30 जून, 1985 है।

उत्तरी क्षेत्रों को गंगा की बाढ़ से बचाने की परियोजना

70. **श्री रामदेव सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना (बिहार) के सामानांतर उत्तरी क्षेत्रों (डुम्बरी माझी से सोनपुर तक) को गंगा की बाढ़ से बचाने के लिए 12 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना तैयार की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति की दिशा में क्या प्रगति हुई है और यह कार्य इस समय किस चरण में चल रहा है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस वर्ष गंगा नदी में बाढ़ आने की संभावना को देखते हुए इस परियोजना को जुलाई, 1978 के अंत तक क्रियान्वित करने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : सारन और वैशाली जिलों में गंगा नदी के उत्तरी किनारे के क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिहार सरकार की निम्नलिखित दो स्कीमें नवम्बर/दिसम्बर, 1975 में केन्द्र में प्राप्त हुई थी ।

(i) डुमरी-छपरा तटबंध स्कीम, जिस पर 194.91 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है,

(ii) 718.27 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली छपरा-सोनपुर तटबंध स्कीम ।

इन दोनों स्कीमों की केन्द्र में जांच की गई थी और स्कीमों में संशोधन करने के लिए जुलाई/नवम्बर, 1976 में टिप्पणियां भेजी गई थी। राज्य सरकार से संशोधित स्कीमें मई, 1978 में प्राप्त हो गई थी और उक्त स्कीमों को इस समय गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में जांच की जा रही है।

(ग) बाढ़ नियंत्रण राज्य विषय है और इस लिए बाढ़ नियंत्रण के स्कीमों के प्रारम्भन, आयोजन और क्रियान्वयन और वित्त पोषण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है । बिहार की राज्य सरकार ने 1978-79 में डुमरी-छपरा तटबंध स्कीम और छपरा-सोनपुर तटबंध स्कीम के लिए 90 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है ।

आवास सलाहकार समिति

71. **श्री देवव्रत बरुआ : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि:**

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के मुख्यालयों को नई दिदल्ली , बम्बई, कलकत्ता और बंगलोर जैसे महानगरों में बनाए रखने के औचित्य पर निर्णय करने के लिए वर्ष 1963-64 में एक आवास सलाहकार समिति की स्थापना की थी; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एन० एफ० सी० प्रशिक्षकों का जूनियर पी०ई०टी० के रूप में लिया जाना

72. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूनियर पी० ई० टी० की कोई नई भर्ती करने से पूर्व 1 नवम्बर, 1972 को लिये गये सभी एन० एफ० सी० प्रशिक्षकों को जूनियर पी० ई० टी० के रूप में खपाने के बारे में उनके मंत्रालय और शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के बीच कोई लिखित समझौता हुआ था;

(ख) 1 नवम्बर, 1972 के बाद, वर्षवार, इस समझौते के अनुसार अब तक कितने एन० एफ० सी० प्रशिक्षकों को नियमित किया गया है ;

(ग) 1 नवम्बर, 1972 के बाद, वर्षवार कितने नये पी० ई० टी० की भर्ती की गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ; और

(ङ) भविष्य में इस अनियमितता को रोकने के लिये उनके मंत्रालय का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 1975 वर्ष में कनिष्ठ शारिरीक शिक्षा अध्यापकों के नियमित पदों में 12 राष्ट्रीय अनुशासन योजना अनुदेशकों को समायोजित किया गया था और 1973 में 7 कनिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था जो उन उम्मीदवारों में से थे जिन्हें 1971-72 के दौरान पहले ही तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था ।

(घ) और (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

डी०आई०जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली में बहु-मंजिले क्वार्टरों में छत के पंखे

73. **श्री बी० जी० हांडे :**
श्री यू० एस० पाटील :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'के' ब्लाक (क्लाईव स्कवेयर) राम कृष्ण आश्रम में टाइप-I के बहु-मंजिले क्वार्टरों के में छत का केवल एक पंखा लगाया गया है और 'सी' ब्लाक (एलबर्ट स्कवेयर), डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली में टाइप-II के क्वार्टरों में छत के 2 पंखे लगाए गए हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस बात को देखते हुए कि अब चार मंजिल क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें खुले स्थान की अत्यधिक कमी एवं दम घुटने की स्थिति उत्पन्न होती है और लोगों को गर्मी एवं बरसात के मौसम में भी कमरों के भीतर सोना पड़ता है। क्लाईव स्क्वेयर में 'के' ब्लाज के टाईप- I क्वार्टरों में तथा एलबर्ट स्क्वेयर डी०आई०जेड० क्षेत्र के 'सी' तथा 'डी' ब्लाकों में टाईप- II क्वार्टरों में 'किचन कम डाइनिंग रुम' में छत का एक अतिरिक्त पंखा लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का ऐसे कम वेतन भोगी कर्मचारियों को, जो अपनी नगण्य आय से छत के पंखे खरीदने में असमर्थ हैं, किस प्रकार राहत देने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : सरकार ने यह निर्णय पहले ही ले लिया है कि दो कमरों वाले टाईप I क्वार्टरों में चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार एक अतिरिक्त छत-पंखा लगाया जाए। क्लाईव स्क्वेयर के 'के' ब्लाक के टाईप-I क्वार्टर में छत का एक अतिरिक्त पंखा लगाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। टाईप-II क्वार्टरों में छत का अतिरिक्त पंखा लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Government accommodation for retired personnel

74. **Shri Manohar Lal :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government do not provide any residential facility to those Government servants who retire from Government service after rendering a service of 35 years and whose children are still minor at the time of their retirement;

(b) whether Government's attention has been drawn to the difficulties of the persons who have to vacate Government accommodation immediately and the details of the proposals of Government in this regard; and

(c) if no proposals have been worked out, the main reasons therefor ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) to (c) : On retirement, a Central Government employee can retain the Government accommodation allotted to him for the periods specified in the allotment rules. Even though there is no scheme meant exclusively for retired Government employees, Housing Schemes are available to them while in service and also after retirement.

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के उप-कुलपति, रजिस्ट्रार और अधिकारियों के विरुद्ध कथित आरोप

75. **श्री भगत राम :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, दिल्ली के उप कुलपति रजिस्ट्रार को-आर्डीनेटर और सुरक्षा अधिकारी के विरुद्ध क्या मुख्य आरोप लगाये गये हैं और छात्र संघ की मुख्य मांग क्या है ;

(ख) क्या इन आरोपों के बारे में सरकार ने कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो जांच क्यों नहीं की गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) : जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय छात्र संघ ने 26 मई, 1977 को राष्ट्रपति को विश्वविद्यालय के कलाध्यक्ष के नाते एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उनसे विश्वविद्यालय के कार्यकरण की एक उच्च स्तरीय जांच करने तथा जांच को सुकर बनाने के लिए, कुलाधिपति, कुलपति, रजिस्ट्रार, समन्वयक (शैक्षिक कार्य) के पदधारियों तथा विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी को हटाने का अनुरोध किया गया था। अभ्यावेदन में उल्लिखित आरोप आपात काल के दौरान नियुक्तियों और दाखिलों, विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा छात्रों के उत्पीडन तथा छात्रों इत्यादि की गिरफ्तारी में उनके गुप्त सहयोग आदि में की गई तथाकथित अनियमितताओं से संबंधित थे। जबकि जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा दिए गए अभ्यावेदन की जांच के पश्चात् एक कुलाध्यक्षीय जांच का प्रश्न विचाराधीन था, एक आन्दोलन हुआ जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय नवम्बर, 1977 में बंद हो गया। इस प्रसंग में, प्रधान मंत्री ने, जो कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है, विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध विभिन्न शिकायतों की प्रारम्भिक जांच के लिए सहमति प्रदान की। प्रधान मंत्री द्वारा जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के विरुद्ध शिकायतों की प्रारम्भिक जांच हाल ही में पूरी हुई है तथा उनकी रिपोर्ट विचाराधीन है।

कार्य के लिए भोजन कार्यक्रम

76. **श्री निहार लास्कर :**
श्री अहमद एम० पटेल :
श्री अमर सिंह वी० राठवा :
श्री गणनाथ प्रधान :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्य के लिए भोजन कार्यक्रम उन राज्यों में बहुत सफल सिद्ध हुआ है, जहां इसे लागू किया गया था

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस प्रयोजन के लिए राज्यों को 10 लाख टन गेहूं देने का निर्णय किया है;

(ग) यह योजना कितने राज्यों में लागू की गई थी ;

(घ) राज्यों को इसके लिए कुल कितनी मात्रा में गेहूं दिया गया है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान कितने राज्यों ने गेहूं का उपयोग किया है ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 'कार्य के लिए भोजन' कार्यक्रम उन सभी राज्यों जिनमें यह शुरु किया गया था, में सफल रहा है ?

(ख) वर्ष 1977-78 के दौरान, कार्यक्रम के अन्तर्गत बंटित किए गए खाद्यानों की कुल मात्रा 204580 मीटरी टन थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग किए जाने का लक्ष्य एक मीलियन मीटरी टन रखा गया है।

(ग) से (ङ) : ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य का नाम	1977-78 के दौरान आबंटित मात्रा		1978-79 के दौरान आबंटित मात्रा (मीटरी टन)	जून, 1978 को समाप्त होने वाली पहली तिमाही के लिए बंटित मात्रा (मीटरी टन)	1978-79 के दौरान उपयोग में लाए गए खाद्यान्न (मी० टन)
	गेहूं (मी०टन)	माइलों (मीटरी टन)			
आन्ध्र प्रदेश	..	..	4,000	1,000	सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।
असम .	7,500	..	..	..	
बिहार	30,000	..	2,00,000	75,000	यथोपरि
गुजरात .		..	50,000	15,000	यथोपरि
हरियाणा	..		14,000	2,000	यथोपरि
हिमाचल प्रदेश	940	..	3,000	..	यथोपरि
कर्नाटक	1,000	1,000	50,000	15,000	यथोपरि
केरल .	6,000		50,000	10,000	यथोपरि
मध्य प्रदेश .	10,000	..	1,25,000	31,000	यथोपरि
महाराष्ट्र . .	11,940	450	16,000	..	यथोपरि
उड़ीसा . .	30,000	..	2,00,000	85,000	मई 78 : 13689.00
पंजाब . .	8,000	..	63,000	16,000	यथोपरि 579.30
राजस्थान .	6,000	..	1,28,000	45,000	सूचना अभी उपलब्ध नहीं हैं।
त्रिपुरा . .	..	..	10,000	2,000	यथोपरि
उत्तर प्रदेश .	42,000	400	1,11,000	25,000	यथोपरि
पश्चिम बंगाल .	51,200	..	2,05,000	50,000	यथोपरि
संघ शासित क्षेत्र					
मिजोराम	..	..	1,200	1,200	यथोपरि
योग . .	2,04,580	1,850	12,30,200	373,200	14268.30

बागान फसलों और बागवानी के लिये विश्व बैंक सहायता

77. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक बागान फसलों और बागवानी के आगे विकास के लिए बड़े पैमाने पर भारत को सहायता देने के लिये सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इस प्रस्ताव से सहमत हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और भारत इस विश्व बैंक सहायता का किस प्रकार उपयोग कर रहा है ;

(घ) क्या विश्व बैंक ने भारत में कृषि के विकास के लिये कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को 380 करोड़ डालर दिये थे लेकिन इसमें से अधिकांश राशि लघु सिंचाई के विकास के लिये उपयोग की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने इस पर आपत्ति की थी; और क्या कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने भारत में रोपण फसलों और बागवानी के विकास के लिए एक योजना बनाई है और यह योजना विश्व बैंक के दल द्वारा जिसने हाल ही में भारत का दौरा किया था, अनुमोदित की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) विश्व बैंक की सहायता बागानी फसलों एवं बागवानी के विकास के लिए उपलब्ध है। यह सहायता उन उपयुक्त क्षेत्रों में जिनमें विशेष रूप से सक्षम परियोजनाएं तैयार की जा सकती हैं, के लिए भी उपलब्ध है।

(ख) भारत सरकार ने विश्व बैंक से निम्नलिखित दो कार्यक्रमों के लिए स्वीकृति पहले ही ले ली है :—

(1) बागानी फसलों के विकास के लिए केरल कृषि विकास परियोजना।

(2) जम्मू व कश्मीर बागवानी विकास परियोजना ।

(ग) (1) केरल कृषि विकास परियोजना, तथा (2) जम्मू व कश्मीर बागवानी विकास परियोजना की मुख्य बातें क्रमशः संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गयी हैं। विश्व बैंक सहायता का उपयोग विवरण 1 और 2 के अनुसार किया जा रहा है।

(घ) कृषि पुनर्वित्त विकास निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली 35 परियोजनाओं के अन्तर्गत विश्व बैंक का कुल ऋण, जिसमें क्रियान्वयन करने वाली अन्य एजेंसियों के लिए ऋण अवयव भी शामिल हैं, 16,600 लाख अमरीकी डालर है। इसमें से लगभग 8,700 लाख अमरीकी डालर कृषि पुनर्वित्त विकास निगम के लिए उपलब्ध है। इन 35 परियोजनाओं में से केवल 3, अर्थात् मद (ग) में दी गयी 2 परियोजनाएं तथा तीसरी, हिमाचल प्रदेश से परिसंस्करण परियोजना 1974 में शुरु की गयी थीं और ये 1978 में समाप्त होनी हैं। ये परियोजनाएं बागानी फसलों तथा बागवानी से सम्बन्धित हैं। दूसरी तरफ 10 अलग-अलग राज्य परियोजनाओं तथा 2 सामान्य ऋणों के अन्तर्गत लघु सिंचाई निवेशों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मुख्य रूप से बल दिया गया था।

(ङ) विश्व बैंक द्वारा लघु सिंचाइ के लिए स्वयं बड़ी मात्रा में किए गए आबंटन को दृष्टि में रखते हुए विश्व बैंक द्वारा कोई आपत्ति करने का प्रश्न ही नहीं होता। कृषि पुनर्वित्त विकास निगम द्वारा भारत में बागानी फसलों एवं बागवानी के विकास के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं की गई है ।

विवरण 1

केरल कृषि विकास परियोजना की मुख्य विशेषताएं

छोटे किसानों के आर्थिक स्तर में सुधार करने पर जोर देते हुए विदेशी मुद्रा अर्जित जरने वाली प्रमुख वृक्ष वाली फसलों तथा काली मिर्च की उत्पादिता में सुधार करना केरल कृषि विकास परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। यह परियोजना 1977-78 से कार्यान्वित की जा रही है तथा यह 7 वर्ष की अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाएगी । परियोजना के घटक निम्नलिखित हैं :—

(1) केन्नानोर, कोझीकोड तथा मालापुरम जिलों के 5,000 हैक्टर क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली नारियल का नया पौध-रोपण करना ।

(2) केन्नानोर, कोझीकोड, मालापुरम तथा त्रिवेन्द्रम जिलों में जड़मुएझान रोग से मुक्त 30,000 हैक्टर में नारियल की पौध फिर से लगाना, जिसमें जर्जर एवं अनुत्पादक वृक्ष का पुनः रोपण भी शामिल है।

(3) नारियल के परियोजना क्षेत्रों में लघु सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था—नये पौध-रोपण वाले क्षेत्रों में 1,000 हैक्टर और पुनः रोपण किए जाने वाले क्षेत्रों में 7,500 हैक्टर में।

(4) नारियल क्षेत्रों में अन्तर्वर्ती फसल उगाना—सिंचाई बिना विभिन्न बागानी फसलों वाला 26,500 हैक्टर क्षेत्र, कोको का लगभग 3,000 हैक्टर, डेरी के पशुओं के लिए चारे के लगभग 3,000 हैक्टर और सिंचाई सहित अन्य फसलों का लगभग 2,500 हैक्टार क्षेत्र।

विवरण 1—जारी

(5) केन्नानोर, इद्दूक की और कोट्टायम जिलों में 10,000 हैक्टार क्षेत्र में पुन: पौध-रोपण जिनमें काली मिर्च की पुन: पौधारोपण शामिल है।

(6) केन्नानोर जिलें में राज्य के 2,280 हैक्टार काजू बागान का पुन: रोपण करना और 1,470 हैक्टार में नया पौध-रोपण करना ।

(7) नारियल, काजूगिरी, कोको तथा मसालों के लिए बीज बागों का लगभग 435 हैक्टार की स्थापना करना ।

(8) क्रम्ब रबर फैक्टरियों की स्थापना जिनमें 9 नई और एक का विस्तार करना होगा । प्रत्येक की क्षमता 10 टन प्रति दिन होगी ।

(9) केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान, केरल कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय रबर बोर्ड द्वारा अनुसंधान को सुदृढ़ करना तथा प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता देना ; और

(10) परियोजना में भाग लेने वालों के लिए उन्नत विस्तार सेवाओं तथा निवेश सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

विवरण 2

जम्मू तथा कश्मीर बागवानी परियोजना की मुख्य बातें

जम्मू तथा कश्मीर बागवानी परियोजना की बातें निम्नलिखित हैं :—

यह परियोजना 6 वर्ष तक चलाई जायेगी तथा बागवानी निगम के जरिए बारामुला श्रीनगर, और अनन्तनाग जिलों में सेव तथा अखरोट का क्रम निर्धारण, पैकिंग, परिसंस्करण एवं विपणन की सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करते हुए जम्मू तथा कश्मीर सरकार की सहायता करेगी । परियोजना के कार्यकलापों से सेव तथा अखरोट के लिए उत्पादकों को एक वैकल्पिक विपणन चैनल प्राप्त होगा जो परम्परागत व्यापार द्वारा प्रदान किया गया है, जिसका परिणाम विपणन लागतों को कम करने, मौसमी सेव की बहुलता में कमी, फल की किस्म में सुधार, छटे हुए सेवों को, जो इस समय बेकार हो जाता है, उपयोग में लाना होगा । इस परियोजना से खराब होने वाले अखरोटों की मात्रा में कमी होगी, छिलके सहित अखरोटों तथा गिरी की किस्म में सुधार होगा तथा कृषि विभाग को उन समस्याओं के हल करने में सहयोग प्राप्त होगा जो छोटे परन्तु उदीयमान जम्मू तथा कश्मीर खुम्भी उद्योग के विस्तार में बाधक है । इस परियोजना से विशेषकर छोटे किसानों, जिनका इस समय बड़े उत्पादकों तथा व्यापारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है, को लाभ होगा । परियोजना के घटक निम्नलिखित है :—

(क) सेवों के लिए 25 सेव क्षेत्रीकरण और पैकिंग केन्द्र, जिसमें से 10 की क्षमता 6,000 टन और 15 की क्षमता 1,000 टन होगी ; 17,000 टन शीतागार; फल कंटेनरों के उत्पादन के लिए बड़े क्षेत्रीकरण और पैकिंग केन्द्रों से संलग्न दस आरा मिलें ; एक जहाज से फल भेजने का केन्द्र; और एक 12,000 टन सेवों की प्रति वर्ष क्षमता वाला जूस परिसंस्करण सयंत्र ;

(ख) अखरोट के लिए 14 खोल निकालने/सुखाने और पैकिंग केन्द्र, जिनमें से एक 2,000 टन क्षमता का एक 1,000 टन क्षमता का और बारह 500 टन क्षमता के हैं ; और मुख्यत: निर्यात के लिए गिरियां निकालने के लिए एक 4,000 टन वार्षिक क्षमता वाला परिसंस्करण केन्द्र ;

(ग) खुम्भी के लिए उन्नत स्पान उत्पादन और अनुसंधान सुविधाएं ;

(घ) फल उत्पादन और कटाई के खर्चों को वहन करने के लिए उत्पादकों की सहायता हेतु 200 लाख रुपयों का मौसमी ऋण ;

(च) फलों का कटाई के बाद परीक्षण करने के लिए बागवानी विभाग के लिए संभव बनाने हेतु विशिष्ट शीतागार, अनुसंधानशाला और पुस्तकालय सुविधाएं ;

(छ) सेव, अखरोट और सेव के रस के विपणन के सुधार हेतु तीन अध्ययन, और एक परियोजना मूल्यांकन अध्ययन ; और

(ज) परियोजना सुविधाओं के डिजायन और संचालन में समर्थन के लिए और फल और खुम्भी उत्पादन में सुधार हेतु बागवानी विभाग और कृषि विभाग की सहायता हेतु 90 श्रम महीनों का परामर्शदाता समय और 62 श्रम महीनों का समुद्रपारीय प्रशिक्षण ।

कृषि मूल्य आयोग द्वारा एकत्रित उत्पादन लागत सम्बन्धी आंकड़ों और उनके उपयोग किये जाने के बीच अंतर

78. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा एकत्रित उत्पादन लागत सम्बन्धी आंकड़ों और उसके किये जाने के बीच तीन से चार वर्षों का अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि मूल्य आयोग इस कारण एकत्रित आंकड़ों को कच्चे पटसन अथवा अन्य कृषि वस्तुओं के सर्वाधिक मूल्य की सीफारिश करने के लिये उपयोग करने से पूर्व उसे अद्यतन बनाता है ; और

(ग) क्या मूल्यों में निरन्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कृषि मूल्य आयोग द्वारा इस प्रकार निर्धारित उत्पादन लागत से वास्तविक उत्पादन लागत का बोध होता है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने की वृहद योजना के अन्तर्गत कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा कृषि मूल्य आयोग को उपलब्ध कराए गए विभिन्न फसलों के बारे में उत्पादन की लागत के अनुमान पिछले वर्ष से सम्बन्धित हैं।

(ख) जी हां।

(ग) उपर्युक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए उस अवधि के दौरान आदान के मूल्यों में संभावित घटा-बढ़ी को ध्यान में रखते हुए उनमे होने वाले सम्भावित परिवर्तनों के लिये रियायत की व्यवस्था की जाती है।

दिल्ली के लिये चीनी के कोटे में वृद्धि

79. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में जन संख्या बढ़ जाने के कारण दिल्ली के लिये चीनी के कोटे में वृद्धि की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन को जून, 1976 और उसके बाद से 5,304 मीटरी टन चीनी का मासिक कोटा प्राप्त हो रहा था। 27 अक्तूबर, 1977 को यह निर्णय किया गया था कि राज्यों को जनसंख्या के आधार पर कोटे आबंटित किए जाए और वितरण मे मामले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। तदनुसार उपलब्धता की स्थिति को देखते हुए, चीनी के राज्यवार मासिक कोटे 1-4-1978 को प्रायोजित जनसंख्या के संदर्भ में पुनः निर्धारित किए गए थे जिसके अन्तर्गत दिसम्बर, 1977 से प्रति व्यक्ति 425 ग्राम की मासिक उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। तथापि, कुछेक राज्यों/दिल्ली सहित संघ शासित प्रदेशों के मामले में जहां कि वर्तमान कोटे में से उपर्युक्त प्रायोजित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति उपलब्धता को 425 ग्राम से अधिक पाया गया था, यह निर्णय किया गया कि इनके कोटे को पूर्व के स्तर पर ही कायम रखा जाए। अतः दिल्ली प्रशासन के 5,304 मीटरी टन के कोटे, जिससे 1-4-1978 को 54.39 लाख की प्रायोजित जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति मासिक उपलब्धता 975 ग्राम बैठती है, जबकि मानदंड 425 ग्राम का है, में कोई कटौती नहीं की गई थी और उसे दिसम्बर, 1977 और उसके बाद उसी स्तर पर कायम रखा गया था।

2. उपर्युक्त स्थिति दिल्ली प्रशासन को बता दी गयी है।

दण्डकारण्य के विस्थापितों के पुनर्वास के लिये धनराशि

80. **श्री धीरेन्द्रनाथ बसु :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या दण्डकारण्य के विस्थापितो के पुनर्वास के लिये राज्य सरकार अथवा दण्डकारण्य प्राधिकारियों को पर्याप्त धनराशि आबंटित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978-79 में पुनर्वास कार्यों के लिये पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा सरकारों को, राज्यवार, और दण्डकारण्य प्राधिकारियों को कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ग) विस्थापितो और उस क्षेत्र को छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और सुन्दरबन के विकास के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां।

(ख) 1978-79 के बजट अनुमान में निम्न राशि की व्यवस्था की गई है :-

पश्चिम बंगाल	187.73 लाख रुपये
त्रिपुरा	0.60 लाख रुपये
उड़ीसा	613.79 लाख रुपये
दण्डकारण्य परियोजना	1795.24 लाख रुपये

(ग) स्थान छोड़कर जाने वालों को दण्डकारण्य में पुनर्वास देने के लिए स्वीकृत किए गए पैमानों के आधार पर वर्तमान अनुमान के अनुसार 2.00 करोड़ रुपये का व्यय होने की संभावना है। इस विभाग का सुन्दरबन के विकास से कोई संबंध नहीं है और इसलिए राशि मंजूर करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

Implementation of River Basin Reservoir Project

†81. **Shri Birendra Prasad :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether River Basin Reservoir Project was submitted to the Central Government by the Bihar State in 1975;

(b) whether lakhs of acres of land in Nalanda, Gaya and Patna districts of Bihar will be brought under irrigation under the project;

(c) whether hilly areas of the Chatra sub-division of Hazaribag district has been selected for the construction of reservoir; and

(d) the stage at which the scheme is lying and the difficulty in the way of implementing it by the Central Government?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) No, Sir.

(b) to (d) : Do not arise.

दिल्ली स्कूल टीचर्स हाउस बिल्डिंग सोसायटी दिल्ली

82. **श्री महीलाल :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री दिल्ली स्कूल्ज टीचर्स कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी दिल्ली के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के बारे में 27 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4386 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) यह कब तक और किस तरीके से उपलब्ध कराई जायेगी ; और

(ङ) किन कारणों से उपरोक्त उल्लिखित उत्तर में यह नहीं बताया गया था कि अपेक्षित जानकारी कब तक और किस प्रकार उपलब्ध कराई जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) : तक दिल्ली स्कूल टीचर्स सहकारी गृह निर्माण समिति की सदस्यता के बारे में मामला 1977 की सिविल रिट याचिका नं० 659 के अन्तर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आया था। न्यायालय ने 26 मई, 1978 को एक आदेश जारी किया जिसमें सदस्यों की सूची को अन्तिम रूप देने के लिए एक समय बद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया। तथापि, मामला अभी भी न्यायाधीन है क्योंकि उच्च न्यायालय ने अभी भी रिट का याचिका अन्तिम रूप से निपटान नहीं किया है।

लघु उद्योगों को दिये गये क्रयादेश

83. **श्री पी० त्यागराजन :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों में पूर्ति विभाग की क्या निश्चित भूमिका रही है ;

(ख) वर्ष 1977-78 के दौरान विभाग द्वारा दिये गये क्रयादेशों की कुल कीमत की तुलना में लघु-उद्योगों को कितनी कीमत के क्रयादेश दिये गये ;

(ग) पहले के वर्षों की तुलना में अब लघु-उद्योगों को किस सीमा तक अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है; और

(घ) ऐसे उद्योग किस सीमा तक करारों को सन्तोषजनक ढंग से पूरा करने में समर्थ है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) 'सरकारी नीति का उद्देश्य यह है कि जो वस्तुएं पुर्ति विभाग के इंडैंटों पर है, उनकी सरकारी खरीद के लिये लघु-उद्योगों/कुटीर उद्योगों के उत्पादन एवं क्षमताओं का, यथा सम्भव अधिक से अधिक उपयोग किया जाए।

(ग) लघु-उद्योग एककों द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन की माता इस बात से प्रकट होती है कि प्रति वर्ष उनको दिये जाने वाले क्रयादेशों के मूल्य में वृद्धि हो रही है और केवल लघु-उद्योग एककों के लिये आरक्षित आइटमों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है ।

(घ) ठेके सम्बंधी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लघु-उद्योग एककों का कार्य निष्पादन सब मिलाकर सन्तोष-जनक रहा है । जब भी आवश्यकता होती है, उन्हें ठेकों के निष्पादन के योग्य बनाने के लिये परिदान अवधि में उचित वृद्धि स्वीकृत की जाती है । जहाँ लघु-उद्योग एककों का निष्पादन असन्तोषजनक रहता है, वहाँ ठेके सम्बन्धी त्रुटियों के निराकरण की कार्यवाही के अतिरिक्त मामला राष्ट्रीय लघु-उद्योग एकक को भेज दिया जाता है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

84. **श्री पी० कानन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संबंधी योजना छोड़ दी गई है अथवा पूरी तरह से संशोधित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और प्रतिस्थापन योजना, यदि कोई है तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर अब तक कितना व्यय किया गया है और ऐसे व्यय का अनुपात क्या है जिसे बेकार नहीं कहा जाता सकता ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 518 लाख रुपये । कोई व्यय बेकार नहीं हुआ, यद्यपि जिस प्रयोजन के लिए यह किया गया था वह हल नहीं हुआ ।

तमिलनाडु में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी का सिंचाई के लिये उपयोग

85. **श्री पी० एस० रामलिंगम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु केरल क्षेत्र में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों, जिनका अधिकांश जल समुद्र में बह जाता है, सम्बंधी समस्या का गहराई से अध्ययन किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि तमिलनाडु के जल की कमी वाले क्षेत्रों में उचित परियोजनाओं को आरम्भ करके उनके पानी को सिंचाई के लिये उपयोग किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु और केरल के अधिकांश लोगों की भलाई के लिये ऐसी परियोजनाओं क निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने में सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार की क्या योजना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : केरल और कर्नाटक की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के फालतु जल को पूर्व की ओर मोड़ने की व्यवहारिकता की जाँच करने के लिए भारत सरकार, सिंचाई विभाग द्वारा एक तकनीकी समिति की स्थापना की गई है ।

योजना आयोग ने भी अरब सागर में जाकर मिलने वाली नदियों के जल संसाधनों और उनके उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति का गठन किया है ।

(ग) इन रिपोर्टों के प्राप्त होने पर इस मामले में आगे उठाए जाने वाले कदमों पर विचार किया जाएगा ।

6—198 LSS/78

तकनीकी शिक्षा को नया रुप देना

86. **श्री आर० मोहनरंगम :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तकनीकी शिक्षा को नया रूप देने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है जिससे कि इसे देश की तत्काल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकें ;

(ख) यदि हां, तो तकनीकी शिक्षा की वर्तमान पद्धति में उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन करने के लिये क्या निश्चित एवं ठोस कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) ऐसे कदमों को देश भर में कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जो तकनीकी शिक्षा पद्धति देश में विकसित की गई है उससे देश की विकास आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संख्या तथा दक्षता दोनों में प्रशिक्षित जनशक्ति प्राप्त हुई है तथापि पद्धति का सुधार एक सतत प्रक्रिया है जिस पर सरकार द्वारा अपेक्षित ध्यान दिया जा रहा है।

(ख) सभी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा के वर्तमान दर्जे का आलोचनात्मक रूप से पुनरीक्षण करने और विद्यमान कार्यक्रमों के पुनः अनुस्थापन तथा उन में सुधार सुझाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में तकनीकी शिक्षा सम्बंधी एक कार्य दल की नियुक्ति की गई थी । उक्त कार्य दल ने देश की तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं ये सिफारिशें मोटे तौर पर आगे और विस्तार के बिना पर्याप्त तकनीकी जनशक्ति की आपूर्ति तकनीकी शिक्षा की वर्तमान पद्धति में सुधार के उपाय तकनीकी संस्थाओं और उद्योग, से घनिष्ठतर सहयोग औद्योगिक अनुसंधान, ग्रामिण विकास और सामुदायिक सेवाओं से सम्बंधित है ।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा कार्य दल की इन सिफारिशों का समर्थन कर दिया गया है ।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को इस अनुरोध के साथ आवश्यक पत्र भेज दिए गए हैं कि इन सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित करें ।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने के लिए व्यावसायिक सर्वेक्षण

87. **श्री सी० वेणुगोपाल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लागू करने की दृष्टि से किस सीमा तक जिला स्तर पर व्यावसायिक सर्वेक्षण किये गये है ;

(ख) ऐसे सर्वेक्षण के लिए कितनी मात्रा में केन्द्रीय सहायता दी गई और कितनी धन राशि का वस्तुतः उपयोग किया गया ; और

(ग) 10+2 शिक्षा पद्धति के लिए भारत भर में अब तक चुने गये वास्तविक पाठ्यक्रमों के सारांश का ब्यौरा क्या है और इन पाठ्यक्रमों की लोकप्रियता का क्रम क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिककरण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत असम, गुजरात, जम्मु और काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तामिलनाडु और त्रिपुरा राज्यों में व्यावसायिक सर्वेक्षण करने के लिए 6, 97,500 की राशि के सहायक अनुदान दिए गए है । इस धन का वास्तविक उपयोग किस सीमा तक हुआ है, इसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) 10×2 स्तर पर व्यावसायिक वर्णक्रम (स्पैकट्रम) के अन्तर्गत वाणिज्य कृषि पराचिकित्सा तथा तकनीकी पेशों आदि के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को चुना गया है। क्षेत्र की समाज-आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रमों को चुना जाता है और उनकी लोकप्रियता स्थानीय रोजगार क्षेत्र की मांग पर निर्भर करती है । तथापि, बड़ेबड़े शहरों में तकनीकी वाणिज्य तथा परा चिकित्सा पाठ्यक्रमों की मांग बहुत अधिक हैं । किंतु ग्रामीण संस्थाओं में कृषि और वाणिज्य अधिक लोकप्रिय हैं ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में परिवर्तन

88. **श्री ए० बाला पजनौर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास की योजना में क्या वास्तविक परिवर्तन किये हैं ;

(ख) कितनी धनराशी खर्च करने का विचार है तथा वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधियों के लिये क्या ठोस योजनाएं बनाई गई हैं: और

(ग) इस योजना की सार्थक क्रियान्विति के लिये तथा तीव्र गति से प्रगति सुनिश्चित करने के लिये आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की कहां तक सहायता ली गई हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) वर्तमान सरकार ने पुराने समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को पूर्ण रूप से पुनर्गठित किया है, पहले कार्यक्रम में संसाधन सूचियां, अव्यवस्था-उपाय विश्लेषण और कार्यवाही योजनाएं तैयार करना शामिल था, जो एक समय लगनेवाली प्रक्रिया थी । नये कार्यक्रम ने एक निश्चित समयावधि में उत्पादी कार्यक्रमों के माध्यम से विकास और पूर्ण रोजगार के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य निर्धारित किये हैं । अब ग्रामीण समुदाय के उपेक्षित वर्गों में पता लगाए गए लक्ष्य-दलों को विकास के लाभ पहुंचाने की ओर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है । नई नीति खण्ड स्तर पर विकेन्द्रीकृत सूक्ष्म-स्तरीय आयोजना पर आधारित है। इस प्रयोजन के लिए लघु किसान विकास एर्जेसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और कमाण्ड क्षेत्र विकास के विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाये गये लगभग 3000 खंडों में से 2000 खण्डों का तेजी से विकास किया जाना है इनके अलावा आगामी पांच वर्षों में वर्तमान विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत न लाये गये खंडों में से प्रतिवर्ष 300 नये खंडों को शुरू किया जाएगा। इस प्रकार 3500 खण्ड वर्तमान पंचवर्षीय योजना में विकसित किए जाएंगे ।

विशिष्ट कार्यक्रमों, जो सहायता के पात्र होंगे, की एक सूची तैयार की गई है, और उसे राज्य सरकारों को भेज दिया गया है । खण्ड-स्तरीय योजनाओं को तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में स्वैच्छिक एर्जेसियों को भी सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा।

ये सभी विशेषताएं वर्तमान कार्यक्रम को पुराने कार्यक्रम से पृथक करतीं हैं ।

(ख) राज्य सरकारों और केन्द्रशासित क्षेत्रों को यथानुपात आधार पर 2000 खण्ड आबंटित किए गए है, जिन्हें इस समय लघु कृषक विकास एजसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे चल रहे तीन मुख्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाया गया है। लघु किसान विकास एर्जेसी और कमाण्ड क्षेत्र विकास एर्जेसी के अन्तर्गत चुने गए खण्डों को 5 लाख रूपए प्रति खण्ड की दर से केन्द्रीय सहायता प्राप्त होगी। सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम खण्डों को 4 लाख रूपए प्रति खण्ड की दर से केन्द्रीय सहायता दी जाएगी, जबकि राज्य सरकार प्रत्येक सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम खण्ड को 1 लाख रूपए सुलभ करेगी । यह सहायता इन खण्डों में वित्त देने के वर्तमान स्तर के अलावा होगी। चूंकि कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया है, अतः वास्तविक व्यय के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। विभिन्न योजनाओं को दर्शाते हुए खण्डों के गहन विकास के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त जिन्हें गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत अपनाया जा सकता है राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को जारी किए गए है। नए कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकतम बल पहुचाने गये लक्षित ग्रुपों के लिए अलग अलग लाभकारी योजनाओं पर दिया जाएगा ।

(ग) आयोजना तथा कार्यान्वयन के लिए निर्मित पद्धति विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के निवेशों का उपयोग करेगी। कृषि, पशुपालन, मछलीपालन तथा सिंचाई आदि क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए सुझाई गई योजनाएं इन क्षेत्रों में दिए गए हाल के अग्रिमों पर तैयार की गई हैं ।

मत्स्य उद्योग का विकास

89. **श्री के० मायातेवर** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य उद्योग जिसमें खाद्य समस्या को हल करने के साथ-साथ रोजगार उत्पन्न करने की भी अच्छी गुंजाइश है, के विकास में केन्द्र सरकार ने स्पष्टतः क्या भूमिका निभाई है ;

(ख) मछुओं को कितनी सहायता दी गई है ताकि उनका व्यवसाय अधिक आकर्षक बन सके; और

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में ट्रालरों के निर्माण सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है तथा तत्सम्बन्धी आगामी कार्यक्रम क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से मात्स्यकी के विकास के लिए अनेक उपाय किए हैं। विभिन्न योजना स्कीमों के क्रियान्वयन से मत्स्य उत्पादन 1951 के 0.75 लाख मीटरी टन से बढ़कर 25.0 लाख मीटरी टन हो गया, जिसमें समुद्री संसाधनों

से 16.0 लाख मीटरी टन तथा अन्तर्देशीय संसाधनों से 9.0 लाख मीटरी टन शामिल है। उत्पादन में वृद्धि होने से लोगों को रोजगार तथा प्रोटीन युक्त खाद्य उपलब्ध हुआ है।

(ख) सरकार समुद्री तट के मछुओं को यन्त्रचालित मत्स्यन नौकाओं का प्रयोग करने के लिए और उनकी देशी नावों, क्राफ्ट तथा गीयरों में सुधार के लिए राज सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं जैसे यन्त्रचालित नौकाएं खड़ा करने एवं उतारने-चढ़ाने की सुविधाएं मुख्य सड़कों से मछुओं के गांवों को जोड़ने और मत्स्य परिवहन एवं परिरक्षण की सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती हैं।

(ग) इस समय, सरकार, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की एजेन्सियों के पास तट से दूर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लगभग 35 प्रतिशत जलयान भारतीय शिपयार्डों में निर्मित किए गए हैं। छोटी यन्त्रचालित नौकाओं का पूरा बेड़ा देश में ही तैयार किया गया है। देशी ट्रालर--निर्माण क्षमता के विकास के लिए सरकार ने साहाय्य योजना के स्थान पर और अधिक वृहत् विकास सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है जिससे कि देशी शिपयार्डों को प्रतियोगी मूल्यों पर मत्स्यन जलयान उपलब्ध हो सकें।

व्यावसायिक प्रशिक्षण लागू करने के लिये राज्यों की सहायता

90. **श्री आर० कोलनथाईवेलु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों के नगण्य संसाधनों को देखते हुए बड़े पैमाने पर व्यावसायिक प्रशिक्षण लागू करने के लिये केन्द्र द्वारा राज्यों को क्या विशेष सहायता दी गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : राज्यों को एक बड़े पैमाने पर व्यावसायिक प्रशिक्षण लागू करने के लिये कोई विशेष सहायता नहीं दी जाती है। तथापि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आधुनिक और विविधता पूर्ण बनाने में सहायता देते हैं और इस प्रकार राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित तथा वित प्रेषित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार होता है।

केन्द्रीय सरकार ने, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता की एक योजना भी कार्यान्वित की है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित मदों के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाती है :--

(i) जिला व्यावसायिक सर्वेक्षणों का आयोजन;

(ii) जिला व्यावसायिक शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति;

(iii) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये उपस्करों की खरीद;

(iv) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये अध्यापकों का वेतन;

अब तक असम, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैण्ड, उड़िसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यों को 31,57,500 रुपए की राशि दी जा चुकी है।

Expenditure incurred on the renovation of the houses of Central Ministers

91. **Shri Hukmdeo Narain Yadav :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on the renovation of the houses of the Cabinet Ministers of the previous Government including the Ministers of State and Deputy Ministers during the year 1976-77;

(b) the total expenditure incurred on renovation of the houses of Ministers of the Cabinet of the present Government and the area of each house during 1977-78; and

(c) the amount paid on account of electricity, power and water charges in respect of each house from April, 1977 to June, 1978?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

उच्चतर माध्यमिक परीक्षा परिणाम

92. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह से शिक्षा पद्धति में पूर्ण विफलता के बारे में कोई विस्तृत ज्ञापन मिला है जिसके परिणामस्वरूप 1978 की माध्यमिक परीक्षा का असाधारण रूप से घटिया परिणाम सामने आया है ; और यदि हां, तो सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ; और

(ख) क्या सरकार को शिक्षा पद्धति में सुधार के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) । अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के कुछ निवासियों से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के स्कूलों के घटिया परिणामों तथा शैक्षिक स्तरों में गिरावट से संबंधित एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । सरकार इस समस्या के प्रति सजग है । इन द्वीपों की शैक्षिक समस्याओं का मौके पर अध्ययन करने तथा उपचारी उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है । इस समिति द्वारा शीघ्र ही इन द्वीपों का दौरा किए जाने की सम्भावना है ।

विद्यार्थियों/शिक्षकों के आन्दोलनों के कारण शिक्षण दिवसों की हानि

93. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1977 से मार्च, 1978 तक देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार विद्यार्थियों/शिक्षकों के आन्दोलनों के कारण कुल कितने शिक्षण दिवसों की हानि हुई; और

(ख) वर्ष 1977–78 के आंकड़े वर्ष 1976–77 की तुलना में अधिक हैं अथवा कम और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डॉ० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : देश के विभिन्न विश्व विद्यालयों में आन्दोलनों और अन्य घटनाओं के कारण जितने शिक्षा दिवसों की हानि हुई है उसकी संख्या के बारे में पूरी सूचना सरकार द्वारा निरन्तर नहीं रखी जा रही है। तथापि, राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों के परामर्श से किये गये मूल्यांकन से यह पता चलता है कि विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उनके सामने दी गई अवधि के लिए सितम्बर 1977 से मार्च, 1978 तक की अवधि के दौरान अध्यापन कार्य को स्थगित करना पड़ा था :—

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का नाम	बन्द होने की तारीख	कारण
	1	2	3
1	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।	17–27 सितम्बर, 1977	युनियन के चुनावों के बाद हिंसक घटनाएं ।
2	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	20 सितम्बर से 10 अक्टूबर, 1977	छात्र आन्दोलन ।
3	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर ।	14–28 अक्टूबर, 1977	कुलपति को हटाने के लिए छात्र आन्दोलन ।
4	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ।	2 नवम्बर, 1977 से 2 जनवरी, 1978 तक	जांच आदि के लिए आन्दोलन ।
5	गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर।	18 से 19 नवम्बर, 1977 तक	छात्र हड़ताल ।
6	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।	18 नवम्बर तथा 1–12 दिसम्बर, 1977	गैर-शिक्षण कर्मचारियों की हड़ताल ।
7	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।	30 नवम्बर, 1977	छात्र हड़ताल ।
8	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी ।	5–6 दिसम्बर, 1977	छात्र आन्दोलन ।

1	2	3
9 पटना विश्वविद्यालय, पटना ।	13 दिसम्बर, 1977 से 2 जनवरी, 1978 तक	छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प ।
10 मगध विश्वविद्यालय, बोध-गया ।	13 दिसम्बर, 1977 से 2 जनवरी, 1978 तक	छात्रों और पुलिस के बीच झड़पें।
11 लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	1–5 फरवरी, 1978	यूनियन के चुनावों के दौरान छात्रों में हुई झड़पें।
12 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	15–24 फरवरी, 1978	छात्रों के बीच झड़पें ।
13 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	11–31 मार्च, 1978	चिकित्सा कालेजों में आरक्षण से संबंधित छात्रों द्वारा किया गया आन्दोलन, रेक्टर पर आक्रमण आदि।

बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए विभिन्न सेवाओं में नौकरियों के लिए कुछ प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के निर्णय पर मार्च, 1978 में हिंसा भड़क उठी जिसके कारण इन दो राज्यों के कई विश्व-विद्यालय बंद हो गए। इस प्रश्न पर हिंसक घटनाओं के बाद बिहार के निम्नलिखित विश्वविद्यालय मध्य मार्च से अप्रैल के अन्त तक बन्द करने पड़े :—

(i) पटना विश्वविद्यालय, पटना।

(ii) बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर ।

(iii) रांची विश्वविद्यालय, रांची ।

(iv) मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा ।

(v) मगध विश्वविद्यालय, बोद्धगया ।

(vi) के. एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा ।

(vii) भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।

रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने इन सभी विश्वविद्यालयों को चरणों में फिर से खोलने का निर्णय किया किन्तु ऐसे दो अथवा तीन विश्वविद्यालयों को जिन्हें प्रथम चरण में पुनः खोला जाना था, रोजगार में आरक्षण के प्रश्न से सम्बन्धित नई हिंसक घटनाओं के कारण ग्रीष्म अवकाश के अन्त तक फिर से बन्द करना पड़ा था ।

वर्ष 1976–77 से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नही है ।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा दिये गये शोध अनुदान

94. **श्री नाथू सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद को अध्यावधि को परियोजनाओं हेतु शोध अनुदान के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय तथा उसके कालेजों के लेकचररों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एशिया में तथा एशिया से बाहर फील्ड कार्य के लिए किन-किन परियोजनाओं के लिए अनुदान मांगे हैं; और उनके आवेदन कब से लंबित पड़े हैं ; और

(ग) इन आवेदनकर्ताओं को शोध निधियां प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भा०सा०वि०अनु०परि० में अल्पावधि परियोजनाओं हेतु अनुसंधान अनुदानों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके कालेजों के लेक्चररों का कोई आवेदन-पत्र अनिर्णित नही पड़ा है।

(ख) भारत में क्षेत्र कार्य के लिए अनुदान की मांग किसी भी अनुसंधानकर्त्ता ने नही की है । एशिया में क्षेत्र काय के लिए अनुदान हेतु निम्नलिखित दो आवेदन-पत्र क्रमश: मार्च, 78 और अप्रैल, 78 से भा०सा०वि०अनु० परि० के विचारार्थ अनिर्णित पड़े हैं :—

1. "गैर-परम्परागत चीजों के विशेष विपणन" सम्बन्धी अपने पी०एच०डी० कार्य के लिए ईरान, कुवैत, सउदी अरब तथा लिबिया अथवा थाइलैण्ड, मलेसिया, फिलीपिन्स और जापान में से किसी एक से क्षेत्र दौरे के

लिए वित्तीय सहायता की मांग करते हुए भगतसिंह कालेज, नई दिल्ली के वाणिज्य के लेक्चरर श्री श्री राम खन्ना से प्राप्त आवेदन-पत्र" ।

2. "चीन में क्रान्तिकारी राजनीति तथा माओत्से तुंग का राजनैतिक दर्शन" नामक अपनी परियोजना के लिए हांगकांग/चीन के अपने प्रस्तावित दौरे हेतु वित्तीय सहायता की मांग करते हुए, चीनी अध्ययन, के रीडर डा० मनोरंजन मोहन्ती से प्राप्त आवेदन-पत्र ।

(ग) श्री खन्ना के आवेदन-पत्र पर अगस्त, 1978 में होने वाली भा०स०वि०अनु०परि० की सम्बन्धित समिति की अगली बैठक में विचार किया जाएगा ।

डा० मोहन्ती ने परिषद् द्वारा अपेक्षित स्पष्टीकरण 2½ महीने तक नहीं दिया ।

रूस के कृषि विशेषज्ञों का दौरा

95. **श्री के० ए० राजन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के कृषि विशेषज्ञों के एक दल ने हाल ही में हमारे देश का दौरा किया था ;

(ख) क्या उन्होंने हमारे देश में कृषि यंत्रीकरण की समस्याओं के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि इंजीनियरों और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी;

(ग) क्या कृषि यंत्रीकरण में रूस का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई करार किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान । कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के वर्तमान भारत-रूस नया प्रचार के प्रावधानों के अन्तर्गत, रूसी कृषि इंजीनियरों का एक दल मई, 1978 में भारत आया था ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के दौर के दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ दोनों देशों बीच कृषि इंजीनियरी में अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग की संभावना का पता लगाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया ।

(ग) जहां तक कि खेती में यंत्रों के प्रयोग पर अनुसंधान का सम्बन्ध है, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधी नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

10+2+3 की शिक्षा पद्धति

96. **श्री के० ए० राजन :**

श्री पी० राजगोपाल नायडू :

श्री केशवराव धोंगडे :

श्री आर० कोलनथाईवेलू :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 10+2+3 की शिक्षा पद्धति के संबंध में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सारा मामला अभी चर्चाधीन तथा विचाराधीन है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) : नई दिल्ली में 13 से 15 जुलाई, 1978 तक हुए राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया :—

"शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने देश में औपचारिक शिक्षा के ढ़ाचे पर विचार किया । इसने इस तथ्य को नोट किया कि 26 राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र, शिक्षा आयोग 1964-66 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 द्वारा में सिफारिश किए गए 10+2+3 के ढांचे अर्थात 12 वर्षीय स्कूल शिक्षा और तीन-वर्षीय कालेज शिक्षा को पहले ही शुरू कर चुके हैं ।

सम्मेलन ने प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में राज्यों के दायित्व पर भी विचार किया और उसका मत है कि जब तक कक्षा 8 को एक चरण (स्टेज) के रूप में मान्यता दी जाती है यह ढांचा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं है ।

सम्मेलन इस बात से सहमत है कि स्कूल शिक्षा के ढांचे में 12 वर्ष की अवधि के प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्चस्तर माध्यमिक स्तर शामिल होने चाहिए ।

उच्चस्तर शिक्षा का अवर-स्नातक स्तर तीन वर्ष की अवधि का हो सकता है । तथापि, जहां कोई राज्य सरकार चाहें तो वह दो वर्ष का पास तथा तीन वर्ष का आनर्स पाठ्यक्रम अपना सकती है ।"

वर्ष 1977-78 में विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त सहायता

97. **श्री अहमद एम० पटेल :**

श्री अमर सिंह वी० राठवा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम से कितनी सहायता प्राप्त हुई ;

(ख) उक्त सहायता किन शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त हुई थी; और

(ग) उसका उपयोग किस प्रकार किया गया था ;

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख): वर्ष 1977-78 के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त जिन्स संबंधी सहायता का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है । यह सहायता विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रहीं अनेक परियोजनाओं के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त हुई थी ।

(ग) "काम के लिए अनाज" परियोजना के अंतर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त जिन्सों को परियोजनाओं पर कार्य कर रहे श्रमिकों को या तो मजदूरी के आंशिक भुगतान के रूप में दिया गया अथवा रियायती दर पर बेचा गया । पोषण एवं आपात परियोजनाओं के अंतर्गत लाभानुभोगियों को खाद्य जिन्स निःशुल्क वितरित किए गए । दुग्ध विपणन एवं डेरी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत सप्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल को पुनः दूध में परिवर्तित किया जाता है जिसे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, तथा मद्रास में बेचा जाता है और बिक्री की रकम को डेरी विकास कार्यों में उपयोग में लाया जाता है ।

विवरण

वर्ष 1977-78 के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त जिन्स सम्बन्धी सहायता का ब्यौरा

(मीटरी टनों में)

परियोजना की सं. एवं शीर्षक	गेहूं*	बटर आयल	वनस्पति तेल	शुष्क सप्रेटा दूध	सोया-बुलगुर युक्त
1	2	3	4	5	6
काम के लिए अनाज परियोजनाएं					
259--विस्तार-राजस्थान नहर	10,837	950	--	--	--
539--सड़क निर्माण एवं भूमि विकास, कर्नाटक	674	--	--	--	--
578--कर्नाटक के 8 जिलों में मृदा संरक्षण	4,181	--	--	--	--
572--विस्तार-महाराष्ट्र में वन विकास	3,000	85	--	--	--
2216--मध्य प्रदेश में सिंचाई कार्य	1,150	--	--	--	--
2299--सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास महाराष्ट्र	1,000	300	--	500	--

(वर्ष 1977-78 के दौरान सहायता का कुल मूल्य 41,325,030 अमरीकी डालर)

*विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारतीय खाद्य निगम से गेहूं संपूर्ति के आधार पर उधार लिया था ।

विवरण—जारी

1	2	3	4	5	6
2303—सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास, कर्नाटक	—	—	—	180	—
पोषण परियोजनाएं					
614 तथा 620 शैक्षणिक एवं समाज कल्याण संस्थानों में पोषण कार्यक्रम, कर्नाटक	2,300	900	—	400	—
615—शैक्षणिक एवं समाज कल्याण संस्थानों में पोषण कार्यक्रम, महाराष्ट्र	4,800	—	691	1,305	1,012
2206—स्कूल न जाने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पूरक पोषण	9,202	2,536	—	310	23,209
आपात परियोजनाएं					
1047—बिहार तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए खाद्य सहायता	—	700	—	—	—
1090—उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए सहायता	6,500	—	—	—	—
1116—आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी तथा लक्ष्यद्वीप के समुद्री तूफान से पीड़ितों के लिए खाद्य सहायता	—	500	—	720	—
पशुधन एवं डेरी परियोजनाएं					
618—दुग्ध विपणन एवं डेरी विकास	—	4,250	—	7,430	—
योग .	43,644	10,221	691	10,845	24,221

चना और तूर दाल का उत्पादन

98. **श्री एफ० पी० गायकवाड :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीनतम अनुदानों के अनुसार वर्ष 1977–78 में चने का 62 लाख टन से भी अधिक रिकार्ड उत्पादन हुआ है, जो गत वर्ष के उत्पादन से लगभग 9 लाख टन अधिक है ;

(ख) क्या अभी हाल के महीनों में चने को थोक और खुदरा कीमतों में भारी गिरावट आई है ;

(ग) क्या गत तीन-चार वर्षों के दौरान एक अन्य प्रमुख दाल, तूर के उत्पादन में भी काफी कमी हुई है और इसकी कमी की वजह से तूर दाल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान चने और तूर दाल के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं और उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं और तूरदाल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1977–78 के लिए चने के उत्पादन के पक्के अनुमानों के अगस्त, 1978 के बाद किसी समय उपलब्ध होने की आशा है । उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 1977–78 के दौरान चने का उत्पादन, गत वर्ष के 536 लाख मीटरी टन के उत्पादन से कुछ अधिक होने की आशा है ।

(ख) नई फसल के विपणन के कारण मार्च के अंत तथा मई, 1978 के अंत के बीच की अवधि में चने के थोक मूल्यों के अखिल भारतीय सूचकांक में 15.5 प्रतिशत की गिरावट आई थी । विभिन्न केन्द्रों में चने के खुदरा मूल्यों में भी कुछ गिरावट आई थी । किन्तु तब से मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है । जून के अंत में चने का थोक सूचकांक (आधार)

1970–71=100/206.6 था, जबकि मई, 1978 के अंत में यह 202.2 था । इस प्रकार इसमें 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ग) तथा (घ) : गत चार वर्षों के दौरान चना तथा तुर का उत्पादन निम्नलिखित रहा है :--

(दस लाख मीटरी टन)

वर्ष	चना	तुर
1973—74	4.10	1.41
1974—75	4.02	1.84
1975—76	5.88	2.10
1976—77	5.36	1.65

वर्ष 1977–78 के दौरान चना तथा तुर का उत्पादन 1976–77 के उत्पादन से कुछ अधिक होने की आशा है ।

नई फसल के विपणन के कारण मार्च-अप्रैल, 1978 के दौरान तुर के मूल्य भी गिर गए थे । किन्तु जब से मूल्यों में बढ़ोत्तरी हुई है । जून, 1978 के अंत में तुर का थोक मूल्य सूचकांक 263.7 था, जिसमें अप्रैल, 1978 के अंत के सूचकांक की तुलना में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । तुर के मूल्यों में वृद्धि आंशिक रुप से मौसमी और आंशिक रुप से देश में दालों की समग्र कमी के कारण होती है ।

वर्ष 1976–77 के दौरान चना तथा तुर के उत्पादन में मुख्य रुप से प्रतिकूल मौसम की स्थितियों के कारण गिरावट आई थी । देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरु किए गए हैं । इन उपायों में ये शामिल हैं–– दालों के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार करने के बारे में बल देना, उन्नत पैकेज पद्धतियां अपनाना, किसानों को उन्नत पद्धतियां अपनाने के बारे में प्रोत्साहन देने के लिए उनके खेतों में प्रदर्शन करना, वनस्पति रक्षण की सामग्री तथा उपस्करों की लागत पर राज सहायता देना, किसानों को "रिजोवियल कल्चर" सप्लाई करना, महत्वपूर्ण किस्मों के प्रजनक बीजों का वर्धन तथा उनका प्रचार-प्रसार करना । सरकार ने 1978–79 के विपणन मौसम के दौरान चने के सहाय मूल्य में भी 30 रुपए प्रति क्विंटल तक की वृद्धि कर दी है । पहली बार तुर तथा मूंग के भी सांहाय्य मूल्य घोषित किए हैं ।

गुजरात में कपास का उत्पादन

99. **श्री एफ० पी० गायकवाड :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 6 वर्षों से गुजरात मे कपास के उत्पादन में निरन्तर कमी हुई है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रति हैक्टार कपास के उत्पादन में भारी कमी हुई है ;

(ग) यदि हां, तो कपास की उपज विशेष रूप से 'संकर-4' और 'दिग्विजय' किस्मों में कमी के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कपास की फसलों के खराब होने के परिणामस्वरूप गुजरात के कपास उगाने वाले किसान सहकारी समितियों तथा बकों के भारी कर्जदार हैं; और

(ङ) कपास के उत्पादन में वृद्धि करने और गुजरात के कपास उगाने वाले किसानों को राहत दिलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) गुजरात में कपास के उत्पादन में उतार-चढ़ाव रहा है । तथापि, 1970–71 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि और 1977-78 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के बीच इसमें 0.82 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि दिखाई दी । परन्तु, अनेक वर्षों में अधिकांशतः मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कपास की प्रति हैक्टार उपज में गिरावट का रुख दिखाई दिया । वर्ष 1968–69 से वर्ष 1977–78 तक की अवधि के दौरान कपास के उत्पादन के अनुमान और प्रति हैक्टार उपज को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(घ) और (ङ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात में कपास के उत्पादन और प्रति हैक्टार उपज के अनुमान

वर्ष	170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ के हिसाब से हजार गांठों में उत्पादन	किलोग्राम मे प्रति हैक्टार उपज
1968-69	1509	160
1969-70	1643	170
1970-71	1664	179
1971-72	2415	222
1972-73	1465	139
1973-74 . .	1708	156
1974-75	1455	155
1975-76	1677	160
1976-77	1630	161
1977-78†	1791	168

†अनंतिम।

Irrigation Schemes in Surat

100. **Shri Chhitubhai Gamit:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the names of the places in the Adivasi areas of Dirstrict Surat where small and medium irrigation schemes will be undertaken during the current year and the area of land, in hectares, to be irrigated;

(b) when work on these irrigation schemes will start and when it will be completed; and

(c) the expenditure to be incurred thereon and the amount out of it to be given as grant by Government of India?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) to (c): Information is being collected and will be laid on the Table of the House

Work on Sutlej-Yamuna Canal

†101. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to shortage of cement and coal the construction work of Sutlaj-Yamuna link canal has come to a stand still and only 122 kilometres of canal remains to be constructed;

(b) if so, the reasons for shortage of cement and coal; and

(c) the steps taken or proposed to be taken by Government to meet the shortage thereof so that construction work of canal is completed at an early date?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) to (c): The State Government of Haryana have stated that the construction work of Sutlej-Yamuna link canal has not come to stand still. The work has, however, slowed down as a result of temporary shortage of cement and coal.

There is a general shortage of cement and coal within the country. Efforts are being made to improve the position regarding availability of cement by increasing indigenous production, supplementing the stocks by some imports and streamlining movement.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय को अनुदान

102. **श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा) को विभिन्न प्रतियोगिताओं के लि। संघ लोक सेवा आयोग की मान्यता प्राप्त है; और

(ख) क्या उक्त विश्वविद्यालय को अनुदान के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता प्राप्त है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12क के अनुसार 17 जून, 1972 या इसके बाद स्थापित किए गए किसी भी विश्वविद्यालय को आयोग केन्द्रीय सरकार तथा किन्हीं अन्य केन्द्रीय स्रोतों से अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, अनुदान प्राप्त करने के लिए वि० अनु० आयोग द्वारा पात्र घोषित किया जाना चाहिए। तदनुसार, हरियाणा सरकार ने आयोग से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए महर्षी दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक को पात्र घोषित करने का आनुरोध किया है। आयोग ने एक समिति इस मामले की जांच करने के लिए नियुक्त की है। समिति का कार्य चल रहा है।

शिक्षा पद्धति को नया रूप देना

103. **श्री माधव राव सिंधिया : क्या शिक्षा, समाज कल्याण** और संस्कृति मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में शिक्षा पद्धति को नया रुख देने के लिये, विशेष रुप से निर्धनों की सहायता देने के लिये, गठित समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषरूप से निर्धनों के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : देश की शिक्षा पद्धति के पुनर्गठन के लिये सरकार ने कोई पेनल नियुक्त नहीं किया। उन्होंने दस वर्षी स्कूल के लिये पाठ्यचर्या का पुनरीक्षण करने के लिये श्री ईश्वरभाई जे० पटेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसमें शैक्षणिक भार को कम करते हुए स्कूल शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में सामाजिक रुप से उपयोगी उत्पादक कार्य के साथ पाठ्यचर्या को विविधतापूर्ण और समृद्ध बनाने की व्यवस्था की गई है। नई पाठ्यचर्या का लक्ष्य शिक्षा को हमारे छात्रों की आवश्यकताओं और उस वातावरण के अनुरूप बनाना है जिसमें यह दी जाती है। बहुत सी सिफारिशें केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा स्वीकार तथा कार्यान्वित की जा चुकी हैं। राज्य बोर्ड सिफारिशों की जांच कर रहे हैं।

डा० मेलकोम आदिसेशहिया की अध्यक्षता में एक समिति ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की विषय वस्तु से सम्बन्धित रिपोर्ट भी दे दी है और ये विचाराधीन हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "भारत में उच्च शिक्षा का विकास"—नीति की एक रुपरेखा नामक एक पेपर तैयार किया है।

इन समितियों की अधिकांश सिफारिशों का लक्ष्य है समाज के कमजोर वर्गों का हित।

मध्य प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए नियतन

104. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **कृषि** और **सिंचाई** मंत्री मध्य प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए नियतन के बारे में 10 अप्रेल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6201 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच ब्यौरा एकत्र कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) : सामुदायिक विकास कार्यक्रम राज्य का विषय है तथा मध्य प्रदेश सरकार से सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया है परन्तु वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होते ही इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों के मूल्य

105. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गए तथा बेचे गए फ्लैटों के मूल्य अन्य महानगरों में इसी प्रकार के निकायों द्वारा बनाये गए फ्लैटों के मूल्य से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो अन्य नगरों में इसी प्रकार के प्राधिकरणों द्वारा बनाये गए तथा बेचे गए उसी प्रकार के फ्लटों की तुलना में दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गए विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों का मूल्य सहित ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : अधिकांश रुप से दिल्ली विकास प्राधिकरण "लाभ-हानि रहित आधार पर" फ्लैटों को बेचता आ रहा है । जहां अपेक्षाकृत ऊंचे टाइप के फ्लैटों पर मामुली लाभ लिया गया है वहां उस लाभ को समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित फ्लैटों/टेनामेंटों को बिक्री में आर्थिक सहायता देने के लिए इस्तेमाल किया गया है । दिल्ली विकास प्राधिकरण अन्य महानगरों में अन्य निकायों द्वारा बनाये गए फ्लटों के मूल्य से तुलना नहीं करता ।

गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति दिल्ली

106. **श्री नटवरलाल बी० परमार :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरांवाला गृह निर्माण संबंधी समिति, दिल्ली के बाकी रह रहे ऐसे कितने सदस्य है जिन्हें डी० डी० ए० द्वारा लिखित रुप में आश्वासन दिए गए है कि समिति को आवंटित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि में से उन्हें 300 वर्गगज और 500 वर्गगज के माप के प्लाट आबंटित किए जायेंगे जिसके लिए वे इस समिति के पास रजिस्टर्ड है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समिति को इस बीच अतिरिक्त भूमि आबंटित कर दी गई थी और कांटे गए कोई भी प्लाट 300 अथवा 500 वर्गगज के माप के नहीं है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि अतिरिक्त भूमि के 'ले आउट प्लान' पूरी तरह से गुप्त रखे गए है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार और डी० डी० ए० द्वारा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाकी रहे सदस्यों को दिया गया आश्वासन पूरा हो, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि सोसाइटी ने अपन 63 सदस्यों को आश्वासन दिया है कि यदि सोसायटी को आवंटित अतिरिक्त भूमि उपलब्ध हो जाती है तो उन्हें बड़े आकार के प्लाट दिए जाएंगे ।

(ख) अतिरिक्त भूमि के 97 प्लाट काट दिए गए हैं, जिनमें से 32 प्लाट, 350 से 375 वर्गगज तक के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के हैं ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान एक सार्वजनिक दस्तावेज है ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण उन सदस्यों को भूमि के आबंटन में शीघ्रता सुनिश्चित करने के लिए अधिक जागरुक रहेगा ।

गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली के पदाधिकारी

107. **श्री नटवरलाल बी० परमार :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली के पदाधिकारियों के नाम एवं उनके पते क्या है तथा वे कब से इन पदों पर आसीन है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि समिति द्वारा वंशानुगत शासन के नियमों का पालन किया जा रहा है तथा पिता की मृत्यु पर पुत्र को उसका पद दे दिया जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सचिव का पद गत कई वर्षों से रिक्त है और समिति की आम सभा को कोई बैठक नहीं की गई है तथा इसके लेखे आम सभा द्वारा मंजूर नहीं किए है और वे सदस्य को कभी भी परिचालित नहीं किए जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा सरकार द्वारा समिति की पूर्ण प्रतिनिधित्व वाली, विशेष रुप से छोड़े गए (लेफ्ट आउट) सदस्यों के प्रतिनिधियुक्त रासी निकाय बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (घ) : प्रबन्ध समिति को 4 मई, 1978 से दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के अधीन हटा दिया गया है । समिति के कार्य का प्रबन्ध करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया गया है ।

गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के उन पंजीकृत सदस्यों के बारे में ब्यौरा जिन्हें भूमि आवंटित नहीं की गई

108. **श्री नटवरलाल बी० परमार** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग सोसाइटी दिल्ली में वर्ष 1959, 1960 और 1961 में पंजीकृत ऐसे सदस्यों की संख्या, नाम और पते क्या हैं जिन्हें सोसाइटी द्वारा अभी तक प्लाट आबंटित नही किए गए है;

(ख) इन सदस्यों को कब तक प्लाट प्राप्त हो जाएंगे और दिल्ली विकास प्राधिकरण/सरकार द्वारा इस मामल में क्या शीघ्र कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इन सदस्यों को अब तक प्लाट आबंटित न किए जाने के क्या कारण है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकंन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बाताया है कि 1959, 1960 और 1961 में जिन 41 व्यक्तियों को सोसाइटी में पंजीकृत किया गया था किन्तु उन्हें अभी तक प्लाटों का आवंटन नहीं किया गया है, उनके नाम इस प्रकार है ।–

1. श्री रंगोराम खुराना
2. श्रीमती अवारन कौर
3. श्री अमरीक सिंह राजपुत
4. श्री सुलील कुमार सचदेवा
5. श्री वजीर चन्द कवात्रा
6. श्री सत्यपाल
7. श्री जसबन्त कुमार खुराना
8. श्री राकेश खुराना
9. श्रीमती जोगिन्द्र कौर
10. श्री कल्याण सिंह कपूर
11. श्रीमती कलजीत कौर
12. श्रीमती राजकुमारी
13. श्री गंगाराम महेन्द्रा
14. श्रीमती चप्पावती
15. श्री जानकी नाथ कवात्रा
16. श्रीमती सन्तोष साहनी
17. श्री प्रवेश कुमार
18. श्री वेदप्रकाश भरवाह
19. श्री बलदेव राज गुलाटी
20. श्री जोहरी लाल होरा
21. श्री करतार सिंह चावला
22. श्री बलदेव राज ढोंगड़ा
23. श्री सिकन्दर लाल जैन
24. श्री जनक राज
25. श्री मदन मोहन वर्मा
26. श्रीमती रामरती
27. श्री इकबाल कृष्ण डावर
28. श्रीमती लीलावती
29. श्रीमती दुर्गा देवी
30. श्री फ़कीर चन्द खांडपुर
31. श्री अमोलक सिंह
32. श्री जोगेन्द्र सिंह
33. श्रीमती राम प्यारी
34. श्रीमती दमयन्ती रानी
35. श्री एस० एन० बुद्धिराजा
36. श्री हरबंस सिंह
37. श्री प्यारे लाल शर्मा
38. श्री नरेन्द्र सरुप खन्ना
39. श्री के० एल० चोपड़ा
40. श्री मुरारी लाल
41. श्रीमती केसर देवी

(ख) तथा (ग) : अतिरिक्त भूमि का पूर्ण रूप से विकास करने के पश्चात् उन्हें प्लाटों का आवंटन किया जाएगा ।

Grant to Jabalpur University

†109. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 672 on the 10th April, 1978 regarding grant to University in M.P. and state :

(a) the amount of grant asked for by Jabalpur university and the amount asked for each of the years from 1975-76 to 1977-78 and whether the amount of grant given by Government for each of the years was not less ; and

(b) if so, whether Government propose to increase the grant in future and the items on which the grant is spent ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) and (b) : The University Grants Commission does not sanction development grants to any University on the basis of its annual requirements. Therefore, the question of comparing the annual demands made for the years 1975-76 to 1977-78 with the actual grants sanctioned against them or increasing development grants on that basis, does not arise.

According to the procedure followed by the Commission, the total development requirements of any particular University for a 5-year plan period are determined on the basis of the recommendations of a Visiting Committee which scrutinises the programmes proposed by the University concerned. The development grants approved by the Commission for the Jabalpur University during the Fifth Plan period are as follows :

Items of expenditure	Estimated Cost (Rs. in lakhs)
(i) Staff	9.08
(ii) Equipment	28.95
(iii) Building	14.90
(iv) Books and Journals	23.00
(v) Visiting Professorship	2.00
(vi) Research Fellowships	1.00
(vii) Others	2.95

The proposals of the University for construction of a gymnasium at an estimated cost of Rs. 4,15,000 and the establishment of a Regional Library Centre and a Department of Journalism are still under consideration. The proposals which have not been accepted by the Commission are the construction of a Students Home at an estimated cost of Rs. 3,50,000 and the introduction of remedial courses in English at an estimated cost of Rs. 25,000.

Grants are actually released by the Commission against the approved allocation, depending upon the progress of expenditure on various items and that anticipated during a particular year.

Besides the development grants mentioned above, the Commission also provides assistance to Universities for Instrumentation Centre, Student amenities, publications and in the form of unassigned grants according to the norms prescribed by the Commission.

Policy regarding retreading of Tyres

110. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4417 on the 27th March, 1978 regarding Policy relating to the retreading of tyres and state :

(a) whether the requisite information regarding retreading of tyres has since been collected ;

(b) if so, the full details thereof ; and

(c) if not, the main reasons therefor and the time likely to be taken by Government in collecting the information ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Yes, Sir.

(b) Details are furnished in the Annexure enclosed. **[Placed in Library. See No. L.T. 2383/78].**

(c) Does not arise.

Grant to Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya

†111. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 672 on the 10th April, 1978 regarding grants to Universities in Madhya Pradesh and state :

(a) the amount by way of grant sought by the Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya during the years 1975-76 and 1977-78 year-wise and whether the yearly grant given by the Government was less ; and

(b) if so, whether Government propose to increase the grant and the items on which the amount of grant given is spent ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) and (b) : The University Grants Commission does not sanction development grants to any University on the basis of its annual requirements. Therefore, the question of comparing the annual demands made for the years 1975-76 to 1977-78 with the actual grants sanctioned against them or increasing development grants on that basis, does not arise.

According to the procedure followed by the Commission, the total development requirements of any particular University for a 5-year plan period are determined on the basis of the recommendations of a Visiting Committee which scrutinises the programmes proposed by the University concerned. The development grants approved by the Commission for the Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya during the Fifth Plan period are as follows :—

Item	Estimated cost (Rs. in lakhs)
1. Equipment	8.46
2. Books	5.72
3. Buildings	8.40
4. Staff	5.90
5. Visiting Professors	1.50
6. Research Fellows	0.25
7. Others	1.00

Proposals for the establishment of an International Research Centre and a Bharata Natyam Department are under consideration.

Grants are actually released by the Commission against the approved allocation, depending upon the progress of expenditure on various items and that anticipated during a particular year.

Besides the development grants mentioned above, the Commission also provides assistance to Universities for Student amenities, publications and in the form of unassigned grants according to the norms prescribed by the Commission.

Grant to Bhopal University

†112. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 672 on the 10th April, 1978 regarding grant to University in Madhya Pradesh and state :

(a) the amount of grant asked for by Bhopal University and the amount given for each of the years from 1975-76 to 1977-78 ;

(b) whether the amount of the grant given by Government for each of the years was not less; and

(c) if so, whether Government propose to increase the grant in future and the items on which the grant given is spent?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) to (c): The University Grants Commission does not sanction development grants to any University on the basis of its annual requirements. Therefore, the question of comparing the annual demands made for the years 1975-76 to 1977-78 with the actual grants sanctioned against them or increasing development grants on that basis, does not arise.

According to the procedure followed by the Commission, the total development requirements of any particular University for a 5-year plan period are determined on the basis of the recommendations of a Visiting Committee which scrutinises the programmes proposed by the University concerned. The development grants approved by the Commission for the Bhopal University during the Fifth Plan period are as follows:

Item	Estimated cost (Rs. in lakhs)
1. Equipment	6.60
2. Books	5.50
3. Buildings	29.89
4. Others	3.40
5. Staff	10.36
6. Junior Research Fellowships	(5)

The proposals of the University for an additional grant for books and Journals and for setting up a Research Laboratory in Microbiology are still under consideration. The proposals which were not accepted by the Commission are hiring of residential accommodation for research scholars and conversion of certain technical posts into administrative posts.

Grants are actually released by the Commission against the approved allocation, depending upon the progress of expenditure on various items and that anticipated during a particular year.

Besides the development grants mentioned above, the Commission alsod provides assistance to Universities for Instrumentation Centre, Student amenities, publications and in the form of unassigned grants according to the norms prescribed by the Commission.

Compensation to farmers for land submerged for construction of Kadana Irrigation Project

†113. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether an agreement was reached in Delhi in April, 1978 between Gujarat and Rajasthan about the payment of compensation to the farmers for the land to be submerged as a result of construction of the Kadana Irrigation Project in Gujarat and about the distribution of water from the project for irrigation purposes;

(b) if so, the details of the agreement;

(c) whether the Government of India have approved the agreement, if so, how and when; and

(d) the area of land in Gujarat district-wise to be irrigated from this project and when water will be available therefrom for irrigation?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) to (c): An agreement was reached between the State Governments of Gujarat and Rajasthan at New Delhi on 5th April, 1978, on the question of the quantum of compensation to be paid by Gujarat to Rajasthan in respect of acquisition of land and

rehabilitation of oustees likely to be affected due to back water effect of Kadana reservoir above the level of 419. The agreement provided that Gujarat will pay an amount of Rs. 280 lakhs to Rajasthan on this account. This agreement was finalised with the good offices of the Centre.

(d) Kadana Project, on its completion, will irrigate an area of 89000 hectares — 17000 hectares in Panchmahal district and 72000 hectares in Kaira district. The project will also firm up irrigation under Mahi Stage I.

The project is likely to be completed in another 2 to 3 years.

कृषि वस्तुओं की उत्पादन लागत

114. **श्री समर मुखर्जी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चावल, दाल, गहूं गन्ने जैसी कृषि वस्तुओं की उत्पादन लागत में गत वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : प्रत्येक वर्ष के लिए प्रमुख फसलों की काश्तकारी की लागत का अध्ययन करने की बृहद् योजना के अन्तर्गत राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर एकत्र किए गए फसलों के उत्पादन के लागत संबंधी आकड़े सामान्य रूप में कुछ समय विलम्ब से उपलब्ध होते है । पहले ही से तैयार किए गए उत्पादन की नवीनतम लागत के आकड़ों द्वारा प्रदर्शित उत्पादन की लागत में परिवर्तन की स्थिति निम्नलिखित है :--

		पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन की लागत में प्रतिशत वृद्धि (+) या प्रतिशत गिरावट (—)
गेहूं		
पंजाब	(1976-77)	(+) 2.0
उत्तर प्रदेश	(1975-76)	(—) 1.10
हरियाणा	(1975-76)	(—) 2.34
मध्य प्रदेश	(1975-76)	(—) 16.45
राजस्थान	(1975-76)	(—) 15.63
धान		
आन्ध्र प्रदेश	(1975-76)	(+) 2.49
कर्नाटक	(1975-76)	(+) 11.71
उड़ीसा	(1975-76)	(—) 3.37
असम	(1975-76)	(—) 14.22
पश्चिम बंगाल	(1975-76)	(+) 5.29
गन्ना		
पंजाब	(1975-76)	(—) 1.51
उत्तर प्रदेश	(1975-76)	(+) 6.55

टिप्पणी : ये आकड़ अनंन्तिम है और इनमें संशोधन हो सकता है।

दालों के सम्बन्ध में चने के लिए उत्पादन की लागत के आंकड़े का एकत्रिकरण 1975-76 से शुरू किया गया है। पिछले वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

कृषि मजदूरों के लाभ के लिये निर्धारित ऋण की प्रतिशतता

115. **श्री समर मुखर्जी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 में कुल उपलब्ध ग्रामीण ऋण में से कृषि मजदूरों के लाभ के लिये निर्धारित ऋण की प्रतिशतता कितनी है; और

(ख) सरकार ने कृषि मजदूरों को उक्त ऋण उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) : सरकार की नीति यह है कि ग्रामीण जनसंख्या के कमज़ोर वर्गों जिनमें लघु तथा सीमान्त किसान, काश्तकार, कृषि श्रमिक तथा अन्य शामिल हैं, को ऋण की अधिकाधिक मात्रा सुलभ की जाए। उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार, वर्ष 1975-76 के दौरान कमजोर ग्रामीणों को सहकारी सोसायटियों द्वारा दिए गए ऋण का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए 20 प्रतिशत के मुकाबले में 34 प्रतिशत था। वाणिज्यिक बैंक ऋण के लिए प्रतिशत अभी-भी ऊंचा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि मार्च 1979 तक उनके कुल ऋणों तथा अग्रिमों का कम से कम 33 1/3 भाग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जिनमें कृषि भी शामिल है, के लिए ऋणों द्वारा हिसाब में लिया जाना चाहिए तथा 0.5 प्रतिशत को विभिन्न ब्याज दर योजना के अन्तर्गत लिया जाना चाहिए। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में जुटाई गई जमा राशियों के कम से कम 60 प्रतिशत को अलग-अलग क्षेत्रों में लगाया जाए। सहकारी संस्थाओं की उधाई नीतियों तथा पद्धतियों का पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार पुनरीक्षण किया जाता रहा है ताकि कमजोर वर्गों को अधिक सुविधा के साथ ऋण प्राप्त हो सके। वाणिज्यिक बैंक के ऋण के संबंध में इसी तरह का पुनरीक्षण किया जा रहा है। कृषि मजदूरों/श्रमिकों के लाभ के लिए ऋण के भुगतान हेतु कोई विशिष्ट प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है।

Rural Housing

116. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme to construct houses on large scale for poor persons in rural areas with the cooperation of the State Governments ;

(b) whether any State Government has submitted any scheme in this regard to the Central Government ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) to (c) : Two rural housing schemes, viz. Village Housing Projects Scheme and Scheme for provision of house-sites to landless workers in rural areas, are being implemented in the State Sector. Whereas the former scheme provides for grant of loans to individuals and their co-operatives for construction and improvement of houses upto a maximum of Rs. 5,000 per house, the latter scheme provides house-sites free of cost, to landless workers in rural areas who have no dwellings of their own. Some of the State Governments have extended the scope of the scheme from a mere allotment of a house-site to helping the allottees with assistance, cash and/or kind, to construct humble dwellings

Besides, the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO), Government of India Undertaking, has a scheme to provide loans to the agencies nominated by the State Governments for construction of houses in rural areas. Loans are available for construction of low cost houses not exceeding Rs. 4,000. HUDCO provides loan to the extent of 50 per cent of the cost of a project, the balance being found by the construction agencies from their own resources which can be in form of the allottees' own contribution in cash or kind, subsidy and/or loan from State Government. The loans carry a net interest of 5% per annum. HUDCO has so far sanctioned loans amounting to Rs. 11.71 crores for seven rural housing schemes for construction of 85,387 dwellings in the States of Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Punjab.

भू-कटाव के कारण पद्मा तथा भागीरथी नदियों के बीच अन्तर कम होना

117. **श्री शशांक शेखर सान्याल :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंगीपुर में फरक्का फीडर कनाल के कुछ निचली और सीतेगाछी नामक एक गांव है और यह गांव पद्मा नदी के उस भाग के दायें तट से कुछ दूर स्थित है तथा फरक्का फीडर कनाल की निचली और भागीरथी नदी के बायें तट से कुछ दूरी पर स्थित है ;

(ख) क्या इन दोनों नदियों के भू-कटाव के कारण दोनों नदियों के बीच का अन्तर जो कि 10 वर्ष पूर्व लगभग 8 किलोमीटर था अब घटकर लगभग तीन किलोमीटर रह गया है ;

(ग) क्या यदि इस पूर्व कटाव को किसी प्रकार न रोका गया तो ये दोनों नदियां मिल कर एक हो जायेंगी जिससे मुर्शिदाबाद और नाडिया की पूर्वी ओर विनाश होगा तथा फरक्का बांध टूट जायेगा; और

(घ) इस समस्या के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है जिसके कारण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संकट पैदा होने तथा विश्व के लिये समस्या उत्पन्न होने की आशंका है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (घ) : भागीरथी नदी के आफ-टेक प्वाइंट के प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह दोनों दिशाओं में गंगा नदी का बांया किनारा काफी समय से कटता आ रहा है । जब आफ-टेक प्वाइंट के अनुप्रवाह में कटाव देखा गया तो 1973 में मेथीपुर के निकट जलमग्न किए जा सकने योग्य दो बोल्डर बार्स का निर्माण किया गया था । सूचना मिली है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं और इनसे आफ-टेक प्वाइंट के अनुप्रवाह में दाएं किनारे पर और आगे कटाव होना रुक गया है । लेकिन, यह देखा गया है कि इस वर्ष के दौरान भागीरथी के आफ-टेक प्वाइंट के प्रतिप्रवाह में गंगा नदी के दाएं किनारे पर लगभग एक मील क्षेत्र में कटाव हुआ है । गंगा के तट और पोषक (फीडर) नहर के मध्य कम से कम दूरी लगभग 2.62 किलोमीटर है, इस मामले की फरक्का बराज परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति ने, जिसमें प्रसिद्ध इंजीनियर हैं, जांच की है और उन्होंने जलमग्न हो सकने वाले चार बेड बार्स के निर्माण की सिफारिश की है। इन ठोकरों (स्पर्स) के निर्माण के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है । इनके मार्च, 1979 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

चाय और जूट के लिए फसल बीमा

118. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार फसल बीमा की ओर चयानात्मक आधार पर अग्रसर हो रही है और क्या उसने ऐसी बीमा योजना के अन्तर्गत जूट और चाय को शामिल करने की सम्भावना पर विचार किया है अथवा कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : फसल बीमा की एक संशोधित योजना सामान्य बीमा निगम द्वारा हाल ही में तयार की गई है । शुरू में इस योजना में उन चुने क्षेत्रों जहां गत दस वर्षों के फसल कटाई के आंकड़े उपलब्ध हैं और जहां सम्बन्धित राज्य सरकार 25 प्रतिशत की सीमा तक सह-बीमाकर्ता के रूप में भाग लेने के लिए सहमत है, मुख्य खाद्य फसलों तथा कपास और मूंगफली जैसी वाणिज्यिक फसलों के बीमा की परिकल्पना की जाती है । इस समय इस योजना के अन्तर्गत चाय तथा पटसन को लाने के लिये कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

फरक्का बांध परियोजना में तोड़-फोड़ की आशंका

119. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दैनिक पत्रों जैसे 18 जून, 1978 के बंगाल आनन्द बाजार पत्रिका के कलकत्ता संस्करण में प्रकाशित इस समाचार से कि फरक्का बांध परियोजना में तोड़-फोड़ की तैयारी है; क्या कोई आधार है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की तोड़ फोड़ की आशंका है; और

(ग) उक्त तोड़ फोड़ को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : इसे प्रकट करना लोकसंहित में नही होगा ।

(ग) सरकार फरक्का बराज परियोजना की सुरक्षा की आवश्यकता के प्रति पूर्णतः जागरूक है और इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे है ।

Land Distribution

120. **Shri Vinayak Prasad Yadav :**

Shri Bhagat Ram :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the area of land acquired under the Land Ceiling Act from March, 1977 to-date for distribution among the poor and the area of land out of it distributed among the landless families in each State;

(b) the area of land acquired during emergency i.e. from 1975 to March, 1977 and that distributed among the landless families indicating the number thereof;

(c) the number of homestead and slips given to the landless poor during emergency i.e. from 1975 to March, 1977 and the number of those slips given to them from March, 1977 to-date; and

(d) the number of landless poor who were evicted by the landlords during emergency and the number thereof evicted from their homestead land from March, 1977 to-date?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) and (b): The information is given in Statement I attached.

(c): The information available with the Government is given in Statement II attached. **[Placed in Library. See No. L.T. 2384/78].**

(d): Protection of the landless poor is the responsibility of the State Governments. The Government of India have repreatedly requested the State Governments to ensure that adequate protection is given to the landless poor against eviction by landlords. Eviction of the landless poor, according to the information available with the Government of India, is not very large. Such reports, as and when received, are passed on to concerned State Government for immediate action.

Procurement of wheat

121. **Shri Vinayak Prasad Yadav :**
Shri Aghan Singh Thakur :
Shri Ramji Lal Suman :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the total production of wheat during this rabi season in the country and the quantity of wheat, out of its likely to arrive in the market for sale;

(b) the number of procurement centres opened by Government in each State for procurement of wheat and the names of the places where these centres have been opened and the total quantity of wheat procured by these centres so far and at what rate;

(c) the quantity of wheat sold by farmers in open market so far and at what rate; and

(d) the total production of wheat during the last rabi season and the quantity of wheat, out of it, procured by Government and at what rate and the quantity of wheat sold by farmers in open market and at what rate?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) According to the available reports the production of wheat from the rabi crop of 1977-78 is likely to exceed 30 million tonnes. It is not possible to give any estimate as to how much out of this production is likely to arrive in the market for sale. Market arrivals are reported by the States of Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Maharashtra, Punjab and Rajasthan and the Union Territories of Chandigarh and Delhi. In these States and the Union Territories a total quantity of 4,564 million tonnes arrivals in the market have been reported.

(b)

State/Union Territory	No. of Centres
1. Punjab	684
2. Haryana	154
3. U.P.	2,355
4. Rajasthan . . .	150
5. Madhya Pradesh . .	196
6. Maharashtra . . .	1,200
7. Chandigarh . .	1
8. Delhi . . .	2
9. Gujarat . . .	193

Information regarding purchase centres opened by other State Governments is not available. The details of the places at which purchase centres have been opend are available only with the State Governments and considering the very large number of such centres the compilation of a list of such centres in all the States would be both labour and time consuming. A total quantity of 54.14 lakh tonnes of wheat has been procured by public agencies as reported upto 13-7-78. The purchases have been made at the rate of Rs. 112.50 per quintal for Grade I and Rs. 110.50 per quintal for Grade II subject to quality cuts.

(c) In the States and Union Territories for which market arrivals of wheat are reported as referred to in reply to part (a), a total quantity of 41.90 lakh tonnes has been procured by the public agencies against the total market arrivals of 45.64 lakh tonnes. It is presumed the balance of 3.74 lakh tonnes have been sold by the farmers in the open market. The range of open market prices is different from State to State.

(d) The total production of wheat from the last rabi crop of 1976-77 is estimated at 29.1 million tonnes. A quantity of 5.2 million tonnes was procured by the public agencies at the support price of Rs. 110.00 fixed by the Government subject to quality cuts. In the States for which market arrivals are reported, a total quantity of 42.82 lakh tonnes was procured by public agencies out of the total market arrivals of 49.36 lakh tonnes in those States in the last marketing season of 1977-78. The balance of 6.54 lakh tonnes is presumed to have been sold by the farmers in the market at prices varying from State to State.

Opening of wheat procurement centres in States

122. **Shri Vinayak Prasad Yadav:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government have issued orders to the Food Corporation of India that required number of procurement centres should be opened in those areas in consultation with concerned State Governments where wheat is proposed to be procured;

(b) whether State Governments have been asked to constitute a committee under the Chairmanship of Food Secretary to review the position regarding procurement of wheat in each fortnight;

(c) whether Food Corporation of India and Government procurement centres have been issued certain orders that there should be no bungling in procurement of wheat and foodgrains of farmers should not be rejected unnecessarily; and

(d) if so, names of States in which committees have been constituted so far under the Chairmanship of the Food Secretary to review the position in regard to procurement of wheat and the number of committees out of them, which have submitted fortnightly reports to the Central Government so far?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) The Food Corporation of India have been asked to set up purchase centres as required in consultation with the State Governments in the areas of operation assigned to the FCI.

(b) The wheat-producing State Governments have been requested to consider setting up in each State a small committee headed by the State Food Secretary for reviewing the situation on a weekly/fortnightly basis so that there are no pockets in which price support operations are ever found wanting.

(c) Yes, Sir.

(d) Review of procurement arrangements is being done periodically by groups of officials/non-officials headed by the State Food Secretary in the main wheat producing States of Punjab, Haryana, U.P., Bihar etc. States like Gujarat and Maharashtra have not considered such a Committee necessary. The State Governments have, however not been asked to submit any such reports to the Central Government.

प्रौढ़ शिक्षा

123. **श्री वयालार रवि :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1977 के बाद देश में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम में कोई प्रगति की है ;

(ख) यदि हां, तो देश भर में क्या कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये हैं ; और

(ग) इस कार्य पर राज्यवार अब तक कुल कितनी राशि खर्च की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) : 1977–78 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए थे :—

(i) 144 जिलों में किसान कार्यात्मक साक्षारता परियोजना ।

(ii) 65 जिलों में 15-25 आयु-वर्ग के लिए अनौपचारिक शिक्षा ।

(iii) 82 स्वैच्छिक संगठनों को 46.79 लाख रुपए की सहायता ।

(iv) बम्बई, अहमदाबाद और दिल्ली में श्रमिक विद्यापीठ चलते रहे और इंदौर तथा नागपुर में श्रमिक सामाजिक शिक्षा संस्थान चलते रहे ।

(v) नव-साक्षरों के लिए साहित्य का निर्माण ।

(vi) विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से शुरू किया गया एक नया कार्यक्रम ।

सरकार ने प्रौढ़ शिका के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तथा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की रूप रेखाएं तैयार की हैं जिनकी प्रतियां सभा पटल पर रख दी गई है। यह कार्यक्रम 2 अक्तूबर, 1978 से प्रारंभ किया जायेगा ।

राज्य सरकारों के भी अपने-अपने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम थे जिन पर उन्होंने भिन्न-भिन्न राशियां खर्च की हैं ।

नेशनल फिटनेस कोर इंस्ट्रक्टरों को जूनियर पी० इ० टी० के रूप में नियमित किया जाना

124. **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक नवम्बर, 1972 के बाद, जबकि एन० एफ० सी० इंस्ट्रक्टरों को शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के अधीन लाया गया था अब तक कितने एन० एफ० सी० इंस्ट्रक्टरों को जूनियर पी० इ० टी० के रूप में नियमित किया गया है;

(ख) क्या मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा निदेशालय दिल्ली उस समय तक किसी भी जूनियर पी० इ० टी० की सीधी भर्ती न करे जब तक कि उसे एन०एफ० सी० इंस्ट्रक्टरों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए राशि स्वीकृत न हो जाए;

(ग) क्या शिक्षा निदेशालय दिल्ली द्वारा तैयार किये गए पद निर्धारण सूत्र के अनुसार एन० ए० सी० इंस्ट्रक्टरों को 'एक्सट्रा' माना जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि जिन स्कूलों में एन०एफ० सी० इंस्ट्रक्टर हैं उनमें जूनियर पी० इ० टी० का कोई पद नहीं बनाया जाता है और इससे एन० एफ० सी० इंस्ट्रक्टरों को जूनियर पी० इ० टी० के रुप में नियमित नहीं किया जाता है; और

(घ) इस अनियमितता को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 12 अनुदेशक नियमित किए गए थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) राष्ट्रीय स्वस्थ्यता कोर अनुदेशकों को शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के संवर्ग में नियमित किए जाने तक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की सामान्य अनुमत्य संख्या के अलावा उपलब्ध किया गया था और निर्धारित सूत्र के अनुसार पद निर्धारण के लिए उन्हें नही गिना जाता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मंडियों के विनियमन के लिये अधिनियम

125 **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में मंडियों के विनियमन के लिये अधिनियम बने हुए है : और

(ख) किन राज्यों मे किसानों द्वारा लाये जाने वाले उत्पादन के भंडारण के लिये मंडियों के निकट गोदाम बनाने का कार्यक्रम बनाया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) निम्नलिखित राज्यों में कृषि उपज मंडियों के विनियमन के लिए अधिनियम बने हुए है :

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा चण्डीगढ़, दिल्ली, गोआ, दमन, तथा दीव और पांडिचरी के केन्द्रशासित क्षेत्र ।

(ख) मंडियों के निकट गोदाम बनाने के लिए विभिन्न राज्यों के कार्यक्रमों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि नियमित बाजारों के विकास हेतु सहायता सुलभ करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत यह सुझाव दिया गया है कि बाजार यार्ड को विकसित करते समय उत्पादकों द्वारा लाई गई कृषि उपज के भंडारण के लिये सुविधाएं सृजित की जानी चाहिए । प्राथमिक ग्रामीण बाजारो के विकास के लिए दी गई सहायता में एक कार्यालय एवं गोदाम के निर्माण की व्यवस्था भी है। नियमित बाजार सार्वजनिक क्षेत्र एवं सहकारी संस्थाओं को गोदामों के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करते हैं । राज्य सरकारों को नियमित बाजारों के साथ सहकारी विपणन संस्थाओं का स्थान रखे जाने के लिए भी सलाह दी गई है ।

ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक ग्रुपों का भाग लेना

126. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास में किन्हीं स्वैच्छिक ग्रुपों द्वारा भाग लिये जाने को मान्यता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो एसे ग्रुपों के क्या नाम हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ग्रामीण विकास कार्यक्रम में अपेक्षित सुविज्ञता तथा भागीदारी वाली किसी भी स्वैच्छिक एजेंसी का भाग लने के लिए स्वागत है । इसे किसी विशेष ग्रुप के लिए सीमित करने का प्रस्ताव है नहीं है ।

विसनुप्रिय मनीपुरी भाषा

127. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों की दीर्घावधि से चली आ रही इस मांग का पता है कि मातृभाषा अर्थात असम में विसनुप्रिय मनीपुरी भाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग की पूर्ति के लिये अब तक क्या उपाय किये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : जी हां । असम सरकार को प्राथमिक शिक्षा विसनुप्रिय भाषा के माध्यम से देने की मांगे प्राप्त हुई थीं । यह प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया था और पहले चरण में 1976-77 के दौरान विसनुप्रिय भाषा के लिए शिक्षकों के 25 पद संस्वीकृत किए गए थे ।

1971 की जन गणना के अनुसार विसनुप्रिय मनीपुरी नाम की कोई भाषा नही है, लेकिन केवल 'विसनुप्रिय' भाषा है ।

सहकारी समितियों के बकाया ऋण

128. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री अमर सिंह बी० राठवा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में सहकारी ऋण समितियों के बकाया ऋणों की राशि दुगनी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1978 को ऋण की बकाया राशि कितनी थी और उसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) : जी नहीं । अल्प तथा मध्यकालीद क्षेत्र में सहकारी ऋण सोसायटियों के अतिदेय 1973-74 में 443.23 करोड़ रुपये से बढ़कर 1975-76 (30-6-1976) तक 560.51 करोड रुपये हो गए हैं । 30-6-1977 को 17 राज्यों के बारे में अतिदेय 534.79 करोड रुपये थे। दीर्घकालीन क्षेत्र में अतिदेय 1973-74 में 41.71 करोड़ रुपये से बढ़कर 1975-76 में 63.71 करोड़ रुपय हों गये थे । 30-6-1978 की स्थिति से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं हुई है ।

सम्पूर्ण देश मे, विभिन्न स्तरों पर राज्यवार, सहकारी ऋण संस्थाओं से सम्बन्धित विस्तृत सूचना "भारत में सहकारी आंदोलन से संबंधित सांख्यिकीय विवरण" में उपलब्ध है जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध एक वार्षिक प्रकाशित प्रलेख है ।

सहकारी ऋण संस्थाएं स्वयं तथा राज्य सरकारें, जो 'सहकारिता' के विषय की प्रभारी है, अतिदेयों को एकत्र करने में कदम उठाने के लिए मुख्य रूपसे जिम्मेदार है । दुराग्रही बकायादारों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही, वापसी अदायगी की अवधि को बढाकर अनिच्छुक बकायदारों की पुर्नस्थापना, वसुली तंत्र को सुदृढ़ करना और ऋण संस्थाओं की उदासीन तथा अकुशल प्रबन्ध समितियों के विरुद्ध कार्यवाही जैसे कदम अतिदेयों को कम करने के लिए उठाये जा रहे है ।

भारतीय रिजर्व बक तथा भारत सरकार भा राज्य सरकारों को वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर समय-समय पर सलाह दे रही है । हाल ही में, केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को अपने राज्यों में वसुली तंत्र में तेजी लाने के लिए सम्बोधित किया है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जोवरस ायन विभाग के बारे में जांच

119. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कर्मचारियों ने सरकार से विशेष रुप से अपने जीव-रसायन विभाग के बारे में जांच किये जाने का अनरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जीव-रसायन प्रभाग के दो विज्ञानियों ने यह प्रतिवेदन किया है कि गृह मंत्रालय से निवेदन किया जाये कि वह पिछले एक दशक की अवधि में उन पर होने वाले कथित घोर अन्यायों की तहकीकात के लिए एक स्वतन्त्र न्यायि निकाय संघटित करे ।

(ख) संबंधित विज्ञानियों ने अपनी शिकायतों के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट पेटीशन (रिट याचिका) पेश की थी, जिसे कि उच्च न्यायालय ने नामंजूर कर दिया था । भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की है जो कि इनकी शिकायतों पर विचार करेगी । अब यह उन विज्ञानियों पर निर्भर है कि वे इस समिति को अपनी शिकायतें पेश करें ।

Relaxation in taking over the possession of Government accommodation

130. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3565 on 12th December, 1977 regarding relaxation of Rules for purposes of taking possession of the Government accommodation and state :

(a) whether the concerned officer was not given possession of the flat by C.P.W.D. Officers as its construction had not been completed;

(b) whether the then Director of Estates had himself visited the site and seen the flat and then extended the date of taking possession thereof; and

(c) whether officer was harassed during emergency and market rent is still being charged fron. him for the another flat in lieu of which this flat was allotted to him?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) No, Sir. The flat was complete when it was allotted. The officer represented against allotment on the grounds that the flat was surrounded by Dhobi Ghats.

(b) Yes, Sir. The date of occupation was exteneded at the request of the officer.

(c) The officer was not harassed. Licence fee at the market is being recovered from him for the period he was in unauthorised occupation of flat No. 111, North Avenue, as per rules. The amount is being recovered in monthly instalments of Rs. 100.

Winding up of National Council for Sciences Education

†131. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government have wind up the National Council for Science Education;

(b) if so, reason therefor and the efforts being made to absorb the employees of the Council;

(c) the number of employees category-wise rendered jobless as a result thereof together with the length of their service; and

(d) the number of them provided jobs and whether they are being absorbed on the basis of seniority?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) Yes, Sir.

(b) The functions of the Council at the School level can be performed by NCERT and at the University level by the UGC.

Out of 16 employees affected by this measure, 10 have been found alternative employment in other autonomous and semi-Government organisations and efforts are being made to find employment for the remaining six employees.

(c) and (d): The information is given in the enclosed statement.

Statement

Category	No.	Length of Service	Position regarding alternative employment
1. Junior Stenographer	1	7 Years 3 months	Employed
2. L.D.C. . .	6	5 Years 2 months	2 Employed
3. Typist . .	1	5 Years 2 months	Not employed
4. G. Operator .	1	5 Years 2 months	Employed
5. Staff Car Drivers	1	4 Years	Employed
6. Peon	1	5 Years 2 months	Employed
7. Farash . . .	1	5 Years 2 months	Employed
8. Sweeper . .	1	5 Years 2 months	Not-employed
9. Chowkidar . .	3	4 Years	Employed
TOTAL .	16		10 persons found alternative employment so far.

They have been employed in other organisations as new entrants on the basis of their suitability. The question of their seniority does not arise.

गन्ने की निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री

132. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में गन्ना उत्पादकों को सरकार द्वारा गन्ने के स्थायी मूल्य निश्चित किये जाने के बावजूद भी न्यूनतम मूल्य पर अपना गन्ना बेचने को बाध्य होना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चीनी मिलों को गन्ना उत्पादकों को स्थायी मूल्य अदा करने के लिये बाध्य करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार के नोटिस में कोई शिकायत नहीं आयी है, जहां संगठित क्षेत्र में चीनी फैक्ट्री ने गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 की धारा 3 के अधीन सरकार द्वारा उस फैक्ट्री के लिए वर्ष 1977–78 के लिए निर्धारित सांविधिक मूल्य से गन्ने का कम मूल्य दिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अपने मकान वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवासों का पुनः आवंटन

133. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री जी० एम० बनतवाला :
श्री राजे विश्वेश्वर राव :
श्री श्याम सुन्दर गुप्त :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आवास के आवंटन के मामले में अपने मकान वाले ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हे सरकारी आवास के आवंटन के लिए पात्र माना गया है, प्राथमिकता तिथि पुनः निर्धारित करके 1 जून, 1977 कर दी गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उक्त प्राथमिकता तारीख निश्चित किए जाने के फलस्वरूप अपने मकाने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास बिल्कुल नही मिल पायेगा और उस प्रकार अपने मकान वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास के लिए पात्र मानने वाला आदेश निरर्थक हो जाएगा,

(ग) क्या अपने मकान वाले कुछ सरकारी कर्मचारी अब भी सामान्य किराये पर सरकारी आवासों के आबंटो बने हुए है ;

(घ) क्या आदेश जारी करने से पूर्व इस मामले पर विधि मंत्रालय से परामर्ष किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : अपने निजी मकान वाले कर्मचारियों को अग्रता की तारीख 1 जून, 1977 निश्चित की गई थी क्योंकि इस तारीख से उन्हे सामान्य पूल वास के आवंटन के लिए पात्र घोषित किया गया था। ऐसे अधिकारियों को आवंटन का अवसर विभिन्न टाइपों मे क्वार्टरों को उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) जी, हां, उनके बारे में जिनकी अपने मकान से मासिक आय 1000 रुपये से अधिक न हो तथा उन वर्गों के बारे में जिन्हे छूट दी गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इसमें कोई अनियमितता नहीं है।

खेलकूद संस्थाएं

134. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की खेलकूद संस्थाओं के प्रबंधकों की नियुक्ति के बारे में कोई नीति बनाई है ;

(ख) क्या देश की खेलकूद संस्थाओं में गत तीन वर्षों में कई ऐसे व्यक्ति नियुक्त किये हैं, जो खिलाड़ी नहीं है जिसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय दलों की हार हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) खेलों के स्तर को ब ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) से (ग): कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदाधारियों के चुनाव सहित खेल निकायों के मामलों का प्रबंध पूर्ण रूप से राष्ट्रीय खेल संघों/संस्थाओं, जोकि स्वतंत्र स्वायत्त निकाय हैं, के अधिकार क्षेत्र में हैं ।

(घ) खेलों के स्तरों में सुधार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन, वेतन भोगी सहायक सचिवों को वेतन की अदायगी, खेल उपस्कर की खरीद और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय खेलसंघों/परिषदों का वित्तीय सहायता देना ;

(ii) उच्च कोटि के प्रशिक्षकों को तैयार करने हेतु पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान तथा बंगलौर में इसकी शाखा की स्थापना ;

(iii) राज्य स्तर पर प्रशिक्षण शिबिरों के आयोजन, स्टेडियमों, तरण तालों के निर्माण, खेल के मैदानों, अंतरंग स्टेडियमों के विकास, मैदानों में तेज रोशनी करने के लिए राज्य खेल परिषदों की आर्थिक सहायता ;

(iv) ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में खेलों को व्यापक आधार देने के उद्देश्य से खण्ड स्तर से लेकर उपर की ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित करना ;

(v) राज्य और इससे कम स्तरों पर प्रतियोगिताएं करने के बाद महिलाओं के लिए प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय खेल समारोह आयोजित करना ;

(vi) विशिष्टता के उच्च स्तरों को प्राप्त करने की योग्यता दिखाने वाले स्कूली लड़कों और लड़कियों को प्रति वर्ष 1200 खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियां प्रदान करना ;

(vii) प्रति वर्ष उत्कृष्ट पुरुष व महिला खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान करना ;

(viii) खेलों के लिए भौतिक सुविधाओं के सृजन हेतु विश्वविद्यालयों और कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से और अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण शिविरों को आयोजित करने तथा कालेज और विश्वविद्यालय में खेलों में प्रतिभावान छात्रों के लिए प्रति वर्ष एक-एक हजार रुपये की एक सौ छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना ;

(ix) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की गई 10+2 पद्धति के लिए आदर्श पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में खेल-कूद को शामिल करना ।

सौर ऊर्जा में विश्वविद्यालय स्तर का पाठ्यक्रम

135. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण** और **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौर ऊर्जा में अध्ययन के लिये विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम शुरू करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) देश के सभी विश्वविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रम कब तक शुरू कर दिये जायेंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा के अलग पाठ्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है किन्तु सौर ऊर्जा तथा ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक साधनों का अध्ययन कुछ विश्वविद्यालय में, अध्ययन के वर्तमान पाठ्यक्रमों के भाग के रूप में किया जाता है । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास में इस समय सौर ऊर्जा के पी० एच० डी० स्तर के कार्यक्रमों की व्यवस्था हैं । मद्रास, खड़गपुर तथा दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में एम० टेक० स्तर पर सौर ऊर्जा सहित ऊर्जा अध्ययन ऊर्जा प्रौद्योगिकी का एक पाठ्यक्रम 1980 या 1981 तक शुरू करने के लिए योजनाए बनाई जा रही है ।

महाराष्ट्र में टिड्डी दल

136. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री यादवेन्द्र दत्त :
श्री धर्म सिंह भाई पटेल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "स्टेट्समैन" दिनांक 13 जून, 1978 में प्रकाशित इस समाचार पर ध्यान दिया है जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में टिड्डी दल ने आक्रमण किया था ;

(ख) टिड्डी दल के आक्रमण का अन्य किन राज्यों पर प्रभाव पड़ा है ;

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितने मूल्य की फसल, राज्यवार बेकार हो गई है; और

(घ) टिड्डी दल को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां। सरकार ने 13 जून, 1978 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान दिया है। यह समाचार सौराष्ट्र (गुजरात) में टिड्डी दल के हमले के संबंध में है, न कि महाराष्ट्र में।

(ख) टिड्डी दलों से गुजरात, राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं। जून, 1978 के अंत में पंजाब के भटिण्डा, फरीदकोट तथा फिरोजपुर जिलों के सीमावर्ती गांवों में भी टिड्डियों के कुछ छोटे-छोटे नलों की सूचना मिली है।

(ग) अभी तक प्रभावित राज्यों ने टिड्डी दल के हमले के कारण किसी फसल की कोई क्षति होने की सूचना नहीं दी है। तथापि, हरियाणा के हिसार जिले में शीघ्र बोई गई कपास की लगभग 4 एकड़ फसल नष्ट हुई थी।

(घ) देश में टिड्डी दल के आंतक से निपटाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित कार्रवाई की थी :—

1. **टिड्डियों के हमले से पूर्व की कार्रवाई**

खाद्य तथा कृषि संगठन के स्रोतों से टिड्डियों के बारे में चेतावनी मिलने पर मार्च के बाद के महीनों में निम्नलिखित उपाय किए गए थे :—

1. गुजरात, राजस्थान तथा हरियाणा राज्यों को हार्न आफ अफ्रीका, सऊदी अरब तथा उत्तरी यमन गणराज्य में बड़े पैमाने पर टिड्डियों के प्रजनन के बारे में सावधान कर दिया गया था और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में कृषि निदेशकों तथा जिला प्रशासनों को सावधान कर दें।
2. टिड्डियों के सम्भावित हमले से निपटने के लिए कीटनाशी दवाओं, वाहनों तथा उपस्करों की उपलब्धि के संबंध में रेगिस्तान टिड्डी नियंत्रण संगठन की तैयारी की स्थिति विषयक छानबीन करने के लिए कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का एक दल तैनात किया गया था।
3. टिड्डियों के बारे में लगातार सूचना का आदान प्रदान करने के लिए पाकिस्तान सरकार से सम्पर्क स्थापित किया गया।
4. भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अप्रैल, 1978 के महीने में दक्षिण पश्चिम एशिया में रेगिस्तानी टिड्डियों के नियंत्रण के लिए तेहरान में हुए खाद्य तथा कृषि संगठन आयोग के तेरहवें अधिवेशन में भाग लिया। अफगानिस्तान, ईरान तथा पाकिस्तान ने भी सम्मेलन में भाग लिया।
5. अफ्रीका तथा सऊदी अरब के प्रजनन क्षेत्रों में टिड्डियों के जमाव के बारे में हमें सूचित करते रहने के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन से सम्पर्क स्थापित किया गया।
6. टिड्डियों के प्रजनन तथा अन्य देशों द्वारा किये गए नियंत्रण के उपाय के बारे में अग्रिम व सामयिक सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के अपने दूतावासों से सम्पर्क स्थापित जिया गया और इस दिशा में एज सूचना प्रणाली विकसित की गई।

2. **टिड्डियों के हमले के बाद की कार्रवाई**

जैसे ही भारत सरकार को जून, 1978 के दूसरे सप्ताह में टिड्डियों के हमले की सूचना मिली, टिड्डियों के आन्तक से कारगर ढंग से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए :—

1. टिड्डी चेतावनी संगठन का सम्पूर्ण स्टाफ टिड्डी रोधी कार्य के लिए लगा दिया गया। इस कार्य के लिए अधिक से अधिक सख्या में व्यक्तियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से छुट्टी पर गए हुए स्टाफ के सदस्यों को ड्यटी पर वापस बुला लिया गया। प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से मनुष्य, सामग्रियां तथा विमान भेजे गए।

2. उप महाद्विप में टिड्डियों के आन्तक की समस्या से कारगर ढंग से निपटने के उद्देश्य से सहयोग की एक रणनीति तैयार करने के लिए हाल ही में भारत सरकार तथा पाकिस्तान के बीच वनस्पति रक्षण सलाहकार के स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता हुई।

3. राजस्थान, गुजरात तथा हरियाणा की राज्य सरकारों ने अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में गम्भीरतापूर्वक टिड्डी नियंत्रण का कार्य शुरू कर दिया है। टिड्डियों के आतंक से निपटने के लिए अनुसूचित मरू क्षेत्रों तथा अनुसूचित कुष्ट क्षेत्रों में जिला प्रशासन को तेज कर दिया गया है। एक सूचना प्रणाली विकसित की गई है, ताकि ठीक समय पर सूचना मिल सके और कारगर उपाय किये जा सके।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि टिड्डियों के खतरे का नियंत्रण करने के लिए हीं सम्भव प्रयास किए जा रहे है।

Government Accommodation

137. **Shri Ramanand Tiwary:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the total number of Government quarters, type-wise, at different places at present;

(b) the number of quarters, type-wise, constructed at various places during the past three years, year-wise;

(c) the number of quarters type-wise under construction in Delhi/New Delhi and other places and when they are likely to be completed; and

(d) the programme for the next two years in this regard?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) A statement (Statement I) giving the required information in respect of general pool quarters is attached.

(b) Necessary details are given in the attached Statement II.

(c) Necessary details are given in the attached Statement III. Most of the quarters are expected to be completed by the end of the financial year 1979-80.

[Paced in Library. See No. L.T. 2385/78].

(d) Details of quarters likely to be taken up for construction during the next two years are given in the attached Statement IV.

Problem of Housing in Delhi

138. **Shri Ramanand Tiwary:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state the action taken to solve the housing problem in Delhi during the last three years, year-wise, and the details of the contribution made by Delhi Development Authority and NOIDA and various other agencies as also the details of the programme in this regard during the current year as well as for the future?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): Information is being collected.

Adult Education

†139. **Shri Ramanand Tiwary:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the steps taken by Government in regard to Adult Education during the last three years, year-wise and the steps taken or being taken in this regard during the current year?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): During the last three years, the Government have implemented the following programmes in the field of adult education:—

1975-76.

(i) Farmers' Functional Literacy Project in 123 districts.

(ii) Non-formal Education Programme for the age-group 15—25 in 25 districts

(iii) Production of literature for Neo-literates.

(iv) Workers' Social Education Institutes at Indore & Nagpur.

(v) Polyvalent Adult Education Centres (Shramik Vidyapeeths) continued at Bombay and two new such Centres established at Delhi and Ahmedabad.

(vi) Assistance amounting to Rs. 21.52 lakhs to 51 voluntary agencies working in the field of adult education.

1976-77 :

(i) Farmers' Functional Literacy Projeot extended to cover 144 districts.

(ii) Non-formal Education for the age-group 15—25 extended to cover 50 districts

(iii) Assistance of Rs. 26.96 lakhs given to 56 voluntary organisations.

(iv) Other programmes continued at the same level

1977-78 :

(i) Farmers' Functional Literacy Project continued at the same level.

(ii) Non-formal Education for the age-group 15—25 extended to cover 65 districts.

(iii) Assistance of Rs. 46.79 lakhs given to 82 voluntary organisations.

(iv) A new Programme of Adult Education through Universities started through the University Grants Commission.

(v) Other programmes continued at the same level.

In 1977-78 the Government decided to launch the National Adult Education Programme an outline of which has been placed on the table of the Sabha.

"अनक्रश्ड केन स्टाक्स पाइल अप" शीर्षक समाचार

140. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 15 जुन, 1978 के इकानामिक टाइम्स में "अनक्रश्ड केन स्टाक्स पाइल अप" शीर्षक से प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कालू मौसम में यमुनानगर में सम्भवतः 1.5 करोड़ रुपयों के मूल्य का गन्ना पेराई बिना रह जाएगा;

(ख) यमुना नगर तथा हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध सम्पूर्ण गन्ने की पेराई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) अन्य गन्ना उत्पादन राज्यों में गन्ने की पेराई की क्या स्थिति है तथा क्या चालू मौसम बीतने तक कुछ गन्ना पेराई बिना रह जाएगा ; और

(घ) यदि मौसम बीतने तक कुछ गन्ने की पेराई न हो सकने की सम्भावना है, तो देश में सम्पूर्ण गन्ने की पेराई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) हरियाणा सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है और प्राप्त होने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) : 1977-78 मौसम के दौरान गन्ने का 1720 लाख मीटरी टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ है जबकि 1976-77 के दौरान 1540 लाख मीटरी टन उत्पादन हुआ था। चीनी फैक्टरियों द्वारा गन्ने की अधिक से अधिक उठान करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किए गए हैं और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1-5-1978 से 30-9-1978 तक की अवधि के लिए एक उत्पादन शुल्क रिबेट योजना पहले ही 28-4-78 को घोषित की जा चुकी है। इसके अलावा, लेवी मूल्यों में 1-3-78 से वृद्धि की गई थी और बैंक ऋण को उदार बना दिया गया है ; देशभर में स्थित कुल 288 फैक्टरियों में से 59 फैक्टरियां 7-7-78 को अभी भी कार्य कर रही थीं। इस प्रकार अभुतपूर्व रूप में मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पेराई कार्य अभी भी चल रहा है और चालू मौसम के अन्त में कितना गन्ना बिना कटा हुआ बाकी बचेगा उसके बारे में ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है ।

Groundnut crop in Gujarat

141. **Shri Dharmasinbhai Patel:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the District-wise area cultivated for groundnuts crops in Gujarat in the summer season and the District-wise groundnut production there;

(b) District-wise number of farmers who have been given assistance and subsidy particularly for the cultivation of groundnut in Gujarat this summer and the nature and the amount of subsidy given to them and when; and

(c) nature and total amount of assistance and subsidy given by the Central Government to the Gujarat Government for the production of groundnuts in the summer season and when?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) & (b): The information is being collected from the Government of Gujarat and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received from them.

(c) The Central Government has not so far provided any assistance to the Gujarat Government for the production of groundnuts in the summer season.

गन्ने के मूल्यों की बकाया राशि

142. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्री रामदेव सिंह :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा गन्ने की बकाया राशि को कम करने के उद्देश्य से किए गए विभिन्न उपायों के बावजुद चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों को देय गन्ने की राशि बकाया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार बकाया राशि को समाप्त करने के लिए कोई कड़े कदम उठाने का है ; और

(ग) वर्ष 1977-78 के दौरान खरीदे गए गन्ने की बकाया राशि सम्बन्धी राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है और पिछले वर्षों की बकाया राशि कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भान प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि वे गन्ने की बकाया राशि को खत्म करवाने के लिए सभी आवश्यक पग उठाए। चीनी फैक्ट्रियों गन्ने की बकाया राशि दे सकें इस लिए उन्हें बैंक ऋण देने की शर्तों को और अधिक उदार बनाने से सम्बन्धित प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है।

(ग) स्थिति बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1977-78 मौसम के दौरान 15-6-78 तक खरीदे गये गन्ने का देय मूल्य, दिया गया मूल्य और बकाया राशि और 15-6-78 को पिछले मौसमों के गन्ने के मूल्यों के बकायों की राज्यवार स्थिति

(आँकड़े लाख रुपयों में)

राज्य	1977-78 के दौरान 15-6-78 तक खरीदे गये गन्ने का कुल देय मूल्य	15-6-78 तक दिया गया गन्ने का मूल्य	15-6-78 को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि	15-6-78 अथवा अद्यतन उपलब्ध तारीख के पिछले मौसमों के गन्ने के मूल्य की बकाया राशि: 1976-77 मौसम	1975-76 और पहले के मौसम
1	2	3	4	5	6
1. पश्चिमी उत्तर प्रदेश . .	7773.29	6093.65	1679.64	14.43	66.38
2. मध्य उत्तर प्रदेश . .	9692.89	7536.75	2156.14	49.25	166.18
3. पूर्वी उत्तर प्रदेश . .	6428.44	5447.46	980.98	11.35	134.04

विवरण—जारी

1	2	3	4	5	6
4. समस्त उत्तर प्रदेश . .	23894.62	19077.86	4816.76	75.03	366.60
5. बिहार .	3815.57	3530.28	285.29	3.21	125.17
6. पश्चिमी बंगाल .	206.99	199.09	7.90	1.10	0.02
7. असम . .	96.87	95.73	1.14	0.03	0.28
8. पंजाब . . .	1436.80	1314.34	122.46	0.33	1.14
9. हरियाणा . .	2184.36	1748.89	435.47	0.32	0.03
10. राजस्थान . . .	583.81	506.68	77.13	0.43	2.61
11. मध्य प्रदेश . . .	784.39	615.29	169.10	0.90	0.29
12. उड़ीसा . . .	212.38	211.94	0.44	0.08	0.11
13. महाराष्ट्र . .	20214.87	19143.25	1071.62	90.99	130.06
14. गुजरात . . .	3107.03	2778.42	328.61	18.34	2.69
15. कर्नाटक . . .	6373.70	5488.28	885.42	14.71	4.07
16. केरल . . .	236.33	235.63	0.70	0.10	0.13
17. आन्ध्र प्रदेश . .	4811.51	4367.97	443.54	30.81	18.82
18. तमिलनाडु . . .	5365.29	4631.54	733.75	2.49	6.82
19. पांडिचेरी . . .	247.63	207.24	40.39	0.65	0.81
20. नागालैन्ड . . .	101.13	100.36	0.77	..	..
21. गोआ . . .	118.80	118.15	0.65	..	..
अखिल भारत .	73792.08	64370.94	9421.14 (12.8%)	239.52	650.65

नोट.—25 फैक्ट्रियों के बारे में 15-6-78 को सूचना उपलब्ध नहीं थी और अद्यतन तारीख की उपलब्ध सूचना को यहां लिया गया है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी की समान मूल्य पर उपलब्धता

143. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी की वर्तमान दुहरी मूल्य नीति "अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक" पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है ; और

(ख) वर्तमान दुहरी मूल्य नीति को जारी रखने के बजाय शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोगों को चीनी की समान मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) अन्य बातों के साथ साथ दुहरी मूल्य नीति का उद्देश्य देशभर में समान मूल्य पर लेवी चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। जहां तक खुली बिक्री की चीनी का सम्बन्ध है, हालांकि मूल्यों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है फिर भी यह सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार द्वारा संचालित नियुक्ति तंत्र के माध्यम से मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखा जा सके। अतः ऐसी सम्भावना नहीं है कि दुहरी मूल्य नीति का खुद का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सुचकांक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(ख) जहां तक लेवी चीनी का सम्बन्ध है, यह सरकार द्वारा निर्धारित समान मूल्य पर ग्रामीण अथवा शहरी सभी उपभोक्ताओं को उपलब्ध की जाती है। राज्य सरकारों, जोकि चीनी के वास्तविक वितरण के लिए जिम्मेदार हैं, से यह कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच समान व्यवहार किया जाए। न तो खुली बिक्री की चीनी में और नहीं चीनी के किसी अंश के लिए दुहरे नियंत्रण के अभाव में समान मूल्य सुनिश्चित करना सम्भव नहीं होगा क्योंकि चीनी का मूल्य बाजार की मांग तथा पूर्ति की शक्तियों और परिवहन के अनुसार निश्चित किया जायेगा और प्रत्यक स्थान पर भिन्न भिन्न हो सकता है।

करनालबन्ट और हिलबन्ट गेहूं रोग

144. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "करनालबंट तथा हिलबंट" रोगों से मुक्त गेहूं केवल राजस्थान में ही उगाया जाता है ;

(ख) क्या "करनालबंट तथा हिलबंट" रोगों से ग्रस्त गेहूं का खाया जाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ; और

(ग) यदि हां, तो अन्य राज्यों में उगाये जा रहे गेहूं को इन रोगों से मुक्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं अथवा किये जाने हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रतापसिंह) : (क) करनाल बंट तथा पहाड़ी बंट रोग रहित गेहूं न सिर्फ राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम तथा अन्य पूर्वी क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां इस रोग का प्रकोप अक्सर होता रहा है, वहां अब सारा क्षेत्र इस रोग के प्रभाव में नहीं है और कुछ खेतों में फसल पूर्णतया इस रोग से है।

(ख) अभी तक हमारे देश में इस प्रकार का कोई संकेत नहीं है कि करनाल बंट और पहाड़ी बंट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

(ग) इस रोग से ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को यह परामर्श दिया जा रहा है कि वे इस रोग की ग्राह्य जिस्म न बोय। इस रोग के प्रभाव को कम से कम करने के लिए बीज का फफूंद नाशकों से उपचार करने की सिफारिश की जा रही है।

दीर्घकालिक उपायों के रूप में, इस रोग पर अनुसंधान को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना तथा गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर मे गहन का प्रस्ताव है। पहाड़ी बंट पर कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शिमला क्षेत्रीय केन्द्र में प्रगति पर है।

विश्वविद्यालयों का बन्द होना

145. **श्रीमती मोहसिना किदवई :**

श्री पी० वेंकटसुब्बया :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा सत्र 1977—78 में कितने और कौन-कौन से विश्वविद्यालय दो सप्ताह से अधिक समय तक बन्द रहे ;

(ख) उनके बन्द होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाये हैं जिन से भविष्य में विश्वविद्यालय इस प्रकार से बन्द न हों ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : उपलब्ध सूचना के अनुसार सितम्बर, 1977 से अप्रैल, 1978 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित 17 विश्वविद्यालयों को उनके सामने दिए गए कारणों से एक पकवाड़े से अधिक की अवधि के लिए अध्यापन कार्यक्रमों को निलम्बित करना पड़ा था।

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का नाम	बन्द होने के कारण
	2	3
1	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद . .	छात्र आन्दोलन।
2	मसूर विश्वविद्यालय, मैसूर . . .	कुलपति को हटाने के लिए छात्र आन्दोलन।
3	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली . .	कुलपति को हटाने के लिए छात्र आन्दोलन।
4	पटना विश्वविद्यालय, पटना . . .	छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें।
5	मगध विश्वविद्यालय, बोध-गया . . .	छात्रों और पुलिस के बीच झड़पें।
6	जी० बी० कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर .	हिंसक घटनाएं और कृषि मजदूरों पर पुलिस द्वारा गोली चलाना।
7	पटना विश्वविद्यालय, पटना . . .	नौकरी आरक्षण पर छात्र आन्दोलन।

1	2	3
8	बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर . . .	नौकरी आरक्षण पर छात्र आन्दोलन ।
9	रांची विश्वविद्यालय, रांची . . .	वही
10	मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा . .	वही
11	मगध विश्वविद्यालय बोध-गया . . .	वही
12	के० एस० दरभंगा विश्वविद्यालय, दरभंगा . .	वही
13	भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर . .	वही
14	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद . .	वही
15	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ . . .	वही
16	कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर . . .	वही
17	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी . .	चिकित्सा कालेजों में आरक्षणों रेक्टर आदि पर हमले के कारण छात्रों द्वारा आन्दोलन ।

(ग) शिक्षा तथा कानून और व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां हैं। राज्य सरकारों से, छात्रों की न्याय संगत शिकायतों की जांच करने तथा छात्रों, अध्यापकों और गैर अध्यापन कर्मचारियों को प्रजातांत्रिक ढंग से उचित प्रतिवेदन करन के लिए अवसर प्रदान करने हेतु प्रतिनिधित्व देने के लिए पंचों की स्थापना सुनिश्चित करने तथा उनकी न्यायोचित मांगें पूरी करने का अनुरोध किया गया है। उनसे यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया है कि ये मंच उचित ढंग से कार्य करें तथा छात्रों की शिकायतों पर तुरन्त ध्यान दिया जाये। राज्य, जिला और विश्वविद्यालय स्तरों पर, विभिन्न समस्याओं से जैसे ही वे उत्पन्न होती हैं, निपटने और तत्काल समुचित कार्रवाई करने के लिए, समितियां स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया है।

झुग्गी झोंपड़ी कालोनी, नई सीमापुरी, दिल्ली में निर्माण कार्य

146. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झुग्गी झोपड़ी कालोनी, नई सीमापुरी, दिल्ली में कितने ब्लाक हैं ;

(ख) कितने ब्लाकों को पक्के मकानों के निर्माण के लिए सहायता दी गई थी ;

(ग) क्या शेष झुग्गियों को, विशेष रूप से ई० तथा एफ० ब्लाकों को झुग्गियों को पक्के मकानों में बदलने का कोई कार्यक्रम है ; और

(घ) क्या इ० तथा एफ० ब्लाकों के निवासियों न हाल की 1 जून, 1978 की आग के बाद उक्त ब्लाकों का विकास हेतु सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है, और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) छः।

(ख) झुग्गी झोपड़ी उन्मूलन योजना में पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां। निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(i) पर्याप्त जल की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 9 अतिरिक्त हैन्डपंपों और 3 अतिरिक्त नलों की व्यवस्था की गई है।

(ii) सड़कों, गलियों, पार्कों, सार्वजनिक शौचालयों आदि का अनुरक्षण कार्य प्रतिदिन नियमित रूप से किया जा रहा है।

(iii) सड़क बत्तियों के प्वाइन्टों की प्रतिदिन मरम्मत सुनिश्चित की जाती है ताकि कालोनी का कोई भी भाग सड़क बत्तियों के बिना न रहे।

फालतू भूमि का अनुमान और उसका वितरण

147. **श्री एस० आर० दामाणी :**
श्री चित्त बसु :
श्री नायर एम० एन० गोविन्दन :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री भगत राम :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून लागू होने के बाद अब तक अनुमानतः कितनी भूमि फालतू घोषित की गई है ;

(ख) इसमें से कितनी भूमि भूमिहीन व्यक्तियों को वितरित की गई है ;

(ग) क्या उन्होंने मुख्य मंत्रियों को एक और पत्र लिखा है कि इस वर्ष 2 अक्टूबर से पहले भूमि वितरण का काम तेजी से किया जाए ; और

(घ) यदि हां, तो उस पत्र में किन मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है और प्रत्येक राज्य ने इस दिशा में कितनी प्रगति की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) जी हां, इसके बाद 12 मई, 1978 को एक दूसरा पत्र भेजा गया था ।

(घ) इन पत्रों में जोतकी अधिकतम सीमा सम्बन्धी मामलों को शीघ्र निपटाने तथा अधिशेष भूमि के वितरण की गति को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है । प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र म हुई प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अधिशेष घोषित क्षेत्र	वितरित क्षेत्र	दिनांक को
आन्ध्र प्रदेश	16,36,401	1,91,315	31-5-78
असम	5,57,148	2,52,615	31-1-77
बिहार	2,23,275	1,29,966	30-4-78
गुजरात	54,178	कुछ नहीं	31-5-78
हरियाणा	78,019	21,648	31-1-78
हिमाचल प्रदेश	85,082	4,143	28-2-78
जम्मू तथा कश्मीर	..	..	..
कर्नाटक	1,23,056	36,149	30-4-78
केरल	1,35,537	42,545	31-5-78
मध्य प्रदेश	3,92,640	69,297	28-2-78
महाराष्ट्र	3,52,943	2,71,385	30-4-78
मणिपुर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	28-2-78
उड़ीसा	1,25,278	92,394	30-4-78
पंजाब	28,716	4,494	30-4-78
राजस्थान	2,50,229	1,22,718	31-3-78
तामिलनाडू	38,710	31,572	30-11-77
त्रिपुरा	1,906	421	31-3-78
उत्तर प्रदेश	2,68,695	1,70,328	30-4-78
पश्चिम बंगाल	1,06,280	40,391	31-3-78
दादरा और नगर हवली	8,955	2,805	31-3-78
दिल्ली	794	कुछ नहीं	31-5-78
पान्डिचेरी	2,042	730	31-5-78
कुल	44,69,834	14,84 946	

खाद्यान्न उत्पादन

148. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977–78 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना है और उसमें विभिन्न फसलों का ब्योरा क्या है ;

(ख) उसमें राज्य सरकारों द्वारा कितना वसूल किया गया है और किन किन मूल्यों पर; और

(ग) 1978–79 का उत्पादन लक्ष्य क्या है और इसका राज्यवार ब्योरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1977–78 के खाद्यान्नों के उत्पादन के अंतिम अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, हाल की रिपोर्टों के अनुसार खाद्यान्नों का उत्पादन 1250 लाख मीटरी टन के लगभग होने की आशा है।

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अधिप्राप्ति मूल्यों पर सभी सार्वजनिक एजेन्सियों द्वारा 1977–78 की फसल में से 10 जुलाई, 1978 तक 101 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की खरीद की गई है। वर्ष 1977–78 के लिए विभिन्न खरीफ और रबी फसलों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया गया अधिप्राप्ति मूल्य निम्नलिखित है :—

धान .	77 रु० प्रति क्विन्टल ।
चावल .	आन्ध्रप्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिए चावल की विभिन्न किस्मों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्य संलग्न विवरण–1 में दिया गया है।
ज्वार .	74 रु० प्रति क्विन्टल ।
मक्का .	74. रु० प्रति क्विन्टल ।
बाजरा .	74. रु० प्रति क्विन्टल ।
गेहूं . .	112.50 रु० प्रति क्विन्टल ।
जौं . . .	67.00 रु० प्रति क्विन्टल ।

(ग) संलग्न विवरण–2 में प्रत्येक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और अखिल भारत के लिए 1978–79 के खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्य दिए गए हैं।

विवरण–1

चावल की विभिन्न किस्मों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया अधिप्राप्ति मूल्य

(रु० प्रति क्विन्टल)

राज्य	शार्ट बोल्ड	लॉग बोल्ड	मीडियम स्लेंडर	शार्ट/लॉग स्लेंडर
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	123	127	138	150
हरियाणा	131	134	145	156
मध्य प्रदेश	125	131	138	..
पंजाब . . .	130	134	144	155
उत्तर प्रदेश	123	127	136	148

विवरण—2

खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य : 1978–79

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाख मीटरी टन 1978–79 (लक्ष्य)
1. आन्ध्र प्रदेश	98.00
2. असम	26.50
3. बिहार	110.50
4. गुजरात	48.00
5. हरियाणा	55.05
6. हिमाचल प्रदेश	12.00
7. जम्मू और कश्मीर	12.00
8. कर्नाटक	75.00
9. केरल	16.21
10. मध्य प्रदेश	127.00
11. महाराष्ट्र	105.00
12. मणिपुर	3.77
13. मेघालय	1.55
14. नागालैंड	1.00
15. उड़ीसा	62.00
16. पंजाब	98.00
17. राजस्थान	77.00
18. सिक्किम	0.40
19. तमिलनाडु	87.25
20. त्रिपुरा	3.89
21. उत्तर प्रदेश	215.00
22. पश्चिम बंगाल	95.75
योग (राज्य)	1330.87
23. संघ राज्य क्षेत्र	5.00
योग (राज्य + संघ राज्य क्षेत्र)	1335.87
अखिल भारतीय लक्ष्य	1260.00

टिप्पणी : योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया अखिल भारतीय लक्ष्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लक्ष्यों के कुल योग से कम है ।

फालतू भूमि के बारे में भिन्न भिन्न अनुमान होना

149. **श्री एस० आर० दामाणी :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और सिंचाई मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा वितरण के लिए उपलब्ध फालतू भूमि के बारे में लगाये गये अनुमानों के बीच बहुत अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक आंकड़े क्या है और उन में से प्रत्येक के हिसाब लगाने का तरीका क्या है;

(ग) राज्य सरकारों ने भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को लागू करने और फालतू भूमि के वितरण के काम में कहां तक सहयोग दिया है ; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस काम में कोई तत्परता नहीं दिखाई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : कृषि मंत्रालय द्वारा दिए गए अधिकतम सीमा के फलस्वरूप 53.2 लाख एकड़ अधिशेष भूमि का अनुमान है । यह अनुमान राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर आधारित है और अनंतिम है, क्योंकि कानून के अन्तर्गत अधिशेष भूमि का निर्धारण होना है । योजना आयोग द्वारा प्रकाशित ड्राफ्ट पंच वर्षीय योजना (1978-83) में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (26वां चक्र, 1971-72) द्वारा दिए गए अनुमानों का उल्लेख है । योजना आयोग को यह बता दिया गया है कि पक्के अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि अधिकतम सीमा का निर्धारण कानून के अन्तर्गत किया जाता है जिस में भूमि के गुण और परिवार के आकार जैसे घटकों को ध्यान में रखा जाता है । इसके अतिरिक्त, अधिकतम सीमा में "स्टैन्डर्ड" एकड़/हैक्टार का उल्लेख होता है और जहां भूमि की किस्म घटिया है वहां एक "स्टैण्डर्ड" एकड़/हैक्टार एक साधारण एकड़/हैक्टार से अधिक होगा । इसलिए कृषि और सिंचाई मंत्रालय ने यह बता दिया है कि जबकि इसके अनुमान अनन्तिम हैं, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुमानों को अधिशेष क्षेत्र का सही सूचक नहीं कहा जा सकता ।

(ग) और (घ) : भूमि सुधारों को लागू करने का कार्य पूर्णतः राज्य सरकारों का है । तथापि, भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रगति व प्रयासों की संवीक्षा करती है कि समस्त राज्य कानून भूमि की अधिकतम सीमा और पट्टेदारी की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप हैं । उन राज्यों के नामों का उल्लेख करना सम्भव नहीं है कि जिन के कार्यान्वियन का कार्य संतोषजनक नहीं है अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों में काफी अन्तर होता है और कार्यान्वियन की प्रगति का निर्धारण उन परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है ।

Uniform per head monthly quota of sugar

150. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the reasons for different monthly quota per head of sugar in different States in the country;

(b) whether Government will make arrangements for giving uniform per head monthly quota of sugar in all the States; and

(c) if so, when it will be intorduced and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) to (c): In accordance with the decision taken on 27th October, 1977, the Statewise monthly levy sugar quotas were refixed with reference to the projected population as on 1-4-1978 ensuring 425 grams of monthly per capita availability with effect from December, 1977. All the State Governments/Union Territories have also been advised (i) to gear up the distribution machinery to ensure distribution at the enhanced levels in rural and urban areas, and (ii) to treat both the urban and rural population in a similar manner for the purpose of distribution of levy sugar.

2. The disparity in the monthly per capita availability of levy sugar in certain States is due to the fact that in the case of a few States/Union Territories where the per capita availability on the basis of projected population as on 1-4-1978 out of the existing quota was found to be higher than 425 grams, it was decided not to curtail their quota and retain it at the earlier level obtaining upto November, 1977. Moreover, the ration card units in different States have also a bearing on the per capita availability since Government of India have adopted the population as on 1-4-1978 for various States/Union Territories as projected by the Registrar General of India.

उर्वरक संवर्धन अभियान

151. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1978 के खरीफ के मौसम में देश के 77 जिलों में उर्वरक संवर्धन अभियान को और जोरदार ढंग से चलाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार ने चालू मौसम में उर्वरक संवर्धन अभियान को तेज करने के बारे में राज्यों को कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं ; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) अनुबंध 1 के अनुसार ब्यौरा संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या 2386/78**]

Offer of cooperation in agriculture from Bulgaria

152. **Shri Rajendra Kumar Sharma :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bulgaria has offered to extend economic and technical cooperation in Agriculture field ; and

(b) if so, full details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) and (b) : The Government of the People's Republic of Bulgaria has offered assistance for setting up of agri-industrial complexes. It is proposed to set up two such complexes : one each in Karnataka and Bihar as pilot projects. An area of 10,000 hectares has been identified in each of these States for development of these projects. Bulgaria will supply improved varieties of seeds, send experts and train Indian experts in Bulgaria, supply plant and machinery, if needed, for the processing component of the complexes on credit basis and assist in marketing of the products of these complexes.

Bulgaria has also offered cooperation in the fields of animal science for import of Indian buffalo to Bulgaria and export of Bulgarian breeds of sheep to India.

Research and development on Tobacco has also been identified as another area of cooperation with the Bulgarian Government.

Effect of smoke on Red Fort, Delhi

†153. **Shri Rajendra Kumar Sharma :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the smoke from Indraprastha Estate Power Stations and railway trains is adversely affecting the buildings made of marble stones inside the Red Fort, Delhi ; and

(b) if so, the measures being taken by Government for its protection ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Yes, Sir. The Government is well aware of the problem.

(b) The marble stones of the buildings are being cleaned periodically with chemicals and preservative coats are applied on them for protection.

खाद्यान्न का उत्पादन

154. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन के अन्तिम अनुमान क्या है ?

(ख) प्रत्येक वर्ष के दौरान विकास की दर कितनी प्रतिशत रही ;

(ग) वर्ष 1976-77 से 1977-78 तक वर्षवार कुल उत्पादन में चावल, गेंहू और मोटी किस्मों के अनाज का कितना-कितना उत्पादन हुआ ; और

(घ) वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में दालों का कितना-कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1975-76 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 1210.3 लाख मीटरी टन तथा वर्ष 1976-77 में 1115.7 लाख मीटरी टन हुआ । वर्ष 1977-78

के खाद्यान्नों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। उपलब्ध रिपोटों के अनुसार खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 1250 मीटरी टन होने की सम्भावना है।

(ख) वर्ष 1975-76 के दौरान, खाद्यान्न का उत्पादन, गत वर्ष की तुलना में 21.0 प्रतिशत अधिक था, परन्तु वर्ष 1976-77 के दौरान वर्ष 1975-76 के स्तर की तुलना में इसम 7.8 प्रतिशत की गिरावट आई। वर्ष 1977-78 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 1976-77 के स्तर की तुलना में 12.0 प्रतिशत अधिक होने की सम्भावना है।

(ग) इसकी जानकारी नीचे दी गई है :—

फसल	खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में फसल का प्रतिशत शेयर	
	1975—76	1976—77
चावल . . .	40.3	38.3
गेंहूं . . .	23.8	26.1
मोटे अनाज	25.1	25.6

वर्ष 1977-78 से सम्बन्धित ऐसी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(घ) वर्ष 1975-76 के दौरान दालों का उत्पादन 130.4 लाख मीटरी टन तथा वर्ष 1976-77 में 112.1 लाख मीटरी टन हुआ था। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1977-78 के दौरान दालों का उत्पादन लगभग 120 लाख मीटरी टन होने की सम्भावना है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को लागत के अनुमान

155. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975-76 से 1977-78 तक, वर्षवार, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में अलग अलग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए निर्माण कार्य कुल कितने मूल्य के है, और

(ख) इस बार में असन्तुलन के लिए जिम्मेदार कारण कौन कौन से हृ ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) वर्ष 1975-76 और 1977 के दौरान दिल्ली ,कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए निमणि कार्यों का मूल्य इस प्रकार है :—

शहर का नाम	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए निर्माण कार्यों का मूल्य	
	1975—76	1976—77 (रुपये लाखो में)
दिल्ली	521.03	769.43
कलकत्ता . .	199.97	343.89
बम्बई .	129.49	254.89
मद्रास	132.81	87.11

वर्ष 1977-78 की अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए जिन निर्माण कार्यों का मूल्य जो ऊपर दिया गया है, वे सामान्य पुल के मकानों निर्माण और आवास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों के निर्माण कार्यों, अन्य मंत्रालयों के विभागों के निर्माण कार्यों जिनका निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्ता शासी निकायों द्वारा इसे सौंपे गये निक्षेप कार्य शामिल है। किए गए निर्माण

कार्यों का मूल्य सम्बन्धित शहरों में निर्माण कार्यों के लिए जारी की गई स्वीकृतियों पर निर्भर करगा जो क्रमश: रिहायशी तथा कार्यालय स्थान और विभिन्न प्रकार के अलग प्रकार के कार्यों एवं निधियों की उपलब्धता पर निर्भर है। इन घटकों को ध्यान में रखते हुए, निर्माण कार्यों की मात्रा अलग अलग शहर को अलग अलग है। इससे इन चार शहरों में किए गए निर्माण कार्यों के मूल्यों में अन्तर का पता चलता है।

राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना

156. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :**

श्री अहमद एम० पटेल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय पार्क कौन-कौन से हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) क्या सरकार सुन्दर वन को राष्ट्रीय पार्क घोषित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ग) इसका क्षेत्रफल कितना है तथा इसके विकास पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क)

राष्ट्रीय पार्क का नाम	राज्य	स्थान
1. काज़ीरंगा राष्ट्रीय पार्क	असम	जिला- शिवसागर
2. गिर राष्ट्रीय पार्क	गुजरात	जिला—जूनागढ़
3. वैल वादार राष्ट्रीय पार्क	गुजरात	जिला- भावनगर
4. बनरघाटा राष्ट्रीय पार्क	कर्नाटक	जिला- बंगलोर
5. नागरहोल राष्ट्रीय पार्क	कर्नाटक	जिला—कुर्ग
6. वादीपुर राष्ट्रीय पार्क	कर्नाटक	जिला—मैसूर
7. इराबिकुलम राजमाल्ले राष्ट्रीय पार्क	केरल	जिला—इदुक्की
8. कान्हा राष्ट्रीय पार्क	मध्य प्रदेश	जिला मांडला बालाघाट
9. शिपुरी राष्ट्रीय पार्क	मध्य प्रदेश	जिला शिवपुरी
10. बांधवगढ राष्ट्रीय पार्क	मध्य प्रदेश	जिला- शाहडोल
11. तदोबा राष्ट्रीय पार्क	महाराष्ट्र	जिला—चन्द्रपुर
12. कीवुल लाम्जो राष्ट्रीय पार्क	मणिपुर	केन्द्रीय जिला
13. ग्वाइंडी राष्ट्रीय पार्क	तमिलनाडु	मद्रास
14. कोरबेट राष्ट्रीय पार्क	उत्तर प्रदेश	जिला- गढवाल
15. दुधवा राष्ट्रीय पार्क	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर खेड़ी
16. कंग चेंद जंगा राष्ट्रीय पार्क	सिक्किम	उत्तरी जिला

(ख) जी, हां।

(ग) सुन्दरवन राष्ट्रीय पार्क के विकास के लिए लगभग 1330.10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लिया है। 1978-79 के दौरान सुन्दर वन बाघ परियोजना के लिए लगभग 12 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

बाढ़ के कारण हुई क्षति

158. **श्री राम विलास पासवान ।** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण देश की औसतन कितनी हानि हुई और उस से कितने गांव प्रभावित हुए ;

(ख) उत्तर बहार में उपरोक्त अवधि में बाढ़ का कितने गांवों और परिवारों पर प्रभाव पड़ा ;

(ग) त्येक वर्ष में उत्तर बिहार में बाढ़ का कितनी भूमि पर प्रभाव पड़ा और ;

(घ) बाढ़ के कारण होने वाले विनाश को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों में देश में बाढ़ों के कारण हुई औसत हानि तथा प्रभावित जनसंख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	कुल हानि (करोड़ रुपये में)	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)
1975	471.27	313.50
1976	888.75	505.20
1977	1131.57	445.80

सामान्यतः ग्रामों और परिवारों की संख्या के आंकड़े प्राप्त नहीं होते ।

(ख) समूचे बिहार राज्य और उत्तरी बिहार में हुई हानि से सम्बन्धित आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :—

वर्ष	समूचा बिहार		उत्तरी बिहार	
	कुल क्षति (करोड़ रुपये में)	प्रभावित जनसंख्या लाख में	कुल क्षति (करोड़ रुपये में)	प्रभावित जनसंख्या लाख में
1975 . . .	265.76	132.40	122.68	113.13
1976 . . .	205.99	136.40	37.00	64.84
1977 . . .	12.21	30.00	उपलब्ध नहीं	

(ग) उत्तरी बिहार में बाढ़ों द्वारा प्रभावित क्षेत्र के उपलब्ध आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	लाख हैक्टर में	लाख एकड़ में
1975	20.64	51
1976	13.59	34

(घ) बाढ़ नियंत्रण राज्य विषय है और बिहार सरकार ने बाढ़ों के कारण होने वाली हानि को कम करने के लिए कई तटबन्ध स्कीमों, ग्रामों को ऊंचा उठाने, नदी-सुधार तथा कटाव-रोधी कार्यों से सम्बन्धित बहुत सी स्कीमों को कार्यान्वित किया है/हाथ में लिया है/प्रस्तावित किया है ।

राष्ट्रीय अभिलेखागार में मंत्रालयी पदों का बनाया जाना

159. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में मंत्रालयी पदों के बनाए जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यहां सचिवालयी प्रशासनिक कार्य तकनीकी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या औचित्य है ;

(ग) क्या लिपिक वर्ग के लगभग 20 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी बिना पदोन्नति एक ही पद पर रुके पड़े है ;

(घ) क्या पदोन्नति के अधिक अवसर बनाने के लिए लोवर डिविजन क्लर्क के पदों को अपर डिवीजन क्लर्क के पदों में और अपर डिवीजन क्लर्क के पदों को असिस्टेन्ट के पदों में परिवर्तित करने तथा बढ़े हुए कार्यभार के अनुसार अतिरिक्त सचिवालयी पदों को बनाने के लिए कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ङ) यदि हां, तो कर्मचारियों में सन्तोष की भावना पैदा करने और उनमें कार्य कुशलता बढाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) स्टाफ की आवश्यकताओं का निर्धारण होने तक आयोजना जैसा कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य तकनीकी स्टाफ को सौंपा गया है । तथापि गृह-प्रबन्ध सम्बन्धी कोई कार्य उन्हे नहीं दिया गया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) नवम्बर, 1971 से लेकर अब तक की अवधि के दौरान प्रशासनिक पक्ष में 12 अतिरिक्त लिपिकीय पद संस्वीकृत किये गए हैं । तकनीकी पदों में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रशासनिक पक्ष में स्टाफ की संख्या और अधिक बढ़ाने के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फलैटों का रख रखाव

160. **श्री राम विलास पासवान :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के रख रखाव के बारे में 11 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3144 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ग) में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो गत 12 महीनों में जानकारी एकत्र न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) फ्लैटों की लागत में अनुरक्षण सम्बन्धी कोई राशि शामिल नहीं है क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों को बेचने के पश्चात् उनका अनुरक्षण नहीं करता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मध्य आय वर्ग के फ्लैटों पर अधिभार लगाया जाना

161. **श्री राम विलास पासवान :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मध्य आय वर्ग के फ्लैटों पर अधिकार लगाये जाने के बारे में 3 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5404 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त फ्लैटों के आबन्टन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और पुस्तिका (ब्रोशर) में अलाटियों से अधिकार लेने के बारे में उल्लेख किया गया था ;

(ख) क्या दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में कोई ऐसा उपबन्ध है जिसमें जनता/निम्न आय वर्गों को सहायता देने के लिए मध्य आय वर्ग के अलाटियों से अधिभार लेने की शक्ति दिल्ली विकास प्राधिकरण को दी गई हो, यदि हां, तो सम्बन्धित उपबन्ध कौन से है; और

(ग) क्या उसी अधिनियम में भिन्न भिन्न कालोनियों में अधिभार वसूल करने में अन्तर रखने की व्यवस्था भी है और यदि नहीं, तो केवल 4 मध्य आय वर्ग आवास योजनाओं के सम्बन्ध में अधिभार लिए जाने और अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में न लिये जाने के क्या विशेष कारण हैं जिनके लिए पर्चियां इन चार कालोनियों के साथ ही निकाली गई थी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में अधिभार लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है । ये प्रशासनिक निर्णय हैं ।

मूल्य निर्धारित करते समय अन्तर-वर्ग/क्षेत्रीय रियायत (एरिया सबसिडाइजिंग) देने की अनुमति है । उच्चतर प्रभारों के लिए कालोनियों को चुनते समय उनकी अवस्थिति, लोक प्रियता आदि का ध्यान रखा गया ।

दिल्ली में बाढ़ को रोकना

162. **श्री के० लकप्पा :**

श्री एस० जी० मुरुगय्यन :

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकटवर्ती क्षेत्रों से दिल्ली में बाढ़ का पानी आने से रोकने के लिये जैसाकि गत वर्ष हुआ था क्या अल्पावधि उपाय किये गये हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार की बाढ़ को रोकने के लिये कोई दीर्घावधि योजनाएं भी बनाई गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी क्रियान्विति की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) दिल्ली प्रसासन द्वारा 1977 की भयंकर बाढ़ों के पश्चात् नजफगढ़ ड्रेन के साथ-साथ दिल्ली के क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए निम्नलिखित तात्कालिक कदम उठाए गये हैं :—

(1) धांसा बंध को सुदृढ़ करना तथा ठीक करना जिसमें कमजोर स्थानों की पिचिंग करना भी शामिल है ।

(2) नजफगढ़ ड्रेन के साथ तटबंधों की मरम्मत की गई और उन्हें पिछले वर्ष के बाढ़-स्तर से दो फुट ऊंचा किया गया ।

(3) सहायक ड्रेनों नामशः पंखा रोड ड्रेन, सुभाष नगर नाला आदि के किनारों को ऊंचा करना ।

(4) धांसा बंध के एकदम अनुप्रवाह में गालिबपुर गांव के चारों तरफ रिंग बांध का निर्माण ।

(5) पिछले वर्ष जलमग्न हुई सड़कों पर पानी के अधिक प्रवाह को रोकने के लिए 'डोवेल्स' की व्यवस्था ।

(6) नाजुक स्थानों पर पम्पों का प्रबंध ।

(7) कुछ नए स्थानों पर नजफगढ़ ड्रेन से गाद निकालना ।

हरियाणा में जहाजगढ़ झील क्षेत्रों में उन सभी बंधों की जिनमें पिछली बाढ़ों के दौरान दरार पड़ गई थीं अथवा पानी ऊपर को बहने लगा था, मरम्मत कर दी गई है और मजबूत कर दिया गया है । हरियाणा सरकार ने व्यपवर्तन ड्रेन संख्या 8 (जो सीधे यमुना में गिरती है) की वाह-क्षमता भी 4000 क्यूसेक से बढ़ाकर 6000 क्यूसेक तक कर दी है ।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय जल आयोग ने हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य इंजीनियरों के परामर्श से साहिबी नदी—नजफगढ़ नाला ड्रेनेज बेसिन के लिए एक मास्टर योजना तैयार की है जिसमें साहिबी की बाढ़ों से होने वाली क्षति को रोकने के लिए दीर्घावधिक उपायों, बेसिन में प्रभावी ड्रेनेज और लाभकारी प्रयोगों जैसे सिंचाई के लिए जल का समुपयोजन करने की सिफारिश की गई है । मास्टर योजना में निम्नलिखित बातें परिकल्पित हैं :—

(1) राजस्थान में अजमेरीपुरा में अनिवार्यतः सिंचाई के लिए, साहिबी नदी पर एक बांध का निर्माण ।

(2) हरियाणा में मसानी में सिंचाई तथा इसके साथ बाढ़ों को कम करने के लिए साहिबी पर एक जल-संचय बांध का निर्माण ।

(3) दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन को वर्तमान क्षमता को ककरौला तक 3000 क्यूसेक से बढ़ाकर 8000 क्यूसेक करना और ककरौला से इसके यमुना में गिरने तक 10,000 क्यूसेक तक बढ़ाना ।

(4) दिल्ली में 4000—5000 क्यूसेक की क्षमता वाली एक प्रतिपूरक ड्रेन का निर्माण ।

(5) यदि तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो तो एक नई व्यपवर्तन ड्रेन का निर्माण जो बवाना इस्केप से गुजरेगी ।

(6) ग्रामों और नगरों के चारों तरफ रिंग बंधों का निर्माण ।

(7) धांसा बंध का सुदृढ़ीकरण एवं इसको हरियाणा में ऊंचे स्थानों से जोड़ना ।

(8) ऊपरी वाह-क्षेत्र में पानी तथा इसके साथ-साथ भू-संरक्षण के लिए लघु टेंकों/बंधों का निर्माण ।

(9) ऊपरी वाह-क्षेत्र में भू-संरक्षण एवं वनरोपण के उपाय ।

(10) दिल्ली में ड्रेनेज प्रणाली के सुधार के अनुरूप हरियाणा में ड्रेनेज प्रणाली का पुनर्रूपण ।

(11) भूतल और भूगत जल संसाधनों का इष्टतम समुपयोजन ।

(12) बाढ़-क्षेत्र विनियमन ।

मास्टर योजना के मुख्य घटकों के लगभग चार वर्षों में पूरे होने की संभावना है ।

केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री द्वारा 8 जून, 1978 को ली गई बैठक में, जिसमें राजस्थान के मुख्य मंत्री, हरियाणा के सिंचाई मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल ने भाग लिया था, इन प्रस्तावों पर विचार किया गया था । इस बैठक में मास्टर योजना के घटकों पर मोटे तौर पर सहमति थी और यह भी तय किया गया था कि इस योजना को समन्वित ढंग से बहुत ही शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए । यह भी तय किया गया था कि राज्य सरकारें/संघीय क्षेत्र केन्द्रीय जल आयोग में प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्टों के तैयार करने के साथ-साथ अपने-अपने कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करेंगी ताकि 1978 की मानसून के तुरंत पश्चात् निर्माण कार्यों को तत्काल हाथ में लिया जा सके ।

हरियाणा सरकार ने कुछ ग्रामों की सुरक्षा के लिए पहले से ही रिंग बंधों का निर्माण हाथ में ले लिया है और मुंडेला-बुपनिया क्षेत्र के लिए ड्रेन का निर्माण करना भी आरम्भ कर दिया है । मसानी बराज पर प्रारम्भिक कार्यों को भी हाथ में ले लिया गया है ।

मंत्रियों तथा उच्च अधिकारियों को सरकारी आवास के आवंटन के मानदण्ड

163. **श्री के० लकप्पा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रियों, सरकार के सचिवों और अन्य उच्च अधिकारियों को रिहायशी आवास के दिए जाने के बारे में कोई सिद्धान्त बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस नई योजना के कार्यान्वियन की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) उनके लिए नये निवास स्थानों के निर्मित किए जाने पर बड़े बड़े बंगलों (जो इस समय मंत्रियों, सचिवों आदि के पास हैं) का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) यह निर्णय लिया गया है कि भावी निर्माण में एक मंत्री के बंगले में मुख्य आवास का कुर्सी क्षेत्र लगभग 3000 वर्गफुट होगा। सचिवों और अन्य उच्चाधिकारियों के निवासों के लिए मापदण्ड का पुनरीक्षण विचाराधीन है।

(ख) मंत्रियों आदि के लिए नये आवासों के निर्माण के लिए कोई योजना अभी तक मंजूर नहीं की गई है।

(ग) राजपथ के उत्तर और दक्षिण में स्थित बंगलों के क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए एक एकीकृत योजना तैयार की जा रही है।

दिल्ली में रिहायशी इमारतों का गैर-रिहायशी प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना

164. **श्री के० लकप्पा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अनेक रिहायशी इमारतों का उपयोग 'मास्टर प्लान' का उल्लंघन करके गैर-रिहायशी परियोजना के लिए किया जा रहा है ;

(ख) रिहायशी क्षेत्रों में किस प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति है;

(ग) क्या हाल ही में पंचकुईया रोड के चौराहे पर नं० 1 रानी झांसी रोड पर जो कि मास्टर प्लान में रिहायशी प्रयोजन के लिए निर्धारित है, एक व्यापारिक इमारत बनी है जो पहले रक्त आदि की जांच के लिए, प्रयोगशाला के लिए इस्तेमाल कर ली जाती थी;

(घ) भूमि तथा विकास अधिकारी द्वारा मास्टर प्लान का उल्लंघन करके इस प्रकार की मंजूरी दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान में कोई ढील देने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) उन व्यवसायिक कार्यों की उन रिहायशी क्षेत्रों के भीतर करने की अनुमति दे दी जाती है जो सामुदायिक केन्द्र और पणन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाते हैं ताकि आसपास की आबादी अनुभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इस अतिरिक्त रिहायशी प्रयोजन के क्षेत्रों में व्यवसायिक कार्यालय अथवा घरेलु उद्योग जो किसी व्यक्ति के कब्जे के आवास में स्थित हों, विशेष आवेदन करने पर बृहत्त योजना में उनके लिए अनुमति दी जाती है।

(ग) जी, हां। रानी झांसी रोड नं० 1 में तहखाने से युक्त एक 4½ मंजिली इमारत लगभग पूरी होने वाली है। यह पता नहीं है कि पूर्ण होने के बाद उसे किस प्रयोग में लाया जाएगा।

(घ) क्योंकि पार्टी ने पट्टे की शर्तों के अधीन प्लानों की स्वीकृति के लिए आवेदन नहीं किया है, अतः भूमि तथा विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली के स्कूलों में जूनियर पी०ई०टी० के पद बनाना

165. **श्री नाथू सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अधीन लड़कों तथा लड़कियों के ऐसे कितने स्कूल हैं जहां एन० एफ० सी० इन्स्ट्रक्टर गत तीन वर्षों से जूनियर पी० ई० टी० पद का पूरा कार्य-भार संभालते आ रहे हैं परन्तु फिर भी स्कूलों में जूनियर पी० ई० टी० के पद नहीं बनाये गये हैं; और

(ख) ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी है जहां जूनियर पी० ई० टी० के पद गत तीन वर्ष से विद्यमान हैं और उन पर एन० एफ० सी० इंस्ट्रक्टर नियुक्त किये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मानसिंह रोड, नई दिल्ली में होटल काम्पलैक्स

166. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के मानसिंह रोड स्थित होटल काम्पलैक्स को पट्टे पर देने के बारे में नई दिल्ली नगरपालिका और टाटा बंधुओं की कम्पनी इण्डिया होटल लिमिटेड के बीच हुआ करार आवंटित रूप से उक्त होटल कम्पनी के पक्ष में पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पुराने करार को रद्द करके उक्त काम्पलैक्स को पट्टे पर देने के लिए नये सिरे से टेंडर आमन्त्रित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : मामले की अभी भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नई दिल्ली नगरपालिका के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिये नई पाठ्य पुस्तकें

167. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिये नई पाठ्य पुस्तकें लिखने के लिये निदेश जारी किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) : पाठ्य पुस्तकें अपने अपने सदस्य स्कूलों के लिए विभिन्न संबद्धन बोर्डों द्वारा निर्धारित/अनुशंसित की जाती है। 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यचर्या सम्बंधी ईश्वरभाई पटेल समिति और आदिसेशियहा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, फरवरी, 1978 में हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के सम्मेलन ने सिफारिश की कि सदस्य बोर्डों की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किए गए अनुसंधान मानदंडों को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तकों को वैज्ञानिक तरीकों से विकसित करने का कार्य शुरू करना चाहिए।

चीनी का रक्षित भण्डार

168. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी का रक्षित भंडार बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और उद्देश्य क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) : इस वर्ष चीनी का भरपूर उत्पादन होने और चीनी का अत्यधिक स्टाक इकट्ठा हो जाने की दृष्टि में सरकार 1977-78 के शेष भाग और 1978-79 मौसम के लिए नीति पर विचार कर रही है। चीनी का बफर स्टाक तैयार करना भी एक उपाय है जिसकी आवश्यकता और व्यवहार्यता की जांच की का रही है।

सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए डी०डी०ए० फ्लैट

169. **श्री के० प्रधानी :**

श्री राजे विश्वेश्वर राव :

श्री छोतूभाई गामित :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के सेवा निवृत्त के निकट कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण किए जाने की कोई योजना हाल ही में तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और मध्यम आय वर्ग के लिए मकान बनाने के लिए कोई अवधि निर्धारित की गई है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या मानदण्ड अपनाये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निर्धन व्यक्तियों को शिक्षा सुविधाएं

170. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा प्रणाली को प्राथमिकता के आधार पर नया रूप देने के लिये तैयार की गई योजना में यह सिफारिश की गई है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध होने वाली सुविधाएं निर्धन व्यक्तियों को भी उपलब्ध की जायें ;

(ख) क्या समाज में निर्धनता और असमानता को कम करने और सब व्यक्तियों के लिये अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु एक साथ प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो समाज के निर्धन वर्गों के लिये प्रतिवर्ष कितनी धनराशि की मंजूरी दी जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) प्रौढ़ शिक्षा और प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के क्षेत्रों में 1978-83 की योजना के लिए कार्रवाई के कार्यक्रम तैयार करने हेतु गठित कार्य दलों ने हमारी आबादी के कमजोर वर्गों में इन कार्यक्रमों को प्रोन्नत करने के लिए विशेष प्रयासों की सिफारिश की है ।

(ख) और (ग) : पंचवर्षीय योजना, 1978-83 का एक मुख्य लक्ष्य आबादी के सबसे निर्धन वर्गों के स्तर को ऊंचा उठाना तथा उन आय वर्गों के लोगों की शिक्षा जैसी कुछ मूल जरूरतों के लिए व्यवस्था करना है । अन्य बातों के साथ साथ इस प्रयोजन के लिए पंचवर्षीय योजना के मसौदे में 4,180 करोड़ रुपयों के परिव्यय सहित एक संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया गया है । तथापि इस समय, विशेष रूप से निर्धन लोगों के लाभ के लिए प्रतिवर्ष उपलब्ध होने वाली राशि ठीक ठीक बताना कठिन होगा क्योंकि पंचवर्षीय योजना, 1978-83 के मसौदे को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सिंचाई सुविधायें

171. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस बात का पता है कि संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सिंचाई संबंधी कोई सुविधायें नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार कृषि भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का है;

(ग) क्या सरकार को सिंचाई प्रयोजनार्थ बांधों के निर्माण के लिये उत्तर अंडमान में कलपोंग नदी के बारे में कोई जांच रिपोर्ट मिली है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) इस समय अण्डमान और निकोबार द्वीप में बृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमों से कोई सचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । लेकिन संघ राज्य क्षेत्र में पिछले चार वर्षों से लघु सिंचाई कार्यों से कुछ सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं । वर्ष 1978-79 के लिए इस संघ राज्य क्षेत्र में लघु सिंचाई कार्यों के लिए पांच लाख रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है ।

(ख) से (घ) : भारत सरकार, सिंचाई विभाग ने एक केन्द्रीय दल का गठन किया है जिसमें कृषि विभाग, केन्द्रीय वद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग के प्रतिनिधि शामिल हैं । इस दल का काम इन द्वीपों का दौरा करना और जल पूर्ति, सिंचाई और विद्युत के लिए मास्टर योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त तैयार करना है । आशा है कि इस केन्द्रीय दल की रिपोर्ट को जल्दी ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा ।

केन्द्रीय जल आयोग ने कलपोंग चरण-एक और कलपोंग चरण-दो नामक दो स्कीमों का अन्वेषण कर लिया है । कलपोंग चरण-एक की परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और केन्द्रीय जल आयोग तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उसकी जांच की जा रही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय युवक सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आमन्त्रणों को स्वीकार करने के लिए नियम

172. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी आतिथ्य को स्वीकार करके अन्तर्राष्ट्रीय युवक सम्मेलनों में भाग लेने और उनके लिए आमन्त्रण स्वीकार करने के लिए भारतीय युवा प्रतिनिधि मंडलों को अनुमति देने के क्या नियम हैं ;

(ख) क्या जुलाई अगस्त, 1978 में क्यूबा में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में युवक प्रतिनिधियों को भेजने के लिए कुछ भारतीय राजनैतिक संगठनों को कोई आमन्त्रण दिये जाने के बारे में सरकार को जानकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रतिनिधियों के चयन की क्या प्रक्रिया है और क्या विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के लिए सरकार की अनुमति मांगी गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) यह मंत्रालय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए भारतीय युवा प्रतिनिधि मण्डलों को तभी प्रायोजित करता है जब ऐसे सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की एजेन्सियों अथवा राष्ट्रमण्डल सचिवालय इत्यादि के तत्वावधान में आयोजित किए जाते हैं तथा सरकार को सरकारी तौर से एक आमंत्रण प्राप्त होता है अथवा यदि ऐसा कार्यक्रम विभिन्न देशों के साथ किए गए सांस्कृतिक विनियम करार के अन्तर्गत आयोजित किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) चयन प्रक्रिया अथवा आतिथ्य स्वीकार करने के संबंध में केंद्रीय सरकार से सम्पर्क नहीं किया गया था।

राष्ट्रीय प्रशिक्षक कोर के प्रशिक्षकों की वरीयता सूची

173. **श्री अधन सिंह ठाकुर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा 1 नवम्बर, 1972 को अवर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में अपने अधीन लिए गये राष्ट्रीय प्रशिक्षक कोर के प्रशिक्षकों की अन्तिम वरीयता सूची के सम्बन्ध में कितने प्रशिक्षकों ने अपनी वरीयता के सम्बन्ध में आपत्तियां पेश की हैं ;

(ख) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा परिचालित अन्तिम वरीयता सूची में क्या उक्त आपत्तियों को दूर कर दिया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि अन्तिम वरीयता सूची में राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के उन प्रशिक्षकों के भी नाम हैं जिनको शिक्षा निदेशालय के अधीन नहीं भी लिया गया था ;

(घ) कितने प्रशिक्षकों ने अन्तिम वरीयता सूची में अपने ब्यौरे नोट कर लिए हैं ; और

(ङ) कितने स्कूलों में अब तक सम्बन्धित प्रशिक्षकों ने इस वरीयता सूची को नोट नहीं किया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केवल तीन अनुदेशकों ने अपनी अस्थायी वरीष्ठता के सम्बन्ध में आपत्तियां दायर की थी।

(ख) अन्तिम वरिष्ठता सूची परिचालित करने से पहले इन आपत्तियों पर विधिवत विचार किया गया था।

(ग) जी, हां। ऐसा असावधानी से हो गया था ; किन्तु वे पदों पर नही थे और उनसे अनुदेशकों की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नही पड़ता।

(घ) और (ङ) : अन्तिम वरिष्ठता सूची शिक्षा निदेशालय के सभी स्कूलों को भेजी गई थी और स्कूल के प्रधानों से उसे सभी सम्बन्धित शिक्षकों से नोट करवाने के लिए कहा गया था। किसी भी सम्बन्धित अनुदेशक द्वारा वरिष्ठता सूची को नोट न करने की कोई शिकायत नहीं है।

नर्मदा जल-विवाद संबंधी न्याय निर्णय

174. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा जल विवाद सम्बन्धी न्यायाधिकरण द्वारा चालू कैलेण्डर वर्ष 1978 का अपना न्याय-निर्णय/निर्णय दे दिए जाने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ;

(ग) क्या उक्त न्यायाधिकरण अथवा उसका कोई अन्य अधिकारी/विशेषज्ञ गुजरात में नवगांव बांध की ऊंचाई के बारे में पहले ही निश्चय कर चुका है तथा सरकार को अपना निर्णय बता चुका है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार ने लम्बे समय से लम्बित तथा पेचीदा विवाद पर न्यायाधिकरण का निर्णय शीघ्र ही प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

9—198 LSS/78

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1978 तक प्रस्तुत करने की सम्भावना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

(ङ) न्यायाधिकरण स्वयं ही अपनी रिपोर्ट देने में शीघ्रता कर रहा है और अब इसके अगस्त, 1978 तक उपलब्ध हो जाने की आशा है।

शिक्षा मंत्री की विदेशों की यात्रा]

175. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्री बनने के पश्चात उन्होंने आज तक एक या अधिक विदेशों की यात्रा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं ;

(ग) यात्रा करने के कारण क्या है;

(घ) इन यात्राओं के क्या परिणाम निकलें ;

(ङ) प्रत्येक देश की यात्रा पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा और कितने रुपये खर्च हुए ;

(च) मंत्री द्वारा स्वयं यात्रा करने के परिणामस्वरूप किये गये करारों का मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(छ) उक्त देशों की यात्राओं पर मंत्री के साथ गये व्यक्तियों के नाम, पदनाम आदि के बारे में पूरा ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक देश की यात्रा पर उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ;

(च) जबकि शिक्षा मंत्री के इन देशों के दौरों के दौरान कोई औपचारिक समझौते नहीं किये गए थे, इन दौरों के दौरान विदेशी उच्च अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री द्वारा किये गए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण संलग्न विवरण के कालम (6) में दिया गया है।

(छ) श्री पी० सबानायगम, शिक्षा सचिव और श्री पा० कृ० उमाशंकर, संयुक्त सचिव केवल स्विट्जरलैन्ड में शिक्षा मंत्री के साथ गए। शिक्षा मंत्रीके विशेष सहायक श्री ए० के० बसु स्विट्जरलैंड, पराग, जर्मन जनवादी गणराज्य पोलैण्ड, सोवियत रुस, बल्गारिया तथा चेकोस्लावाकिया में शिक्षा मंत्री के साथ गये। व्यय के आंकड़े नीचे दिये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2387/78।]

भूतपूर्व संसद सदस्यों और भूतपूर्व मंत्रियों के कब्जे में सरकारी आवास

176. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भूतपूर्व संसद सदस्यों या भूतपूर्व मंत्रियों के कब्जे में अभी तक वे मकान हैं जो उन्हें दिल्ली में उनकी पदावधि के दौरान आबंटित किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों से सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा है और यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला ;

(घ) क्या ऐसे व्यक्तियों से उनके कब्जे में चल रहे मकानों के लिए बाजार दर से वाणिज्यिक किराया लिया जाता है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) ऐसे मंत्री परिषद के किसी भी भूतपूर्व सदस्य जो काफी समय से संसद सदस्य नहीं है, के कब्जे में कोई मकान नहीं है जिन्हें उनको पदावधि के दौरान आबन्टित किए गए थे। लोकसभा और राज्य सभा के कुछ भूतपूर्व सदस्यों ने अभी तक सरकारी वास खाली नहीं किए हैं।

(ख) तथा (ग) : जिन भूतपूर्व संसद सदस्यों ने सरकारी वास खाली नहीं किये हैं उनका विस्तृत विवरण संलग्न है।

(घ) आवन्टन रद्द करने की तिथि के पश्चात सरकारी वास के दखल के भूतपूर्व संसद सदस्यों से बाजार दर पर हरजाना लिया जाता है।

(ङ) प्रश्न ही नही उठता।

विवरण–1

उन मकानों का विस्तृत विवरण जिन्हें लोकसभा के भूतपूर्व संसद सदस्यों ने खाली नहीं किया है।

भूतपूर्व संसद सदस्य का नाम	वास का विवरण	वह तिथि जब खाली करने के आदेश पारित किए गए	टिप्पणी
1	2	3	4
सर्वश्री			
1. एस० एम० बनर्जी .	फ्लैट नं० 113, नार्थ एवेन्यू	20–6–77	श्री एस० एम० बनर्जी को 31–3–78 तक खाली करने का समय दिया गया था। 15–7–78 के पश्चात मकान रखने के लिए उनका और अनुरोध नामंजूर कर दिया गया है।
2. बी० शंकर गिरी .	सूट नं० 3, वैस्टर्न कोर्ट	6–6–77	उच्चतम न्यायालय ने श्री गिरी को स्थगन आदेश दिए हैं और यह मामला न्यायाधीन है।
3. जम्बूवन्त धोते .	18, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड़	14–6–77	श्री धोते ने यह बंगला मौजूदा संसद सदस्य श्री राज विश्वेश्वर राव को बिना औपचारिक आबन्टन के हस्तान्तरित कर दिया है। वास्तविक बेदखली लोकसभा को आवास समिति द्वारा रोक दी गई है क्योंकि श्री राव को दूसरा मकान आबन्टन करने का मामला विचाराधीन है।
4. तुलमोहन राम .	34, गुरुद्वारा, रकाबगंज रोड़	15–4–77	श्री तुल मोहन राम ने यह मकान मौजूदा संसद सदस्य श्री सम्पत्ति राम को बिना औपचारिक आबन्टन के हस्तान्तरित कर दिया है। आवास समिति ने श्री सम्पत्ति राम को वैकल्पिक वास का आबन्टन कर दिया है किन्तु लिखित अनुरोध के बावजूद भी सदस्य ने 34, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड़ का मकान अभी तक खाली नही किया है।
5. कार्तिक ओरन . .	15, केनिंग लेन	13–6–77	श्री ओरन ने यह मकान मौजूदा संसद सदस्य श्री सोमजी भाई दामौर को बिना औपचारिक आबन्टन के हस्तान्तरित कर दिया है। आवास समिति श्री दामौर के नाम यह मकान नियमित करने के लिए सहमत नही है। आवास समिति ने उन्हें वैकल्पिक वास दिया है किन्तु सदस्य ने 15, केनिंग लेन वाली नही किया है। अब यह मामला वास्तविक रूप से बेदखली करने के लिए तैयार है।

विवरण—2

उन मकानों का विस्तृत विवरण जिन्हें राज्यसभा के भूतपूर्व संसद् सदस्यों ने खाली नहीं किया हैं।

क्रम सं०	भूतपूर्व संसद सदस्य का नाम	वास का विवरण	सेवा निवृत्ति की तारीख	रद्द करने की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	श्री महावीर त्यागी .	बंगला नं० 16, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड़	2-4-76	2-5-76	वास को मंत्री मंडल समिति द्वारा विभागीय प्रभारों सहित एफ आर० 45-बी के अन्तर्गत किराया देने पर उन्हें 1-11-77 तक वास रखने को अनुमति दी गई थी। वास को मंत्रीमण्डल समिति द्वारा गैर पात्र व्यक्तियों के अन्य मामलों के साथ अब उनके मामले पर पुर्नविचार किया जाना है।
2	श्री कासिम अली आबिद	बंगला नं० 21 फिरोजशाह रोड़ सर्वेन्टक्वार्टर नं० 47, फिरोजशाह रोड़, गैरज नं० 68 फिरोजशाह रोड़, गैराज नं० 12, साउथ एवन्यू	9-4-78	9-5-78	राज्सयभा को आवास समिति ने उन्हें 31-7-78 तक वास रखने को अनुमति दी है।
3	श्री डी० पी० सिंह	बंगला नं० 28 केनिंग लेन	9-4-78	9-5-78	राज्यसभा को आवास समिति ने उन्हें 9-7-1978 तक वास रखने की अनुमति दी है।
4	श्री रणवीर सिंह .	12, पं० पन्त मार्ग	9-4-78	9-5-78	राज्सयभा को आवास समिति ने 9-7-1978 तक वास रखने को अनुमति दी है।
5	श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी	बंगला नं० 89, शाहजहां रोड़	9-4-78	9-5-78	—तदैव—
6	श्री एन० के० भट्ट .	बंगला नं० 8, फिरीजशहा रोड़, सवन्ट क्वार्टर नं० 11, इलक्ट्रिक लन सर्वेन्ट क्वार्टर नं० 38, फिरोजशहा रोड़ गैराज नं० 61 फिरोजशाह रोड़	9-4-78	9-5-78-	—तदैव—
7	डा० एम० आर० वैश .	बंगला नं० 32, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड़	2-4-78	2-5-78	राज्यसभा को आवास समिति ने उन्हें 31-7-78 तक वास रखने को अनुमति दी है।
8	श्री भूपेन्द्र सिंह .	फ्लैट नं० 79-81 नार्थ एवेंन्य सर्वेंट क्वार्टर नं० 114 नार्थ एवेन्यू, गैराज नं० एन-34, नार्थ एवेन्यू	9-4-78	9-5-78	—तदैव—

विवरण—जारी

1	2	3	4	5	6
9	श्री जे० एल० बैरवा	फ्लैट नं० 34, नार्थ एवेन्यू सर्वेन्ट क्वार्टर नं० 27, नार्थ एवेन्यू गैराज नं० 36, नार्थ एवेन्यू	9-4-78	9-5-78	राज्यसभा की आवास समिति ने उन्हें 31-7-78 तक वास रखने की अनुमति दी है।
10	श्री हबीब तनवीर .	फ्लैट नं० 95, साउथ एवेन्यू सर्वेन्ट क्वार्टर नं० 68, साऊथ एवेन्यू गैराज नं० 25, साउथ एवन्यू	2-4-78	2-5-78	—तदैव—
11	श्री अनु अब्राहम .	फ्लैट नं० 113, साउथ एवेन्य सर्वेन्ट क्वार्टर नं० 152, साउथ एवेन्यू	2-4-78	2-5-78	—तदैव—
12	श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह	6, अशोक रोड़	9-4-78	9-5-78	और आगे की अवधि के लिए मकान रखने का उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है।
13	श्री एस० एल० गुप्ता .	फ्लैट नं० 6, नार्थ एवेन्यू	9-4-78	9-5-78	राज्यसभा ने उन्हें 15 दिन के भीतर सरकारी वास खाली करने का नोटिस दिया है।
14	श्री टी० वी० चन्द्रशेखप्पा	फ्लैट नं० 24, साउथ एवेन्यू	9-4-78	9-5-78	—तदैव—
15	श्री ए० के० रिफेई .	सूट नं० 4, वेस्टर्न कोर्ट सर्वेन्ट क्वार्टर नं० 43, वैस्टर्न कोर्ट	2-4-78	2-5-78	—तदैव—
16	श्री एम० एस० ओबराय	19, गुरुद्वारा, रकाबगंज रोड़	2-4-78	2-5-78	—तदैव—

अनाज का रक्षित भंडार और उसकी क्षति

177. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष 1978 में देश में अनाज का रक्षित भण्डार कितना है ;

(ख) क्या उपरोक्त भण्डार की सम्पूर्ति की जाती है और यदि हां, तो कब और कैसे ;

(ग) वर्ष 1978 के पहले 6 महीनों में उपरोक्त भण्डार को यदि कोई क्षति हुई है तो कितनी ; और

(घ) इस क्षति के कारण क्या है और इसको कम करने/रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सरकारी एजेन्सियों के पास पहली जून, 1978 को खाद्यान्नों का कुल स्टाक (बफर तथा परिचालन) लगभग 182 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है। इसमें से भारतीय खाद्य निगम के पास लगभग 137 लाख मीटरी टन स्टाक था।

(ख) जी हां, आन्तरिक वसूली तथा आयात द्वारा वर्ष 1974–76 के दौरान खाद्यान्नों का भारी आयात तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान रिकार्ड वसूली होने से देश में खाद्यान्नों का सुगम स्टाक तैयार हुआ है ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) स्टाक को क्षति मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से होती है :—

(1) देर तक भण्डारण करने के कारण खराब होने से ।

(2) सूख जाने से ।

(3) हैन्डलिंग तथा ढुलाई के समय खाद्यान्न गिरने आदि से ।

(4) चूहों/पक्षियों के कारण हानि ; और

(5) चोरी, उठाईगिरी तथा कमी हो जाने आदि से ।

पिछले तीन वर्षों के अन्दर खाद्यान्नों के स्टाक तेजी से तैयार किए गए थे और ढकी भण्डारण क्षमता का विस्तार बढ़ते स्टाक के साथ साथ उसके अनुरूप नहीं हुआ । तदनुसार, कैप स्टोरेज (कवर तथा प्लिन्थ) में कुछ मात्रा रखना जरूरी हो गया । तथापि, चूहों और नमीसे सुरक्षित प्लिन्थ की व्यवस्था करने, उपयुक्त निभार का इस्तेमाल करने और विशेष रूप से बनाई गई पोलिथिन की चादरों से स्टाक ढकने जैसे सुमुचित उपाय करके हानि को कम से कम स्तर पर लाने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए जाते हैं ।

ग्रामीण विकास पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी

178. **श्री चित्त बसु :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में (मई, 1978) ग्रामीण विकास पर एक राष्ट्रीय विचार गोष्टी का आयोजन किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था ।

(ख) उस विचार गोष्ठी के आयोजक का नाम क्या है ;

(ग) विचार गोष्ठी में क्या मुख्य निष्जर्ष निकाले गये ; और

(घ) उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां । वस्तुतः यह अप्रैल, 1978 में हुआ था ।

(ख) इस विचार गोष्ठी को कृषि विभाग के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड समिति भारतीय लोक विकास कार्यक्रम ने एक स्वैच्छिक संगठन खाद्य उत्पादन कार्यक्रम, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया था ।

(ग) और (घ) सेमीनार के मुख्य निष्कर्ष विवरण में दिए गए हैं । भारत सरकार के परामर्श से भारतीय लोक विकास कार्यक्रम द्वारा इन पर विचार किया जा रहा है ।

विवरण

अप्रैल, 1978 में नई दिल्ली में हुए ग्रामीण विकास संबंधी राष्ट्रीय सेमीनार के मुख्य निष्कर्ष

1. ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को संघटित करना

1. ग्रामीण समुदाय के निर्बल वर्गों को संगठित करने की और उन्हें मजबूत बनान के लिए हर तरह की सहायता पहुंचाने की अत्यन्त आवश्यकता है ।

2. शिक्षा व प्रशिक्षण के जरिये ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को संगटित करने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि वे अपने संघटन तैयार करने के लिए खुद ही पहल करें और परिणामस्वरूप होने वाले उत्तरदायित्वों को सम्भाल सकें । इस प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों को अपनी उचित भूमिका अदा करनी चाहिए ।

3. ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को संघटित करने का एक सर्वोत्तम तरीका उन्हें एक सामुहिक गतिविधि, उद्देश्य या हित के लिए प्रेरित करना था । यह गतिविधि सिंचाई, मत्स्यन, भेड़ पालन इत्यादि हो सकती है ।

2. संसाधन, वित्त और ऋण

1. दुर्बल व्यक्तियों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में बैंकों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न बाधाओं को महसूस करते हुए, सेमीनार ने सिफारिश की कि प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने शीर्ष जिले में ग्रामीण दुर्बल व्यक्तियों के लिए सघन गतिविधि प्रारम्भ करनी चाहिए और उस क्षेत्र में गतिविधियों के एक न्यूनतम हिस्से को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए । दुर्बल वर्गों के लाभ के लिए बैंकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार अभियान चलाए जाने चाहिए । मुख्य उद्देश्य ऐसे

वर्गों को उचित शर्तों पर शीघ्र और ऋण प्राप्त करने वाले को न्यूनतम लागत पर उत्पादन के साधन और कार्यकारी पूंजी प्रदान करना, होना चाहिए। सामूहिक गारंटी के आधार पर ऋणों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बैंकों को ग्रामीण ब्रांचों के लिए कर्मचारी नीति का पुनर्विन्यास करना चाहिए, जिसमें ग्रामीण ऋण देने के कार्यक्रमों के लिए स्थानिक भरती किए गए क्षेत्र सहायकों को वरीयता दी जानी चाहिए। ऋणों पर विचार करने और स्वीकृत करने के वर्तमान बोझिल और समय लेने वाली प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाना चाहिए और ऋणों की स्वीकृति के लिए लगाए गए समय पर नियमित निगरानी रखी जानी चाहिए।

2. सेमिनार ने महसूस किया कि स्वैच्छिक संगठनों को विशेषतः ग्रामीण दुर्बल व्यक्तियों का पता लगाने, स्कीमों को तैयार करने और कच्चे माल की अधिप्राप्ति करने और विपणन सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों को कई समर्थन सेवाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि वे दुर्बल व्यक्तियों को ऋण दे सकें।

3. तकनीकी विशेषज्ञ और उपयुक्त प्रौद्योगिकी की सहायता से कार्यक्रम को तैयार करना व उसका कार्यान्वयन

1. विकास के क्षेत्रों और प्राथमिकताओं का पर्याप्त समय पहले ही पता लगा लिया जाना चाहिए जिससे कि स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अपने कार्य के कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से आयोजन करना संभव हो सके।

2. प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का स्पष्ट रूप से पता लगाया जाना चाहिए और चुने हुए क्षेत्रों में उन्हें व्यक्तियों, पैसा और सामग्री की उपलब्धता और उपयोग से संबंधित किया जाना चाहिए। समस्याओं का पता लगाना स्थानिक समुदायों के परामर्श से किया जाना चाहिए जिन्हें कि कार्यक्रम को तैयार करने की प्रक्रिया में शुरु में ही शामिल किया जाना चाहिए।

3. कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए अपेक्षित तकनीकी सहायता विभागों, संस्थाओं, दलों, व्यक्तियों, व्यावसयिक समुदाय, प्रौद्योगिकीविद, समाजशास्त्रियों इत्यादि से प्राप्त की जाए।

4. उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का पता लगाने की आवश्यकता है यह कार्य ऐसी गतिविधि में लगे हुए विभिन्न विशेषज्ञों और एजेन्सियों का होना चाहिए। उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के सम्बन्ध में पर्याप्त अनुभव उपलब्ध है, चाहे यह व्यक्तियों के पास हो या तकनीकी संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों में, इसको उपयुक्त तौर पर एकत्र किया जाना चाहिए। कार्यक्रम का आन्तरिक मूल्यांकन होना चाहिए, जिससे कि कार्यान्वयन के सुधार के लिए प्रभावी व समय पर कार्यवाही की जा सके।

4. स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय

क्षेत्र में विकास कार्य के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेन्सियों के अधिकारियों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि अधिकारियों के बीच समस्त स्तरों पर सम्पूर्ण मतैक्य और समन्वय होना चाहिए। इसके लिए सूचना के आदान प्रदान और निचले स्तर पर विकास आयोजन में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी के जरिये एक प्रभावी संचार व्यवस्था बनाई रखी जानी चाहिए।

भारतीय पुस्तकों का रूसी भाषा में अनुवाद

179. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किन्ही भारतीय पुस्तकों का रूसी भाषा या सोवियत रूस की अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन पुस्तकों के नाम क्या हैं तथा उन पर कितनी रायल्टी मिली है तथा उन व्यक्तियों या संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1971 से रायल्टी मिली है ; और

(ग) अनुवाद के लिए इन पुस्तकों का चयन कौन करता है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डॉ० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) : भारतीय कापी राइट धारकों से अनुवाद अधिकार प्राप्त करने के इच्छुक विदेशी प्रकाशक उनसे सीधे सम्पर्क करते हैं और शर्तें तय करते हैं। अतः सरकार के पास रूसी तथा अन्य रूसी भाषाओं में अनुदित पुस्तकों, प्राप्त रायल्टी अथवा उन व्यक्तियों या संस्थाओं के नाम जिन्होंने रायल्टी प्राप्त की, के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

कृषि, बंजर और वनभूमि की प्रतिशतता

180. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वन क्षेत्र तेजी से कम होता जा रहा है ;

(ख) क्या देश में इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए वन भूमि की प्रतिशतता बढ़ाना आवश्यक है; और

(ग) यदि हां, तो इस समय कृषि भूमि, बंजर भूमि और वन भूमि की प्रतिशतता क्या है और वह कितनी कितनी होनी चाहिए।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

राज्य वन विभागों की रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1951–52 से वर्ष 1975–76 तक की अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए लगभग 41 लाख हैक्टार वन भूमि में निर्वनीकरण किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) भूमि उपयोग सांख्यिकी से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी के अनुसार देश के समूचे भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में कृषि योग्य भूमि, परती भूमि एवं वन भूमि की प्रतिशतता निम्नलिखित प्रकार पायी गयी है :—

ब्यौरा	समूचे भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में प्रतिशतता
1. कृषि (कृष्ट भूमि)	46.93
2 परती भूमि . . .	6.19
3. वन भूमि*	22.79

जहां तक वन भूमि की प्रतिशतता का सम्बन्ध है, यह समूचे भौगोलिक क्षेत्र का 33⅓ प्रतिशत होना चाहिए, जैसा कि राष्ट्रीय वन नीति, 1952 में उल्लिखित है।

Award of degrees for training in Forest Research Institute, Dehradun

181. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Forest Research Institute in Dehradun, U.P. is an important research centre and whether training in forestry is imparted here to the persons from various States and other persons ;

(b) whether the standard of training in this Institute is so high that the persons trained from there are better qualified than any of those trained in foreign institutes;

(c) whether trainees are awarded diploma after under going training or study in this Institute whereas they are better qualified than any of the degree holders;

(d) whether the University Grants Commission have recommended that it is justified and reasonable to award degrees to the persons who received training in the Forest Research Institute at Dehradun; and

(e) if so, the obstacles in the way of awarding degree in the said Institute?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Forest Research Institute and Colleges run training courses for different levels of forestry personnel as follows :

(i) Indian Forest College, Dehra Dun for Indian Forest Service Officers ;

(ii) State Forest Service College, Burnihat for State Forest Service Officers; and

(iii) Forest Rangers Colleges at Dehra Dun, Coimbatore, Kurseong and Chandrapur for Forest Rangers.

The level of training in these institutions is of a high standard. Since the training is given by Indian foresters under Indian forest conditions, the persons trained are more

*राज्य वन विभागों द्वारा दी गई भारतीय वन सांख्यिकी की रिपोर्ट पर आधारित।

useful for managing our forests and similar type of forests in other parts of the world than those trained abroad.

(c) Diplomas are awarded to Indian Forest Service Officers and State Forest Service Officers. For Forest Rangers a certificate is given. The Diploma Course is of post-graduate standard.

(d) No.

(e) The question does not arise.

दिल्ली में यमुना में जल प्रदूषण

182. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 जून, 1978 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि 20 करोड़ लीटर गन्दा मलमूत्र और 2 करोड़ लीटर औद्योगिक मल निस्राव से प्रतिदिन दिल्ली में यमुना के जल का प्रदूषण होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यमुना जल के प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) तथा (ख) : जी, हां। दिल्ली में प्रतिदिन सप्लाई किए जा रहे 2500 लाख गैलन जल की तुलना में 1180 लाख गैलन मल जल को संशोधित किया जाता है 50 लाख गैलन प्रतिदिन औद्योगिक अपशिष्ट बहाया जाता है ।

(ग) जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने "जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974" के अधीन इस बात को सुनिश्चित करन के लिए उपाय करने आरम्भ किए है कि सभी उद्योग अपने अपशिष्टों को, जल में विसर्जित करने से पूर्व बोर्ड की पूर्व अनुमति लें। दिल्ली जलपूर्ति और जलमल निपटान संस्थान ने भी असंसाधित मल जल को नदी में प्रवाहित करने से रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं।

पूर्ण नशाबन्दी लागू किया जाना

193. **श्री दुर्गाचन्द** :
श्री छितू भाई गामित :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पुलिस आयोग के अध्यक्ष श्री धर्मवीर के उस कथित वक्तव्य की ओर जो 11 जून, 1978 के हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है, दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि "देश में पूर्ण नशाबन्दी लागू करने के केन्द्रीय सरकार के प्रयासों से भ्रष्टाचार और अपराध बहुत बढ़ जाएंगे;

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पूर्ण नशाबन्दी लागू करने के बारे में प्रत्येक राज्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार श्री धर्मवीर के उन विचारों से सहमत नहीं है जो उनके द्वारा व्यक्तिगत रुप में व्यक्त किए गये थे ।

(ग) एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 2388/78]

कृषि विश्वविद्यालय समीक्षा समिति

184. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विश्वविद्यालय समीक्षा समिति ने जिसकी नियुक्ति जनवरी, 1977 में हुई थी, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) क्या इस समिति ने सिफारिश की है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सम्बद्ध वर्तमान कृषि काम्प्लेक्स को एक पृथक कृषि विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान । 7 जून, 1978 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) कृषि और सिंचाई मंत्रालय फरवरी, 1978 मे हिमाचल प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव पर, उस राज्य में एक अल ग कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सहमत था । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सहमत थी और इसकी सिफारिश की थी और इस विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिया था । जिसने अब सिद्धान्त रूप म इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है ।

गेंहू का लक्ष्य और उसकी वसूली

185. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के लिये निर्धारित लक्ष्य की तुलना में इस वर्ष प्रत्येक राज्य में गेहूं की कुल कितनी वसूली हुई है;

(ख) गोदामों में गेहूं के वर्तमान स्टाक संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वर्ष प्रत्येक राज्य में गेहूं की वसूली के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(घ) माल चढ़ाने-उतारने के लिए प्रत्येक राज्य में निगम द्वारा कितनी धनराशि अदा की गई और इसके लिए अदा की जाने वाली कमीशन की दर क्या है;

(ङ) इस वर्ष प्रत्येक राज्य में वसूल किया गया ऐसा कितना गेहू है जो खुले में पड़ा हुआ है; और

(च) वसूल किये गये गेहूं के स्टाक के सुरक्षित भण्डारण के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या प्रबंध किये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार ने वर्तमान विपणन मौसम 1978-79 के लिए गेहूं की वसूली हेतु कोई अखिल भारत अथवा राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं । 13-7-1978 को गेहूं की वसूली के राज्यवार आंकड़े विवरण-I में दिए गए हैं ।

(ख) पहली जून, 1978 को, जब तक की सूचना उपलब्ध है, भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सार्वजनिक एजेंसियों के पास लगभग 114.8 लाख मीटरी टन गेहूं का स्टाक था ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों को केवल केन्द्रीय पूल को दी गई मात्राओं के बारे मे ही भुगतान किया जाता है । क्योंकि केन्द्रीय पूल को सुपुर्दगी करने का काम अभी भी प्रगति पर है । इसिलिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों को दिए गए कुल भुगतान का ब्यौरा देना केवल तभी सम्भव होगा जब सुपुर्दगी संबंधी कार्य पूरा हो जाए और भुगतान कर दिया जाए ।

(घ) केन्द्रीय पूल को दी गई मात्रा के लिए भारतीय खाद्य निगम संबंधित ग्रेड के लिए वसूली मूल्य के अलावा, वसूली संबंधी प्रासंगिक खर्चों का भी भुगतान करता है। केन्द्रीय पूल में अंशदान देने वाले प्रत्येक राज्य को वर्तमान रबी मौसम 1978-79 के लिए देय वसूली संबंधी प्रासंगिक खर्चों को अभी अन्तिम रूप से तय नहीं किया गया है । तथापि, राज्यों को अस्थायी आधार पर निम्नलिखित दरों पर वसूली संबंधी प्रासंगिक खर्चों की अनुमति दी जा रही है :

पंजाब	10.50 रुपए प्रति क्विटल	इनमे ब्यौरे की लागत शामिल नहीं है ।
हरियाणा	10.50 रुपए प्रति क्विटल	
उत्तर प्रदेश . . .	12.00 रुपए प्रति क्विटल	

वसूली संबंधी प्रासंगिक खर्चों में राज्य सरकारों की कमिशन का कोई तत्व शामिल नहीं है ।

(ङ.) भारतीय खाद्य निगम के पास कैंप (कवर और प्लिथ) स्टोरेज के अधीन इस समय लगभग 36 लाख मीटरी टन गेहूं है और इस संबंध मे राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है । इसमें इस वर्ष वसूल की गई मात्रा और पिछले वर्षों के स्टाक की मात्रा शामिल है ।

(च) वसूल किए गए गेहूं के स्टाक का सुरक्षित भण्डारण करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं :—

(1) गोदामों का मानसून-पूर्व निरीक्षण किया जाता है और वर्षा से क्षति रोकने के लिए मरम्मत का कार्य किया जाता है ।

(2) कीड़ों, चूहों और पक्षियों द्वारा क्षति को रोकने के लिए कीट-नियंत्रण संबंधी आधुनिक वैज्ञानिक उपाय किए जाते हैं ।

(3) लकड़ी के क्रेटों पर स्टाक का भण्डारण किया जाता है और उन्हें विशेष रूप से तैयार की गई वाटरप्रूफ पोलीथीन की चादरों से ढका जाता है ।

(4) बोरियों की सहायता से स्टैकों के उपरी भाग पर एक गुम्बद बनाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्टैकों के ऊपरी भाग पर वर्षा का पानी जमा न होने पाए ।

(5) पोलीथीन की चादरों को उचित ढंग से बांधने के लिए नाइलोन की रस्सियां सुलभ की गई है ताकि तूफानों के कारण चादरें उड़ने न पाएं ।

विवरण-I

राज्य	गेहूं की वसूली (13-7-1978 को) (हजार मीटरी तन में)
असम	0.4
बिहार	28.5
गुजरात	
हरियाणा	929.9
हिमाचल प्रदेश	1.0
जम्मू और काश्मीर	12.2
मध्य प्रदेश	19.4
महाराष्ट्र	
मणिपुर	Neg.
पंजाब	3163.5
राजस्थान	76.4
उत्तर प्रदेश	1148.3
पश्चिमी बंगाल	15.8
सं० प्र० चंडीगढ़	0.7
सं० प्र० दिल्ली	18.0
जोड़	5414.1

विवरण-II

राज्य	कैप स्टोरेज के अन्तर्गत गेहूं स्टाक (हजार मीटरी टन में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	126.77
बिहार	130.00
गुजरात	201.40
हरियाणा	33.00
जम्मू और काश्मीर	3.15
कर्नाटक	179.18
मध्य प्रदेश	435.32
महाराष्ट्र	693.20
उड़ीसा	0.32

विवरण—जारी

1	2
पंजाब	163.97
राजस्थान	600.00
तामिल नाडु	296.00
उत्तर प्रदेश	351.47
पश्चिमी बंगाल	394.20
दिल्ली	29.85
जोड़	3637.93

(6) मौसम की खराबी से अनाज की और अधिक सुरक्षा करने के लिए प्रमुख कैंप काम्प्लेक्सों में मोनों फिलामेंट के जाल और कवर-टाप्स भी सुलभ किए गए हैं।

(7) समय समय पर पोलीथीन की चादरों को बदला भी जाता है।

(8) साफ मौसम में स्टाक का अनिवार्य रूप से वातन किया जाता है ताकि अनाज की किस्म को बनाए रखा जा सके।

(9) स्टाक का समय समय पर निरीक्षण करने और उसको उपयुक्त ढंग से बनाए रखने के लिए योग्य और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित स्टाफ को लगाया जाता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में घाटा

186. **डा॰ वसन्त कुमार पण्डित :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परीक्षण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार, 22 लाख रुपए मूल्य के स्टील वायर फैब्रिक्स को अप्रयुक्त पड़े और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के खुले स्टोर यार्डों में जंग लगते हुए पाया गया;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न डिवीजनों की मांग का पता लगाने के बाद ही उक्त खरीद की गई थी;

(ग) यदि हां, तो किन किन तारीखों को कितनी मात्रा में आदेश दिए गए और वर्ष 1974, 1975, 1976 और 1977 के दौरान कितनी मात्रा में उपयोग किया गया; और

(घ) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को स्टील वायर फेब्रिक्स की खरीद में हुए घाटे और इस बारे में हुई चर्चों के बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही की है और उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) इस विषय पर एक पैरा भारतीय नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की वर्ष 1976-77 की अग्रिम रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

(ख) सामान्यतया आवश्यकताएं भावी निर्माण कार्यक्रमों के अनुसार आंकी जाती हैं। मात्रा मोटे तौर पर विभिन्न परिमण्डलों और मण्डलों से प्राप्त मांगों के आधार पर आंकी जाती हैं।

(ग) 100 एम॰टी॰ की खरीद के लिए एक इन्डेन्ट केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा महानिदेशक, पूर्ति और निपटान को अक्तूबर, 1971 में दिया गया था। महानिदेशक, पूर्ति और निपटान ने 1973 में फर्म को कार्यादेश दिए थे। प्राप्तियां और प्रेषण इस प्रकार हैं :— (मिलियन टनों में)

अवधि	प्राप्त की गई मात्रा	प्रेषित की गई मात्रा
1973-74	620.394	5.395
1974-75	272.360	5.475
1975-76	..	20.347
1976-77	..	332.024
1977-78	..	65.000
4/78 से 6/78		
योग	892.754	428.241

(घ) इस्पात की गम्भीर कमी विशेषकर छोटे आकार की कमी के कारण स्टील वायर फेब्रिक्स की खरीद के लिए निर्णय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा लिया गया था । अगस्त, 1973 सरकार ने वित्तीय वर्ष 1973-74 के दौरान गैर व्यवसायिक (नान-फंक्शनल) भवनों के निर्माण के सभी व्यय पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई थी जिन्हें अभी बनाया जाना था अथवा जिनका निर्माण कार्य कुर्सी क्षेत्र के स्तर तक ही पहुंचा था और इस रोक को वित्तीय वर्ष 1974-75 तथा 1976-77 तक बढ़ा दिया गया था । इस रोक को 5 जनवरी, 1976 से हटा दिया गया । इसको देखते हुए विभाग का कार्य भार कम हो गया और अतः निर्माण सामग्री का पहले प्रयोग नहीं किया जा सका। कार्य के बढ़ने के साथ ये आशा की जाती है कि समस्त निर्माण सामग्री 31-3-1979 तक उपयोग में आ जाएगी क्योंकि रोक लगाये जाने के कारण सामग्री का प्रयोग पहले नहीं किया जा सका । अतः उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

कुषाण कालीन मूर्तियां

187. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा, लखनऊ और भरतपुर स्थित संग्रहालयों में रखी बलुआ पत्थर की कुषाण कालीन मूर्तियों के टूटने की आशंका है;

(ख) क्या उक्त संग्रहालयों की ओर से दिल्ली स्थित सांस्कृतिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के लिये राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को कोई पत्र प्प्रात हुआ है जिसमें इन ऐतिहासिक मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिये अविलम्बनीय कार्यवाही करने की मांग की गई है; और

(ग) उपर्युक्त मूर्तियों की सुरक्षा के लिये सरकार का कब सुरक्षा कार्यवाही आरम्भ करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) मथुरा और भरतपुर में कुछ मूर्तियां कमजोर हैं और धीरे धीरे टूट रही हैं। लखनऊ संग्रहालय में बलुआ पत्थर की मूर्तियां इनकी तुलना में मजबूत है और उनको कोई खतरा नहीं है ।

(ख) सांस्कृतिक परिसम्पत्ति के परिरक्षण की राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला को राजकीय संग्रहालय, मथुरा और पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग, जयपुर से इन मूर्तियों के परिरक्षक के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं । प्रयोगशाला ने लखनऊ की मूर्तियों का अपनी ओर से ही अध्ययन किया है ।

(ग) प्रयोगशाला ने इस प्रकार की मूर्तियों के क्षय के कारणों का अध्ययन पूरा कर लिया है और मथुरा संग्रहालय में मूर्तियों के लिए परिरक्षण अभिक्रिया शुरू कर दी है । भरतपुर संग्रहालय की मूर्तियो की समस्याओं का अध्ययन चल रहा है ।

हिमालय की नदियों को दक्षिण की नदियों के साथ मिलाने की योजना

188. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या एक सुप्रसिद्ध हाइड्रोलिक इंजीनियर डा० के०एल० राव ने हिमालय, की हिम नदियों को दक्षिण में गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी के साथ मिलाने के लिये योजना का सुझाव दिया है;

(ख) क्या सरकार ने दस्तूर आयोग पर विचार किया है और यदि हां, तो उस पर सराकर की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने सभी जल संसाधनों और उनका सिंचाई, पेय जल और सूखाग्रस्त क्षेत्र न रहने देने के लिये उपयोग के बारे में सुनिश्चित अनुमान कर लिया है ; और

(घ) क्या उपरोक्त विषय पर कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : दस्तूर योजना पर इस समय भारत सरकार द्वारा विचार जिया जा रहा है । सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन और कार्यान्वियन एव्म राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है लेकिन राज्य सरकारों पर यह जोर दिया गया है कि सूखा प्रवण क्षेत्रों में नई स्कीमों को हाथ में लिए जाने की प्राथमिकता दी जाए ।

(घ) सूखा-प्रवण क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल के अन्तर्बेसिन और अन्तक्षेत्रीय ट्रांसफर की सम्भावनाओं और इसके साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों बेसिनों/उप-बेसिनों में फालतू जल और जल की कमी की स्थिति का गहराई से अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में एक मुख्य इंजीनियर के अधीन एक अलग यूनिट स्थापित किया गया है।

लघु सिंचाई योजना

189. **डा० वसन्तकुमार पण्डित :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सरकार को सलाह दी है कि छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय लघु सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में निश्चित कसौटी के रूप में कमांड क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाये; न कि लागत ढांचे को;

(ख) यदि हां, तो देश में मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में कमांड क्षेत्र तथा लागत ढांचे के बारे में सरकार ने क्या फार्मूला तैयार किया है;

(ग) नई परिभाषा एवं फार्मूले के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजनावधि में कितने हैक्टेयर सिंचित भूमि उपलब्ध होगी; और

(घ) लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत 4900 करोड़ रुपये की आबंटित धनराशि के राज्यवार वितरण की क्या योजना है और उस राशि में मध्य प्रदेश को लघु और मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये कितनी धनराशि दी जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : जी हां। लघु सिंचाई में अब तक मैदानी क्षेत्रों में 25 लाख रुपए से कम और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 लाख रुपए से कम लागत की योजनाएं शामिल की गई। यह वित्तीय कसौटी अब परिवर्तित हो गई है। योजना आयोग ने जनवरी, 1978 में राज्य सरकारों को सूचित किया है कि 2000 हैक्टार तक की कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजनाओं को लघु सिंचाई योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह संशोधित वर्गीकरण 1978-79 की वार्षिक योजना से लागू है। लघु सिंचाई योजनाओं के अलावा 10,000 हैक्टार तक के कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजनाओं को मध्यम सिंचाई योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ग) छठी योजना के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं से 90 लाख हैक्टार और मध्यम सिंचाई योजनाओं से 14.8 लाख हैक्टार की अतिरिक्त सिंचाई की संभाव्यता क्षमता का सर्जन करने का प्रस्ताव है।

(घ) अभी राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के परामर्श से लघु सिंचाई के आवंटन का राज्यवार ब्यौरा तैयार किया जाना है।

Progress in construction of Ban Sagar Project

†190. **Shri Y. P. Shastri:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the progress made so far in construction of Ban Sagar Project in Rewa Division (MP) the foundation stone of which was laid by the Prime Minister on the 14th May, 1978 and the time by which it is likely to be completed;

(b) the expenditure to be incurred on this project during 1978-79;

(c) whether the work of construction of the Ban Sagar Dam, Chachai Pawn House as well as of canals will be started simultaneously during 1978-79 so as to ensure that the entire project is completed within six years as declared by the Prime Minister; and

(d) the arrangements being made for the rehabilitation of those people whose village will be submerged as a result of construction of the dam?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) The construction work on the project is presently in progress. It is expected to be completed in a period of 6 to 8 years.

(b) An outlay of Rs. 278 lakhs had been proposed earlier for the project during 1978-79 but it is now proposed to spend Rs. 600 lakhs this year.

(c) The Chief Engineer for the Project has been appointed. He is finalising the detailed schedule for its construction which would be put up to Executive Committee for consideration in its forthcoming meeting. All efforts will be made to ensure that Ban Sagar Dam is completed in 6 years and the entire Project in a period of 6 to 8 years.

(d) A Sub-Committee of the Executive Committee of the Ban Sagar Control Board is proposed to be set up for finalising the norms for compensation and rehabilitation of the affected persons.

Widening of road in Shahdara, Delhi

191. **Shri Govinda Munda:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the details of the programme of the Ministry for widening the Brahmpuri, Main road in trans-Jamuna area of Brahmpuri, Shahdara, Delhi-32;

(b) whether it is a fact that this road is damaged due to accumulation of rain water therein; and

(c) if so, the period prescribed by the Ministry upto which this road is to be raised and widened and if not, the main reasons therefor?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) to (c): Information is being collected.

Development of Trans-Yamuna area in Delhi

192. **Shri Govinda Munda:**

Shri Ramji Lal Suman:

Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9481 on the 8th May, 1978 regarding provision of civic amenities in Trans-Yamuna Colony and state:

(a) whether the work for the development of a trans-Yamuna area Gautampuri, Shahdara, Delhi has started, in accordance with the orders of the Vice-Chairman of the Delhi Development Authority;

(b) whether Gautampuri is an unauthorised colony and whether any amount of money has been allocated for the construction of roads, streets and drains and if not, the main reasons therefor and when money will be allotted for the purpose; and

(c) whether any survey will be made of the unauthorised colonies by the D.D.A. or Delhi Municipal Corporation?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) and (b): This colony, which is an unauthorised one, falls under the development area of the Municipal Corporation of Delhi who ahs provided a sum of Rs. 50 lakhs for 1978-79 for providing basic amenities in unauthorised colonies in Delhi. Necessary funds will be allotted for the developmental works in this colony also keeping in view the felt needs of the residents.

(c) Yes, Sir.

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की मांगें

193. **डा० बलदेव प्रकाश:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की मांगों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) और (ख) । जी हां, भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ ने 20-3-1978 को एक मांग प्रत्र प्रस्तुत किया था जिसमें विभिन्न मांगों का उल्लेख किया गया था । उनकी प्रमुख मांगें आपात कालीन स्थिति के दौरान निकाले गए कर्मचारियों को बहाल करने, सेवा शर्तों की समीक्षा करने, बोनस का भुगतान करने और ट्रेड यूनियन अधिकारों आदि को बहाल करने से संबंधित थीं ।

जहां तक ट्रेड यूनियन अधिकारों को बहाल करने से संबंधित मांग का संबंध है, श्रम मंत्रालय ने सदस्यता की जांच करने का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है क्योंकि कानूनी रूप से मान्यता देने के लिए ऐसा करना आवश्यक होता है। इस बीच, प्रबंध अनौपचारिक रूप से संघ के साथ वास्तविकता के आधार पर व्यवहार कर रहा है । आपातकालीन स्थिति के दौरान लगभग 75 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त किया गया था । इन मामलों की समीक्षा करने पर, इन व्यक्तियों में से 19 व्यक्तियों को निगम ने पुनः नियुक्त करने की पेशकश की थी । भारतीय खाद्य निगम का प्रबंध शेष मामलों की भी समीक्षा कर रहा है ।

Sale of kesari dal

194. **Shri Laxman Rao Mankar:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the production of Kesari (Lakhadi) dal declined as a result of imposing restrictions thereon and whatever production is there it is sold secretly ;

(b) whether 'Kesari' (Lakhadi) dal can be used for consumption by processing it;

(c) whether Government have taken any decision for sale of this dal (Pulse) after processing it and development of a poisonless seed thereof and if so, the progress in this regard ; and

(d) whether a demand has been made to the Ministry in this regard and if so, when it was made ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) The acreage and production of Kesari dal is almost constant for the last few years.

(b) Yes, Sir. Kesari dal can be used for consumption after necessary processing.

(c) No Sir. Varieties of Kesari dal with low neuro-toxin content such as **Pusa-24** have been evolved, and these have been introduced in the States.

(d) No Sir.

नर्मदा न्यायाधिकरण पंचाट

195. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण को अपना कार्य एक वर्ष में अर्थात् जून, 1978 तक पूरा करना था जैसा कि मंत्री महोदय के दिनांक 24 जून, 1977 के पत्र में स्पष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो नर्मदा न्यायाधिकरण पंचाट के अब कब तक आने की आशा है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान एक न्यायाधिकरण विशेषज्ञ डा० अम्बिका सिन्हा, के कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि "नदी से उपलब्ध पानी का केवल एक तिहाई भाग ही गुजरात को आबंटित किया जायेगा और नर्मदा नल से कच्छ के सीमावर्ती इलाके को बिल्कुल लाभ नहीं पहुंचेगा";

(घ) क्या गुजरात सरकार ने इस वक्तव्य पर कड़ा विरोध प्रकट किया है;

(ङ) क्या न्यायाधिकरण विशेषज्ञ, डा० सिन्हा, कृषि विशेषज्ञ, द्वारा दिये गये इस कथित वक्तव्य से न्यायाधिकरण से निर्णय पर प्रभाव नहीं पडेगा; और

(च) इस मामले के नाजुकपन को देखते हुए क्या सरकार का विचार स्थिति को स्पष्ट करते हूए कोई वक्तव्य देने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जून, 1977 में प्राप्त संकेतों के अनुसार, नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण द्वारा अपना काम एक वर्ष या इसके करीब लगभग समय तक पूरा कर लेने की संभावना है ।

(ख) अब न्यायाधिकरण द्वारा अगस्त, 1978 तक भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने की संभावना है ।

(ग) से (च) : डा० अम्बिका सिंह द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में प्रैस रिपोर्ट भारत सरकार के नोटिस में आई है । डा० अम्बिका सिंह नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा न्यायाधिकरण की कार्यवाहियों में सलाह का देने के लिए नियुक्त अफसरों में से एक है । नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने सूचित किया है कि डा० अम्बिका सिंह को न्यायधिकरण द्वारा निर्देश दिया गया था कि वे अन्वेषण करें और विभिन्न प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गुजरात और मध्य प्रदेश के राज्यों की जल की अनुमानित उचित आवश्यकता पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। डा० अम्बिका सिंह ने अक्तूबर, 1977 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसकी न्यायाधिकरण द्वारा सभी सम्बद्ध राज्यों नामशः

गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में परिपत्रित किया गया था। सभी सम्बद्ध राज्यों ने डा० अम्बिका सिंह की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां लिखित रूप से न्यायाधिकरण को प्रस्तुत कर दी है। न्यायाधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि वह डा० अम्बिका सिंह की रिपोर्ट की जांच करते समय सम्बद्ध राज्यों द्वारा भेजी गई टिप्पणियों पर समुचित ध्यान देगा। इस संबंध में सरकार का कोई वक्तव्य देने का प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात राज्य के सिंचाई सम्बन्धी परिव्यय में वृद्धि

196. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात में सिंचाई सुविधाएं अपर्याप्त हैं और जब सभी चल रही योजनाएं पूरी कर ली जायेंगी तब खेती वाले कुल 105.6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में से केवल 26.4 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी;

(ख) उपरोक्त भाग (क) को और गुजरात में अनाज की कमी को पूरा करने बात के ध्यान में रखते हुए क्या सरकार चालू वर्ष में राज्य के सिंचाई सम्बन्धी परिव्यय में वृद्धि करना आवश्यक समझती है; और

(ग) यदि हां, तो परिव्यय में कितनी वृद्धि करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) गुजरात राज्य के कुल फसल क्षेत्र के 19 प्रतिशत से कुछ अधिक भाग में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था है, जबकि इसकी तुलना में राष्ट्रीय औसत लगभग 29 प्रतिशत है। मौजूदा अनुमानों के अनुसार, गुजरात में बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों से अन्ततः लगभग 4 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा सकता है।

(ख) और (ग) : सिंचाई राज्य विषय है और गुजरात राज्य द्वारा हर योजना में पिछली योजना की अपेक्षा अधिक परिव्यय की व्यवस्था करके और क्रियान्वयन के लिए अधिक परियोजनाओं को हाथ में लेकर सिंचाई सुविधाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। चालू वर्ष में बृहद और मध्यम सिंचाई कार्यक्रम के लिए परिव्यय को बढ़ा कर 78.25 करोड़ रुपया कर दिया गया है जबकि पिछले वर्ष यह 70.13 करोड़ रुपए था। राज्य को 1977-78 में केन्द्र द्वारा 11.86 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता भी दी गयी थी।

सब्जियों का उत्पादन

197. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात हेतु सब्जियों के अतिरिक्त उत्पादन के लिए परियोजनायें तैयार कर ली हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेन्ट्रल ट्यूबर क्राप्स रिसर्च इन्सटिट्यूट, त्रिवेन्द्रम में नियुक्तियां

198. **श्री के० कुन्हम्बू :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल ट्यूबर क्राप्स रिसर्च इन्सटिट्यूट, त्रिवेन्द्रम (आई०सी०ए० आर०) में वर्तमान निदेशक के कार्यभार सम्भालने के बाद बड़ी संख्या में नियुक्तियां की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो यहां कितनी नियुक्तियां की गई हैं और इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम अल्पसंख्यक को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में नियुक्तियां उसी समुदाय से की गई हैं जिससे निदेशक सम्बन्ध रखता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : केन्द्रीय कन्दवर्गीय फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम में, वर्तमान निदेशक के कार्यभार सम्भालने के बाद, की गई नियुक्तियों की संख्या 41 है और इनमें निम्नलिखित जातियों के व्यक्ति हैं—

अनुसूचित जाति	9
अनुसूचित जनजाति .	3
मुस्लिम .	1
अन्य समुदाय	28

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

10—198 LSS/78

कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को केन्द्रीय वित्तीय सहायता

199. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78 के लिए कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसी अवधि में परियोजनावार कितनी सहायता दी गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं के लिए अधिक धनराशि नियत करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : 1977-78 की केन्द्रीय वित्तीय सहायता का विस्तृत विवरण परियोजनावार अनुलग्नक में दिया गया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

(सभी लाख रुपयों में)

कार्यक्रम	1977-78 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण	अनुदान
1. त्वरित समुत्थान तथा विकास कार्यक्रम, जिसमें जलपूर्ति, मल व्यवस्था तथा मल जल निकास, कड़ा कचरा निपटान, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, यातायात तथा परिवहन, आवास एवं क्षेत्र विकास, बस्ती सुधार, नगरपालिका तथा अंचल विकास के सेक्टर शामिल हैं ।	1050.00	मदवार विवरण उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के कार्यक्रम के लिए समग्र रूप से केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।
2. कलकत्ता महानगर क्षेत्र के भीतर और इसके बाहर विस्थापितों की कालोनियों का विकास		83.75
3. निम्नलिखित कार्यों के संबंध में डच (नीदरलैण्ड) सहायता प्राप्त कार्यक्रम :—		
(i) कलकत्ता में दो अतिरिक्त अस्पतालों का निर्माण		25.57
(ii) कलकत्ता और हावड़ा में उस शहर को हटाना जहां खटलों (मवेशियों) को रखा जाता है ।		50.00
योग	1050.00	159.32

कावेरी-कृष्णा-गोदावरी नदी सम्पर्क

200. **श्री ए० मुरुगेसन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्बद्ध राज्य सरकारें गंगा-कावेरी सम्पर्क की तैयारी के लिए पहले कदम के रूप में कावेरी-कृष्णा गोदावरी को एक साथ जोड़ने के लिए कार्य करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) प्रस्ताव का मुख्य-मुख्य ब्यौरा क्या है और इस योजना की क्रियान्विति कब तक कर दी जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : यहां इस प्रकार के किसी प्रस्ताव की कोई सूचना नहीं है ।

नियम 199 के अन्तर्गत प्रश्न के बारे में

RE. QUERY UNDER RULE 199

श्री सी० एम० स्टीफन (इदुक्की) : मैंने इसी समय आपसे अनुरोध करने की अनुमति मांगी थी जिसकी मुझे सूचना भी मिल गयी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मुझे यह बताया जाये कि श्री स्टीफन किस प्रकार का अनुरोध करना चाहते हैं क्योंकि वे न तो स्थगन प्रस्ताव लाये हैं और न ही अविश्वास प्रस्ताव लाये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन्हें नियम 199 के अन्तर्गत प्रश्न पूछने की अनुमति दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने श्रीमति गांधी सबन्धी मेरे स्थगन प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दे चुका हूं जिसकी सूचना आपको दी जा चुकी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप श्रीमती गांधी को क्यों क्षमा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको सभा के साथ सहयोग करना चाहिये।

श्री सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैं जानना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने उन्हें किस नियम के अन्तर्गत अनुमति दी है। नियम 199 के अन्तर्गत इन्हें सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री स्टीफन को नियम 199 के अन्तर्गत प्रश्न पूछने की अनुमति दी है।

श्री निर्मल चन्द जैन : श्री स्टीफन नियम 199 के अन्तर्गत कोई बात नहीं कह सकते क्योंकि इस नियम के अन्तर्गत मंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले सदस्य ही एक वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री श्यामनंदन मिश्र : नियम 199 से स्पष्ट है कि वक्तव्य देने का अधिकार केवल उसी सदस्य को है जिसने मंत्रीपद से त्यागपत्र दिया हो। यह सभा के अन्य सदस्यों से सम्बन्धित नही है। अध्यक्षपीठ द्वारा विपक्ष के नेता को वक्तव्य देने की अनुमति देना उचित नहीं है।

श्री कंवरलाल गुप्त(दिल्ली सदर) : नियम 199 स्पष्ट है जिसके अन्तर्गत केवल मंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले सदस्य ही वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री वयालार रवि : श्री स्टीफन वक्तव्य नहीं दे रहे है वे केवल अपनी एक बात ही कह रहे है। इस सभा को यह जानने का पूरा अधिकार है कि गृह मंत्री ने त्यागपत्र क्यों दिया।

Shri Gauri Shankar Rai (Gazipur): The statement by the leader of the opposition is likely to create discussion and debate which is prohibited under rule 199. The debate should not be allowed on this statement.

श्री सोमनाथ चटर्जी : नियम 199 के अन्तर्गत उसी सदस्य को वक्तव्य देने का अधिकार है जिसने मंत्री पद से त्यागपत्र दिया हो। लेकिन उस सदस्य को, यदि न चाहे, तो वक्तव्य देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : आपने विपक्ष के नेता को वक्तव्य देने की जो अनुमति दी है, उसके विरोध में बहुत कुछ कहा जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी है।

प्रो० पी०जी० मावलंकर : नियम 199 के अन्तर्गत विपक्ष के नेता केवल प्रश्न कर सकते हैं कोई वक्तव्य नहीं दे सकते।

आपने कहा है कि इससे पहले भी तीन बार अध्यक्ष ने इस प्रकार की अनुमति दी है। हम जानना चाहते हैं कि वे तीन अवसर कौन से थे जिनके आधार पर आपने अनुमति दी है। आप विपक्ष के नेता को नियम 199 के अन्तर्गत बोलने का अवसर नहीं दे सकते आप यह काम नियम 389 के अन्तर्गत भी कर सकते थे। इसलिये मेरा कहना यही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : नियम 199 बिलकुल स्पष्ट है। श्री स्टीफन अथवा कोई अन्य सदस्य नियम 199 की परीधि में नही आते। मेरी समझ में यह नहीं आता कि विपक्ष के नेता को वक्तव्य देने की अनुमति इस नियम के अन्तर्गत कैसे दी गयी। भूतपूर्व गृह अथवा स्वास्थ्य मंत्री को यह वक्तव्य देने का अधिकार है कि उन्होंने किन परिस्थितियों में त्यागपत्र दिये हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : परन्तुक 3 के अनुसार वक्तव्य देने के बाद कोई वादविवाद नही होगा। मेरा अनुरोध है कि आप इस नियम पर दिये गये निर्णय पर पुनःविचार करें।

डा० मुरली मनोहर जोशी : नियम 199 के अन्तर्गत किसी भी सदस्य को पूछताछ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती । आपने उन्हें पूछताछ करने की अनुमति कैसे दी ?

श्री कृष्ण कांत : नियम 199 के अन्तर्गत वही सदस्य वक्तव्य दे सकता है जिसने मंत्रीपद से त्यागपत्र दिया हो । त्यागपत्र देने वाले सदस्य को भी वक्तव्य देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता । नियम 199 यहां लागू नहीं होता ।

श्री के० लकप्पा : विपक्ष के नेता द्वारा आपकी अनुमति लेना उचित है । यह बात ठीक है कि इस नियम के अन्तर्गत वही सदस्य वक्तव्य दे सकता है जिसने मंत्रीपद से त्यागपत्र दिया हो ।

भूतपूर्व गृह मंत्री ने सदन से बाहर अनेक वक्तव्य दिये हैं । अतः विपक्ष के नेता को पूछताछ करने का पूरा अधिकार है ।

Shri Chowdhary Balbir Singh: It is only a member resigning from Ministership who can give a statement under rule 199. The matter has no relevancy with the 3 precedents quoted by you. You have no right to give permission to the leader of opposition.

श्री मल्लीकार्जुन (मेडक) : इसमें संदेह नहीं कि नियम 199 के अन्तर्गत त्यागपत्र देने वाले मंत्री वक्तव्य दे सकते हैं लेकिन उनके लिये ऐसा करना अनिवार्य नहीं है ।

Shri Hukamdeo Narain Yadav (Madhubani): Rule 199 is quite clear and hardly require any arguments and counter-arguments.

How can Shri Stephen be treated as Minister for the purpose of this rule, who can be allowed to give a statement.

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दापूरम्) : आपने विपक्ष के नेता को अपनी बात कहने या वक्तव्य देने की अनुमति दी है ।

भूतपूर्व गृह मंत्री ने समाचारपत्रों में दिये गये बयानों में कहा था कि वे इस अधिवेशन के पहले दिन वक्तव्य देंगे । अतः विपक्ष के नेता को यह पूछने का अधिकार है कि भूतपूर्व गृहमंत्री अब बयान क्यों नहीं दे रहे ।

श्री समर गुह (कंटाई) : आप श्री स्टीफन को नियम 199 के अन्तर्गत बयान देने की अनुमति नहीं दे सकते । आप इन्हें नियम 377 के अन्तर्गत अनुमति दे सकते हैं । इसके ही अन्तर्गत वे पूछताछ कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : पहले पूर्वोदहारणों को ध्यान में रखते हुए मैं श्री स्टीफन को नियम 199 के अन्तर्गत अनुमति देना उचित समझा है यह ठीक है कि यह नियम मंत्रीपद से त्यागतत्र देने वाले सदस्य के ही लिये लागू होता है ।

अध्यक्ष महोदय : जिस मंत्री ने त्यागपत्र दिया है यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह वक्तव्य दे या न दें । यह ठीक है कि सदस्यों को नियम 199 के अन्तर्गत उस मंत्री से वक्तव्य देने के लिए निवेदन करने का अधिकार है परन्तु यह निश्चित रूप से मंत्री की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह वक्तव्य दें या न दे ।

इसी प्रकार के अन्य अनेक उद्धरण मैं प्रस्तुत कर सकता हूं जबकि सदन में इसी प्रकार का विनिर्णय मेरे पूर्वाधिकारियों द्वारा दिया गया । जब श्री सुब्रह्मण्यम द्वारा त्यागपत्र दिया गया था तो उस समय भी सदन में इसी प्रकार की मांग की गई थी । इसी प्रकार जब श्री कृष्णा मेनन तथा श्री अशोक मेहता ने त्यागपत्र दिये थे तो भी नियम 199 के अन्तर्गत सदन में ऐसी ही मांग की गई थी । इन तीनों ही अवसरों पर पीठासीन अधिकारियों ने यही विनिर्णय दिया था कि यह त्यागपत्र देने वाले मंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह वक्तव्य दे या न दें . . . (**व्यवधान**) *

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके साथ बहस नही कर रहा । . . . इसे कार्यवाही सारांश में शामिल नहीं कीजिये . . . . (**व्यवधान**) *

अध्यक्ष महोदय : आप सभी अपनी बात कह चुके हैं । अब मेरी बारी है । आप मुझ से पूछताछ नही कर सकते ।

जहां तक निदेश संख्या 2 का सम्बन्ध है, वह तो सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए है । यह बहुत महत्वपूर्ण मामला नहीं है ।

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगूसराय) : जब आप किसी सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं तो आप को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि जिस व्यक्ति के बारे प्रश्न पूछा जा रहा है वह उस समय सदन में उपस्थित हो । अन्यथा ऐसा प्रश्न पूछने का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा ।

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जो विनिर्णय देना था, दे दिया।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरा निवेदन यह है कि आप श्री स्टीफन को वक्तव्य देने की अनुमति तो दे सकते हैं परन्तु श्री स्टीफन तो मंत्री का स्पष्टीकरण मांगने के लिए अपने ही कारण प्रस्तुत करते जा रहे हैं। अतः हमें उनकी इस मांग का विरोध करने का अधिकार है। हम इस का विरोध करने के लिए अपने तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : आप को इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिये कि सदन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि श्री चरण सिंह को वक्तव्य देने की लिए नही कहा जाना चाहिये, वह भी नियम 199 के अन्तर्गत ही यह मांग कर रहे है।

श्री कंवर लाल गुप्त : समाचार पत्रों में दोनों ही पक्षों का दृष्टिकोण प्रकाशित होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है तथा वह आपको मानना ही होगा।

श्री बलबीर सिंह : (खड़े हुए)।

अध्यक्ष महोदय : आप चौथी बार इस विषय पर बोल रहे हैं। कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाये।

श्री बलबीर सिंह : **

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय चाहे एक पक्ष को अच्छा लगे या दूसरे पक्ष को बुरा लगे, इतना अवश्य है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का दायित्व मेरा ही है। अतः उसके अनुसार मैं किसी को भी नियम 199 का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दे सकता।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मेरा सदन से अनुरोध है कि हमने पहले ही लगभग 1 घंटा नियम 199 के अन्तर्गत इस विषय पर चर्चा कर ली है। सदन में विपक्ष के नेता को इस प्रकार के वक्तव्य की मांग करने का प्रश्न उठाने का अधिकार तो है परन्तु वह सम्बद्ध मंत्री को वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अब हमें इस विषय पर और अधिक समय नहीं गवाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा दोपहर के 2 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fourteen of the clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. Speaker in the Chair]

नियम 199 के अन्तर्गत प्रश्न के बारे में—जारी
RE. QUERY UNDER RULE 199—Contd.

अध्यक्ष महोदय : श्री स्टीफन।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने नियम 199 के अन्तर्गत आपको यह लिखा है कि जिन मंत्रियों ने त्यागपत्र दिये हैं, यदि वह चाहे तो वक्तव्य दें सकते हैं। क्या आपको मेरा पत्र मिल गया है, यदि हां, तो आपने उस पर क्या कार्यवाही की है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस पर अपना विनिर्णय दे दिया है। आपने मुझे नियम 199 के अतिरिक्त कुछ नही लिखा। आपने केवल नियम को ही उद्दृत किया है।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदुक्की) : पिछले दिनों में राष्ट्रीय महत्व की अनेक घटनायें घटी है। देश का प्रत्येक नागरिक इन घटनाओं के प्रति सजग है। आज देश के लोग यह आशा कर रहे हैं कि पिछले दिनों देश के राजनीतिक मंच पर जो कुछ हुआ है उसके बारे में सदन के माध्यम से बहुत सुनने को मिलेगा।

मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह सामान्य प्रथा है कि जब भी किसी मंत्री को शपथ दिलाई जाती है, तो प्रधानमंत्री द्वारा, उस सदस्य का परिचय हमें करवाया जाता है। यद्यपि इसके लिए कोई नियम नही है किन्तु हम इसी प्रथा का अनुकरण करते आये हैं। अतः यह सभा मंत्रि-परिषद के मामले पर विचार

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री सी० एम० स्टीफन]

कर रही है । जब मंत्रि-परिषद से कुछ मंत्री निकल जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं तो क्या प्रधान मंत्री को उसी प्रथा का अनुसरण नहीं करना चाहिए जिसके अन्तर्गत मंत्रियों का इस सभा से परिचय कराया जाता है कि वह हमें बताएं कि फलां-फलां व्यक्ति अब मंत्री नहीं रहा? यह एक स्वस्थ परम्परा होगी यदि प्रधान मंत्री सामने आकर हमें बताएं कि फलां-फलां व्यक्ति अब मंत्री नहीं रहा ।

नियम 199 के सम्बन्ध में उस आधार के बारे में एक गलत फहमी है जिस पर मैंने अध्यक्ष की अनुमति मांगी । मेरा कहना यह है कि नियम 199 के अन्तर्गत मंत्री जी को अवश्य वक्तव्य देना चाहिए और मेरी यही मांग है कि मंत्रीजी एक वक्तव्य दें ।

मैं वे कारण बताना चाहूंगा जिनकी वजह से मैंने मांग की है कि मंत्रियों को अपने वक्तव्य देने चाहिएं । जहां तक इस विशेष मामले का सम्बन्ध है, इसमें कतिपय अपवादात्मक परिस्थितियां हैं । पूर्व के मामलों में मंत्रियों ने सभा के बाहर कोई घोषणा नहीं की कि वे संसद में वक्तव्य देंगे । यहां त्यागपत्र देने के तत्काल पश्चात् श्री चरणसिंह ने 30 जून को वक्तव्य दिया कि वह संसद में अपनी कार्यवाहियों की व्याख्या करने का विचार रखते हैं और उसके पश्चात् वह इस बारे में लोगों को बताएंगे मैं उन परिस्थितियों के बारे में जानना चाहता हूं जिनके अन्तर्गत श्री चरणसिंह ने वक्तव्य देने की घोषणा की । किन्तु वह वक्तव्य नहीं दे पाये । क्या इसका कारण यह है कि उन्होंने अनुमति नहीं ली या उन्होंने अनुमति लेने के लिए कहा किन्तु उन्हें अनुमति नहीं मिली ?

यह एक अभूतपूर्व स्थिति है । पूर्व के मामलों में जब किसी मंत्री ने त्यागपत्र दिया था या उसे त्यागपत्र देने के लिए कहा गया तो त्यागपत्र के कारणों के बारे में कभी किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ । यह पहला अवसर है जबकि त्यागपत्र का कारण विवादास्पद बना हुआ है । यह बात समाचार पत्रों मे प्रकाशित वक्तव्यों से सिद्ध हो जाती है । श्री चरणसिंह का कहना है कि उन्हें गृह मंत्री के पद से इसलिए हाथ धोना पड़ा क्योंकि वह भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते थे, वह कृषि क्षेत्र का विकास करना चाहते थे और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने उन्हें गृह मंत्री के पद से हटाने पर दबाब डाला ।

अध्यक्ष महोदय : श्री स्टीफन आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि यह एक वाद-विवाद योग्य मामला बन जायेगा ।

श्री सौगत राय : विपक्ष के नेता को श्री चरणसिंह से उनके त्यागपत्र के बारे में वक्तव्य देने की मांग करने की अनुमति दी गई है । यह मांग करते हुए उन्हें मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए । अध्यक्ष महोदय ने किसी भी समय ऐसा नहीं कहा कि श्री चरणसिंह सभा के समक्ष वक्तव्य नहीं दे रहे हैं । ऐसा भी हो सकता है कि श्री चरणसिंह सभा में अपना वक्तव्य देने के लिए कल अपनी सूचना भेज दें । और हो सकता है कि वह उस वक्तव्य में वह उन्हीं आरोपों का उल्लेख कर दें ।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई मंत्री, जिसने त्यागपत्र दे दिया हो, आरोप लगाते हुए वक्तव्य देता भी है तो भी उन आरोपों का उत्तर केवल सम्बन्धित मंत्री दे सकता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं। इस सम्बन्ध में नियम 199 बिलकुल स्पष्ट है । इस नियम के अन्तगत किसी प्रकार का वादविवाद अथवा चर्चा नहीं होगी।

श्री सी० एम० स्टीफन : वर्तमान घटनाओं में 6 मंत्रियों ने मंत्रि-परिषद से त्यागपत्र दिया है । ये मामले बहुत विवादग्रस्त हैं। मुझे आशा है, कि मैंने सभा में जो मामला उठाया है उसके बारे में अध्यक्ष महोदय मेरी चिन्ता को समझेंगे तथा भूतपूर्व सम्बन्धित मंत्रियों या प्रधान मंत्री से वक्तव्य देने के लिए कहेंगे ।

श्री सैयद काजिम अली मिर्जा (मुर्शिदाबाद): मंत्री महोदय अध्यक्ष महोदय को लिखित विवरण दे सकते हैं। विरोधी दल के नेता एक वक्तव्य देते है । यह नियम 199 के अंतर्गत कैसे आता है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैंने नियम 377 के अंतर्गत लिखित वक्तव्य दिया था । मुझे कहा गया कि 199 के अधीन रखूं ।

मेरी मांग के कारण यह है । उन्होंने बाहर वक्तव्य दिया है परन्तु यहां नहीं दिया । श्री कृष्णा मेनन के त्यागपत्र पर कहा गया था कि कारण भली प्रकार विदित है अतएव वक्तव्य नही होगा ।

यह सही है कि मैंने केवल श्री चरण सिंह के बारे में लिखा था, जबकि वास्तव में छः मंत्रियों ने त्यागपत्र दिये हैं । इन घटनाओं के बारे में पर्याप्त विवाद है । अतएव मेरा निवेदन है कि भूतपूर्व मंत्रियों से अथवा प्रधान मंत्री से वक्तव्य देने को कहा जाये ।

श्री राजनारायण ने अपने प्रेस को दिये गये पत्र में, प्रधान मंत्री पर आरोप लगाया है कि त्यागपत्र मांगने के जो कारण उन्होंने बताये है वह गलत हैं। नीतियों की क्रियान्विति तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन गृह मंत्री का दायित्व था--और उन्होंन कहा... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप यह नही बता सकते।

श्री सी० एम० स्टीफन : गृह मंत्री ने कहा कि वह अपना उत्तरदायित्व निभा रहे थे, जबकि उन्हें मंत्री मंडल से निकाल दिया गया। गृह मंत्री ने कहा....

अध्यक्ष महोदय : आप गृह मंत्री का वक्तव्य नहीं पढ़ सकते। आप नियम 199 के अंतर्गत ही मामला ला सकते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : प्रधान मंत्री ने जनता संसदीय दल में चर्चा की अनुमति दी थी। संसद भवन में ही चर्चा चल रही है, परन्तु संसद में इसकी अनुमति नही। मैं मांग करता हूं कि त्यागपत्र देनेवाले मंत्री, अथवा प्रधान मंत्री वक्तव्य दें। यदि आम जनता में प्रधान मंत्री वक्तव्य दे सकते हैं तो उन्हें यहां भी वक्तव्य देना चाहिए। त्यागपत्र के बाद श्री चरण सिंह ने जो आरोप लगाये, जिनपर जनता पार्टी की कार्यकारिणी ने विचार भी किया, पर उन आरोपों का खण्डन नही किया गया **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उसका इस सभा से कोई वास्ता नही। कार्यकारिणी की कार्यवाही के आधार पर आप वक्तव्य की मांग नही कर सकते।

श्री सी० एम० स्टीफन : मंत्री परिषद इस सभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिगण उल्लेख किये बिना पुत्रियों और लड़कों का नाम कैसे ले सकते है।

अध्यक्ष महोदय : एक ओर आप मंत्री महोदय से वक्तव्य की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर आप मंत्रियों पर आरोप भी लगा रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : घटना का विवरण देना मंत्रियों का दायित्व है। उन्हें अपने दायित्व से बचना नहीं चाहिए। इसलिए नियम 199 में "दे सकेगा" के स्थान पर "देगा" पढ़ा जाये। यदि उक्त मंत्री वक्तव्य नही देते तो प्रधान मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए, क्योंकि उनपर विशेष रूप से आरोप लगाये गये हैं। मेरी मांग है कि त्यागपत्र मांगने संबंधी पत्र, उसका उत्तर तथा अन्य संबद्ध पत्र-व्यवहार सभा पटल पर रखा जाये। मेरी मांग है कि प्रधान मंत्री तथ्यों की सही जानकारी दें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बहराइच) : विरोधी दल के नेता ने यह नही बताया कि उनके नेता के दूत श्री बंसी-लाल श्री चरणसिंह से मिलने गये थे।

श्री सी० एम० स्टीफन : वह अन्य से भी मिलने जा रहे हैं।

श्री वयालार रवि : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 199 विशेष उद्देश्य के लिए हैं। मेरा मत है कि मंत्री परिषद संसद और देश के प्रति उत्तरदायी है, अतः यह किसी राजनीतिक पार्टी अथवा शासक दलकी सम्पत्ति नही है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था का प्रश्न रख रहे थे।

श्री वयालार रवि : जब वह रेडियो तथा अन्य माध्यमों से भाषण दे सकते हैं तब इस सभा में भाषण क्यों नही दे सकते। इस पर आप अपना निदेश दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निदेश दे रहा हूं।

श्री ए० सी० जार्ज : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री चरण सिंह का त्यागपत्र कोई स्वाभाविक घटना नही है और न उन्होंने अपनी मर्जी से ही ऐसा किया है।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम का उल्लंघन हुआ है?

श्री ए० सी० जार्ज : नियम 199।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसपर और चर्चा की अनुमति नही देता। नियम 199 में 'दे सकेगा' के स्थान पर 'देगा' करने का श्री स्टीफन के सुझाव के बारे में भूतपूर्व अध्यक्ष ने निदेश दिया था कि इसे 'देगा नहीं' पढ़ा जायेगा। इसलिये मैं इसपर और चर्चा की अनुमति नही देता और नही मैं किसी मंत्री को वक्तव्य देने को बाध्य कर सकता हूं।

सभा पटल पर रख गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) पांचवा संशोधित नियम, 1978 और नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

निर्माण और आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) पांचवां संशोधन, नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 840 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2359/78]**

(2) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० आ० 1808 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2360/78]**

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के लेखों सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(3) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी* संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2361/78]**

जीवन बीमा निगम द्वारा शेयरों की खरीद के बारे में 8 मई को दी गई जानकारी की शुद्धियां

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(4) जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा बिड़ला बन्धुओं सहित कुछ प्रमुख व्यापार गृहों के शेयरों की बड़े पैमाने पर खरीद सम्बन्धी ध्यान आकर्षण के उत्तर में 8 मई, 1978 को उनके द्वारा जीवन बीमा निगम द्वारा शेयरों की खरीद के बारे में दी गई जानकारी में कतिपय शुद्धियां करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2362/78]**

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(5) संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 1 जुलाई, 1978 को प्रख्यापित दिल्ली पुलिस अध्यादेश, 1978 (1978 का संख्या 2) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2363/78]**

चीनी उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1975-76 और 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(6) (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) चीनी उद्योग विकास परिषद का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) चीनी उद्योग विकास परिषद का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2364/78]

*लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 8 मई, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : इस अध्यादेश का मैं विरोध करती हूं क्योंकि दिल्ली को राज्य का दर्जा देने का प्रश्न विचाराधीन है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : जो पत्र सभा में बिना विलम्ब के आने चाहिए वे अत्यन्त विलम्ब से आ रहे हैं। आप लोक सभा सचिवालय के माध्यम से मंत्री महोदय से विलम्ब के कारणों की जानकारी प्राप्त करें। कारणों से संतुष्ट होने पर ही पत्रों के रखे जाने की अनुमति दें। आप मंत्रियों को विलम्ब के कारण बताने पर बाध्य करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को सभा पटल पर रखे जाने वाले मामलों की समिति को भेज सकता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : गन्ने के बारे में श्री भानु प्रताप सिंह बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कृपया आप कुछ रिपोर्टों पर ध्यान दें। ऐसी चीनी मिलों को भी छूट दी गई है जो कार्यरत नहीं हैं। भूतपूर्व सरकार चीनी उद्योग-पतियों से धन प्राप्त करती रही है। क्या यह समझा जाये कि वर्तमान सरकार भी उसका अनुकरण कर रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : यह आरोप निराधार है। जहां तक विलम्ब का प्रश्न है मार्च 1978 तक परिषद की बैठक नहीं हुई। परिषद की अनुमति से ही पत्र सभा पटल पर रखे गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : परिषद की बैठक बुलाना आपका कानूनी दायित्व था। मैं इस मामले को सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति को सौंप रहा हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मुझे खेद है कि कुख्यात भूतलिंगम रिपोर्ट को इस ढंग से सभा में पुर:स्थापित किया जा रहा है। सारा कार्मिक वर्ग इस रिपोर्ट से आन्दोलित है। जार्ज फर्नांडिज जैसे व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि उसका ऐसी रिपोर्ट से कोई सम्बन्ध हो। हम चाहते हैं कि इसे सभा पटल पर से पूर्व इस पर चर्चा हो जाती। मैं इसके वापस लिए जाने की मांग करता हूं।

श्री वयालार रवि (बडागरा) : मैंने रिपोर्ट का अध्ययन किया है। यह सर्वथा कर्मकारी वर्ग के विरुद्ध है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य एकाधिकार गृहों का पक्ष लेना तथा गरीब लोगों का शोषण करना है। कार्मिक वर्ग से जार्ज फर्नांडिस के बार बार अपील करने पर भी इसे अस्वीकार कर दिया है। मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि इसे वापिस लिया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि एक साथ कई प्रस्ताव आते हैं तो उनका बैलिट किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आपको अन्य व्यक्तियों को भी सुनना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस मामले पर कार्मिकों की बैठक हुई तथा हड़ताल का निश्चय किया गया। **(व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : श्री भट्टाचार्य ने नोटिस नहीं दिया है। **(व्यवधान)**

इसे रिकार्ड न जिया जाये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि वह खड़े होकर कह दें कि वह इसे वापिंस लेते हैं। **(व्यवधान)**

अभी तो उन्होंने इसे पुर:स्थापित ही नहीं किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री भूतालिंगम मजदूरों के विरोधी है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : इसे सभा पटल पर न रखा जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय भविष्य में इसे प्रकाशित न करें और यदि प्रकाशित करें गजट ऑफ इण्डिया के अंतर्गत करें।

आप अधिकारी तंत्र के अधीन कार्य कर रहे हैं। अधिकारी तंत्र ने अब अल्पकालिक प्रश्न स्वीकार करने से मना कर दिया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय को वक्तव्य देने दें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप वापिस ले रहे हू....

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अन्यथा हम सभा से चले जाते हैं। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड न किया जाये

(व्यवधान)**

**अध्यक्षपीठ के आदेश द्वारा कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सी० एम० स्टीफन : प्रश्न यह है कि क्या सरकार को अधिकार है कि वह सभी वर्गों के विरोध के बावजूद किन्हीं पत्रों को सभा पटल पर रख सके । इसका निर्णय आप कर सकते हैं । सभा कर सकती है । जहां तक सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का क्षेत्राधिकार पूर्णत: निर्धारित नहीं है । शासक दल के बहुत से सदस्य भी इस रिपोर्ट के विरुद्ध हैं । आप इस विरोध का अधिलंघन तो कर सकते हैं परन्तु आप इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इसके विरुद्ध पर्याप्त आपत्तियां हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता । कृपया इसे सभा पटल पर न रखने दिया जाये ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : नियम 368 में उल्लेख है :

"यदि कोई मंत्री सभा में किसी ऐसे प्रेषणपत्र या अन्य राज्यपत्र को उद्धृत करे जो सभा के समक्ष नहीं रखा गया हो, तो यह संगत पत्र को सभा पटल पर रखेगा ।"

"परन्तु यह नियम ऐसे किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होगा जिसे मंत्री ऐसे स्वरूप का बताये कि उसका किया जाना लोक हित के प्रतिकूल होगा ।"

यह नियम इस पर लागू नहीं होते । इसे किस नियम के अधीन रखा जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : नियम 369 ।

श्री वसन्त साठे : नियम 369 में उल्लेख है :

"पटल पर रखा गया पत्र या दस्तावेज, उसे उपस्थित करने वाले सदस्य द्वारा प्रमाणित किया जायेगा ।"

"सभा पटल पर रखे गये सभी पत्र और दस्तावेज सार्वजनिक समझे जायेंगे ।"

इसे किसी भी नियम के अनुसार सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता । इस कुख्यात दस्तावेज को, जोकि रद्दी के टुकड़े के समान है सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने एक प्रस्ताव रखा है ।

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले मुझे उन परिसीमाओं पर ध्यान देना है जिनके अंतर्गत कोई पत्र सभा पटल पर रखा जा सकता है । संकल्प तभी लाया जा सकता है जबकि वह अनिवार्य हो ।

श्री एच० एम० पटेल : आप इस प्रतिवेदन की जितनी आलोचना चाहें, प्रजातंत्र का अर्थ हर प्रकार की राय को सुनना होता है । आप इतने आपहनशील क्यों हैं ? आप किसी बात पर चर्चा नहीं कर सकते ?

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : हमने किसी मंत्री तथा सरकार के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये । हमने केवल भूतलिंगम समिति के प्रतिवेदन की आलोचना की है ।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : पत्रों को सभा-पटल पर रखने के बारे में कुछ परम्परायें हैं । सभा भूतलिंगम् समिति के प्रतिवेदन से सम्बन्धित नहीं है और यह प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखा जाना चाहिये **(व्यवधान)**

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : इस रिपोर्ट को मजदूर संघों ने अस्वीकार कर दिया है ।

यह समिति, जिसका यह प्रतिवेदन है, वित्त मंत्रालय ने गठित की थी । इसको श्रमजीवी वर्ग ने भी अस्वीकार कर दिया है ।

श्री बाला पजनौर (पांडिचेरी) : देश की एक विधान सभा ने इसे अस्वीकार करने सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया है । अन्य मज़दूर संघों ने भी इसे अस्वीकार कर लिया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यह बात समझ में नहीं आती कि इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर क्यों रखा जा रहा है । हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ऐसा न करें ।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस) : यह बात बार बार कही जा रही है कि देश क मज़दूर संघों ने इसे अस्वीकार कर दिया है ।

देश के अनेक मजदूर संघों ने सरकार को लिखा है कि वे इस पर विचार विमर्श करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर काफी चर्चा जर चुके हैं । मैं आप सब की बात सुन चुका हूं ।

श्री वयालार रवि : इसके गुणावगुणों पर चर्चा नहीं की गयी ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : दूसरे पक्ष की ओर से ऐसी बातें हुई हैं जिनका खंडन किया जाना जरूरी है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सारेमपूर) : अध्यक्ष महोदय आप मंत्री को कहें कि सभा को गुमराह न करें । हड़ताल के क्या कारण थे ?

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटर) : भूतलिगम प्रतिवेदन मजदूरों की मांगें पूरी नहीं करता है **(व्यवधान)** हम । से सभापटल पर नहीं र, सकते ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : जिस पत्र को सरकार सभा पटल पर रखना चाहती है, उसे रखे जाने से कोई नहीं रोक सकता।

मेरा यह कहना है कि आप मंत्री को इसे सभा पटल पर रखने को कहें । **(व्यवधान)**

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : रिपोर्ट के बारे हमारे अपने विचार हो सकते हैं। इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने के लिये क्यों जल्दबाजी से काम लिया जा रहा है ? इस पर और विचार करके इसे एक या दो दिनों के बाद सभा पटल पर रखा जाये।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते): सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस रिपोर्ट का विरोध हुआ है और इसकी कई बातें मजदूर संघों को स्वीकार्य नहीं है।

इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखे जाने के बारे कोई विवाद नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखना चाहती है। इसका विरोध भी हुआ है। रिपोर्ट को सरकार सभा पटल पर इसलिये रखना चाहती है ताकि इस पर चर्चा हो सके। इसे रखे जाने का अर्थ यह नहीं है कि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। लोक सभा की परम्परा यह रही है कि किसी भी पत्र को सभा पटल पर रखने का विरोध न किया जाये।

श्री सी० एम० स्टीफन : हम इस पर आपत्ति करते हैं **(व्यवधान)**। यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी आपत्तियों को अनसुना किया जा रहा है। हम विरोध में सभा से उठकर बाहर जाते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन तथा कुछ अन्य सदस्य सभा से उठकर बाहर चले गये।

Shri C. M. Stephan and some other hon, Members then left the House.

सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अधीन जारी अधिसूचनाएं, वेतन आयु और मूल्य संबन्धी दल का प्रतिवेदन तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्ला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(7) सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 39 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 1586 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 3 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 1972 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 271(ङ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2365/78]**

(8) (एक) वेतन, आय और मूल्य सम्बन्धी दल के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2366/78]

(9) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 275 (ङ) से 281 (ङ) जो दिनांक 12 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) असबाब नियम, 1978 जो दिनांक 16 मई, 1978 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 290 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पर्यटक असबाब नियम, 1978 जो दिनांक 16 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 291 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) निवास अन्तरण नियम, 1978 जो दिनांक 16 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 292 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सा० सां० नि० 293 (ङ) जो दिनांक 16 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

(छः) सा० सां० नि० 294 (ङ) जो दिनांक 16 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सात) सा० सां० नि० 295(ङ) जो दिनांक 16 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) सा० सां० नि० 297 (ङ) जो दिनांक 19 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० सां० नि० 301 (ड) जो दिनांक 24 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० सां० नि० 302 (ड) जो दिनांक 25 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० सां० नि० 764 और 765 जो दिनांक 17 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा० सां० नि० 330 (ड) और 331 (ड) जो दिनांक 21 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा० सां० नि० 338 (ड) और 339(ड) जो दिनांक 28 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा० सां० नि० 856 जो दिनांक 1 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) उपर्युक्त मद (3) में (दो) से (सात) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-2367/78]**

(11) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पाद शुल्क) (संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 13 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2368/78]**

(12) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी (दूसरा संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 287 (ड) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० -2369/78]**

(13) स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत स्वर्ण नियन्त्रण (प्रमाण-पत्र देना) दूसरा संशोधन नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एज प्रति जो दिनांक 29 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 288(ड) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2370/78]**

(14) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 282 (ड) से 285 (ड) जो दिनांक 12 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 314(ड) जो दिनांक 1 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2371/78]

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा उठाई गई आपत्ति सारपूर्ण है। केवल अधिसूचना का उल्लेख करना ही पर्याप्त नहीं है। मंत्री महोदय को अधिसूचना में ब्यौरा देना चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री एच० ए० पटेल) : हम ऐसा ही करेंगे।

प्रेस परिषद विधेयक
PRESS COUNCIL BILL
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : मैं प्रेस परिषद विधेयक, 1977 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्ति समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : संयुक्त समिति के प्रतिवेदनों को सभा में पेश करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है। यदि आप अध्यक्ष के 85 से ऊपर के निदेशों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कितने विभति टिप्पण सम्मिलित किए जाने चाहिएं। यह समिति प्रतिवेदन तैयार करने के लिए परसों मिली थी और इसकी सूचना विलम्ब से दी गई। इसलिए हम 15 तारीख को नहीं आ सके। क्योंकि हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में थे। मैं अहमदाबाद से सत्र में उपस्थित होने के लिए कल आया हूं। यहां आकर मुझे समिति का प्रतिवेदन मिला। जब मैं शाम को संसद में अपना विभति टिप्पण देने आया तो उसे लेने वाला कोई नहीं था। संसद भवन के कमरा नं० 26 के बाहर एक बक्सा था जिसमें मैंने अपना विभति टिप्पण डाल दिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह प्रतिवेदन का अंग बन गया है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : बन गया है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि जब प्रतिवेदन तैयार किए जायें और समिति ने उन्हें पारित करना हो और फिर उन्हें 14 घंटे के अंदर सभा में पेश करना हो तो ऐसे अवसरों पर सदस्य अपना विभति टिप्पण कैसे दे सकते हैं। प्रतिवेदन पारित करने तथा उन्हें सभा में पेश करने के बीच कुछ पर्याप्त समय होना चाहिए। भविष्य के लिए समितियों के चेयरमैनों को इस बारे में कहा जाना चाहिए। विभति टिप्पण देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस मामले पर शुरू में ही चेयरमैन से बात करते तो आपको इतनी कठिनाई नहीं होती इस तरह के मामले में सदैव चेयरमैन से बात करनी चाहिए।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

देश में कोयले की कमी का समाचार

डा० वसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : श्रीमन मैं ऊर्जा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"देश में कोयले की कमी, जिससे अनेक उद्योगों, बिजली घरों तथा इस्पात के कारखानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तथा रेलगाड़ियां रद्द करनी पड़ी हैं, का समाचार तथा इस कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपाय"।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the chair]

ऊर्जा मंत्री (श्री पी०रामचन्द्रन) : चालू वर्ष में 113.5 मि० टन कोयले के उत्पादन की योजना बनाई गई है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की कोयले की मांग पूरी की जा सके। इस लक्ष्य की तुलना में जून के अंत तक हम 23.3 मि० टन कोयले का उत्पादन पहले ही कर चुके हैं। चालू वर्ष की शुरूआत में खान मुहानों पर कोयले का काफी अच्छा स्टाक अर्थात् 1 अप्रैल, 1978 को 12.5 मि० टन था। इसीलिए हम वर्ष की पहली तिमाही में अपने उत्पादन से अधिक कोयले का प्रेषण कर सके थे। इस अवधि में कोयले का उत्पादन 23.3 मि० टन हुआ किन्तु विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं को 23.6 मि० टन कोयला भेजा गया। आज भी कोयले का खान मुहाना स्टाक लगभग 11 मि० टन मौजूद है।

चालू वर्ष की पहली तिमाही कोयला उद्योग के लिए एक कठिन समय रहा है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम ही है, सिंगरैनी कोलियरीज में एक लम्बी हड़ताल हुई जिसके कारण उत्पादन का बहुत नुकसान हुआ। इसी वजह से अन्य स्थानों को जाने वाले कोयले को भी वहां न भेज कर सिंगरैनी के परम्परागत उपभोक्ताओं को जरूरत के लिए देना पड़ा। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ और बिजली के मिलने में भी अनेक समस्याएं बनी रहीं जिनकी वजह से कोयले के उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा।

हम इस वर्ष कोयले के उत्पादन और प्रेषण की प्रगति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। हमारी सूचना के अनुसार कोई भी बिजली घर कोयले की कमी के कारण पूरी तरह बन्द नहीं हुआ। कुछ बिजली घरों में बहुत थोड़े समय के लिए कोयले की कुछ कमी हुई लेकिन वहां कोयला पहुंचाने के लिए तुरंत कार्रवाई की गई ताकि बिजली के उत्पादन में अनावश्यक

[श्री पी० रामचन्द्रन]

कमी न हो। हमने कोयले की सप्लाई के बारे में विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं को जो कठिनाइयां हो रही हैं उन्हें दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में मैंने सभी कोयला कंपनियों के अध्यक्षों के साथ विस्तार से बातचीत की ताकि उपभोक्ताओं की मांगें पूरी करने में बाधक कठिनाइयों का पता लग सके और उत्पादन बढ़ाने में आने वाली रुकावटों को दूर किया जा सके। मैंने उद्योग मंत्री से तो बात की ही और उन्होंने कृपा करके विस्फोटक पदार्थों के आयात की अनुमति भी दे दी। साथ ही, मैंने अपने सहयोगी रेल मंत्री जी से भी बातचीत की ताकि कोयला कंपनियों और रेलों के बीच समन्वय की व्यवस्था को और कारगर बनाया जा सके। हम लोगों ने इस संबंध में स्थिति की जो पुनरीक्षा की है उसके परिणामस्वरूप कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:--

(1) देश में विस्फोटक पदार्थों की कमी को दूर करने के लिए उनका आयात करने का निर्णय किया गया है।

(2) इस बात के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि उड़ीसा की अतिरिक्त बिजली बिहार भेजी जाए ताकि बिहार में बिजली की कमी पूरी हो सके।

(3) इस बात के लिए प्रयास किए जाएंगे कि कोयले की ढुलाई के लिए वर्तमान सीमा से अधिक रेल वैगन मिले और उपलब्ध वैगनों का पूरा पूरा उपयोग किया जाए।

(4) दक्षिणी राज्यों में समुद्र द्वारा कोयले की ढुलाई बढाई जाएगी ताकि रेलों के वर्तमान ढुलाई क्षमता को सहारा मिल सके।

(5) इस संभावना पर भी विचार किया जा रहा है कि कोयला क्षेत्रों से 60 कि० मी० तक के बिजली घरों को सड़क से और अधिक कोयला पहुचाया जाए।

(6) कोयला कंपनियों और रेलों के प्रतिनिधियों के बीच उच्चतम स्तर पर नियमित बैठकें कराई जा रही हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोयले की लदाई और उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के मामले में कोयला उत्पादकों और रेलों के बीच पूर्ण समन्वय रह सके।

(7) कोयला कंपनियों से कहा गया है कि वे वर्ष की शेष अवधि के लिए अपने उत्पादन कार्यक्रम में ऐसा संशोधन करें ताकि वर्ष के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाए।

(8) कोयला कंपनियों से यह भी कहा गया है कि वे ऐसी योजनाओं का पता लगा कर उन्हें कार्यान्वित करें जिनमें वास्तविक उत्पादन शुरू करने के लिए कम प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसी योजनाओं से कोयले का अतिरिक्त उत्पादन शीघ्र ही होने लगेगा।

अंत में मैं सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम देश में कोयले के उत्पादन और उसके प्रेषण पर अत्यधिक कड़ी निगरानी रख रहे हैं और हमने ऐसी व्यवस्था भी की है जिससे समय समय पर उठने वाली समस्याओं का तुरंत पता लग जाए और उनके समाधान के लिए प्रभावशाली कदम शीघ्र उठाएं जाएं। मुझे पुरी आशा है कि इस वर्ष हम देश में कोयले की मांग को भली भांति पूरी करने में सफल रहेंगे।

डा० वसंत कुमार पंडित : मंत्री महोदय ने संतोषजनक विवरण नहीं दिया है। कई बातें नहीं बताई गई हैं। हम जानना चाहते हैं कि कुल वार्षिक उत्पादन लक्ष्य क्या है तथा कुल कितनी मांग है। अनुमानित मांग के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड का प्रशासन, वितरण तथा उत्पादन सभी अव्यवस्थित हो गया है। इसके लिए कई बातें जिम्मेदार हैं। हमें बताया गया है कि वहां हड़ताल हुई है, या माल डिब्बों की कमी है।

आपात स्थिति के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड में सेना के अधिकारियों को नियुक्त करने से उनमें असंतोष व्याप्त है। कोल इंडिया लिमिटेड में किसी प्रकार का समन्वय नहीं है।

अत: मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वह देश में कोयला उत्पादन, सप्लाई तथा मांग की स्थिति का सही चित्र पेश करें। यह स्थिति साधारण नही है। कोयले की कमी के कारण विभिन्न राज्यों में लगभग 300--400 उद्योग बन्द हो गए हैं। आने वाले महीनों में यह स्थिति और बिकट हो जायेगी। विभिन्न प्रकार की बातें की जा रही हैं। कोई कहता है कि हम कोयले का निर्यात कर रहे है जबकि दूसरा कह रहा है कि हम उसका आयात कर रहे हैं। कहा गया है कि माल डिब्बों की कमी है। महाराष्ट्र में कुछ रेल रैले कोयले की कमी के कारण ठप्प कर दी गई है। मंत्री महोदय हमे कोयले की इस समस्या के बारे में सही जानकारी दें। इस समस्या को हल करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समन्वय समिति की स्थापना की जानी चाहिए।

श्री पी० रामचन्द्रन : उत्पादन कार्यक्रम देश में मांग के अनुमान पर आधारित होता है। इसी के आधार पर उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। चालू वर्ष के लिए यह उत्पादन लक्ष्य 1,300 लाख टन रखा गया है। गत वर्ष 1,100 लाख टन का उत्पादन लक्ष्य रखा गया था जो कि हमने पूरा किया था।

जहां तक विस्फोटकों का सम्बन्ध है, विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में हड़ताल हो जाने के कारण विस्फोटकों की उपलब्धता में कमी हो गई। विस्फोटकों का शीघ्र आयात भी नहीं हो सकता क्योंकि उनको आयात करने के लिए कुछ औपचारिकताएं तथा विनियमों को पूरा करना पड़ता है। इसीलिए उद्योग मंत्री से परामर्श करके हमने कुछ हजार विस्फोटकों के आयात का निर्णय किया है।

हम सबसे पहले कोयले का वितरण इस्पात, विद्युत गृहों, रेलवे, सीमेंट कारखानों तथा उपभोक्ताओं को करते हैं। कोयले के वितरण में हम उन्हें प्राथमिकता देते हैं। आज इस्पात संयंत्रों के पास 3.34 लाख टन का स्टाक है और उनका कोयले का स्टाक 2.87 लाख टन से कभी भी कम नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है कि उन्हें किसी समय किसी विशेष प्रकार का कोयला उपलब्ध न हुआ हो अन्यथा इस्पात संयंत्रों में कोयले की कोई कमी नहीं है।

मैं बिजली घरों के बारे में माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि हमने सभी बिजली घरों को अपेक्षित मात्रा में कोयले की सप्लाई की है। कोयले की कमी के कारण कोई भी बिजली घर बन्द नहीं हुआ।

जहां तक कोल इंडिया लिमिटेड और इसके अधीनस्थ कम्पनियों में तालमेल का सम्बन्ध है, यह एक प्रशासनिक मामला है। इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। और कोयला कम्पनियों की कार्य कुशलता में भी सुधार किया जा रहा है।

यह सही है कि यात्रियों के अधिक यात्राएं करने के दौरान कुछ कम दूरी की गाड़ियां रद्द की गई है। ऐसा भी कोयला ढुलाई में रुकावट आन अथवा उसे अन्य उद्योगों को भेजने के कारण हुआ है। यद्यपि कुछ कम दूरी की गाड़ियां रद्द की गई परन्तु डीजल और बिजली के इंजनों की मदद से कुछ विशेष गाड़ियां चलाई गई। कुछ गाड़ियां जो रद्द की गई वे कोयले की कमी के कारण ही रद्द नहीं की गई।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मंत्री जी ने जिन कठिनाइयों का उल्लेख किया है उन्हे मैं समझता हूं। हमें कोयले के व्यापार में प्रतिवर्ष 80 करोड़ रुपये का घाटा होता है। कोयले का राष्ट्रियकरण हमने कोई गलती नही की लेकिन इस उद्योग में कही न कही कुछ गड़बड़ हैं, जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

आप वर्ष की बजाय तीन महीनों के लिए उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इन तीन महीनों में उत्पादन 30 लाख टन कम हुआ है।

गत वर्ष समाचार छपे थे कि कोयला खानों में बहुत कोयला जमा हो गया है और इसकी कहीं कोई मांग नही है। किन्तु इस वर्ष कही कोयला नहीं मिल रहा है।

रेल मंत्रालय का कहना है कि कोयले की कमी है। आपके अधिकारी कहते हैं कि माल डिब्बे उपलब्ध नही होते। वास्तविक स्थिति क्या है? राज्य मंत्री का कहना है कि उचित योजना और संगठन के अभाव में कोयला उद्योग में अभाव की स्थिति पैदा हुई है तथा ऐसा राष्ट्रीयकरण के बाद से हुआ है। अतः मेरा कहना है कि आवश्यकता समूचे ढांचे का फिर से गठन करने की है। क्या यह हो सकेगा ?

फिर ऐसा समाचार भी है कि प्रतिवर्ष कोयला उद्योग को 80 से 100 करोड़ रूपये की हानि हो रही है और इसलिए आप कोयले का मूल्य बढ़ाने जा रहे है। यह और भी बुरा है। अपनी अकुशलता का भार जन साधारण पर क्यों डालना चाहते हैं ; यह उचित नही है।

रेल, उर्जा और इस्पात और खान मंत्री में ताल मेल होना चाहिए इस समय ऐसा नही है।

150 रेल गाड़ीयां रद्द की गई हैं परन्तु मंत्री महोदय का कहना है कि कोयले के अभाव में कोई बिजली घर बन्द नहीं हुआ। यह हो सकता है कि कोई भी बिजली पर महीना दो महीने के लिए बन्द न हुआ हो परन्तु एक दो दिन बन्द होने वाले मामलें है। और कोयले कि अभाव से हुआ है। यदि आपके पास, कोयला है तो उसे बिजली घरों को क्यों नही भेजा जाता ?

इतना ही नही ईंटों के भट्टों को भी कोयला नहीं मिला और सभी निर्माण कार्य रूका पड़ा है।

कोयला उत्पादन की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री पी० रामचन्द्रन : कोयले के मूल्य सम्बन्धी एक पहले की समिति ने कोयले का अधिक मूल्य रखे जाने का समर्थन किया था। परन्तु सरकार ने उसे नहीं माना और हानि होती रही। अन्य उत्पादनों का मूल्य बढ़ने पर भी हम कोयले का मूल्य नही बढ़ाया। इसी कारण हानि होती रही है।

[श्री पी० रामचन्द्रन]

कोयले के आर्थिक पहलू का अध्ययन करने के लिए एक अन्य समिति बावेजः समिति नियुक्त की गई थी। उसकी सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है। उनके बारे में हम शीघ्र ही निर्णय लेंगे।

योजना सम्बन्धी बात यह है कि हमने पुनर्निर्माण परियोजनाएं और कुछ नयी परियोजनाएं बनायी है। इस वर्ष इन में से कुछ परियोजनाओं के बारे में हमने अग्रिम कार्यवाही की है। ताकि अल्पावधि में खानों से कोयला निकालने के लिए आवश्यक ढांचा तैयार हो सके। हम धीरे-धीरे यह काम कर रहे हैं। चालू योजना में ही हम 106 नई और पुनर्निर्माण की परियोजनाएं मंजूर करना चाहते है।

दक्षिण के कुछ उद्योगों को कोयला देने के लिए कम दूरी की कुछ गाड़ियां रद्द की गई हैं। इस कोयले को दक्षिण के सीमेन्ट तथा अन्य उद्योगों में प्रयोग किया जा सकेगा। काफी समय से सिगरेनी कोयला खान में हड़ताल के कारण कुछ गतिरोध पैदा हुआ है।

कोयले की कमी के कारण कोई भी तापीय बिजली घर बन्द नहीं हुआ।

सरकार कोयला उद्योग की समस्याओं के हल में प्रयत्नशील है और वह उसके पुनर्गठन में लगी है। कोयला उद्योग को और कार्यकुशल बनाने के लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं। इंट बनाने के उद्योग को कोयला देने में उच्च प्राथमिकता नहीं दी गई है।

कोयला तो उपलब्ध है और लोग ट्रक ले जाकर वहां से कोयला ला सकते हैं। इंटों की भट्टी का कोयला 60 लाख टन उपलब्ध है। रेलों के वैगन इस से अधिक उपलब्ध नहीं हो सकते। इसीलिए हमने समाचार पत्रों में भी दिया है कि ट्रक ले जाकर कोयला लाया जा सकता है। प्रश्न तो प्राथमिकता का है। पहले हम महत्वपूर्ण उद्योगों को प्राथमिकता देते हैं। इस्पात संयंत्रों को कोयला भेजने की स्थिति में सुधार हुआ है। पहली तिहाई की कमी को दूसरी तिहाई और उस की कमी को तीसरी तिहाई में पूरा किया जाना है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (आगरा) : देश में आम रूप से बिजली की कमी है। कोयले जैसे संसाधन की हमारे यहां कमी नही है लेकिन वह भी ठीक समय पर नही मिलता। कई गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं या कुल बिजली घर आंशिक रूप से बंद किये गये हैं।

लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक ओर तो उत्पादन नही बढ़ रहा और मूल्य बढ़ रहे हैं दूसरी ओर प्रति वर्ष घाटा हो रहा है। गरीब आदमी को कोयला नही मिल रहा। इस बारे में उपाय किये जायें।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन्) : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम मूल्य ढांचे पर गौर कर रहे हैं। नई समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच हो रही है और कोई निर्णय लिये जाने पर मैं तुरंत सभा को बता दूंगा।

कोयले के बारे में अधिकतर शिकायतें इंटों की भट्टी के मालिकों, ढलाई घरों और घरेलू उपभोक्ताओं से प्राप्त हुई हैं। इन अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता वाले उद्योगों में बिचौलिये लाभ कमाते हैं। हम स्रोत पर तो अच्छे कोयले की सप्लाई नियोजित करते हैं इंट के भट्टों और ढलाई घरों को दोनों प्रकार के कोयलों को मिलाकर दिया जाता है। हम अन्य दिक्कतें दूर करने के उपाय भी कर रहे हैं।

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

RESIGNATIONS OF THREE MEMBERS

उपाध्यक्ष महोदय : ने सभा को सूचित किया कि अध्यक्ष महोदय को 29 जून, 1978 को कर्नाटक के चिकमगलूर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा का लोक सभा में अपने स्थान से त्याग पत्र प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय ने 29 जून, 1978 से त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है।

10 जुलाई, 1978 को लोक सभा सचिवालय को आन्ध्र प्रदेश के सिकन्दराबाद और सिद्दीपेट निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य क्रमशः श्री एम० एम० हाशिम और श्री श्री वेंकटस्वामी के लोक सभा में अपने स्थानों से त्यागपत्र मिले थे। अध्यक्ष महोदय ने 13 जुलाई, 1978 से उनके त्यागपत्र स्वीकार कर लिए हैं।

मानसिक स्वास्थ्य विधेयक

MENTAL HEALTH BILL

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय बढ़ाया जाना

डा० सुशीला नायर : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा मानसिक रूप में बीमार व्यक्तियों के उपचार और उनकी देख रेख से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने, उनकी सम्पत्ति और कार्यकलापों की बाबत बेहतर उपबंध और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मानसिक रूप में बीमार व्यक्तियों के उपचार और उनकी देख रेख से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने, उनकी सम्पत्ति और कार्यकलापों की बाबत बेहतर उपबंध और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE. ADJOURNMENT MOTION

श्री वसंत साठे : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है और अध्यक्ष ने मुझे समाचार पत्र की कतरन देने के लिए भी कहा था जो मैंने दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय उसे देखने के बाद अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया है कि यह ग्राह्य नहीं है।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

मुक्तापुर जूट मिल्स, समस्तीपुर, बिहार के बन्द होने का समाचार

Shri Ram Sewak Hazari (Rosra): Sir, Rameshwar Jute Mill, Muktapur in Samastipur District of Bihar has closed on 29th June, 1978. The closure of the mill has rendered four thousand workers jobless. The Government should take over this mill soon because the question of livelihood for 4000 workers is involved. These workers are facing starvation.

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक

KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION (AMENDMENT) BILL

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी (जूनागढ़) : महोदय, मैंने पिछले सत्र के दौरान भी बताया था कि खादी और ग्रामोद्योग का मुख्य रूप से प्रयोजन रोजगार देना है। खादी की प्रस्तावित बृहत्तर परिभाषा को खादी या गांधीजी की भावना की हत्या कहना गलत होगा। गांधीजी लकीर के फकीर न थे। वह अनुभव के आधार पर अपने सामाजिक विचारों में परिवर्तन कर लेते थे। मुख्य बात ग्रामीण लोगों को रोजगार देना है तथा यह देखना है कि उन्हें जीवन-निर्वाह हेतु कोई रोजगार अवश्य मिले। गांधीजी एक महान यथार्थवादी थे।

आज तीन प्रकार के कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। पहला कपास, दूसरा ऊन और तीसरा रेशम कपास है जो शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। इन तीनों प्रकार के कच्चे सामान में एक बात को छोड़कर कोई बात सामान्य नहीं। वह बात यह है कि तीनों को हाथ से काता जा सकता है, बुनाई की जा सकती है तथा उनसे कपड़ा

[श्री नरेन्द्र पी० नथवानी]

बनाया जा सकता है। आज हमें कपास एक किसान से प्राप्त नही होती अपितु यह ओटाई फैक्टरी से खरीदी जाती है। स्लिवर मिल द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के काम जैसे छपाई, रंगाई आदि अधिकांशतया मिल द्वारा ही किये जाते हैं। जहां तक कच्चे माल के उद्योग का सम्बन्ध है, कभी कभी हम मिसुकी कपास का भी आयात करते हैं और 1 करोड़ रुपये के बूल टापस हम अस्ट्रेलिया से मंगात हैं।

परन्तु खादी की परिभाषा में प्रस्तावित परिवर्तन के कारण अधिक श्रमिकों को काम मिलेगा ; उन्हें वर्तमान मजदूरी से डेढ़गुना मजदूरी मिलेगी। इन लाभों के अलावा उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। कपड़ा अधिक मजबूत होगा। अधिकांश क्षेत्र अधिकारी, जो इस उद्योग में काम करते हैं, इस रेशे का उपयोग करने और उसे कपास के साथ मिलाने के हक में हैं।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : खादी की परिभाषा के बारे में कई आपत्तियां उठाई गई हैं। ये आपत्तियां व्यावहारिक होने की बजाय भावात्मक है। कुछ सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है कि खादी के अर्थ को ही अपमिश्रित किया जा रहा है। परन्तु विधेयक का वास्तविक अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि खादी की परिभाषा में वर्तमान संदर्भ में समुचित संशोधन किए जाएं।

हालांकि इस आयोग का उद्देश्य गांवों में रोजगार पैदा करना है फिर भी पता चला है कि यह आयोग एकाधिकार ग्रह की तरह ही कार्य कर रहा है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले श्रमिकों पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू नही होता। इस तरह उनके प्रति भारी अन्याय किया जा रहा है। उन श्रमिकों को भी इस कानून के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त होना चाहिए जैसा कि अन्य श्रमिकों को मिल रहा है। इस विशेष संस्था में काम करने वाले लाखों श्रमिक भुखमरी के स्तर पर काम कर रहे हैं और उन्हे न्यूनतम मजूरी सम्बन्धी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इन्ही शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : इस विधेयक पर अलग अलग सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ सदस्यों ने तो यहां तक कह दिया कि इस विधेयक के माध्यम से हम गांधीजी की भावना को मारने का प्रयास कर रहे हैं। इस विधेयक की अप्रत्याशित एवं अवांछनीय आलोचना भी की गई है। यह कहा गया है कि यह विधेयक पूंजीपतियों और मिल मालिकों को और अमीर बनाने के लिए पेश किया गया है। मैं इस संदर्भ में खादी के बारे में गांधी जी के विचार उदघृत करना चाहता हूं। गांधीजी ने 31 जुलाई, 1924 को कहा था कि हाथ की कताई के पीछे मुख्य उद्देश्य सरल, एकसमान कुटीर उद्योग ढूंढकर लाखों लोगों को रोजगार देना है।

गांधीजी की खादी के प्रति अपनी विचारधारा थी और यह विचारधारा भावात्मक नही थी अपितु इस उद्देश्य रोजगार प्रदान करना था। लाखों लोग बेरोजगार हैं और रोजगार प्रदान करने होंगे। अतः जब मैंने गांधीजी का उद्धरण दिया तो इसका उद्देश्य गांधीजी के नाम का उपयोग करना नही था बल्कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य बताना भी था।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य रोजगार पैदा करना है। यदि आज हम खादी उत्पादन में पोलिस्टर धागे को लागू करने की स्थिति में पहुंच गए हैं तो इसका कारण यह है कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम उसी वस्तु का उत्पादन करें जिसे लोग खरीदना चाहते हैं। यह सोचना कि यह तो केवल भावात्मक है और इसका सम्बन्ध रोजगार पैदा करने से नही है तो यह गाधीजी की स्मृति के प्रति तथा इस विधेयक के उद्देश्य के प्रति ठीक नही होगा।

गत 10 या 12 वर्षों में खादी उद्योग में रोजगार के अवसरों में लगातार कमी हुई है। 1968-69 में खादी द्वारा दिए गए पूर्णकालिक रोजगार 1.32 लाख थे। 1975-76 में ये 1.13 लाख थे। खादी उद्योग द्वारा जो रोजगार उपलब्ध करवाए जाते थे उनमें पिछले 10 या 12 वर्षों में धीरे-धीरे कमी होती गई है। वर्ष 1968-69 में खादी द्वारा 1.32 लाख पूर्णकालिक रोजगार उपलब्ध करवाए गए। वर्ष 1975-76 में 1.13 लाख रोजगार उपलब्ध करवाए गए। केवल आठ वर्ष के समय में ही यह संख्या 1.32 लाख से घटकर 1.13 लाख रह गई जबकि जनसंख्या तथा बेरोजगार लोगों की संख्या में वृद्धि होती चली गई। जहां तक अंशकालिक रोजगारों का सम्बन्ध है, इनकी संख्या भी 12.03 लाख से घटकर 7.11 लाख रह गई। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, उनके बारे में स्थिति ऐसी ही रही क्योंकि जब रोजगार कम होंगे तो उत्पादन भी कम होना ही था। वर्ष 1965-66 में भारत में 750 लाख वर्गमीटर सूती खादी कपड़े का उत्पादन देश में किया गया। वर्ष 1975-76 में यह उत्पादन घटकर 475 लाख टन वर्गमीटर रह गया। यदि खादी उद्योग द्वारा लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना ही है तो यह रोजगार यथासम्भव आकर्षक बनाया जाना चाहिए और

दूसरे यदि हम कपड़ा उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त रोजगारों की व्यवस्था करते हैं तो वह कपड़ा भी तो स्वीकार करने योग्य होना चाहिए। आज खादी के न पहनने का एक कारण यह है कि लोगों की आदतें बदल गई हैं, नई पीढ़ी की संस्कृति बदल गई है तथा आज कपड़ा पहनने के बारे में सम्पूर्ण दृष्टिकोण बदल गया है।

इस विधेयक के प्रस्तुत करने के पीछे भी मूल उद्देश्य गांधी जी के इसी दर्शन का प्रतिपादन करना है जिसमें उन्होंने कहा था कि खादी का मुख्य उद्देश्य देश के लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना तथा ऐसे कपड़े का उत्पादन करना है जो बाजार में बिक सके। यदि हाथ से काता तथा बुना हुआ कपड़ा बाजार में बिकता न हो तो खादी को केवल हाथ से कातने तथा बुनने का विचार ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया जाए।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 30 सदस्य हों, इस सभा के 20, अर्थात् :—

(1) डा० एच० आस्टिन
(2) श्रीमती कमला बहुगुणा
(3) श्री दिनेन भट्टाचार्य
(4) श्री वी० दण्डयुतपाणि
(5) श्री के० टी० कौसलराम
(6) श्री हरी शंकर महाले
(7) कुमारी आभा मेती
(8) श्री राम चन्द्र मलिक
(9) श्री एफ० एच० मोहसिन
(10) श्री एम० एन० गोविन्दन नायर
(11) श्री नरेन्द्र पी० नथवानी
(12) डा० सुशीला नायर
(13) डा० पी० बी० पेरियासामी
(14) डा० रामजी सिंह
(15) श्री के० एस० रामास्वामी
(16) श्री सिद्धरामेश्वर स्वामी
(17) श्री बृज भूषण तिवारी
(18) श्री वी० तुलसीराम
(19) श्री शरद यादव
(20) श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़

और राज्य सभा के 10;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई होगी;

कि समिति आगामी सत्र के पहले दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों तथा रूपभेदों के साथ जैसा कि अध्यक्ष करें, लागू होंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

Shri Hukamdeo Narain Yadav (Madhubani): Since the Bill is being referred to Select Committee, I would like to withdraw my amendment.

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The Amendment was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 और 6 सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

Amendments No. 1 and 6 were put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं मंत्री महोदय का संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 30 सदस्य हों, इस सभा के 20, अर्थात् :--

(1) डा० एच० आस्टिन
(2) श्रीमती कमला बहुगुणा
(3) श्री दीनेन भट्टाचार्य
(4) श्री वी० दण्डयुतपाणि
(5) श्री के० टी० कौसलराम
(6) श्री हरी शंकर महाले
(7) कुमारी आभा मैती
(8) श्री राम चन्द्र मलिक
(9) श्री एफ० एच० मोहसिन
(10) श्री एम० एन० गोविन्दन नायर
(11) श्री नरेन्द्र पी० नथवानी
(12) डा० सुशीला नायर
(13) डा० पी० वी० पेरियासामी
(14) डा० रामजी सिह
(15) श्री के० एस० रामास्वामी
(16) श्री सिद्धरामेश्वर स्वामी
(17) श्री बृज भूषण तिवारी
(18) श्री वी० तुलसीराम
(19) श्री शरद यादव
(20) श्री जार्ज फर्नान्डीज

और राज्य सभा के 10 ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई होगी ;

कि समिति आगामी सत्र के पहले दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम एसे परिवर्तनों तथा रूपभेदों के साथ जसा कि अध्यक्ष करें, लागू होंगे ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक

TOBACCO BOARD (AMENDMENT) BILL

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 म संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, यह मुख्य रूप से नीलामी प्लेटफार्म को बनाए जाने से सम्बन्ध रखता है। क्योंकि अधिनियम की धारा 13 में तम्बाकू बोर्ड का काम नीलामी प्लेटफार्म बनाना और कानूनी एवं व्यवहारिक दोनों तरीकों से अपने को मजबूत करना है ।

इस अधिनियम में यह सुझाव दिया गया है कि तम्बाकु बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में होगा । हम इस उपबन्ध को हटा रहे हैं । किन्तु हम सदन को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि इस समय तम्बाखू बोर्ड के मुख्यालय को गुंटर से हटाने का कोई विचार नहीं है । यदि मुख्यालय को हटाना पड़ भी जाए तो इसे आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा ।

हमारे देश में 4 लाख 30—40 हजार टन तम्बाकू का उत्पादन होता है जिस में से लगभग 95,000 टन वर्जीनिया तम्बाकू होता है और शेष देसी तम्बाकू होता है जो विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र, बंगलौर, बिहार तथा देश के कई अन्य भागों में पैदा किया जाता है । यह स्वाभाविक ही है कि गुंटूर ऐसा स्थान नहीं है जहां से समस्त उत्पादित तम्बाकू के रख रखाव का समुचित ध्यान रखा जा सके । अतः वर्तमान परिस्थितियों में यदि हम मुख्यालय ऐसे स्थानों पर रखें जहां से समस्त उत्पादित तम्बाकू का समुचित ध्यान रखा जा सके तो फिर हमारे लिए तम्बाकू बोर्ड की वर्जीनिया तम्बाकू तथा देसी तम्बाकू की देखभाल करने के लिए शक्ति प्रदान करना सम्भव हो जाएगा ।

एक अन्य संशोधन वर्तमान तम्बाकू बोर्ड में स्थायी प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में है । आज इस बोर्ड में आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों के स्थायी प्रतिनिधि है । अब गुजरात ने भी वर्जीनिया तम्बाकू का उत्पादन आरम्भ कर दिया है । अतः यह सुझाव दिया गया है कि इस बोर्ड में इस राज्य का भी एक स्थायी प्रतिनिधि हो । इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों के लिए इसमें बारी-बारी से प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था है ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

श्री अजीत सिंह दाभी (आनंद) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । हम सब जानते हैं कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम कृषकों की सहायता करने तथा उन्हें इसके लिए लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए अधिनियमित किया गया था : बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अधिनियम के अन्तर्गत गठित बोर्ड ने केवल उन उत्पादकों की सहायता की है जो वर्जीनिया तम्बाकू उगाते हैं । इस तरह से इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादकों के बीच भेदभाव करता गया । आशा है कि सरकार व्यापक संशोधनकारी विधेयक पेश करेगी ताकि किसानों को लाभप्रद मूल्य मिल सके चाहे वे वर्जीनिया तम्बाकू का उत्पादन करें अथवा दूसरे किस्म के तम्बाकू का ।

[**श्रीमती पार्वती कृष्णन् पीठासीन हुई**
Shrimati Parvathi Krishnan in the Chair]

भारत में सर्वाधिक तम्बाकू उगाने वाले राज्यों में गुजरात का दूसरा स्थान है । गुजरात में तम्बाकू उत्पादकों को उनकी लागत के बराबर भी मूल्य नहीं मिलता । तम्बाकू व्यापारी तथा दलाल बहुत कम कीमत पर तम्बाकू खरीदते हैं तथा उससे पांच गुने या दस गुने और कभी-कभी सौ गुने दाम पर बेचते हैं और इस प्रकार गरीब तम्बाकू उत्पादकों के दम पर भारी मुनाफा कमाते हैं ।

Shri Hukamdeo Narain Yadav (Madhubani): If the intention of the Bill is to provide more facilities to the tobacco growers and to ensure that they get a fair price for their produce then it is something commendable. But if the intention is only to set up an auction platform where the produce is sold and an excise duty is imposed on the farmers then it is not proper. The auction platform will cost Rs. 8 lakhs and Rs. 4 lakhs will be spent on the salary of the employees, but the income will be only 10 lakhs. This is something over which Government should think deeply.

It is regrettable that in the Tobacco Board only Government officers are appointed. The farmers must be there because the fixing to price is something which is vitally concerned with them. If the farmers are not included in the Board it will be very sad.

This small amendment shows that the intention of the Government is clean and it want to proceed in the right direction. But the Bill does not go far enough. Let Government come out with a comprehensive amendment whereby all the problems of tobacco growers can be solved.

श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद राव (बापतला) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य मुख्यालय गुंटूर से बदल कर कहीं अन्यत्र करना है। इसके लिए उद्देश्य और कारणों के विवरण में यह कारण बताया गया है कि गुंटूर में समुचित रेल परिवहन व्यवस्था नहीं है। ऐसा कुछ निहित स्वार्थीतत्वों का काम है। मुख्यालय को गुंटूर से नहीं बदला जाना चाहिए।

80 प्रतिशत तम्बाकू आन्ध्र प्रदेश में उगाया जाता है और उसका भी 70 प्रतिशत गुंटूर के आसपास होता है। इसलिए मुख्यालय बदलने की धारा को वापिस लिया जाए।

हम नीलामी मंच बनाने के विचार का समर्थन करते हैं लेकिन उसके साथ ही कृषकों के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक ढांचा भी बनाया जाना चाहिये। जब तम्बाकू व्यापार में वाउचर पद्धति लागू की गई तो किसानों की दुर्दशा का मुझे पता है। नीलामी मंच की प्रणाली लागू होने के बाद ऐसी ही स्थिति आ सकती है।

तम्बाकू ऐसी फसल है जिसे किसान खेत से काटने के बाद अधिक दिनों तक अपने पास नहीं रख सकता। वह खराब हो जाता है। नीलामी की व्यवस्था में भण्डार का रखने की व्यवस्था का कतई भुला दिया गया है। यह व्यवस्था सरकार ही कर सकती है, किसान नहीं।

तम्बाकू का समूचा विदेशी व्यापार कुछ विदेशियों के हाथ में है और सरकार भी इन्हीं पर निर्भर है।

अधिकतर तम्बाकू बिचौलियों की मार्फत लिया जाता है। क्या सरकार इन्हीं मार्फत तम्बाकू खरीदेगी, ऐसा करने पर गरीब किसानों को कोई लाभ नहीं होगा।

इस वर्ष देश में बढ़िया तम्बाकू उगाने के बजाय देशी तम्बाकू अधिक उगाया गया है। यह अभी भी बिना बिका पड़ा है। यह उन्हें बिचौलियों के हाथ कम मूल्य पर बेचना होगा। सरकार ने अनेकों विनियम बना रखे हैं। फिर उन्हें 30 जून तक समूचे तम्बाकू को बेचने की चेतावनी दी गई है। अतः सरकार को तम्बाकू खरीदने के अन्य तरीके खोजने होंगे।

किसानों को रियायतों का लाभ देने के लिए विनियमों की संख्या घटा कर उन्हें सात बनाना होगा, अन्यथा वे कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। तम्बाकू के भण्डार और नीलामी के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): It would have been better if a more comprehensive amendment has been brought in the light of the suggestions made in the past. One is with regard to the certificate of registration. If this is done away with, people will have more freedom and production will go up.

In the past the tobacco growers had suffered huge losses. Therefore there should be a provision made in this Bill whereby the tobacco growers can set fair price and the middlemen are not allowed to exploit them.

लोकसभा मंगलवार, 18 जुलाई, 1978/27 आषाढ, 1900 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, July 18, 1978/ Asadha 27, 1900 (Saka).

भा०स०म०ना०—198 एल०एस०एस० (एन०डी०)/78—9-9-78—210